नवम माला, खंड 5, अंक 32

सोमवार, 30 अप्रैल, 1990
10 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B [illegible]
Date 12/12/90

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 30 अप्रैल, 1990/10 वैशाख, 1912(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
(ii)	9	"रामेन्द्र" के स्थान पर "रमेन्द्र" पढ़िये।
51	4	"कार्यक्रन" के स्थान पर "कार्यक्रम" पढ़िये।
54	नीचे से 12	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंत:स्थापित कीजिए।
89	6	"687" के स्थान पर "6871" पढ़िये।
92	[illegible]	"पी0एस0सईद" के स्थान पर "पी0एम0सईद" पढ़िये।
126	15	"चरण" के स्थान पर "शरण" पढ़िये।
141	16	"6824" के स्थान पर "6924" पढ़िये।
162	1	"एम0ईस0एस0" के स्थान पर "एम0ई0एस0" पढ़िये।
200	18	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
211	18	"मदम" के स्थान पर "मदन" पढ़िये।
223	13	"रबि" के स्थान पर "रवि" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)
अंक 32, सोमवार, 30 अप्रैल, 1990/10 वैशाख, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—26
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 636 और 638 से 640	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		26—205
	तारांकित प्रश्न संख्या : 641 से 656	26—40
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 6815 से 6826, 6828 से 6878, 6880 से 6924, 6926 से 6967 और 6969 से 6995	40—205
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणियां		215—217
समापटल पर रखे गए पत्र		218—220
नियम 377 के अधीन मामले		220—223
	(एक) हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर और कुल्लू जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं की मांग श्री के० डी० सुल्तानपुरी	220
	(दो) अरुणाचल प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली में सुधार किए जाने की मांग श्री लेइता अम्बरी	221
	(तीन) राजस्थान राज्य की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान किए जाने की मांग श्री गुलाब चन्द कटारिया	221
	(चार) अनूपगढ़ और बीकानेर के बीच रेल लाइन बिछाने की मांग श्री शोपत सिंह मक्कासर	221

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) चित्रदुर्गा-रायदुर्ग और बेल्लारी-राय-दुर्ग रेल लाइनों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा मंगलौर और सिकन्दराबाद के बीच रेल सेवा में सुधार किए जाने की मांग	223
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर	
(छः) पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग	223
श्री रामेन्द्र कुमार रवि यादव	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	228
मई दिवस सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना	
श्री पी० उपेन्द्र	
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	223—291
(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार	223—260
श्री कालका दास	223
श्री डी० अमात	226
श्री जगपाल सिंह	228
श्री ईश्वर चौधरी	231
श्री प्रेम प्रदीप	232
श्री माधवराव सिंधिया	234
श्रीमती गीता मुखर्जी	238
श्री नकुल नायक	238
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	240
श्री राम सजीवन	241
श्री नानी भट्टाचार्य	243
श्री डी० पंडियन	247
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	248
कुमारी उमा भारती	250
श्री सैफुद्दीन चौधरी	252
श्री सुबोध कान्त सहाय	254

विषय	पृष्ठ
(घ) देश में मूल्यों में वृद्धि	260—291
प्रो० सैफुद्दीन सोज	260
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	269
श्री वसन्त साठे	270
डा० किरोड़ी लाल मीणा	273
श्री सुशान्त चक्रवर्ती	275
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	279
श्री हरि केवल प्रसाद	283
श्री नाथू राम मिर्धा	286

लोक सभा

सोमवार 30 अप्रैल, 1990/10 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11.04 म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पर्यावरण मूल्यांकन समिति

[हिन्दी]

*636. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी परियोजनाओं के लिए गठित पर्यावरण मूल्यांकन समिति के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) टिहरी बांध परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से किस तिथि को स्वीकृति दी गई थी तथा इस परियोजना में किन-किन मदों पर पहले ही धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) इस परियोजना को अभी तक पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी नहीं दी गई है। फिर भी, दिशा परिवर्तन सुरंगों, हेड रेस सुरंगों, सम्पर्क प्रवेश मार्गों तथा अन्य आधारभूत कार्यों के निर्माण पर 448.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

विवरण

(क) नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थाई पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन नीचे दिया गया है :—

1.	डा० डी० आर० भुम्बला	अध्यक्ष
2.	डा० बी० के० राय बर्मन	सदस्य
3.	डा० एच० एस० पंवार	—वही—
4.	श्री ओ० एन० कौल	—वही—
5.	डा० के० श्रीराम कृष्णैया	—वही—
6.	डा० एम० वी० वी० एस० नरसिमहम	—वही—
7.	डा० सुब्रत सिन्हा	—वही—

8.	डा० शेखर सिंह	—वही—
9.	प्रो० शिवाजी राव	—वही—
10.	श्री श्याम चैनानी	—वही—
11.	प्रो० वीरेन्द्र कुमार	—वही—
12.	डा० एस० मुदगल	—वही—
13.	डा० (श्रीमती) नलिनी भट्ट	सदस्य-सचिव

स्थाई आमंत्रित :

1. सलाहकार
   सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास
   योजना आयोग
2. मुख्य इंजीनियर
   केन्द्रीय जल आयोग
3. मुख्य इंजीनियर
   केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

(ख) प्रस्तुत किए गये आंकड़ों के मूल्यांकन और सम्बन्धित एजेंसियों और विशेषज्ञों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के आधार पर समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि :—

— समिति इस बात को स्वीकार करती है कि बांध की असफलता के परिणाम अत्यन्त भयंकर होंगे और बांध की असफलता का जोखिम स्पष्टतः अस्वीकार्य है ।

— पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभावों का उचित ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है या उनके लिए उचित योजना नहीं बनाई गई । अब तक किया गया पुनर्वास और कंचमेंट क्षेत्र सुधार कार्य का स्तर ठीक नहीं है तथा सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं की पूर्ण अनदेखी की गई है ।

— इस परियोजना के प्रतिकूल पर्यावरणीय निहितार्थ इसके संभावित लाभों के अनुरूप नहीं हैं । परियोजना की स्थापना से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जायेगा ।

— समिति को इस तथ्य की जानकारी है कि इस परियोजना को 1972 से कार्यान्वित किया गया है तथा अभी तक अपेक्षित आंकड़े और कार्य योजनाएं या तो उपलब्ध नहीं हुए हैं या ये अपूर्ण हैं । अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि निर्णय लेने के लिये कार्य योजना के अतिरिक्त आंकड़ों और सूचना के लिये अधिक समय तक इन्तजार करने का कोई मतलब नहीं है ।

— अतः परियोजना की भू-वैज्ञानिक और भूकम्पीय स्थिति, जोखिमों और खतरों, पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभावों, प्रत्याशित लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए तथा उपलब्ध सूचना और आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात समिति सर्व-

सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रस्तावित टिहरी बांध परियोजना को आरम्भ न किया जाए क्योंकि इसको पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

प्रो० महादेव शिवनकर : माननीय अध्यक्ष जी, 1972 में योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए सहमति व्यक्त की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1972 में इस परियोजना की लागत क्या थी और जो पुनर्मूल्यांकन समिति गठित की गई या घोषित की गई तो वह कब घोषित की गई और उसके कारण क्या थे? प्रश्न के उत्तर के भाग "ख" में उस समिति में जो 13 लोग थे, क्या वह तंत्र (टैक्नीकल) के थे या नॉन टैक्नीकल पर्सनल थे और उस कमेटी की रिपोर्ट शासन के पास कब पहुंची?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, वर्ष 1972 में, इस परियोजना के आरम्भ में इसकी अधिष्ठापित क्षमता 600 मेगावाट और अनुमानित लागत 197.92 करोड़ रुपये थे। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1976 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। लेकिन जनता के आक्रोश के कारण सरकार इसका कार्य प्रारम्भ नहीं कर पायी। इस परियोजना के विरोध के कारण 1977 में गठित संसद की याचिका समिति ने इस मामले की जांच करनी थी। इसके प्रतिवेदन को वर्ष 1979 के अन्त तक संसद के भंग हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने निर्देश दिये थे कि मूक घाटी परियोजना, गढ़वाल में टिहरी बांध और गुजरात में लालपुर बांध सहित कतिपय परियोजनाओं की समीक्षा की जाये। उनका यह मानना था कि बिना किसी अधिक लाभ के भूमि के विशाल क्षेत्र जल-मग्न हो गये हैं। यह सही है कि एक लम्बे अर्से में यह निर्णय लिए गए। लेकिन स्थानीय लोगों को इस बात का दुख है और वह यह महसूस करते हैं कि ठेकेदारों और अन्य लोगों के गुट को ही इसका मुख्य लाभ मिलेगा। उनके वक्तव्य को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को एक विशेषज्ञ कार्यकारी दल को सौंपा गया था जिसने मई 1980 में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था और 1986 में अन्तिम प्रतिवेदन। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर पर्याप्त विचार करने के बाद और इस तथ्य के बावजूद की इस पर 206 करोड़ रुपये का खर्च पहले ही हो चुका है, पर्यावरण और वन मंत्रालय अक्तूबर 1986 में स्पष्टतः इस निर्णय पर पहुंचा कि इस परियोजना को छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर भी नवम्बर 1986 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत एक हजार मिलियन रूबल मूल्य की तकनीकी और वित्तीय सहायता इस परियोजना को दी जानी थी। यहां तक कि पर्यावरण कार्य योजना की गैर मौजूदगी में भी पर्यावरण अनुमति/अनुमोदन लेना जरूरी हो गया। संशोधित लागत अनुमानों को ध्यान में रखते हुये वित्त मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की और कहा कि पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति के पश्चात् वह टिहरी बांध परियोजना के लिए और धन देंगे। यह उन्होंने 1989 में कहा था। तदनुसार, टिहरी पनविद्युत विकास निगम ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचारार्थ और उसके द्वारा मूल्यांकन के लिए पर्यावरण सम्बन्धी कार्य योजना बनायी। यह योजना मंत्रालय को 29 नवम्बर, 1989 और 15 दिसम्बर, 1989 को प्राप्त हुई और नदी घाटी परियोजना सम्बन्धी पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने 18 दिसम्बर, 1989 को इस पर विचार किया। समिति इस निर्णय पर पहुंची कि इस परियोजना को छोड़ दिया जाना चाहिए।

अब दूसरा अनुपूरक जो माननीय सदस्य ने पूछा है, इन वर्षों में लागत अनुमानों में हुये संशोधनों के संबंध में है। जब परियोजना शुरू हुई थी, उस समय यह राशि 197.92 करोड़ रुपए थी। कुछ वर्षों बाद संशोधित लागत अनुमान बढ़कर 3..08.8 करोड़ रुपये हो गये।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, प्राय: 984 से देश की बहुत सारी प्रकल्प सिंचाई की योजनाएं रुकी पड़ी हैं। मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं, टिहरी बांध योजना क्या रूस के तंत्रज्ञों के साथ बनाई गई थी? जो अमेरिकनवादी लोग हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, जहां इनका विकास हो चुका है, ऐसे अमेरिकन लोग देश में और देश के बाहर इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि भारत की सिंचाई की योजनायें न बनें, इस कारण सन् 1984 से देश के बहुत बड़े परिणाम में योजनायें रुकी पड़ी हैं। मेरा सवाल यह है, नर्मदा बांध योजना के लिए बाबा आमटे विरोध कर रहे हैं, अनेक अमेरिकनवादी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इस प्रकार बाबा आमटे जैसे लोग या देश के अन्य प्रकार के लोग जो स्वयं को पर्यावरणवादी कहते हैं, उनके कारण विकास अवरुद्ध होगा? ऐसे अमेरिकन-वादी लोग या पूंजीपतियों के पीछे बैठे हुए लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं समझती हूं, कि बिना किसी विस्तृत जानकारी के किसी को अमेरिकनवादी, या पूंजीपति या निहित स्वार्थों वाला कहना अत्यन्त अशोभनीय है। यहां इस तरह की धारणा बनी हुई है यदि कोई किसी बात की आलोचना करता है तो वह ऐसा निहित स्वार्थों के कारण ही करता है। पर्यावरण विशेषज्ञ सही भी हो सकते हैं और गलत भी, मैं नहीं जानती और मैं संतुलित निर्णय नहीं ले रही हूं। मैं समझती हूं, यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें निहित स्वार्थों वाला कहें और कहें कि इसके लिए धन दिया गया है। दूसरी ओर, मैं यह कहूंगी कि उनके पीछे कोई ठेकेदार नहीं है और उन्हें कोई प्रतिशत नहीं मिल रहा है। अत: यह कहना गलत है। दूसरी ओर, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि तकनीकी मूल्यांकन समिति में जो लोग थ, वह तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति थे या नहीं। वे सभी तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति थे और यह प्रश्न मुझसे नहीं पूछा जा सकता कि क्या यह लोग अमेरीकी समर्थक थे या रूसी समर्थक। जहां तक मेरा संबंध है, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे पूर्ववर्ती भी केवल भारतीय हितों और इस राज्य में पर्यावरण के अनुरक्षण की स्थिति को बनाये रखने की भावना से ही प्रेरित थे। अत: आप हमसे प्रश्न नहीं कर सकते कि क्या आप समझते हैं कि आप किसी के द्वारा प्रेरित हैं? यह ठीक नहीं है।

श्री भवानी शंकर होटा : मैं माननीय सदस्य मंत्री महोदया से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब कभी भी पर्यावरण सुरक्षा की बात आती है, तब सामान्यतया: कार्यक्रम और योजनायें सरकार द्वारा या तो सिंचाई विभाग या इस्पात और खान विभागों तथा ऐसे ही अन्य

विभाग के माध्यम से लाभ की जाती है तथा पारस्थितिकी और पर्यावरण के पक्ष को नुकसान होता है। इस मामले में ठीक ही कहा गया है कि वे सब तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोग थे और मैं माननीय मंत्री महोदया से यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि क्या पर्यावरण विभाग टिहरी बांध के मामले पर समझौता कर लेगा और मात्र इस कारण टिहरी बांध का कार्य रुकने देंगे कि लाभ लागत विश्लेषण यह दर्शाता है कि लाभ के मुकाबले लागत अधिक है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। हमने अभी तक इसको स्वीकृति नहीं दी है; फिर भी इस मामले को एक विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया है और उसने अपनी स्वीकृति दे दी है यह मामला विचारार्थ फिर हमारे पास वापिस आना है और इस पर विचार हो रहा है।

जहां तक इस सामान्य प्रश्न का संबंध है कि पारस्थितिकीय कारणों से परियोजना को नुकसान हो रहा है, तो अभी तक किसी ने यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि क्या पारस्थितिकी को इस कारण हानि हुई है ?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी इन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री से इस प्रकार प्रोजैक्ट की क्लीयरेंस नहीं होती है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट केन्द्र का या स्टेट का इरिगेशन डिपार्टमेंट बजट में एमाउन्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए 448 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए और काम शुरू किया गया। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं; क्या एक पॉलिसी के तौर पर जब तक इन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री से क्लीयरेंस नहीं मिलेगी तब तक केन्द्र के या राज्य के कोई भी इरिगेशन प्रोजैक्ट नहीं लिए जायेंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे ? नहीं तो इन मिनिस्टरों के झमेलों में प्रोजैक्ट की प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। क्या इस प्रकार का एक पॉलिसी डिसीजन लेकर, जब तक बात पूरी नहीं होती है, तब तक भारत सरकार कोई फैसला करेगी ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, जल संसाधन मंत्रालय और मेरे अथवा किसी अन्य मंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम सभी देश का विकास चाहते हैं। तथापि, पर्यावरण मंत्रालय के गठन से पूर्व भी कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं। उदाहरण के लिए, यह टिहरी बांध परियोजना 1972 में बनाई गई थी। इसे पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए 1980 में हमारे पास भेजा गया था। इस संबंध में पहले 1986 में और फिर 1989 में रिपोर्ट दी गई थी। मेरे विचार से भविष्य में परियोजना बनाते समय ही पर्यावरण संबंध स्वीकृति ले लेना बेहतर होगा ताकि लागत और पर्यावरण की दृष्टि से सभी परियोजनाएं सुरक्षित, जल्दी कार्यान्वित होने वाली और लाभप्रद हो सकें।

श्री राम नाईक : क्या सरकार ने इस बारे में कुछ निर्णय लिया है ?

श्रीमती मेनका गांधी : मेरे विचार से सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है और भविष्य में बनने वाली सभी परियोजनाएं उसके तहत आएंगी।

श्री पी०एम०सईद : महोदय, मैं इस पर्यावरण मंत्रालय का शिकार रहा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह पर्यावरण विभाग अंडमान और लक्षद्वीप, दो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रयोगशालाओं के

रूप में प्रयोग कर रहा है। लक्षद्वीप और अंडमान में 'ब्रेक-वाटर परियोजना' पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसे स्वीकृति देने के बाद, पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ विदेशी संस्थाओं से अध्ययन करने के लिए कहा था। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में इस तरह की बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी ?

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

*638. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गयी है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने भू-क्षेत्र में और कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और लगाये गये वृक्षों में से कितने वृक्ष पनपे,

(ग) इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन संबंधी यदि कोई अध्ययन किया गया है तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, और

(घ) इन कार्यक्रमों को और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) : राज्य-वार व्यय, लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे अनुबंध-1, अनुबंध-2 और अनुबंध-3 में दिए गए हैं।

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रही है :—

(i) सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ii) वृक्षारोपण कार्यकलाप वन क्षेत्रों से बाहर चलाए गए हैं और फार्म/कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया है।

(iii) देश में काष्ठ बॉयोमास के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी में वृद्धि की गई है।

तथापि, कार्यक्रम का क्षेत्र वृक्षारोपण तक सीमित रहा है और ईन्धन लकड़ी/चारा उत्पादन और जन-सहभागिता के संबंध में अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं।

(घ) कार्यक्रम की प्रभावोत्पादिकता को बढ़ाने की दृष्टि से कार्यक्रम की आयोजना तथा उसके कार्यान्वयन में जन-सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा अन्तर विषय समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नई कार्यनीति में जल संग्रहण प्रणाली के आधार पर एकीकृत भूमि उपयोग आयोजना, ग्राम स्तरीय कार्य योजनाओं, संरक्षण और प्राकृतिक पुनरुत्पादन, ईन्धन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन और प्रौद्योगिकी विस्तार पर बल देना शामिल है।

अनुबन्ध-I

20 सूत्रीय कार्यक्रम (सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण) के सूत्र सं० 16 के अधीन राज्य-वार और वर्ष-वार व्यय

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्रम० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90 (परिव्यय)
1.	आंध्र प्रदेश	3172.03	3538.00	1580.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	3396.77	451.75	699.00
3.	असम	1628.54	2128.00	1655.00
4.	बिहार	3841.96	5298.00	1997.00
5.	गोवा	112.20	118.00	129.00
6.	गुजरात	2989.86	3168.00	3355.00
7.	हरियाणा	1343.43	1921.50	1735.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1952.48	2257.50	2396.00
9.	जम्मू और कश्मीर	960.76	1124.63	1060.00
10.	कर्नाटक	1713.95	2710.50	1667.30
11.	केरल	1703.55	2374.00	1290.00
12.	मध्य प्रदेश	4059.17	4672.00	3459.00
13.	महाराष्ट्र	3401.37	4194.25	3135.50
14.	मणिपुर	307.41	403.50	464.00
15.	मेघालय	623.59	756.00	942.00
16.	मिजोरम	535.48	658.00	570.00
17.	नागालैंड	492.86	518.00	482.50
18.	उड़ीसा	2538.51	2667.25	1939.50
19.	पंजाब	859.20	1035.25	725.00

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्रम० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90 (परिव्यय)
20.	राजस्थान	2847.84	3202.00	1616.50
21.	सिक्किम	199.20	235.00	276.00
22.	तमिलनाडु	3167.20	3479.50	1991.00
23.	त्रिपुरा	424.34	462.75	476.00
24.	उत्तर प्रदेश	6023.12	7589.75	4254.30
25.	पश्चिमी बंगाल	2025.56	3292.88	1612.50
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	153.26	259.50	245.00
27.	चण्डीगढ़	23.55	23.50	26.25
28.	दादर एवं नगर हवेली	97.97	111.25	108.50
29.	दिल्ली	88.10	45.00	14.17
30.	दमन और द्वीव	12.48	85.50	97.50
31.	लक्षद्वीप	6.56	7.25	0.00
32.	पाण्डिचेरी	43.63	48.00	14.17
	योग :—	47746.03	58836.01*	40011.39**

*लेखा सामंजस्य होने की स्थिति में ।

**जवाहर रोजगार योजना निधि के 83 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं । केन्द्र क्षेत्र आदि की 21 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल नहीं है जिसका राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया था । वर्ष 1988-90 में 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये 504 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है ।

अनुबन्ध-2

20 सूत्री कार्यक्रम (सामाजिक वानिकी सहित वृक्षारोपण/वनीकरण) के सूत्र सं० 16 के अधीन राज्य-वाड़ और वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88 उपलब्धि*	1981-89 उपलब्धि*	1989-90 (लक्ष्य)*	1/90 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	152567.00	14:747.50	160000.00	128151.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	6352.00	7077.50	7000.00	801.00
3.	असम	24893.00	22952.00	15000.00	14182.10
4.	बिहार	157600.00	180177.00	140000.00	109538.50
5.	गोवा	3761.50	3686.50	3750·00	371.45
6.	गुजरात	107075.00	200996.50	110000.00	194450.00
7.	हरियाणा	19000.00	31637.00	27500.00	2 596.50
8.	हिमाचल प्रदेश	30754.50	34186.50	35000.00	30335.00
9.	जम्मू व कश्मीर	20000.03	25237.00	17500.00	3576.50
10.	कर्नाटक	157610.50	154596.00	115000.00	110466.50
11.	केरल	77772.00	76051.00	25000.00	16070.00
12.	मध्य प्रदेश	204523.00	220800.00	195000.00	186488.93
13.	महाराष्ट्र	153998.00	285000.00	207500.00	190534.50
14.	मणीपुर	9012.50	9948.00	10000.00	11552.00

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	11878.50	16488.50	13750.00	14255.50
16.	मिजोरम	13875.00	15000.00	15000.00	15000.00
17.	नागालैंड	10000.00	11500.00	17500.00	0.00
18.	उड़ीसा	117002.00	138108.50	110000.00	79780.15
19.	पंजाब	24776.00	28730.00	20000.00	17099.00
20.	राजस्थान	58693.50	65500.00	45000.00	41225.50
21.	सिक्किम	6693.50	6307.50	7000.00	7193.00
22.	तमिलनाडु	95587.00	90278.00	70000.00	69011.20
23.	त्रिपुरा	13356.50	13350.00	13000.00	13500.00
24.	उत्तर प्रदेश	221035.50	272991.00	275000.00	261864.50
25.	पश्चिम बंगाल	69554.00	55600.00	50000.00	47500.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5021.50	5379.50	5000.00	5212.50
27.	चण्डीगढ़	179.50	177.00	125.00	121.82
28.	दादर व नगर हवेली	1561.00	1916.00	1500.00	1562.50
29.	दमन और द्वीव	0.00	63.00	100.00	112.50
30.	दिल्ली	903.00	3295.00	2500.00	1557.00
31.	लक्षद्वीप	12.00	112.50	125.00	[illegible]45.97
32.	पाण्डिचेरी	516.00	523.00	400.00	496.25
	योग :—	1775563.53	2119412.00	1714250.00	159375[illegible].15

* प्रति हेक्टेयर 2000 पौद की दर से काल्पनिक रूप से परिकलित क्षेत्र।

अनुबन्ध-3

20 सूत्री कार्यक्रम (सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण) के सूत्र संख्या 16 के अधीन राज्य-वार और वर्ष वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(पौध लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (1/90 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	3051.34	3200.00	2834.95	3200.00	2563.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	125.00	127.04	140 00	141.55	140.00	160.20
3.	असम	500 00	497.87	600.00	443.87	300.00	283.64
4.	बिहार	3500.00	3152.00	3600.00	3600.54	2800.00	2190.77
5.	गोवा	75.00	74.70	75.00	73.73	75.00	74.29
6.	गुजरात	2250.00	2141.50	2600.00	4013.61	2200.00	3889.00
7.	हरियाणा	600.00	380 00	750.00	631.20	550.00	431.93
8.	हिमाचल प्रदेश	600.00	615.09	7[illegible]0.00	683.73	700.00	606.70
9.	जम्मू व कश्मीर	405.00	400.06	500.00	397.74	350.00	71.53
10.	कर्नाटक	2500.00	3152.21	3300.00	3091.91	2300.00	2209.33
11.	केरल	1700.00	1555.44	1750.00	1521.00	500.00	321.40
12.	मध्य प्रदेश	4000.00	4090.46	4400.00	4416.00	3900.00	3729.78
13.	महाराष्ट्र	2600.00	3079.96	3300.00	4108.62	[illegible]	3810.69
14.	मणिपुर	170.00	180.00	200.00	198.96	200.00	231.04

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	150.00	237.57	270.00	329.77	275.00	285.11
16.	मिजोरम	725.00	277.50	300.00	300.00	300.00	300.00
17.	नागालैण्ड	200.00	200.00	230.00		350.00	0.00
18.	उड़ीसा	2600.00	2340.50	3000.00	2762.17	2200.00	1595.60
19.	पंजाब	450.00	495.92	500.00	574.60	400.00	341.98
20.	राजस्थान	1200.00	1173.87	1300.00	1310.00	900.00	824.51
21.	सिक्किम	120.00	133.87	150.00	126.15	140.00	143.86
22.	तमिलनाडु	2400 00	1911.74	1800.00	1805 57	1400.00	1350.22
23.	त्रिपुरा	260.00	267.12	260.00	257.00	260.00	270.00
24.	उत्तर प्रदेश	4200.90	4420.71	5100.00	5459 82	5500.00	5237.29
25.	पश्चिम बंगाल	1400.00	1391.08	1800.00	1112.00	1000.00	950.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	100 00	100.43	100.00	107.59	100.00	104.25
27.	चण्डीगढ़	3.40	3.59	4 00	3.53	2.50	2.44
28.	दादर और नगर हवेली	40.00	31.22	35.00	38.32	30.00	31.25
29.	दमन और द्वीव	25.00	0.53	2.00	1.26	2.00	2.25
30.	दिल्ली	30.00	18.06	50.00	65 90	50.00	31.14
31.	लक्षद्वीप	0.20	0.24	0.50	2.24	2.50	2.92
32.	पाण्डिचेरी	10 60	10.32	10.40	9.92	9.79	9.92
	योग :	35939.20	35511.35	40026.50	40436.64	3-286.92	32-86.08

वृक्षों की जीवितता दर का राज्य-दर-राज्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चुनीदा राज्यों में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार समग्र जीवितता दर लगभग 60 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जो उत्तर दिया है कि लगभग 6 सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष पेड़ लगाने और जंगलों पर खर्च किए जाते हैं। ये 6 सौ करोड़ रुपया एक वर्ष में खर्च करने बाद भी हालत यह हो रही है कि हिन्दुस्तान भर में सब जगह पेड़ कट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, रेगिस्तान बनता जा रहा है और जंगल माफिया सब पेड़ों को काट करके ले जा रहा है। इतने बड़े आंकड़े दिए गए हैं जिनके मुताबिक पेड़ भी लग रहे हैं, टारगेट भी पूरे हो रहे हैं, 6 सौ करोड़ रुपया भी खर्च हो रहा है। यह सब कुछ हो रहा है परन्तु परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत हो रहे हैं। ये जो कागजों के आंकड़े हैं जिनमें कहा गया है कि हमने इतने पेड़ लगा दिए, इतने बच गए, इतने चल रहे हैं, ये कागजों में ही रह जाते हैं। क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाएगी जिससे कि यह जो पर्यावरण का मामला है, पेड़ों के कटने का और रेगिस्तान के बनने का मामला है इसको रोकने के लिए वह कारगर सिद्ध हो सके? क्या कोई ऐसी नई नीति बनाने का विचार है? यदि कोई नई बना रहे हैं तो उसमें क्या कदम उठायेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, प्रश्न पेड़ लगाने का है। हम जो पेड़ लगाते हैं उनके बचने की दर बहुत अधिक है। ये संख्या हर राज्य में भिन्न होती है क्योंकि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से हमारे अधीन नहीं आता। हर राज्य की पेड़ लगाने के मामले में अपनी-अपनी कुशलता होती है। तथापि आपका यह मुद्दा कि जितनी संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में काट दिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका कारण यह है कि यह मामला राज्य के बजट के अन्तर्गत आता है कि वन विभाग कितना धन प्रदान करेगा। प्रत्येक राज्य वन विभाग को कहीं मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है। हमें वृक्षारोपण कार्यक्रम में तेजी लानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वृक्षों का संरक्षण वर्तमान दर से अधिक हो सके। हमने उन्हें अधिक भोगाधिकार देने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह वन नीति में परिवर्तन किया है। यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं, यदि कोई आदिवासी वन भूमि पर कोई पेड़ लगाता है—देश में 135 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि है—तो आपको उसका भोगाधिकार प्राप्त होगा अर्थात उस वृक्ष के बड़ा होने पर वन विभाग के साथ-साथ आपका भी उसके फलों और लकड़ी पर अधिकार होगा। इससे भी वृक्षों को बचाया जा सकता है, जिसकी अब तक उपेक्षा की जा रही थी।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर समस्या है। उसके लिए उतने ही ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की, कोई क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत है। पिछले 43 साल में जो अरबों रुपए खर्च किए हैं वह वेस्ट हो गए और उसके कारण हालत बिगड़ती ही गई। हर साल मंत्री आते हैं, इस तरह से पालिसी स्टेटमेंट करते हैं पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सारे हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों के वन मंत्रियों को इकट्ठा करके और इसकी गंभीरता को देखकर ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जितने पेड़ कट रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ लगें। यह भी कर सकते हैं कि कुछ वर्षों के लिए कुछ स्थानों पर पेड़ काटना बिल्कुल बन्द कर दिया जाए और कह दिया जाए कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा? जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब

तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। जब पेड़ कटते है तो माफिया पचास की जगह पांच हजार पेड़ काटकर ले जाता है। कनडेवेस होती है रिश्वत चलती है। इस तरह से काम नहीं हो सकता है। इसमें क्या कदम उठा रहे है?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : नई वन नीति पिछले 40 वर्षों से अपनाई जा रही नीति से एकदम भिन्न है। हमने जनता को भोगाधिकार दिया है। अब से पहले ग्रामीण अपनी भूमि अथवा वृक्ष का लाभ नहीं उठा सकते थे, वे वृक्ष की लकड़ी नहीं काट सकते थे, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जब वृक्षों की कटाई के लिए कोई ठेकेदार वहां पेड़ काटने आता था तो ग्रामीण लोग उस वृक्ष या जंगल को बचाने में बिल्कुल भी रूचि नहीं दिखाते थे क्योंकि उनका इस पर कोई अधिकार ही नहीं होता था। प्रश्न यह है कि उसे आप काट कर ले जाएं या मैं ले जाऊं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें आशा है कि नई वन नीति के तहत भारत की जनता अपने वृक्षों और वनों की रक्षा करेगी। यह कार्य मैं या वन विभाग या पर्यावरण मंत्रालय या राज्य सरकार का कोई विभाग कोई नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह है कि वनों के 33 प्रतिशत संरक्षण का एकमात्र तरीका यही है कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो लकड़ी के विकल्प हों। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में पेड़ काटने का मुख्य कारण फलों की पेटियों के लिए लकड़ी प्राप्त करना है। हमने उन्हें कहा है कि फलों को जूट के बोरों में पैक किया जाए ताकि वृक्षों को बचाया जा सके।

जहां तक रेल के स्लीपरों का सम्बन्ध है, हम रेल मंत्रालय को 35 लाख स्लीपर उपलब्ध करा रहे है। यद्यपि यहां दस लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है, तथापि वे इसकी एवज में उसमें पेड़ नहीं लगा रहे है। अब हमने इन स्लीपरों की संख्या घटाकर 3.52 लाख कर दी है और हमें आशा है कि अगले वर्ष तक हम इसे और घटाकर 2 लाख तक कर पाएंगे। उसके बदले में हमने उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा है, जितने पेड़ काटे गए है उन्हें उतने पेड़ लगाने होंगे। अतः कई मुख्य क्षेत्रों में लकड़ी के प्रयोग को कम किया जा सकता है ताकि हमारे यहां वृक्षों की संख्या पर्याप्त हो सके जिससे ग्रामीण और निर्धन लोग वृक्षों से फायदा उठा सकें और हमारे यहां वनों की कटाई के ठेकेदार न हों।

अन्य उपायों का प्रस्ताव भी रखा गया है। उदाहरण के लिए, यह प्रस्ताव रख गया है कि आरा मिलों की संख्या निर्धारित की जाए और अवैध रूप से चल रही आरा मिलों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उदाहरण के लिए, एक अन्य प्रस्ताव यह है कि लकड़ी के लट्ठे लाने-ले जाने का अधिकार केवल सरकार के वन विभाग के पास ही हो क्योंकि तब आप अवैध रूप से उनके परिवहन का आसानी से पता लगा सकते हैं। हम ऐसे कुछ उपायों पर विचार कर रहे हैं।

श्री अनन्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : मैं माननीय मंत्री महोदया द्वारा घोषित की जा रही वन नीति का स्वागत करता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुल वन क्षेत्र से होने वाला उत्पादन इस क्षेत्र में अब तक किए गए पूंजी निवेश के अनुरूप है। दूसरे, अपने उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा है कि

वृक्षारोपण को वन विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर ले लिया गया है और फार्म/कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षों के काट जाने के कारण हुए घाटे को वह कैसे पूरा करेगी।

श्रीमती मेनका गांधी : हमने ऐसा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन किया है जो त्वरित वृक्षारोपण का काम करेगा। हम यह काम प्रत्येक राज्य के सहयोग से करना होगा।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि जनता दल की नीति है कि जनता की सत्ता में भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए फारेस्ट डिपार्टमेंट जनता की और स्पेशल आर्गनाइजेशंस को पेड़ लगाने में भागीदारी देने के बारे में विचार कर रहा है या नहीं। इसी तरह से रेल-पटरी का जिक्र मंत्री महोदय ने किया है, तो रेल-पटरी के नजदीक गांव के लोगों और ग्राम-पंचायतों द्वारा पेड़ लगवाने और उनकी भागीदारी के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इसी तरह से पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक्स-सर्विसमैन, एन० सी० सी०, कालेज और यूनिवर्सिटीज आदि आर्गनाइजेशंस की भागीदारी की किसी योजना की रूपरेखा पर सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि अब तक सामूहिक जमीन की सुरक्षा या उस पर पेड़ लगाने में ग्रामीणों या उसके आस-पास रहने वाले लोगों की रुचि नहीं होती थी क्योंकि उन वृक्षों पर लगने वाले फलों में उनकी कोई हिस्सेदारी या भागीदारिता नहीं होती थी। चूंकि अब नई नीति लाई जा रही है, हमें पूरी आशा है कि जो व्यक्ति यह समझेगा कि इस वृक्ष का फायदा वह उठा सकता है तो वह वृक्षारोपण में स्वतः रुचि लेगा। हमने तो परती वन भूमि के उपयोग की भी अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड इनका समन्वय कर रहा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि "क्या हम सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल करने के बारे में विचार कर रहे हैं ?" हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद प्रणाली बनाने की योजना बना रहे हैं और मैं समझती हूं कि यदि विशेष रूप से इसमें भूतपूर्व सैनिकों को शामिल कर सकें, जिसका कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा होगा।

सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिकी एककों का कार्य-निष्पादन

*639. **श्री आनन्द सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिकी एककों में निर्यात संवर्धन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना निवेश किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) जैसाकि प्रश्न में पूछा गया है, निर्यात संवर्धन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इलेक्ट्रोनिक इकाइयो में पूंजीनिवेश की मात्रा, 1989-89 तथा 1989-90 की उपलब्धियों तथा सांस्थानिक तंत्र से संबंधित जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के प्रशासनिक मंत्रालयों अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए रक्षा मंत्रालय से; भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड तथा भारतीय दूरसंचार परामर्श-सेवा लिमिटेड के लिए दूरसंचार मंत्रालय से; इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से; इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारत हेवी-इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए उद्योग मंत्रालय से और राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयो के मामले में जानकारी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त करनी होगी। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी। सी०एम०सी० लिमिटेड, इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित जानकारी अनुबन्ध में दी गई है।

अनुबन्ध

(क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों में से केवल सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड ही एक मात्र विनिर्माणकारी एकक है। उन्नत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के चुनिन्दा क्षेत्रों में स्वदेशी विकास तथा उत्पादन-क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से इस यूनिट की स्थापना की गई थी; इस कम्पनी का अभी तक निर्यात का कोई लक्ष्य नहीं है। अन्य दो कम्पनियां अर्थात् सी०एम०सी० लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई० टी० एण्ड टी०) विनिर्माणकारी कम्पनियां नहीं हैं बल्कि ये मुख्यतः सेवा तथा व्यापार संगठन हैं। इसके फलस्वरूप, इन कम्पनियों के निर्यात के लिए कोई प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश नहीं किया है; किन्तु उन्होंने निर्यात प्राप्त करने की दिशा में व्यय-अवश्य किया है।

(ग) से (ङ)

ई०टी० एण्ड टी०

	1988-89	1989-90
	(लाख रुपयों में)	
लक्ष्य	200	300
उपलब्धियां	72	336

ई० टी० एण्ड टी० लिमिटेड अपने वर्ष 1988-89 के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि इसने जो अनुबन्ध किए थे उन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका।

सी०एन०सी० लिमिटेड

	1988-89	1989-90
	(लाख रुपयों में)	
लक्ष्य	100	250
उपलब्धियां	54	150

सी०एन०सी० लिमिटेड अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका क्योंकि वह अपेक्षित मूल संरचनात्मक सुविधाएं तैयार कर रहा था और बाजार में अपना स्थान बना रहा था।

श्री आनन्द सिंह : इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में से 51 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र का और 49 प्रतिशत निजी क्षेत्र का है। परन्तु जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से 10 गुणा अधिक निर्यात करता है अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र 4 प्रतिशत निर्यात करता है और निजी क्षेत्र 8 प्रतिशत। मैं इसके कारण जानना चाहता हूं। क्या इसका कारण घटिया किस्म का माल, कुप्रबन्ध अथवा विपणन व्यवस्था में कमी है ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसे मुख्य रूप से कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। उदाहरण के तौर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ उपक्रम जैसे भारत इलेक्ट्रोनिक्स, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स एवं भारत डायनेमिक्स हैं। उन सभी का उद्देश्य हमारे सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना अथवा आधुनिक आधुनिकतम नई किस्म के उपकरण जिनमें रेडार, संचार उपकरण आदि हैं, प्रदान करना है। इसीलिए घटिया किस्म अथवा अविश्वसनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु प्रश्न उनके मुख्य उद्देश्य का है जिसके लिए उनकी स्थापना की गई थी। उदाहरण के तौर पर दूर संचार मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के लिए भी यही बात सच है, इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० अथवा हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि० में से प्रत्येक का उद्देश्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। अतः माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का मुख्य अभाव यह है कि सरकारी क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च विश्वसनीयता और अच्छी किस्म के लिए राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, जिसे वह कर रहा है। उनकी स्थापना निर्यात के दृष्टिकोण से

नहीं की गई है। यद्यपि जहां कहीं निर्यात की सम्भावनाएं हैं, उन क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है।

श्री आनन्द सिंह : मुझे इस बात पर अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय निजी क्षेत्र के कार्य से सन्तुष्ट हैं। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि हाल ही में उन्होंने इस मामले की जांच कराने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यदि सब कुछ अच्छी प्रकार से हो रहा है तो इन समितियों के गठन की क्या आवश्यकता है?

दूसरे, सी० एम० सी लि० में लक्ष्य 100 लाख का था और प्राप्ति 54 लाख थी। "सी० एम० सी० लि० अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि वे आवश्यक आधारभूत ढांचे को बना रहे थे और अपने को बाजार में स्थापित कर रहे थे।"

मैं जानना चाहता हूं कि उनके सामने ये लक्ष्य क्यों रखे गए जबकि आवश्यक आधारभूत ढांचा वहां नहीं है और जबकि उन्होंने स्वयं को बाजार में स्थापित नहीं किया है। उन्हें ये बड़े ठेके देने के क्या आधार और कारण थे जबकि ये चीजें वहां मौजूद नहीं थी?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, जहां तक इन दो संस्थानों, सी० एम० सी० और ई० टी० एण्ड टी०, जिनके विवरण दिए गये हैं, जो इलेक्ट्रोनिकी विभाग के अन्तर्गत आते हैं, का सम्बन्ध है, उन्होंने स्वयं कहा था कि यही एक प्रकार का लक्ष्य है जिसके लिए वे कार्य करेंगे। यह इस प्रकार हुआ कि ये लक्ष्य उनके द्वारा महत्वाकांक्षी आधार पर और बिना बुनियादी सुविधाओं के निर्धारित किए गए थे। यही वास्तविकता है। यद्यपि दोनों ही संस्थान जो मुख्य रूप से निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं परन्तु इन संस्थानों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अनेक प्रणालियों के द्वारा सिस्टम इंजीनियरिंग सेवा, व्यापार आदि प्रदान करा रहे है, और जो निर्यात के लिए वास्तव में जरूरी हैं, और जो निर्यात सम्बन्धी कार्य अर्थात् माल की बिक्री, सर्विस क्षेत्र और इसी प्रकार के अन्य कार्य कर रहे हैं। स्पष्टतः यदि आप विदेश में उपकरण भेजते हैं, जब तक आप इसके साथ उचित बिक्री सेवाएं आदि प्रदान नहीं करायेंगे तो निर्यात को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है : "ई० टी० एण्ड टी० लिमिटेड वर्ष 1988-89 के दौरान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कुछ पूर्वानुमानित अनुबंधों को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका।" मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान "पूर्वअनुमानित" शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस निगम के एक भूतपूर्व अध्यक्ष, जो राजनीति में थे, ने बम्बई में स्थापित अपनी दो कम्पनियों जैसे इन्टेल इन्स्ट्रूमेंटस बम्बई और एप्लाइड इलेक्ट्रोनिक्स बम्बई के माध्यम से ई० टी० एण्ड टी० के नाम का प्रयोग करते हुए लगभग 500,000 डालर मूल्य के माल का निर्यात कर दिया था। ई० टी० एण्ड टी० का निर्यात पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात 1983 से 1987 तक, गिरकर 7 करोड़ रुपये का रह गया जबकि उसका आयात बढ़कर 103 करोड़ रुपये हो गया। यदि ऐसा है तो इसकी जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं? दूसरे, उसी समय वे कैसे कहते हैं कि वर्ष 1989-90 के उपलब्धि लक्ष्य 300 लाख

व्यय को बढ़ाकर अब 336 लाख रुपए कर दिया गया है? यही कमी है जो अब भी कायम है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि सरकार सरकारी क्षेत्र के मानदण्डों का उल्लंघन कर रही है जहां कि एक अधिकारी को ई० टी० एण्ड टी० का अध्यक्ष नियुक्त किया था, वे जिद कर रहे हैं कि उनका पहले विभाग में पुनर्ग्रहणधिकार बनाए रखा जाए। मुझे बताया गया है कि सरकार भी इस बात का समर्थन कर रही है कि पुनर्ग्रहणधिकार होना चाहिए। यदि यह ऐसा है तो इससे सरकारी उपक्रमों द्वारा अब तक अपनाए गए कुछ मानदण्डों का उल्लंघन होगा।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : माननीय सदस्य द्वारा ई० टी० एण्ड टी० के पूर्व अध्यक्ष और अनुबन्धों के बारे में पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं अलग सूचना चाहूंगा। इसकी जांच करने के बाद मैं निश्चित रूप से उन्हें ब्यौरा दूंगा क्योंकि यह एक विस्तृत मामला है। ई० टी० एण्ड टी० के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति और कुछ मानदण्डों के उल्लंघन के बारे में उन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया है, वह सही नहीं है। सरकार का ऐसा करने का इरादा नहीं है। सरकार केवल सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों जो ए० सी० सी० द्वारा स्वीकृत है और सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति करेगी।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ विवरण जानना चाहती हूं। अनेक आरोप लगाए गए हैं। बात यह है कि इलक्ट्रोनिकी सामान के उत्पादन में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पास अत्यधिक अनुसंधान बल है जो बिना किसी प्रकार के विदेशी सहयोग के स्वदेशी उत्पादों को विकसित करने में सक्षम हैं जिसके द्वारा हम आत्म-निर्भर होंगे और हमारे आयात में भारी कमी होगी। परन्तु जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे ये हैं कि अधिकांश मामलों में ऐसे अनुसंधान कार्य को वास्तव में निरुत्साहित किया जाता है और रोक दिया जाता है क्योंकि उन चीजों की आपूर्ति के लिए विदेशी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ करार किए जाते हैं जिन्हें हम स्वयं इस देश में विकसित करने में समर्थ हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या इन आरोपों की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे अनुसंधान कार्य अधिक उन्नत हों जिससे हम अधिक आत्म निर्भर हो सकें?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : जहां तक अनुसंधान और विकास का सम्बन्ध है, इसे पूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। हम इन कार्यों को उत्पादन करने वाले उपक्रमों में ही बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी इस बात से अवगत हूं कि देश में किए गए अनुसंधान और विकास कार्य के आधार पर, उपक्रमों में और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में, सम्बद्ध परियोजनाओं में, इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिससे हम पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो सकते हैं। इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं—रक्षा प्रणालियों में प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिकी, जैसे वायु सेना की ए० डी० जी० ई० एस० योजना, रेडार एवं सोनार के क्षेत्र में ए० आर० ई० एन० योजना, इलेक्ट्रोनिकी युद्ध उपकरण आदि। बड़ी संख्या में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में और हमारी आत्म-

निर्भरता की स्थिति के परिचायक हैं। इन प्रणालियों में से अधिकांश में हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है जो यह दर्शाता है कि इन चीजों में से अधिकांश के लिए हमें विदेशी सहयोग की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल, यदि किसी उपक्रम विशेष के सम्बन्ध में कोई आरोप है तो मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करूंगा क्योंकि जैसाकि उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि अधिकांश उपक्रम इलैक्ट्रोनिकी विभाग के प्रशासकीय दायरे में नहीं आते हैं। वे विभिन्न मंत्रालयों जैसे, रक्षा-मंत्रालय, संचार-मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय आदि के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। अतः, यदि मुझे कोई इस विषय पर विशिष्ट आरोप अथवा सूचना मिलेगी तो मैं अवश्य ही उसकी जांच करवाऊंगा।

श्री बसंत साठे : मुझे मंत्री जी से यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छी सम्भावनाएं हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि ये दो कम्पनियां, जिनके बारे में आंकड़े दिए गये हैं, हकीकत में, निर्माता कम्पनियां हैं। वे सेवा उपलब्ध करने वाले तथा व्यापारिक संगठन हैं। अतएव उन्होंने निर्यात के लिए पूंजी-निवेश किया है, और मूलरूप से वे विदेशी-मुद्रा कमाने के साधन नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा, और मुझे खुशी है माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। (व्यवधान)

प्रधान-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आपको मेरा स्वास्थ्य-लाभ करना अच्छा नहीं लगा···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैंने कहा, मुझे प्रसन्नता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके लिए ईश्वरीय अनुकम्पा की कामना की थी।

श्री बसंत साठे : जी हां, मैंने ऐसी ही कामना की थी। मुझे खुशी है कि वह सोमवार को प्रातः न आने की व्याधा से मुक्त हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री का हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये विभिन्न महकमे माननीय मंत्री प्रो० मेनन के नियंत्रण में नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसी उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिक कुशलताएं हमारे देश में इन सभी महकमों में उपलब्ध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। हमने इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में इतने विशाल पूंजी-निवेश किए हुए है, क्या अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है और क्या कतिपय इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर तथा सापटवेयर वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन के लिए हमारी प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है और इन वस्तुओं का निर्यात करके अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है ? मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : पहले मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जो माननीय सदस्य ने इलैक्ट्रोनिकी विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सी० एम० सी० तथा ई० टी० एण्ड टी० के विषय में बतलाई हैं। उत्तर स्पष्टतः बतलाता है कि वे क्या हैं। वे ऐसे उपक्रम नहीं हैं जो भारत इलैक्ट्रोनिक्स, एच० ए० एल० आदि की भांति वस्तुओं का स्वयं निर्माण करते हों। दूसरी बात यह है कि यह भी समझ लेना चाहिए कि उनकी स्थापना क्यों और कैसे हुई थी। उदाहरणार्थ, सी० एम० सी० की स्थापना मौलिक रूप से भारत में कम्प्यूटरों के रख-रखाव के लिए एक ऐसे समय पर की गई थी जब 'आई० बी० एम०' को यह पक्के तौर पर बतला दिया

गया था कि वे इस देश में एक सौ फीसदी विदेशी ईक्विटी धारी कम्पनी के रूप में बनी नहीं रह सकती थी। बड़ी संख्या में कम्प्यूटरों का रख-रखाव किया जाना आवश्यक था और इसी कारण सरकार ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर स्वयं कम्प्यूटरों के रख-रखाव का निर्णय लिया। बाद में, रख-रखाव के कार्य से आगे बढ़ कर सी०एम०सी० एक अति शक्तिशाली सिस्टम्स इंजीनियरिंग फर्म के रूप में विकसित हो गई जिसने भारत में न केवल देश के अन्दर 'सिस्टम्स इंजीनियरिंग' उपलब्ध कराने में, अपितु सही प्रकार के कम्प्यूटर्स, जिनका सम्पूर्ण रूप में नहीं बल्कि अलग अलग पुर्जों के रूप में आयात किया जाता है, उपलब्ध करने में, और दिल्ली आदि स्टेशनों पर इस समय चल रही रेलवे आरक्षण प्रणाली जैसी सॉफ्टवेयर सेवायें उपलब्ध कराने अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किया है।

ई० टी० एण्ड टी० की स्थापना शुरू में मुख्य रूप से पूर्वी योरोप के साथ व्यापार-हेतु की गई थी और यही कार्य वह करती रही है।

सदस्य महोदय ठीक ही कह रहे हैं: मैं इन संगठनों को विकास की ओर अग्रसर देखना चाहता हूं। उनकी अभिवृद्धि हो रही है और हम उन्हें निर्यात की दृष्टि से और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की उस क्षमता के विषय में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था, जो (क्षमता) वहां पर पूंजी-निवेशों के कारण तथा वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकीविदों की उच्च-स्तरीय दक्षताओं के कारण उपलब्ध है। किन्तु इस का अर्थ यह हो गया कि इन उपक्रमों में लगे अनेक समय और निवेशों के एक अहम हिस्से का उपयोग हमारी अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, मतलब की हम आयात किए बिना ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

दूसरी ओर, यह भी सत्य है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, निवेश बढ़ाए जा सकते हैं और इस प्रकार निर्यात बढ़ाया जा सकता है। मैं सदस्य महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय था जब देश में टेलीवीजन का सम्पूर्ण विस्तार हो रहा था। प्रतिदिन एक नये दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन हो रहा था। उस समय मूल रूप से सदस्य महोदय को याद होगा, आयात के जरिए ही सब किए जाने का विचार था। उस समय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का चेयरमैन होने के नाते मुझे यह वक्तव्य स्मरण है कि बी०ई०एल० यह करने में समर्थ है। उन सभी टेलीवीजन सम्प्रेषण प्रणालियों का डिजाइन देश में ही किया गया था और वे सही काम कर रही थीं। पहला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आयात नहीं करना, स्वावलम्बी होना रहा है। किन्तु सदस्य महोदय ने जो कहा वह इस अर्थ में ठीक है कि इस क्षमता के द्वारा, सही ढंग के पूंजी-निवेश करके, उत्पादनाधार को बढ़ाकर हम निर्यात करने में समर्थ होंगे। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एम०एम० पल्लम राजू : महोदय, पहले मैंने हाथ उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री माधवराव सिंधिया।

श्री एम०एम० पल्लम राजू : यदि आप मुझे प्रश्न पूछने नहीं देते, तो मेरे सदन में आने से क्या फायदा है ?

11.43 म०पू०

(इस समय श्री एम०एम० पल्लम राजू सभा भवन के बाहर चले गए)

पाकिस्तान नौसेना द्वारा खरीदे गए नए शस्त्रास्त्र आदि

*640. †श्री माधवराव सिंधिया
श्री एस० कृष्ण कुमार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि पाकिस्तानी नौसेना द्वारा हाल ही में खरीदे गए नए शस्त्रास्त्रों आदि से उसकी भूमि पर आकाश में दूर तक मार करने की क्षमता इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह युद्ध होने पर भारतीय नौसेना को अप्रत्याशित भारी क्षति पहुंचा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौसेना के समक्ष उपस्थित इस चुनौती से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तानी नौसेना अपनी संक्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ हथियार खरीद रही है।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और सदैव पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करती है।

श्री माधवराव सिंधिया : दो दिन पहिले ही माननीय प्रधान मंत्री ने समाचार-पत्रों में यह कहा है कि इस उप-महाद्वीप की हालत को देखते हुए, सुरक्षा-व्यय को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी स्पष्ट किया है। पाकिस्तान की नौसेना ने हाल ही में अत्यधिक आधुनिकीकरण किया है। इस बात को ध्यान में रखकर यह बहुत जरूरी है कि भारतीय नौसेना को भी कुल रक्षा-व्यय का एक बड़ा हिस्सा दिया जाए। विशेषज्ञों की राय के अनुसार रक्षा-व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत भारतीय नौसेना को दिया जाना चाहिए तभी हम उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और इससे अपेक्षित कार्यों को पूरा करने की आशा कर सकते हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि 25 प्रतिशत के बजाय, केवल लगभग 12 प्रतिशत ही भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या रक्षा मंत्रालय उन नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो ताजा स्थिति से उत्पन्न हुई हैं नौसेना के लिए आवंटित धनराशि की मात्रा कुल रक्षा-व्यय के अनुपात में बढ़ाएगा और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

डा० राजा रमन्ना : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं चाहूंगा कि ··

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी की बात को उद्धृत

किया है। मेरे ख्याल से यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधान मंत्री जी इसका उत्तर दें। मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें। (व्यवधान)

डा० राजा रमन्ना : मैं जानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री सदस्य महोदय को सन्तुष्ट करने के लिए मेरे उत्तर की कमी को पूरा करेंगे। (व्यवधान) आवश्यकता पड़ने पर, वह मेरे उत्तर में रह गई कमी को पूरा करेंगे।

महोदय, मैं सदस्य महोदय का थोड़ा-सा ध्यान स्थिति की पृष्ठ भूमि की ओर भी दिलाना चाहूंगा। वर्ष 1971 में पाकिस्तान की नौसेना ने हमारे साथ हुए युद्ध में निराशाजनक प्रदर्शन किया। उन्होंने यह हौवा भी खड़ा किया कि भारत अपनी नौसेना का विकास कर रहा है और यही कारण था कि पाकिस्तान ने द्रुतगति से अपनी नौसेना का विकास किया। निस्सन्देह, उस देश में संसाधनों की कमी के कारण, नौसेना का विस्तार रक्षात्मक रूप में ही हुआ। उसके बाद 1988 से अमरीका से उनको मिली सहायता के फलस्वरूप, वे अपने यहां बड़े खास किस्म के आयुध जुटा रहे हैं जिन्हें मैं मंत्री जी की सूचनार्थ ब्यौरेवार बतला दूंगा। वे है 8 ब्रुक/गार्सिया श्रेणी के फ्रिगेट; पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले हारपून प्रक्षेपास्त्र; 3 पी-3 सी० ओरिओन लम्बी मार करने वाले समुद्री विमान जो हारपून-प्रतिरोधी प्रक्षेपास्त्रों से लैस होते हैं; अटलांटिक लम्बी मार वाले समुद्री वायुयान जो जहाज-विरोधी प्रक्षेपास्त्रों से युक्त है; आधुनिक सोनार्स; तारपीडो और अन्य आयुध-प्रणालियां, लिएण्डर श्रेणी के फ्रिगेट और अन्य जहाजी बेड़ा। और अधिक विस्तृत सूची कोई भी दे सकता था। परन्तु मैंने हाल ही में पाकिस्तान की नौसेना के विकास के कुछ उदाहरण दिए हैं। हम इसका जवाब किस प्रकार देंगे? वे जानते है कि हमारे पास दो एअरक्राफ्ट कैरियर और विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र हैं। भारतीय नौसेना में वृद्धि के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। चूंकि पाकिस्तान ने अपनी नौसेना का बहुत अधिक विकास कर लिया है इसलिए बलपूर्वक किसी भी प्रकार की घेराबन्दी को हटाना कठिन कार्य हो सकता है। वह सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर सकती है। हमें इन सब बातों पर विचार-विमर्श करना है।

माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या हम नौसेना के बजट में वृद्धि करेंगे? 12 प्रतिशत, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, तत्काल और बाद कि आवश्यकताओं पर विस्तार से विचार करके किया गया है। मुझे इस प्रश्न का जवाब देना है। निस्सन्देह पाकिस्तानी नौसेना का दो गुना विस्तार हो गया है इसलिए हमें अपनी आवश्यकतायें पूरी करनी हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु जहां तक इन हारून मिसाइलों का सम्बन्ध है, निस्सदेह इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मेरा प्रश्न नौसेना के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। विगत वर्षों में जब पाकिस्तान यह आधुनिकीकरण कर रहा था तो हमने अपने रक्षा बजट पर रोक लगा दी। हमने विगत वर्षों की कमी पूरी करने का निर्णय किया है। मैं सोचता हूं कि हमारी सुरक्षा के बारे में हमें यह प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी कि हमारे रक्षा बजट पर रोक लगा दी गई। यदि हम मुद्रा स्फीति और विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर ध्यान दें तो रक्षा बजट में निश्चित रूप से कटौती की गई थी। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैंने धनराशि के बारे में पूछा है जब आप वित्त मंत्री थे तो रक्षा बजट में कमी हुई। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब मैं वित्त मंत्री था, रक्षा बजट में वृद्धि की गई। आप आकर देखिए। जब मैं वित्त मंत्री नहीं रहा तो बजट में कटौती कर दी गई। (व्यवधान) जब मैं हटा दिया गया तो इसमें कमी कर दी गई। इसलिए हमें इसकी कमी पूरी करनी है। यदि सभी क्षेत्रों को अधिक धनराशि निर्धारित की जाएगी तो नौसेना की धनराशि में भी वृद्धि होगी।

श्री माधवराव सिंधिया : अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया। (व्यवधान) मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौसेना बजट में भी वृद्धि की जाएगी। परन्तु क्या विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस बजट में वृद्धि की जाएगी? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके सम्बन्ध में हम तीनों सेनाओं के समन्वित दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा प्रतिक्रिया समन्वित होनी चाहिए। यह तीनों सेनाओं की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को कुल योग नहीं हो सकती।

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हमने दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन सुरक्षा संकट का मूल्यांकन करने का निश्चय किया है, इसके लिए हमें हथियार अर्जन की नीति, जो हमारी समन्वित प्रतिक्रिया में शामिल होगी, बनानी है क्योंकि सेना अथवा नौसेना को साथ-साथ युद्ध करना पड़ता है। दोनों साथ-साथ जाती हैं। उन्हें प्रतिक्रिया के नियमों, जो हम बनाते हैं, का पालन करना पड़ेगा।

जब हम ऐसा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि धनराशि के आवंटन में हमारा दृष्टिकोण मोल-तोल तथा सौदाकारी के बजाए न्यायसंगत होगा—यह मांग उचित, सुलझ है तथा आप इस संबंध में स्पष्ट विचार प्रकट कीजिए—आज हमने तीनों सेनाओं के यांत्रिकी अनुपात निर्धारित कर दिए हैं। जब रक्षा बजट बनाया जाता है तो एक विशेष प्रकार से आवंटन किया जाता है। मैं सोचता हूं कि हमें इन तरीकों को समाप्त करके समन्वित दृष्टिकोण पर और अधिक ध्यान देना है। हम इस प्रकार धनराशि का आवंटन करेंगे। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : नौसेना का आधुनिकीकरण किया गया है। इसलिए अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है। मैं इस भ्रमित परिकल्पना, जिससे प्रधानमंत्री ने अपने दल को गुमराह किया है, का शिकार हूं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भ्रमित समय-बूझ का मेरे पास कोई चारा नहीं है। (व्यवधान) यह बिल्कुल स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष रक्षा बजट में काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने इसे पिछली सरकार की गलती बताने का प्रयास किया है। वस्तु स्थिति सामान्यतः रक्षा बजट उपद्वीप की स्थिति को देखते हुए बनाया जाता है। विगत सरकार की यह उपलब्धि बड़ी थी कि किसी भी पड़ोसी देश ने धमकी देने अथवा इसकी तरफ देखने का साहस नहीं किया। (व्यवधान) इसलिए हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास विशेषतः आर्थिक दृष्टि से पीड़ित वर्गों की आवश्यकतायें पूरी कर सके। विगत सरकार की यह विशेषता रही थी।

मैं अपने दूसरे प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने अभी हमें बताया है कि पाकिस्तानी नौसेना में विभिन्न देशों से अत्याधुनिक हथियारों का आयात किया गया है अथवा किया जा रहा है। उनका आयात केवल संयुक्त राज्य अमरिका से ही नहीं बल्कि फ्रांस, चीन और अन्य देशों से भी किया गया है। इसलिए आधुनिकीकरण का स्तर बढ़ रहा है।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें किसी समझौते के, जो वर्तमान में अत्याधुनिक हथियार तथा नौसेना उपकरण की सप्लाई के लिए पाकिस्तान और हथियार सप्लाई करने वाले अथवा इनकी सप्लाई की क्षमता रखने वाले देशों के बीच हो रहा है, बारे में कोई और सूचना मिली है। यदि हां तो उनका विवरण क्या है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रथम भाग के बारे में मैंने यह कहा है कि यह विगत सरकार का भ्रमित विचार और बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण था। जब यह अस्थायी शान्ति अथवा जो कुछ पहल, जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, की जा रही थी तब नौसेना की ताकत तिगुनी हो गयी। वायु सेना में ढाई गुनी और सेना में दो गुनी वृद्धि हो गयी। जब अत्याधुनिक हथियारों की बातचीत हो रही थी तो वे कह रहे थे कि सब कुछ उचित है उन्हें धनराशि में कटौती करनी चाहिए। मेरे विचार से पिछली सरकार से सुरक्षा को बहुत नुकसान हुआ। जब हम सत्ता में आये तो हमें सेना के कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करना पड़ा। इस वर्ष के जनवरी मास का वेतन भी नहीं दिया गया है। मैं यह दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि विगत सरकार ने घटनाओं, जो घट रही थी, की तरफ ध्यान न देकर सुरक्षा का बड़ा नुकसान किया है। इन सब तर्कों से विगत सरकार ने उनके दिमाग में एक भ्रमिक विचार पैदा कर दिया। अपने देश की सुरक्षा के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है···(व्यवधान) ढाई महीने के मेरे थोड़े से, जो किसी रक्षा मंत्री रिकार्ड तोड़ कार्यकाल था, कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसे आप जानते हैं। विभिन्न सूत्रों से रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। शायद, राज्य मंत्री इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।

डा० राजा रमन्ना : यदि मुझे विगत घटना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य को समझाना है तो निस्संदेह जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान को विभिन्न देशों से हथियार मिले हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जब ये हथियार मिलते थे तो हम सोचते थे कि हम किस प्रकार जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम ऐसा कार्य करते तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसी प्रकार के हथियार हों जो सेना को दुश्मनों से श्रेष्ठ बना सकते हैं। परन्तु इसमें क्षमता है। यदि हम हारपून मिसाइलें खरीदना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि इनसे किस प्रकार निपटा जाए। इससे निपटने के अनेक उपाय हैं। हमारे पास हारपून मिसाइलें नहीं है। परन्तु साथ ही हारपून मिसाइलें इस देश को कमजोर नहीं बना सकती हैं परन्तु इस मामले में विभिन्न तरीकों से शक्ति पर विचार किया जाए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : महोदय, मंत्री महोदय ने हमें अभी सूचना दी है कि पाकिस्तानी नौसेना के पास टैन्कर हैं। क्या मैं सही बात कह रहा हूं···(व्यवधान)···उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास अत्याधुनिक टैन्कर हैं। क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? पाकिस्तान अपनी नौसेना को क्षतिक बल के सिद्धांत पर तैयार कर रहा है जो किसी भी समय कहीं भी आक्रमण कर

सकती हैं। दूसरे, उनके पास ऐसी पनडुब्बियां है जिनमें हमारी सेना पर आक्रमण करने के लिए ईन्धन भरा जा सकता है। मैं इस बात का कोई जवाब नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि जवाब स्पष्ट नहीं है। परन्तु मेरा प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और रक्षा धनराशि में यथा सम्भव वृद्धि की जाए क्योंकि सुरक्षा इस देश का सर्व प्रथम लक्ष्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि सुरक्षा सस्ते में नहीं मिली है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इस दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए तथा कुलिक बल के आधार पर हमारी नौसेना का विकास किया जाए ताकि लम्बी दूरी तक आक्रमण करने के लिए हमारी पनडुब्बियों में भी ईन्धन भरा जा सके। देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, दी जानी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम ऐसा करेंगे।

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, सभा का प्रत्येक सदस्य पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने के बारे चिंतित है। हमें यह सम्मान प्राप्त है कि आज प्रश्न का जवाब देने के लिए प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित हैं। पाकिस्तान में हमेशा केन्द्र में अस्थिर सरकार रही है, श्रीमती बेनजीर भुट्टो भी युद्धकारी हैं, यह युद्ध की बातें करती हैं।

हाल ही में दिल्ली में एक अभिषेक समारोह मनाया गया उसमें सरकार की तरफ से बहुत कम लोग उपस्थित थे। यदि प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि सेनाओं के बारे में वह बहुत चिंतित हैं तो आप यह मत सोचिए कि सेना की पीठ ठोकना आवश्यक है ताकि वे पाकिस्तान की सेनाओं के साथ युद्ध कर सके ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टेलीविजन उद्योगों का विकास करने सम्बन्धी योजनाएं

[हिन्दी]

*641. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टेलीविजन उद्योग का विकास करने के लिए कोई नई योजनाएं बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीविजन उद्योग की सहायता के लिए तकनीकी जानकारी का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इस समय लागू दूरदर्शन नीति के अन्तर्गत, उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात लघु क्षेत्र तथा

संगठित क्षेत्र की इकाइयों जिनमें एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एम० आर० टी० पी०) और अधिकतम 40 प्रतिशत तक की विदेशी साम्यापूंजी रखने वाली साम्यापूंजी की कम्पनियां शामिल हैं, को दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

दूरदर्शन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :

I) रंगीन दूरदर्शन तथा श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के अन्तर्गत एक से अधिक वस्तुओं के विनिर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

II) रंगीन दूरदर्शन के उत्पादन के लिए, कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन-क्षमता की पुनः अनुमति प्रदान की गई है।

III) दूरदर्शन उद्योग को यह सलाह दी गई है कि ग्रामीण/अर्ध-शहरी तथा सुदूर स्थानों पर विपणन तथा बिक्री-उपरान्त-सेवा की व्यवस्थाओं में तेजी लाए ताकि बिक्री में वृद्धि के लिए सुव्यवस्थित उपाए किए जा सकें।

IV) देश में दूरदर्शन रिसीवरों के लिए प्रौद्योगिकी के आधार का दर्जा बढ़ाने की दृष्टि से, अंकीय दूरदर्शन रिसीवरों के लिए प्रणाली तथा बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के डिजाइन पर देश के अग्रणी शैक्षणिक तथा अनुसंधान तथा विकास के संस्थानों में एक विकासात्मक परियोजना आरम्भ की गई है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिक के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, दूरदर्शन के संघटक पुर्जों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है तथा आयात की अनुमति प्रदान की जाती है।

भारतीय शान्ति सेना

[अनुवाद]

*642. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय शांति सेना के श्रीलंका में प्रवास के दौरान मारे गए सैनिकों तथा सेना की उपलब्धियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है, और

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) भारतीय शांति सेना के 1155 कार्मिक अपने दायित्व को पूरा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मारे गए उग्रवादियों या सिविलियनों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है।

भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने में सहायता की और उत्तर-पूर्वी प्रान्त में सभी समुदायों के लोगों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित की। अल्पावधि के भीतर भारतीय शांति सेना ने उस प्रांत में सामान्य स्थिति कायम करने और सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों, डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं, विद्युत सेवाओं, परिवहन आदि व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। भारतीय शांति सेना की कार्रवाई से ही

दुराग्रही उग्रवादी गुप समझौते के लिए तैयार हुए।

सरकार का विचार है कि भारतीय शांति सेना ने समर्पण की भावना और बहादुरी के साथ अनुकरणीय ढंग से एक बहुत कठिन कार्य पूरा किया है।

न्यायालयों में पर्यावरण सम्बन्धी लम्बित मामले

*643. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार पर्यावरण संबंधी कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं; और

(ख) इन सभी मामलों को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है और इनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 दिसम्बर, 1989 को विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा दायर किए गए और न्यायालयों में लम्बित पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी मामलों की कुल संख्या 2586 थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन मामलों का निपटान कब तक हो पाएगा यह बात सम्बन्धित न्यायालयों पर निर्भर करती है। तथापि, उनके निपटान में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) राज्यों से दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष न्यायालयों को नामित करने को कहा गया है।

(2) राज्य सरकारों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कानूनी सैलों को मजबूत बनाने को कहा गया है, और

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए वकीलों का एक पैनल बनाने को कहा गया है।

विवरण

विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रण एजेंसियों द्वारा दायर किए गए लम्बित पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा

(1 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य का नाम	विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या
	1. राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	—

क्र० सं०	राज्य का नाम	विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या
3.	बिहार	111
4.	गोवा	—
5.	गुजरात	826
6.	हरियाणा	274
7.	हिमाचल प्रदेश	39
8.	जम्मू और कश्मीर	—
9.	कर्नाटक	78
10.	केरल	27
11.	महाराष्ट्र	225
12.	मध्य प्रदेश	98
13.	मेघालय	—
14.	उड़ीसा	42
15.	पंजाब	193
16.	राजस्थान	169
17.	उत्तर प्रदेश	109
18.	तमिलनाडु	308
19.	त्रिपुरा	—
20.	पश्चिमी बंगाल	17
	2. संघ शासित क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	—
2.	दादरा और नगर हवेली	—
3.	दमन और दीव	—
4.	दिल्ली	66
5.	लक्षद्वीप	—
6.	पाण्डिचेरी	1
7.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
	कुल योग (1+2)	2586

कुछ राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक के समाचार

*644. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सरकारी काम-काज तथा शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगा दी है, जैसा कि समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 345 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के राजकीय कार्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा का प्रयोग सम्बन्धित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में पड़ता है और न कि भारत सरकार के। राजभाषा अधिनियम, 1963 केवल केन्द्रीय सरकार के सरकारी उद्देश्यों के लिए भाषाओं के प्रयोग से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 20 मार्च, 1990 के पत्र द्वारा सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में अपने पहले के निर्णयों को दोहराया। इस पत्र में राज्य सरकार के विभागों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित विभिन्न कार्यालयों के साथ केवल हिन्दी में पत्राचार करें। आगे कहा गया है कि जहां अपरिहार्य कारणों से अंग्रेजी में कोई पत्र भेजना आवश्यक समझा जाए वहां मुख्य पत्र हिन्दी में होना चाहिए और उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए।

राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों में से किसी ने भी शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई है। वास्तव में सभी राज्य व संघशासित प्रदेश अपनी स्कूल पद्धति में अंग्रेजी को तीन भाषाओं में से एक के रूप में पढ़ा रहे हैं।

नौकरियों को डिग्रीयों से अलग किया जाना

[हिन्दी]

*645. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि नौकरियों को डिग्रियों से अलग किया जाएगा और इस उद्देश्य से एक "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" (नेशनल टेस्टिंग सर्विस) का गठन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" का गठन किया गया है और इसके अंतर्गत किन-किन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और इन परीक्षाओं को किन-किन तारीखों को आयोजित किया गया और इन परीक्षाओं में बैठने वाले उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकरियों से डिग्रियों को अलग करने में शुरुआत की जाएगी और उन सेवाओं से डिग्रियों को अलग किया

जाएगा, जिनके लिए विश्वविद्यालय डिग्री अनिवार्य योग्यता नहीं होनी चाहिए। इसमें समुचित चरणों में एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो विशिष्ट रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के वास्ते स्वैच्छिक आधार पर परीक्षाएं आयोजित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा अभी तक स्थापित नहीं की गई है।

जिला/राज्य योजना बोर्डों को योजना आयोग से संबद्ध करना

*646. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला योजना बोर्डों और राज्य योजना बोर्डों को योजना आयोग से सम्बद्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

*647. श्री राघवेन्द्र दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न सैक्टरों के अन्तर्गत खोले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो जोबनेर का केन्द्रीय विद्यालय किस सैक्टर के अन्तर्गत खोला गया है तथा इसका प्रायोजक प्राधिकरण कौन है; और

(घ) प्रायोजक प्राधिकरण इस विद्यालय के कर्मचारियों को जो सुविधाएं देने के लिए सहमत हुआ है, उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जोबनेर में केन्द्रीय विद्यालय सिविल क्षेत्र में है। इसको राजस्थान सरकार की सहमति से सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(घ) प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) जब तक संगठन अपना भवन निर्माण नहीं करा लेता तब तक स्कूल चलाने के लिए किराया रहित अस्थाई आवास/रख-रखाव लागत भी विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी और उनका विद्यमान खेल का मैदान भी विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) विद्यालय के स्टाफ के लिए दो अथवा तीन आवासीय क्वार्टर और प्रधानाचार्य के लिए एक "ई टाईप" क्वार्टर। विद्यालय के सदस्यों को जोबनेर शहर में उपयुक्त

आवास दिलाने के लिए भी सहायता की जाएगी।

(iii) विद्यालय के स्टाफ को उसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिस तरह से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत श्री करन नरेन्द्र कृषि कालेज को उपलब्ध है।

(iv) विद्यालय के स्टाफ को उसी प्रकार की यातायात सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिस तरह से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत श्री करन नरेन्द्र कृषि कालेज को उपलब्ध हैं।

(v) स्कूल, भवन, स्टाफ, क्वार्टर, खेल मैदान और छात्रावास के निर्माण के लिए संगठन की लीज पर 15 एकड़ भूमि का स्थानान्तरण।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों में खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कम से कम 1000 कर्मचारी हों तथा केन्द्रीय विद्यालय आरम्भ किए जाने पर कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के इच्छुक हों। विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों अथवा उपयुक्त श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के संगठन द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं जो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत है :—

(i) निशुल्क लागत अथवा नाममात्र लागत पर 15 एकड़ भूमि।

(ii) विद्यालय चलाने के लिए अस्थाई स्थान जब तक कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपना स्वयं का भवन निर्मित नहीं करता।

(iii) कम से कम 50% स्टाफ के लिए आवासीय जगह का प्रावधान जहां स्कूल से उपयुक्त दूरी के भीतर वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं हो सकती।

2. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यमों अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाओं के स्थानों में परियोजना क्षेत्र में खोले जाते है यदि :

(i) पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों।

(ii) केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ के लिए शत-प्रतिशत आवास सहित उपरोक्तानुसार भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो तथा

(iii) उद्यम/संस्थान विद्यालय के सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हो।

हैदराबाद विश्वविद्यालय का कार्यकरण

*648. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के दोषपूर्ण कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में लगाए गए आरोपों और शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) हैदराबाद विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बंध में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में मुख्य आरोप, कुलपति द्वारा स्टाफ के कुछ सदस्यों को तंग करना व उन पर अत्याचार करना, अध्यापकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन, निर्धारित योग्यताओं का पालन न करना तथा कुछ पदों की भर्ती में अनियमितताएं, परिसर में निर्माण कार्य के लिए ठेका देने में पक्षपात, अनियमित प्रवेश, वित्तीय अनुपयुक्तता आदि से सम्बंधित है। यह जांच करने का निर्णय किया गया था कि क्या विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में विजिटर द्वारा जांच करने का कोई मामला है। जांच करने के बाद यह महसूस किया गया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष

[हिन्दी]

*649. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान, राज्य-वार भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया;

(ख) इसमें से कितनी धन-राशि खर्च की गई तथा इससे अनुमानत: कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के लिए अधिक धनराशि का नियतन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केन्द्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा रखी जाने वाली कल्याण निधियों में कोई धनराशि नहीं देती। राज्य सरकारों के पास भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई विशेष निधियां होती हैं। इन निधियों के निवेश से प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि का उपयोग सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी कार्यों पर खर्च करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा रखी जाने वाली इन विशेष निधियों में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और राष्ट्रीय रक्षा निधि से उपयुक्त सहायता प्रदान की जाती है तथा यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अंशदान के बराबर होती है। राष्ट्रीय रक्षा निधि से पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार का कोई अंशदान नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उद्यम विकास योजनाओं पर व्यय

[अनुवाद]

*650. श्री इरा अग्पारासु
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न उद्यम विकास योजनाओं पर कोई व्यय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के लिए आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां।

1989-89 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों पर कुल 166.10 लाख रुपए का राशि खर्च की गई। यह राशि उद्यमवृत्ति प्रशिक्षण एवं सम्बंधित गतिविधियां (10..60 लाख रुपए) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को समर्थन (64.50 लाख रुपए) नामक दो महत्वपूर्ण गतिविधियों पर खर्च की गई।

(ग) और (घ) जी हां, आवंटन में वृद्धि का कारण अल्प लागत के आधार पर रोजगार की उत्पत्ति से संबंधित गतिविधियों पर अत्यधिक जोर देना है। 1990-91 के लिए कुल बजट आवंटन 3.51 करोड़ रुपए हैं। इस प्रस्तावित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(I) विज्ञान और प्रौद्योगिक विधियों के माध्यम से रोजगार की उत्पत्ति
= 2.25 करोड़ रुपए

(II) उद्यमवृत्ति विकास पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण
= 1.26 करोड़ रुपए

उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई

[हिन्दी]

*651. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने क्षेत्र में वनों की कटाई की गई;

(ख) क्या पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) उपग्रह प्रतिबिम्बीकी की सहायता से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1981-83 से 1985-87 की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में वास्तविक वन आवरण 31,443 वर्ग कि०मी० से बढ़कर 33,844 वर्ग कि०मी० हो गया है। उत्तर प्रदेश में वन आवरण केवल 11.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन आवरण की संकल्पना की गई है। वन क्षेत्र की प्रतिशतता कम होने के कारण बाढ़ें आती हैं, मिट्टी नमकीन

हो जाती है, भूमि कटाव होता है तथा अन्य प्रतिकूल पर्यावरणीय संकट पैदा होते हैं।

(ग) नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए:—

(1) पारिस्थितिकीय संतुलन के परिरक्षण, और जहां आवश्यक हो, उसकी बहाली के जरिए उस पर्यावणीय स्थिरता का अनुरक्षण करना जिसमें वनों के गम्भीर रूप से नष्ट हो जाने से प्रतिकूल बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

(2) मृदा और जल संरक्षण, बाढ़ और सूखे के उपशमन तथा जलाशयों में गाद जमाव को शिथिल करने के लिए नदियों, झीलों और जलाशयों के भावाह क्षेत्रों में भूमि के कटाव और वनों की कटाई को रोकना।

(3) खासतौर पर सभी वृक्ष-विहीन, अवक्रमित और अनुत्पादक भूमि पर व्यापक वन-रोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के जरिए वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

वी०सी०आर०/वी०सी०पी० का निर्माण

[अनुवाद]

*652. **श्री आर०एन० राकेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वी०सी०आर० और वी०सी०पी० की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या देश में इनका निर्माण किया जाता है, यदि हां, तो इनमें किस सीमा तक स्वदेशी पुर्जे लगाए जाते हैं और यदि नहीं, तो क्या वी०सी०आर० और वी०सी०पी० का देश में ही निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या किन्ही विदेशी कम्पनियों ने स्वतन्त्र रूप से अथवा भारतीय कम्पनियों के साथ भागीदारी में भारत में अपने एकक स्थापित करने के प्रति रुचि प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी० के० मेनन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों के विनिर्माण की दृष्टि से एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए तीन इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया है। इन तीन इकाइयों में से एक इकाई ने पहले ही वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इस बात पर सुनिश्चय करने के उद्देश्य से कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया की गति काफी तेज हो, इन इकाइयों को त्वरित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम दिए गए हैं। इस चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत, मुद्रित परिपथ बोर्ड, हार्डवेयर, वीडियो टेप डेक मेकेनिज्म तथा इसके पुर्जों, जिसमें ड्रम संसाधन भी शामिल है, का स्वदेशीकरण कर लिया जाएगा

जिनमें उपलब्ध स्वदेशी इलेक्ट्रानिक सर्वटक-पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन एकीकृत संयंत्रों की स्थापना विदेशी कम्पनियों के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से की जा रही है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता	विदेशी इक्विटी सहभागिता
मैसर्स बी० पी०एल० सैन्यो लि०	मैसर्स सैन्यो इलेक्ट्रिक कं० जापान	40%
मैसर्स कल्याणी शार्प लि०	मैसर्स शार्प कारपोरेशन, जापान	40%
मेसर्स वीडियोकॉन वी०सी०आर० लि०	मैसर्स तोशीबा कारपोरेशन, जापान	25%

देश में कई और इकाइयां भी वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों का संयोजन कर रही हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें

*653 श्री एन० दोम्बी सिंह
श्री राघवजी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षा समिति की किन-किन सिफारिशों को सरकार ने पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किया है; और

(ख) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय निरीक्षण समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति की सलाह के साथ साथ निरीक्षण समिति की सिफारिशों को निबमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भेजा गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि इस मामले को केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने शासी बोर्ड की अगली बैठक के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

स्तनपान सम्बन्धी संहिता

*654. श्री पी० आर० एस० वेंकटेसन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्तनपान सम्बन्धी संहिता को अन्तिम रूप देने में देरी हो रही है,

(ख) क्या स्तनपान संरक्षण और इसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय संहिता को अन्तिम रूप देने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है; और

(ग) क्या किसी स्वयं सेवी स्वास्थ्य सगठन ने सरकार को लिखा है कि इस संहिता को अन्तिम रूप देने में हो रही देरी के पीछे कुछ शिशु आहार के बड़े निर्माताओं का हाथ है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्तनपान सम्बन्धी संहिता को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। स्तनपान संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय संहिता को अन्तिम रूप देकर 19 दिसम्बर, 1983 को प्रकाशित कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

विश्वविद्यालयों को अनुदान/सहायता

*625. **श्री सी०एम० नेगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी-कितनी अनुदान/सहायता राशि दी है,

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शिक्षकों/सम्बद्ध कालेजों की संख्या कितनी है,

(ग) अनुदान राशि के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड है और अनुदान राशि के निर्धारण में विभिन्नता के क्या कारण हैं,

(घ) क्या अनुदान राशि के आबंटन सम्बन्धी मानदण्ड पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 1986-87 से 1988-89 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को लगभग 295.00 करोड़ रुपये की राशि के योजनागत अनुदान दिए। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के दौरान वि० अ० आ० ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को लगभग 312.00 करोड़ रुपये की राशि के योजनेत्तर अनुदान भी प्रदान किए।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षकों और संबद्ध कालेजों की संख्या के ब्योरे जैसे वि० अ० आ० द्वारा प्रदान किए गए हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 968/90]

(ग) वि० अ० आ० ने सूचित किया है कि यह विश्वविद्यालयों को दो प्रकार की सहायता अर्थात सामान्य विकास सहायता और शिक्षण तथा अनुसंधान को समृद्ध करने के लिए विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्रदान करता है। सामान्य विकास सहायता के लिए, वि० अ० आ० विश्वविद्यालयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर इसके द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के स्वरूप तथा विस्तार, संकाय के परिमाप, छात्र नामांकन और अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तब योजना में अनुमोदित कुल लागत के अन्दर प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक अस्थायी आवंटन प्रदान किया जाता है। तब

विश्वविद्यालय वि० अ० आ० द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इन प्रस्तावों को निरीक्षण अथवा विशेषरूप से गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। अन्य कोटि सुधार योजनाओं के लिए भी, वि० अ० आ० ने दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं और इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद ही सहायता दी जाती है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को अनुदानों में विभिन्नता का कारण विश्वविद्यालयों के विकास के विभिन्न स्तर तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता का लाभ उठाने की उनकी क्षमता है।

(घ) और (ङ) वि० अ० आ० ने सूचित किया है कि यद्यपि आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता प्रदान करने के मानदंड वही होंगे जो सातवीं योजना में थे, तथापि, आयोग ने महिला छात्रावासों तथा पुस्तकालय भवनों के निर्माण के लिए 75% से 100% तक और अन्य सभी भवनों के लिए 50% से 75% तक की अपने अंशदान में वृद्धि की है। आयोग अति चालकता, इलेक्ट्रानिकी विज्ञान, संगणक विज्ञान, जीव-प्रौद्योगिकी, आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पुस्तकों, उपस्कर, भवनों तथा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आबंटन भी प्रदान करेगा।

सामाजिक वानिकी और वन प्रबन्धन के बारे में कार्यशाला

***656. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
श्री बसंत साठे } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में जनजातीय सामाजिक वानिकी और वन प्रबन्धन के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इस कार्यशाला में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) कार्यशाला के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आदिवासी, सामाजिकी-वानिकी और वन प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला 30 मार्च, 1990 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह कार्यशाला केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से सोसायटी फार प्रमोशन, एनालिसिस एण्ड रिसर्च आफ ट्रेडिशनल आर्ट्स (स्पार्टा) द्वारा आयोजित की गई।

(ख) कार्यशाला के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निष्कर्षों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

30 मार्च, 1990 को आयोजित "आदिवासी, सामाजिक वानिकी और वन प्रबन्ध" सम्बन्धी कार्यशाला के निष्कर्ष

1. आदिवासियों और वनों के बीच एक सह-जीवी सम्बन्ध है। दुर्भाग्य से वन प्रबन्ध में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाता है और वन-प्लान के जरिए

आदिवासी विकास कार्यक्रमों में वन विभागों से परामर्श नहीं किया जाता है। पहले आदिवासियों को उनके सामान्य प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करके उन्हें निर्बल किया जाता है और उसके बाद उनके लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। प्रजातियों को चुनने, क्षेत्र का चयन करने, पेड़ों की सुरक्षा करने तथा अन्तिम उत्पादों के विवरण में आदिवासियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए न कि वे वनों में केवल मजदूरों के रूप में काम करें।

2. आदिवासी समाजों में महिलाओं का सम्मान होता है और वे परिवार की पूर्ण सदस्य होती हैं तथा निर्णय लेने में उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की सफलता मुख्य रूप से प्रजातियों के चयन और ग्रामीणों के लिए उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। आदिवासी महिलाएं भारत में वन संसाधनों के संवर्धन और विकास में सक्रिय रूप से परिवर्तन ला सकती हैं।

3. दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सदियों से वन सम्पदा और आम संसाधनों का परिरक्षण और पोषण करते आ रहे हैं उनको सामाजिक वानिकी स्कीमों के जरिए वन पुनर्जनन और संवर्धन के बारे में बताया जा रहा है। बायो-मास पुनर्जनन केवल लोगों की सक्रिय और सजग भागीदारी से सम्भव हो सकता है। इससे वनों पर आदिवासियों की विनाशकारी निर्भरता को बदलने में सहायता मिलेगी। आजकल वन उत्पादों में बिचौलियों का निहित स्वार्थ होता है और वे ऐसी प्रजातियों का चयन करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सहायक न होकर उद्योगों के लिए सहायक होते हैं।

4. आदिवासी क्षेत्रों में कृषि पद्धति एक कृषि वानिकी पद्धति है। इसमें बहुत से प्रौद्योगिकी निवेश विफल हो गए है क्योंकि वनरोपण कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी अन्तरण के सामाजिक-सांस्कृति पहलुओं की हमने अन-देखी कर दी है। वानिकी प्रौद्योगिकी पहले ही उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी को एक जनजाति से दूसरी जनजाति को हस्तांतरित करने की जरूरत है। आदिवासियों के पवित्र कुंज पूर्णतः सुरक्षित हैं और किसी को भी इन्हें नष्ट नहीं करने दिया जाता। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए यह एक आदर्श हो सकता है।

5. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लोगों के द्वारा लोगों के लिए होना चाहिए जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिए। अधिकांश कार्यक्रमों को तैयार करते समय उनके उद्देश्य बहुत अच्छे होते हैं किन्तु संचालन के समय सरकारी प्रक्रिया के कारण वे पिछड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम का भी बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था किन्तु बाद में यह जनता के कार्यक्रम की बजाय सरकार का कार्यक्रम बन कर रह गया और परिणाम-स्वरूप इसको अच्छी सफलता नहीं मिली।

6. यह माना जाता है कि आदिवासी वनों और पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहे हैं किन्तु स्थिति इससे भिन्न है क्योंकि वे कुल सम्पदा का केवल लगभग एक प्रतिशत का ही उपभोग करते हैं। वनों का विनाश और पारिस्थितिकी व पर्यावरण का वे

निजी ठेकेदार बिगड़ रहे हैं जिनकी सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत है।

7. वानिकी विस्तार और पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों में लोक संचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

8. चूंकि पिछले 40 वर्षों में झूम खेती को रोकना सम्भव नहीं हो पाया, इसलिए हम उचित मिश्रित प्रौद्योगिकी और प्रजातियों के चयन पर विचार कर सकते हैं जिससे कृषि पद्धतियों में वृद्धि होगी और वनों को कम क्षति पहुंचेगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रक्षा सौदों की जांच

[हिन्दी]

6815. श्री हरिश पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समय कितने रक्षा सौदों की जांच की जा रही है; और

(ख) प्रत्येक मामले में जांच कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) ऐसे सालह मामले हैं।

(ख) इस वर्ष के अन्त तक आठ मामलों के तय होने की संभावना है। बाकी के बारे मे कोई तिथि बताना संभव नहीं है।

बायोलोजीकल प्रोडक्शन सेन्टर, त्रिपुरा

[अनुवाद]

6816. श्री के० ओ० के० देव बर्मन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोलोजीकल प्रोडक्शन सेन्टर को त्रिपुरा से मणिपुर स्थानान्तरित किया गया है अथवा करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार इस परियोजना पर 25 लाख रुपये खर्च कर चुकी है तथा इस केन्द्र का स्थानान्तरण करने से व्यर्थ ही कितनी धनराशि और खर्च करनी पड़ेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नई दिल्ली में क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय

6817. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के अन्तर्गत संचालित दिल्ली का क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय का भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है,

(ख) क्या इस पुस्तकालय में हजारों की संख्या में दुर्लभ और मूल्यवान पुस्तकों की साव-

संभ न ठीक से की जा रही है,

(ग) क्या सरकार का विचार पुस्तकों के समुचित वितरण की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने का है,

(घ) पुस्तकालय को समुचित ढग से चलाने की व्यवस्था करने के लिए पुस्तकालय के लिए नए भवन का निर्माण पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का क्षेत्रीय भाषा खंड, जिसे तुलसी सदन के नाम से जाना जाता है, भावलपुर भवन सीध नई दिल्ली पर स्थित है। उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीनीकरण और मरम्मत के लिए सितम्बर 89 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, नवीनीकरण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् पाठकों को पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी।

(घ) नवीनीकरण कार्य पूरा होने में पांच से छह माह लग सकते हैं। उसके पश्चात पुस्तकालय कार्य पुनः आरम्भ कर देगा।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नवीनीकरण और मरम्मत हेतु 8 लाख 32 हजार रुपये अब तक उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय कार्य के शीघ्र पूरा होने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संपर्क बनाए हुए हैं।

नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करना

6818. श्री [illegible] : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले तथा खेल विभाग में उप मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों और योजना का शीघ्र मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है : तब तक नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या वर्तमान के समान 401 ही रहेगी।

प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं

6819. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिससे उन्हें

मेडिकल, इंजीनियरिंग और चार्टार्ड अकाउन्टेंसी पाठयक्रमों संबंधी प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी हां।

(ख) योजना की यथापरिकल्पित मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों सहित उत्कृष्ट छात्रों को शामिल किया जाएगा।

(ii) चिकित्सा तथा इंजीनियरी पाठयक्रमों तथा संयुक्त लेखा विज्ञान और आई० सी० डब्ल्यू० ए० (भारतीय लागत तथा कार्य लेखा कार) परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(iii) इस योजना में शुरू-शुरू में 15 लड़कों तथा 15 लड़कियों वाले स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिकी एकक

6820. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एकक स्थापित करने का है ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, इलेक्ट्रानिकी विभाग ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी सयोजन इकाइयों (सहकारी-संस्थाओं) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों को सहायता प्रदान कर रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अब तक 17 ऐसी परियोजनाओं को अनुदान उपलब्ध कराए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य	राज्य स्तरीय इले० विकास निगम/योजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि				
		1988-89			1989-90 (लाख रुपये में)	
		प्रथम 29.3.90	द्वितीय 30.3.90	तृतीय नवम्बर, 89	चतुर्थ फरवरी, 90	पंचम मार्च, 90
आंध्र प्रदेश	ए० पी० ई० एस० (1)					8.00
बिहार	बेल्ट्रॉन (1)					16.00
केरल	केल्ट्रॉन (2)	8.0	10.0	14.0	8.50	—
	केयोनिक्स	6.0	—	—	19.00	—
मध्य प्रदेश	आप्टेल (1)					8.00
महाराष्ट्र	मेल्ट्रॉन (2)			2.0	13.00	—
	मेल्ट्रॉन					8.00
उड़ीसा	ओ० एस० ई० डी० सी० (1)	6.0	—	—	—	—
पंजाब	पी० एस० आई० डी०सी०(1)	6.0	—	—	—	—
राजस्थान	आर० ई० आई० एस० (3)	6.0	4.0	—	—	—
	आर० ई० एस०	6.0	—	—	—	—
	रीको	2.0	6.0	—	—	—
तमिलनाडु	एल्कॉट (2)					13.00
	एल्कॉट	6.0	4.0	—	—	—
उत्तर प्रदेश	यू० पी० हिल (2)					4.00
	क्वार्ट्ज					
	हिल्ट्रॉन	—	—	10.0	6.0	—
पश्चिम बंगाल	वेबेल	—	—	10.0	6.0	

कानपुर छावनी क्षेत्र में जलवाहित स्वच्छता व्यवस्था

6821. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर ने गत तीन वर्षों के दौरान शौचालय सफाई की व्यवस्था को जलवाहित स्वच्छता व्यवस्था (वाटर-बोर्न सैनिटर्स सिस्टम) में बदलने हेतु छावनी क्षेत्र के परिसर के विभिन्न निवासियों/मालिकों को अपनी स्वीकृति दे दी है,

(ख) क्या बोर्ड इन आदेशों को शीघ्र कार्यान्वित नहीं करा सका है,

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप परिसर के मालिकों द्वारा सफाई करने वालों को प्रतिदिन मैला ढोने का घिनौना कार्य करने के लिए काम पर लगाया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ङ) ऐसे परिसरों के मालिकों/निवासियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है, जिन्होंने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ङ) छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 135 के अन्तर्गत छावनी क्षेत्र के मकानों के मालिकों/निवासियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा कि वे अपने शौचालयों को जल वाहित प्रणाली में बदल दें। जिन मालिकों/निवासियों ने अपने शौचालयों को जल वाहित प्रणाली में बदलने के लिए घरों में परिवर्तन/परिवर्धन के लिए आवेदन किया, उन सभी को मंजूरी दे दी गई थी और उन्हें कार्यान्वित भी कर दिया गया है। लेकिन अधिकतर मालिकों/निवासियों ने या तो पानी की कमी या अपने घरों के नजदीक सीवर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, अपने शौचालयों को जल वाहित प्रणाली में बदलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। छावनी बोर्ड ने ऐसे अनुरोधों को जायज समझकर उनके मामलों को तब तक आस्थगित करने का निर्णय लिया है जब तक कि पर्याप्त जल सप्लाई या अण्डर ग्राउण्ड सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती।

जिन मकान मालिकों/निवासियों के यहां जल वाहित प्रणाली नहीं है वे अभी भी अपने शौचालयों को साफ करने के लिए मेहतरों/स्वीपरों को लगाते हैं।

महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल की स्थापना

6822. श्री वसन्त साठे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोई सैनिक स्कूल नहीं है,

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) विदर्भ क्षेत्र में कोई सैनिक स्कूल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सतारा में पहले ही एक सैनिक स्कूल है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुरोध किए जाने पर ही सैनिक स्कूल की

स्थापना की जाती है क्योंकि स्कूल की स्थापना पर होने वाला समस्त पूंजीगत व्यय और अधिकांश आवर्ती व्यय राज्य सरकार को वहन करना होता है। विदर्भ क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने के लिए इस मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर किया गया व्यय

6823. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर व्यय की गई धनराशि की अदायगी के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार के पास कोई दावा प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस मामले पर पाकिस्तानी सरकार के साथ आगे बात करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 31 जनवरी, 1974 तक पाकिस्तानी युद्धबंदियों और सुरक्षात्मक नजरबंदी के अन्तर्गत रखे गये सिविलियनों पर 32,36,92,000 00 रुपए की राशि खर्च की। इसमें से, 2.83 करोड़ रुपए की राशि, पाकिस्तानी युद्धबंदियों के अग्रिम वेतन की अदायगी और जुलाई, 1973 तक की अवधि के लिए सुरक्षात्मक नजरबंदी के अन्तर्गत रखे गए सिविलियनों को वित्तीय भत्ते की अदायगी पर खर्च की। सितम्बर, 1973 में इस राशि को स्विस बैंक के माध्यम से पाकिस्तान सरकार से प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी तक इसे देने के लिए सहमत नहीं हुई है। यद्यपि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को समय-समय पर इस बारे में लिखा है लेकिन अभी तक पाकिस्तान सरकार से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के कारण रेडियोधर्मिता का प्रभाव

[हिन्दी]

6824. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जादुगुडा में यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रेडियोधर्मिता के नियंत्रण में अनियमितताओं के फलस्वरूप उसमें कार्यरत श्रमिक तथा 25 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले किसान और पशु घातक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं;

(ख) इस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में तत्काल जांच कराने के पश्चात कोई आवश्यक कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग उस समय से ही यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में विकिरण के सम्बन्ध में निगरानी रख रहा है जब इस कारपोरेशन ने काम करना शुरू किया था। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की खानों और मिल वाले क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते है।

(ग) और (घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ङ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रचालन के फलस्वरूप कर्मचारियों और आस-पास के इलाके में रहने वाली जनता पर पड़ने वाला विकिरण का प्रभाव अनुमेय मात्रा और सह्य सीमा के भीतर ही होती है।

राज्यों में केन्द्रीय पूंजी निवेश

[अनुवाद]

6825. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष-वार कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) क्या इन राज्यों में केन्द्रीय पूंजी-निवेश में कमी हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ परामर्श करके सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985-86 (वास्तविक), 1986-87 (संशोधित अनुमान) और 1987-88 (बजट अनुमान) के लिए केन्द्रीय योजना के राज्यवार व्यय के अनुमान तैयार किए है। ये आंकड़े तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों के लिए अलग-अलग हिस्सा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

तथापि यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से देश के लिए किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य सीमाओं को पार कर जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ भी सारे देश में वितरित हो जाते है।

विवरण

वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्योरा

राज्य	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.32	6583.49
	(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1895.79	6380.91
	(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)
उड़ीसा	1176.75	951.76	1126.29	3254.80
	(7.31)	(4.96)	(5.55)	(5.85)
आवंटन योग्य कुल राशि (सभी राज्य)	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
आवंटन के लिए अयोग्य कुल राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
कुल जोड़	19108.48	(क)23666.23	(ख)25275.54	(ग)68050.25

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आवंटन योग्य कुल राशि के प्रतिशतता हिस्से दर्शाते हैं।

(क) "ग्रामीण विकास" से सम्बन्धित वास्तविक व्यय (1985-86) आंकड़े वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए हैं।

(ख) जोड़ में शामिल हैं (I) "संचार" के लिए वास्तविक व्यय, 1986-87 तथा (II) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संशोधित अनुमान 1986-87।

(ग) जोड़ में शामिल हैं : (I) "संचार" के लिए वास्तविक व्यय, 1987-88 तथा (II) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संशोधित अनुमान 1987-88।

टिप्पणी

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का नियोजन अथवा गणना राज्यवार नहीं की जाती, अतः

ऐसा ब्योरा तैयार करते समय कुछ धारणाएं बनाई गई हैं। हालांकि इस प्रकार के अभ्यास के आधार के लिए ये धारणाएं यथा सम्भव सर्वोत्तम लगती हैं, तथापि इनकी वैधता सीमित स्वरूप की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं :

(I) रेलवे विभाग के मामले में, जहां रेल के डिब्बे किसी भी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वितरण का अनुमान किसी राज्य विशेष से गुजरने वाले ट्रैफिक के मार्ग/कि० मी० के आधार पर लगाया जाता है।

(II) इसी प्रकार विमानन, के मामले में जहां हवाई जहाज में परिव्ययों का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, वितरण राज्य विशेष के क्षेत्र में वायुयानों के अवतरणों की संख्या के हिसाब से किया जाता है।

(III) डाक सेवाओं में व्यय के विवरण का अनुमान सर्किलवार लगाया जाता है।

भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान

6826. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को चयन ग्रेड वेतनमान दिए जाने के बारे में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वैज्ञानिक सहायकों के वेतनमान पर मतभेद था जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

पांडिचेरी से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास विचाराधीन मामले

6828. **श्री पी० वल्लभ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कितने मामले गत पांच वर्षों से विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) कितने मामलों में जांच चल रही है और कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1985 से मार्च, 1990 तक 14 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) दो मामलों में जांच चल रही है। पांच मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन-धुम्बा के अनुसंधान कार्यकलाप

6829. **श्री पी० सी० चाको** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसंधान कार्यकलापों में कमी होती जा रही है;

(ख) क्या किसी अन्तरिक्ष केन्द्र से राकेट छोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राकेट प्रक्षेपण कार्य केरल के भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, थुम्बा से जारी रहेगा; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र में अन्तरिक्ष अनुसंधान और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) मौसमविज्ञानीय/संचार पेलभारों सहित परिज्ञापी राकेट थुम्बा, श्रीहरिकोटा और बालासोर स्थित तीन राकेट प्रमोचन रेंजों से सामान्य रूप में छोड़े जाते हैं । इनके अलावा, श्रीहरिकोटा स्थित राष्ट्रीय राकेट प्रमोचन रेंज से संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एस० वी०) के छोड़े जाने के प्रस्ताव हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के प्रत्येक केन्द्र में अन्तरिक्ष अनुसंधान और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

	87-88	88-89	89-90
1. विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी० एस० एस० सी०)	46.34	50.08	46.53
2. आर केन्द्र (शार)	19.10	23.01	21.77
3. अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (सेक)	12.11	16.26	20.19
4. इसरो उपग्रह केन्द्र (आइजेक)	10.48	13.00	14.89
5. द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल० पी० एस० सी०)	6.97	8.46	16.95

उपर्युक्त आंकड़े संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०), ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०), भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०), भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-II और अन्तरिक्षयान (इन्सैट-II सी० एस०) इत्यादी केंद्री परियोजनाओं के खर्च के अतिरिक्त हैं । तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर हुआ खर्च, जो कि अन्तरिक्ष विभाग के सभी केन्द्रों में फैला हुआ है, का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1987-88	—	148.92 करोड़ रुपए
1988-89	—	202.50 करोड़ रुपए
1989-90	—	168.39 करोड़ रुपए

भारतीय शांति सेना के अपंग सैनिकों का पुनर्वास

6830. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय शांति सेना के अपंग सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना प्रारम्भ करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यह योजना कब तक प्रारम्भ करने का विचार है, और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) रक्षा सेनाओं के जो कार्मिक युद्ध में अथवा शांति के समय निशक्त हो जाते हैं और जिनकी निशक्तता उनकी सैन्य सेवा के कारण होती है उन्हें रोजगार के लिए प्राथमिकता-I दी जाती है। भारतीय शांति सेना के निशक्त सैनिकों को इस बारे में विशेष रियायत देने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार उन्हें भारत सरकार में सामान्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित खाली पदों पर लिये जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय शांति सेना के ने निशक्त सेना कार्मिक जो श्रीलंका की कार्रवाइयों के दौरान घायल होने के कारण सेवामुक्त हो गए थे, युद्ध में हताहतों के समान उदारीकृत पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन पाने के पात्र हैं। वे चिकित्सा और यात्रा रियायतों के साथ, सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक रियायतें और रोजगार एवं स्वःरोजगार में सहायता जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

वन भूमि सीमांकन की योजना

[हिन्दी]

6831. **श्री राघवजी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन भूमि के रूप में निर्धारित एक बड़े भू-क्षेत्र में कोई वनस्पति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य सरकारों की सहमति से वन भूमि सीमांकन की योजना पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विशेषरूप से, ऐसे स्थानों को जहां पर खनिजों का भण्डार है वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अनुमान है कि देश के 30 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्ष आवरण नहीं है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वनों के सर्वेक्षण एवं सीमांकन की स्कीम को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पंजाब को धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

6832. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पंजाब को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और सूत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस अवधि के दौरान समूची राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (घ) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आवंटन राज्य की वार्षिक योजना के विभिन्न क्षेत्रीय शीर्षों से प्राप्त किए जाते हैं। राज्य योजना क्षेत्र में आवंटनों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। आवंटित निधियों का उपयोग 1987-88 में 96 प्रतिशत, 1988-89 में 93 प्रतिशत और 1989-90 में 92 प्रतिशत रहा। उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। संलग्न विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निधियों का उपयोग आमतौर पर सन्तोषजनक रहा है।

विवरण-I

पंजाब में बीस सूत्री कार्यक्रम—राज्य योजना क्षेत्र में आवंटन

(लाख रुपए)

क्र० सं० मद	1987-88	1988-89	1989-90
1 2	3	4	5
1. ग्रामीण गरीबी पर प्रहार			
ए०ग्रा० वि० का०	365	444	229
रा०ग्रा०रो०का०/ज०रो० योजना	243	266	322
सामुदायिक विकास और पंचायत	535	535	820
ग्राम लघु—उद्योग	673	635	743

1	2	3	4	5
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	—	—	—
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	7009	8132	7644
4.	उन्नत कृषि	3729	4287	6264
5.	भूमि सुधार	—	10	—
7.	सुरक्षित पेय-जल	1104	1319	1700
8.	श्रमी के लिए स्वास्थ्य	400	450	700
9.	दो बच्चों का मानदण्ड-पोषण	593	279	275
10.	शिक्षा	1810	2510	2844
11.	अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	510	600	700
13	युवाओं के लिए अवसर	155	172	704
14.	लोगों के लिए मकान	70	55	55
15.	गन्दी बस्तियों का सुधार	62	150	100
16.	बालिकी	600	663	685
17.	पर्यावरण का संरक्षण	31	47	47
18.	उपभोक्ता कल्याण	—	1	1
19.	गांवों के लिए बिजली	—	25	30
	योग	17899	20580	23863

विवरण-2

बीस सूत्री कार्यक्रम—पंजाब 'राज्य योजना क्षेत्र में व्यय'

क्र०सं०	मद	1987-88	1988-89	1989-90 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण गरीबी पर प्रहार			
	ए०आ० वि० का०	526	535	258
	रा०ग्रा०रो०का०/जवाहर रो० योजना	235	500	345
	सामुदायिक विकास और पंचायत	529	590	562
	ग्राम लघु-उद्योग	547	328	498

1	2	3	4	5
	2. वर्षा पर आधारित कृषि	—	—	—
	3. सिंचाई का बेहतर उपयोग	7363	6715	7644
	4. उन्नत कृषि	3163	4207	5399
	5. भूमि सुधार	—	—	1
	7. सुरक्षित पेय-जल (ग्रामीण स्वच्छता सहित)	1203	1429	1500
	8. सभी के लिए स्वास्थ्य	296	366	637
	9. दो बच्चों का मानदण्ड-पोषण	239	275	275
	10. शिक्षा	1520	2295	2561
	11. अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	632	647	700
	13. युवाओं के लिए अवसर	162	452	703
	14. लोगों के लिए मकान	63	66	53
	15. गंदी बस्तियों का सुधार	62	62	62
	16. वानिकी	616	640	685
	17. पर्यावरण का संरक्षण	31	40	42
	18. उपभोक्ता कल्याण	—	—	1
	19. गांवों के लिए बिजली	25	25	30
	योग :	17230 (96%)	19172 (93%)	21956 (92%)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों का प्रतिशत संबंधित वर्ष के दौरान आवंटन की उपयोगिता दर्शाता है।

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6833. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों के मामले में चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें लागू करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन सहित संघ शासित प्रदेशों और विभिन्न केन्द्रीय स्वायत्त

निकायों के स्कूली अध्यापकों के वेतनमानों को अगस्त, 1987 में संशोधित किया है। इन वेतनमानों को मंजूर करते समय, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग, चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिधारणाओं को ध्यान में रखा गया है।

पुनपुन-मोहराज-दारधा परियोजना को स्वीकृति

6834. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पुनपुन-मोहराज-दारधा परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सम्बद्ध सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

सोवियत संघ की भारत सरकार को सुखोइ बमवर्षक बेचने की पेशकश

6835. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को सुखोइ बमवर्षक बेचने की सोवियत संघ ने कोई पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में बारूद कारखाना

6836. **श्री एम० भागा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में एक नया बारूद कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस कारखाने की स्थापना के लिए वारंगल में उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) फिलहाल सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में किसी नई प्रोपेलेंट फैक्टरी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों की स्थापना करना

[हिन्दी]

6837. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों की स्थापना की जा रही है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है; और

(ग) क्या तत्संबंधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से इस बारे में कोई समीक्षा की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आई० सी० डी० एस० परियोजना ब्लाकों का चयन करते समय ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को तरजीह दी जाती है जिनमें अनुसूचित जाति, समाज के पिछड़े वर्ग और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक लोग अधिक संख्यक में रहते हों, आदिवासी क्षेत्र हों तथा जहां अकसर सूखा पड़ता हो और जहां बाढ़ें आती हो।

(ग) आई० सी० डी० एस० कार्यक्रमों की समीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है। योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और समीक्षाओं के आधार पर ही योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के कदम उठाए जाते है।

बिहार में महिला विकास निगम की यूनिटें

6838. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान महिला विकास निगम का बिहार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी यूनिटें स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) बिहार में महिला विकास निगम की स्थापना अभी तक नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास निगम

[अनुवाद]

6839. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला विकास निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को महिला विकास निगमों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि महिलाओं को सक्रिय बनाया जाए जैसे महिला उद्यमियों का पता लगाना, आर्थिक दृष्टि से सशक्त परियोजनाओं के लिए आधार तैयार करना, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, सम्पर्क व्यवस्था के जरिए मार्कीटिंग बढ़ाना, महिला सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, सम्बन्धित व्यवसायों में लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, परियोजना तैयार करना तथा वित्तीय व्यवस्था करना। केन्द्रीय सरकार शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988 में एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है।

अंटार्कटिक अभियान के लिए विदेशी जहाज

6840. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंटार्कटिक अभियान के लिए विदेशी जहाज को आवश्यक समय से अधिक अवधि लिए किराए पर लिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस अभियान को कोचीन से आरम्भ किए जाने से कुल व्यय में काफी बचत होगी, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस अभियान के लिए सभी प्रमुख वैज्ञानिकों ने इच्छा व्यक्त की है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की विशिष्ट सेवाओं सहित गोवा में उपलब्ध संभार और अवसंरचनात्मक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अभियान यदि कोचीन से भेजा जाता है तो कुल व्यय में कोई बचत नहीं होगी।

(घ) प्रमुख शैक्षणिक और राष्ट्रीय संस्थाओं के स्वेच्छा से अंटार्कटिक अभियान पर जाने की इच्छा प्रकट करने वाले और वे, जो वैज्ञानिक कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त लगते हों उन्हीं वैज्ञानिकों को नामित किया जाता है। सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों की सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की, एक समिति की सिफारिशों पर ही अन्तिम चयन किया जाता है। एक बार जब वैज्ञानिक चुन लिए जाते हैं, तब उन्हें निर्धारित परिस्थितियों के अन्तर्गत अभियान के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है।

कर्नाटक द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए मामले

6841. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले भेजे गए,

(ख) कितने मामलों में आरोप-पत्र दर्ज किए गए हैं,

(ग) कितने मामले बन्द कर दिए गए हैं; और

(घ) कितने मामलों में छानबीन अभी जारी है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तीन मामले ।

(ख) एक मामले में ।

(ग) शून्य ।

(घ) एक मामला ।

श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान किया जाना

6842. **श्री डी० पंडियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत के समुद्र जल क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीलंका की नौसेना द्वारा तथा भारत-विरोधी आतंकवादियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान किया जा रहा है; और

(ख) तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा तथा हमारे समुद्र जल क्षेत्र के भीतर उनके मछली पकड़ने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं । लेकिन श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को पकड़ने के बारे में कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ।

(ख) हमारे मछुआरों के बचाव और सुरक्षा के लिए नौसेना और तट रक्षक बलों द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र की बराबर चौकसी की जा रही है । इसकी हवाई चौकसी भी की जा रही है ।

बालवाड़ियों को समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत शामिल किया जाना

6843. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कार्यरत बालवाड़ियों को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) :

(क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना का क्षेत्र सामुदायक विकास खण्ड होता है। राज्य सरकार जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी है को यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि आई० सी० डी० एस० परियोजना क्षेत्र में कोई बालवाडी अथवा विशेष पोषाहार कार्यक्रम (एस० एन० पी०) केन्द्र है, तो उसे आंगनवाडी में मिला देना होगा। वर्ष 1975 में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्सैट-II टी० एस० और इन्सैट-II टी० एस० एल० एस० का प्रक्षेपण

[हिन्दी]

6844. **श्री काशी राम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्सैट-II टी० एस० और इन्सैट-II टी० एस० एल० एस० को अन्तरिक्ष में छोड़ने का कोई कार्यक्रम बनाया है,

(ख) यदि हां, तो ये उपग्रह कब तक छोड़े जाएंगे तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इन उपग्रहों से कौन-से उद्देश्य पूरे होंगे; और

(ग) इन उपग्रहों को छोड़े जाने तक इस सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट-II (टी० एस०) ए० का प्रमोचन नवम्बर, 1991 में और इन्सैट-II (टी० एस०) बी० का प्रमोचन इसके लगभग एक वर्ष बाद किए जाने का कार्यक्रम है। इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान परियोजना के लिए कुल स्वीकृत परियोजना अनुमान की राशि 403.80 करोड़ रुपये है, जिसमें उपग्रहों, अवसंरचना संस्थापन और प्रमोचन सेवाओं पर होने वाले खर्च की राशि शामिल है। इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान मिशन का मुख्य उद्देश्य 1990 दशाब्द के दौरान इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी क्षमता की स्थापना और प्रदर्शन करना है। प्रथम पीढ़ी के इन्सैट उपग्रहों के बाद इन्सैट-2 प्रचालनात्मक अन्तरिक्षयान छोड़े जाएंगे, जो इन्सैट-1 अन्तरिक्षयानों की तुलना में अधिक बेहतर क्षमता वाले होंगे। इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान सभी प्रकार से प्रचालनात्मक इन्सैट-2 अन्तरिक्षयानों के समतुल्य होंगे। जबकि प्रथम इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान पर किसी प्रकार की प्रचालनात्मक निर्भरता की योजना नहीं है, यह आशा की जाती है कि दोनों इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान प्रचालनात्मक सेवा प्रदान करेंगे तथा इन्सैट-1 से इन्सैट-2 अन्तरिक्ष-खण्ड के संक्रमण काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

(ग) इन्सैट-1 शृंखला के उपग्रह और अन्य उपग्रह प्रणालियों से लीज पर लिए गए प्रेषानुकर जरूरी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जून, 1990 में प्रमोचन के लिए निर्धारित इन्सैट-1 डी० उपग्रह द्वारा इन्सैट-1 बी० का स्थान लेने की संभावना है, जिसे अभी भी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

पश्चिम चम्पारन, बिहार में बाघ अभयारण्य

[अनुवाद]

6845. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम चम्पारन जिले में स्थित बाघ अभयारण्य वन क्षेत्र सौ बाघों के विचरण के लिए पर्याप्त है, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान इन बाघों द्वारा अपने प्राकृतिक आवास-स्थलों को छोड़कर वनों से 20-25 किलोमीटर दूर मानव बस्तियों में जाकर लोगों को घायल करने और मारने की घटनाओं का पता चला चला है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम चम्पारन, बिहार में बाघों को उनके प्राकृतिक आवास-स्थलों से बाहर न जाने देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या नीति तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त 1989 की गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले के 910.5 वर्ग किलोमीटर वनों में 81 बाघ हैं । वन क्षेत्र मौजूदा बाघों के रहने के लिए पर्याप्त है ।

(ख) वाल्मिकी बाघ-रिजर्व के क्षेत्र निदेशक ने सूचना दी है कि गत पांच वर्षों के दौरान बाघों द्वारा अपने प्राकृतिक वासस्थल को छोड़कर मानव बस्ती में प्रवेश करने की दो घटनाएं हुई हैं । 8.4.1986 को पश्चिम चम्पारन जिले का साबेया गांव, जो वनों से 15 किलोमीटर दूर है, में तीन वर्ष के एक बालक को बाघ ने मार डाला था और 10.11.1987 में बालथर गांव के निकट, जो वनों से 40 किलोमीटर दूर है, दो व्यक्ति मारे गए थे ।

(ग) वन क्षेत्र से बाघों के समय-समय पर भटकने का मुख्य कारण बाघों के प्राकृतिक वासस्थल में व्यवधान डालना है । वन क्षेत्र से गोल पत्थर ले जाने और अनियंत्रित मानव आवागमन जैसी गतिविधियां व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुख्य कारक रहे हैं । 840.26 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वाल्मिकी बाघ रिजर्व की स्थापना से ऐसे व्यवधानों पर रोक लगेगी एवं बाघों सहित जंगली जानवरों के प्राकृतिक वासस्थलों की बहाली की जाएगी । आशा है कि इससे वनों से बाघों के भटकने पर रोक लगाई जा सकेगी ।

खेल-कूदों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन

6846. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को खेल और खेलने की प्रणाली, कोचिंग प्रणाली, शारीरिक दम-खम और स्वस्थता तथा खाद्य पदार्थों के स्वरूप की संरचना तैयार करने के बारे में भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों और अन्य विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले तथा खेल विभाग में उप मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान निधि का दुरुपयोग

6847. **श्री पी० पैंचालैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान परियोजना निधि का दुरुपयोग करने सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान

6848. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय निर्माणाधीन उत्पादन प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान राज्य में कोई नया रक्षा प्रतिष्ठान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केरल में इस समय कोई रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान निर्माणाधीन नहीं है ।

(ख) आठवीं योजना के दौरान केरल में किसी नए रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सलेक्शन ग्रेड

6849. **श्री भांधाता सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उनकी स्वीकृत संख्या के 20 प्रतिशत को सलेक्शन ग्रेड देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस निर्णय को इस बीच लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा विभाग के वित्तांक 12.8.1987 के पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार स्कूली अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमानों को 1.1.1986 से अपना लिया है । इन आदेशों

के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रवरण ग्रेड प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वर्तमान ढांचे में संशोधन

[हिन्दी]

6850. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता के वर्तमान ढांचे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगोत गोवर्धन) : (क) इस समय आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को (और निहित रूप से राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों को) केन्द्रीय सहायता के वर्तमान ढांचे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

6851. डा० बंगारू सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है,

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कर्मचारियों का आरक्षित कोटा पूरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) :

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जन जाति
समूह "क"	97	10	1
समूह "ख"	277	34	1
समूह "ग"	335	41	6
समूह "घ"	176	32	6

(ख) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जिन पदों के सम्बन्ध में नियुक्तियां की जाती हैं उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोटा पूरा है। उन पदों के लिए जिनकी नियुक्तियां अन्य सवर्ग नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की जाती हैं, उनमें सम्बन्धित सवर्ग नियमित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अनु० जाति/अनु० जन जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में प्रदूषण

[अनुवाद]

6852. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर
श्रीमती वासव राजेश्वरी } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महानगरों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है,

(ख) क्या दिल्ली भी उनमें से एक है,

(ग) यदि हां, तो महानगरों में प्रदूषण बढ़ने के विभिन्न कारण क्या हैं; और

(घ) इन शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) महानगरों में मुख्य रूप से शहरों की तेजी से वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों और मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रदूषण फैलता है।

(घ) इन शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वायुस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं।

(3) परिवेशी वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारित एवं उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(6) उद्योगों को निर्धारित सीमाओं के भीतर वहिस्रावों व उत्सर्जनों के विसर्जन के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सहमति देते समय रखी गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

(7) उद्योगों को समय-बद्ध आधार पर अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(8) मल-जल एवं जल-निकासी प्रणाली के निर्माण/विस्तार और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध सहित नगरों के मल-जल के शोधन के लिए स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

(9) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(10) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करके उन्हें व्यापक बनाया गया है और अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

(11) सड़क पर चल रहे वाहनों और निर्माणाधीन वाहनों से निकलने वाले धुएं के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

(12) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(13) पेट्रोलियम उद्योग को 1993 तक पेट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 0.15 ग्राम प्रति लीटर करने के लिए कहा गया है।

(14) निर्माताओं को इस आशय का प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा गया है कि वाहनों से निकलने वाले निस्सरण निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

(15) सभी वाहन निर्माताओं को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए वाहनों के डिजाइन में आवश्यक परिवर्तन करने को कहा गया है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से कर्मचारियों की छंटनी

6853. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के ऐसे 133 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है जो चार वर्ष की प्रशिक्षता पूरी कर चुके थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें स्थाई सेवा में नियुक्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीजन से किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं गई है। लेकिन शिशु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की शिशु योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 126 प्रशिक्षार्थियों में से 124 प्रशिक्षार्थियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि पूरी होने पर जनवरी, 90 और अप्रैल, 90 के बीच प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। बाकी दो प्रशिक्षार्थियों ने स्वयं नवम्बर/दिसम्बर, 1989 में प्रशिक्षण छोड़ दिया था।

(ख) और (ग) इन प्रशिक्षार्थियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित करना सम्भव नहीं है क्योंकि भविष्य में सम्भावित कार्य भार को ध्यान में रखते हुए कम्पनी इस समय इन प्रशिक्षार्थियों को इनके ट्रेडों में स्थाई कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है फिर भी, जब कभी संबंधित ट्रेडों में अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता होगी तो इन प्रशिक्षार्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते वे अन्य रूप से योग्य पाए जाएं। कम्पनी को सलाह दी गई है कि वह इन प्रशिक्षार्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भी भेज दे ताकि वे अपने संगठनों में उपयुक्त पदों पर इनकी नियुक्ति के बारे में विचार कर सकें।

जूनियर हाई स्कूल खोलना

[हिन्दी]

6854. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक गांव में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये विद्यालय कब तक खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) नए जूनियर हाई स्कूलों जिन्हें सामान्यतः अपर प्राइमरी अथवा मिडिल स्कूल कहा जाता है, को खोले जाने और विद्यमान प्राइमरी स्कूलों को स्तरोन्नत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो नामांकन में वृद्धि और प्राइमरी स्तर पर अवरोधन, प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्तरों तक परिवर्तन दर में सुधार और राज्य योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। केन्द्रीय सरकार न तो ऐसे स्कूल खोलती है तथा न ही इस प्रकार के कार्यकलापों की सहायता के लिए इसकी कोई योजना है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

6855. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रतापगढ़ जिले में भी केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण-1 में प्रस्तुत है।

(ख) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और स्थानों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-2 में प्रस्तुत है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गई एजेंसियों द्वारा प्रायोजित विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए :

(I) दादरी, जिला गाजियाबाद	राज्य सरकार
(II) सराय छन्ना जट जिला—बुलन्दशहर	—वही—
(III) नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	विश्वविद्यालय के कुलपति
(IV) आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून	रक्षा मंत्रालय
(V) चोपन, जिला मिर्जापुर	रेलवे

वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और स्थानों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ) और (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में किसी भी निर्धारित प्रायोजक एजेंसी से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण-1

केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिविल और रक्षा क्षेत्र में तथा परियोजना प्रायोजन प्राधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों में खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कम से कम 1000 कर्मचारी हो तथा केन्द्रीय विद्यालय आरम्भ किए जाने पर कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के इच्छुक हों । विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों अथवा उपयुक्त श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के संगठन द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं जो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत है :—

(I) निशुल्क लागत अथवा नाममात्र लागत पर 15 एकड़ भूमि ।

(II) विद्यालय चलाने के लिए अस्थाई स्थान जब तक कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा स्वयं का भवन निर्मित नहीं करता ।

(III) कम से कम 50% स्टाफ के लिए आवासीय जगह का प्रावधान वहां स्कूल से उपयुक्त दूरी के भीतर वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं हो सकती ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यमों अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाओं के स्थानों में परियोजना क्षेत्र में खोले जाते हैं यदि :

(I) पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हो

(II) उपरोक्तानुसार भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो तथा

(III) उद्यम/संस्थान विद्यालय के सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हो।

विवरण-2

31 मार्च, 1990 की यथास्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की उनके स्थानों सहित सूची

क्रम सं०	नाम और पता
1.	एयर फोर्स स्टेशन नं० 1, आगरा
2.	आगरा कैन्ट नं० 2, ग्रांड परेड रोड, आगरा कैन्ट
3.	मनौरी, एयर फोर्स स्टेशन, इलाहाबाद
4.	न्यू कैन्ट, इलाहाबाद
5.	इफ्को टाउनशिप, डाकघर फूलपुर, इलाहाबाद
6.	आजमगढ़
7.	बाबीना कैन्ट
8.	एयर फोर्स स्टेशन, इज्जतनगर, बरेली
9.	बरेली नं०1, जाट रेंजीमेंटल सेन्टर, बरेली,
10.	बरेली नं० 11, ए०एस०सी० न्यू रोड, बरेली, कैन्ट
11.	बीरपुर, देहरादून
12.	फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, डाकघर न्यू फोरेस्ट, देहरादून
13.	हाथीबारकला नं० 1, देहरादून
14.	हाथीबारकला-नं० 11, देहरादून
15.	आर्डनेन्स फैक्टरी, रायपुर, देहरादून
16.	प्राकृतिक तेल और गैस आयोग, कौलागढ़ रोड, देहरादून
17.	विर्भद्रा, ऋषिकेश, जिला देहरादून
18.	हरिद्वार नं०1, बी०एच०ई०एल० रानीपुर, हरिद्वार
19.	हरिद्वार न०2, बी०एच०ई०एल०, रानीपुर, हरिद्वार
20.	एयर फोर्स स्टेशन, हिंडन, गाजियाबाद

क्रम सं०	नाम और पता
21.	आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद
22.	सी०आर०पी०एफ०, रामपुर
23.	राणा प्रताप मार्ग, झांसी कैन्ट
24.	अरमापुर आर्डनन्स फैक्टरी, काली रोड, कानपुर
25.	एयर फोर्स स्टेशन, चेकरी नं० 1, कानपुर
26.	एयर फोर्स स्टेशन, चेकरी नं० 11, कानपुर
27.	आई० आई० टी० कानपुर
28.	गढ़वाल राइफल, लैंडसडाउन, जिला पौड़ी गढवाल
29.	ए०एम०डी० सेन्टर, लखनऊ
30.	आर०डी०एस०ओ०, आलमबाग, लखनऊ
31.	मथुरा नं० 1, गोल्फ ग्राउंड के पास, मथुरा कैन्ट
32.	मथुरा नं० 11, मथुरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट
33.	डोगरा लाइन्स, मेरठ कैन्ट
34.	पंजाब लाइन्स, मेरठ कैन्ट
35.	सिख लाइन्स, मेरठ कैन्ट
36.	मुगलसराय, जिला वाराणसी
37.	वाराणसी कैन्ट
38.	वाराणसी नं० 1, बी०एच०यू० कैम्पस, वाराणसी
39.	वाराणसी नं० 11, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, वाराणसी
40.	भारकाटिया पिथौरागढ़
41.	राय बरेली
42.	रानीखेत, अल्मोड़ा
43.	बी०ई०सी० सेन्टर, रुड़की कैन्ट
44.	एयर फोर्स स्टेशन, सरसवान, सहारनपुर
45.	स्टेशन मुख्यालय, शाहजहांपुर
46.	सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, शक्तिनगर, जिला मिर्जापुर
47.	लेक व्यू कैंप, तलबहार
48.	मेमोरा एयर फोर्स स्टेशन, द्वारा 56 ए०पी०ओ०
49.	स्टेशन मुख्यालय, फैजाबाद

क्रम सं०	नाम और पता
50.	एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर
51.	एयरफोर्स स्टेशन, बायरोली, इलाहाबाद
52.	कानपुर कैंट
53.	आर्डनेन्स क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर
54.	52 मिलिट्री आर्टिलरी बिल्डिंग, द्वारा 56 ए० पी० ओ० रायवाला
55.	एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन नं० iv
56.	एस० जे०, अलीगंज, लखनऊ
57.	काशीपुर, जिला नैनीताल
58.	इंडियन विटेरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तेश्वर, कुमाऊं जिला नैनीताल
59.	बनबासा, जिला नैनीताल
40.	नोएडा काम्प्लेक्स, जिला गाजियाबाद
61.	उन्नाव
62.	गोमती नगर, बी०ओ० उजरीअम, डाकघर महानगर, लखनऊ।
63.	छोओकी, इलहाबाद
64.	नेशनल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, हिन्दि सुपर थर्मल पॉवर, बिजापुर, डाकघर रिहंद नगर, जिला मिरसापुर।
65.	देहरादून कैंट, जिला देहरादून
66.	बी० एच०ई० एल० टाउनशिप, जगदीशपुर इंडस्ट्रीसल एरिया, जिला सुल्तानपुर
67.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद
68.	इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून
69.	एयरफोर्स स्टेशन, बक्शी-का-तालाब, लखनऊ
70.	एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी नं० 111, कानपुर
71.	आर्डिनेन्स इक्वीपमेंट फैक्टरी, हजरतपुर—283103, जिला आगरा
72.	बुलंदशहर
73.	राजपूत रेजीमेंटल सेन्टर, फतेहगढ़
74.	ए०एस०एस० दादरी, डाकघर धूम दादरी, जिला गाजियाबाद
75.	नं० 60 स्क्वॉड्रन, एयरफोर्स स्टेशन चांदीनगर, जिला मेरठ, द्वारा 56 ए०पी०ओ०

क्रम सं0	नाम और पता
76.	सीमेंट टाउन, मुख्यालय देहारादून सब एरिया, देहरादून
77.	आर्डनन्स इक्वीपमेंट फैक्टरी, कानपुर कैंट, पिन-208001
78.	ओ०एफ०, आरमापुर, कानपुर—208009
79.	बैरेक रोड, आगरा कैंट
80.	झांसी, जी०पी०ओ० झांसी
81.	इफ्को लिमिटेड, ओनला प्रोजेक्ट, चपट (ओनला), जिला बरेली
82,	असमोड़ा, पिन-263601
83.	गवर्नमेंट ओपियम एंड अलकालायड वर्क्स, गाजीपुर
84.	अमहट, जिला—सुलतानपुर—228001
85.	न्यू टेहरी टाउन, टेहरी, गढ़वाल
86.	कानसेन, उत्तरकाशी
87.	रेलवे कॉलोनी, झांसी नं० 111
88.	मुरादाबाद—244001
89.	इज्जत नगर, मॉडल कॉलोनी, जिला बरेली-243122
90.	एस०जी०पी०जी० आई, रायबरेली रोड, उत्तरलिया, लखनऊ-226001
91.	आई०टी०आई० मनकापुर, ई०एस०एस० प्रोजेक्ट, मनकापुर जिला गोंडा-271302
92.	आई०टी० आई० राय बलबरेली-229010
93.	औरैया गैस पॉवर प्रोजेक्ट, दिबियापुर, जिला-एटा-206244
94.	आई०टी०बी०पी०, कैम्पस, सीमाद्वार, देहरादून
95.	ओ०ई०ई० नं० 11, कानपुर, पिन-208001
96.	एस०एस०बी०, ग्रुप सेंटर, डाकघर श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल
97.	आई०टी०आई० नैनी लिमिटेड, डाकघर, टी०एस०एस० नैनी, जिला इलाहाबाद
98.	ई०बी०एस०, डाकघर बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद
99.	लखनऊ कैंट, डाकघर दिलकसा-226002
100	डाकघर जोशीमठ, जिला चमोली
101.	बाद, जिला मथुरा

क्रम सं०	नाम और पता
102.	हल्दवानी कैंट, जिला नैनीताल
103.	मसूरी
104.	ओल्ड कैंट, इलाहाबाद
105.	एन०सी०टी०पी०पी० (एन०टी०पी०सी०) दादरी, जिला गाजियाबाद,
106.	एन०एच०पी०सी०, टनकपुर, बनबासा ।

केरल स्थित कथकुट्टम के सैनिक स्कूल में संकाय और सैन्य-छात्रों की संख्या

[अनुवाद]

4856. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित कथकुट्टम सैनिक स्कूल में संकायों और सैन्य-छात्रों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या स्कूल की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां और अधिक सैन्य छात्र भरती किए जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केरल स्थित कथकुट्टम के सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमश: 609 और 34 है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र

6857. **श्रीमती जयवन्तो नवीनचन्द्र मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पटियाला के राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान की तरह के और अधिक खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा किन-किन राज्यों में ऐसे खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले तथा खेल विभाग में उप मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

6858. श्री गुलाबचंद कटारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय खोलने सम्बन्धी मांग प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या ये विद्यालय सरकार द्वारा केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक तहसील मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) ये विद्यालय स्थानान्तरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए हैं, जहां ये विद्यालय सार्वजनिक उपक्रमों/परियोजनाओं के कर्मचारियों के लाभार्थ खोले गए हैं वहां साथ ही साथ इन कर्मचारियों के बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय योजना को कार्यान्वित करने का मुख्य कारण उपयुक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति करना है क्योंकि इन कर्मचारियों की एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में अक्सर तथा आकस्मिक स्थानांतरण से इनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

	राज्य	केन्द्रों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	(1) गूटी
2.	अरूणाचल प्रदेश	(2) एलांग (2) जैरामपुर (3) रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
3.	बिहार	(1) बर्कंकाना (2) ए० एफ० एस० बिहेता (3) झांझा (4) हार्नबगाम (5) शाहपुर पेत्रोई
4.	गुजरात	(1) ओ० एन० जी० सी० साबरमती (2) कावास गैस पावर परियोजना, सूरत, ए० एफ० एस० समन

	राज्य	केन्द्रों के नाम
5.	हरियाणा	(1) खरक कलान
6.	हिमाचल प्रदेश	(1) नलेटी (2) आई० टी० बी० पी०, सेढ़न (3) एन० एच० पी० सी० कैमरा (4) मोहल (5) इन्दौरा (6) रामपुर (7) सापरी (8) बाल्डैन (8) उना (10) शिलारू
7.	जम्मू और कश्मीर	(1) आई० एफ० एस० उधमपुर
8.	कर्नाटक	(1) मंगलोर (2) विनोबा नगर
9.	केरल	(1) त्रिचूर (2) कोट्टायम
10.	मध्य प्रदेश	(1) बीना (2) रतलाम (3) शाहडोल (4) रामपुर (5) एन० एफ० एल० विजयपुर (6) जी० ए० आई० एल० विजयपुर (7) एस० ई० सी० एल०, बिसरामपुर (8) बालघाट (9) देवास (10) दमोह (11) धर (12) सागर (13) सिधि (14) बरवाहा
11.	महाराष्ट्र	(1) भकनी (2) देहू रोड (3) आर्डिनेन्स फैक्ट्री इस्टेट, देहू रोड (4) एन० ए० डी० कारजा
12.	मणिपुर	(1) संसाई
13.	मेघालय	(1) कीर्दिमि
14.	नागालैंड	(1) मोका कक्चुंग (2) वासपानी (3) जुन्हीवेता (4) सेवक परियोजना, दिमापुर (5) दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
15.	उड़ीसा	(1) सुन्दरगढ़ (2) कटक (3) क्योंझर (4) गुजारी (5) राउरकेला (6) अंगुल टाउन (7) भवानी पटनम (8) मंचेस्वर (9) बोलाईपाल
16.	पंजाब	(1) जलालाबाद पश्चिम (2) जालंधर कैंन्ट
17.	राजस्थान	(1) ब्यावर (2) फुलेरा (3) पोखरन (4) चित्तोड़गढ़ (5) डुन्गरपुर (6) धोलपुर (7) बुन्दी (8) सिकर (9) कोटा (10) दौसा (11) सिरोही (12) टोंक
18.	तमिलनाडु	(1) अन्ना नगर (2) ए० एफ० एस० आवड़ि (3) नेवल एयर स्टेशन, अर्कोनम

राज्य		केन्द्रों के नाम
19.	त्रिपुरा	(1) गोकुल नगर (2) सालबगान
20.	उत्तर प्रदेश	(1) बावरी (2) सराय छबिला आट (3) नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (4) ओप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री, देहरादून, (5) चोपन (6) गोंड
21.	पश्चिमी बंगाल	(1) वर्दवान
22.	दिल्ली	(1) दिल्ली विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए धन-राशि नियत करना

[अनुवाद]

6859. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई धन-राशि नियत की गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नियत की गई धन-राशि की तुलना में यह राशि कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर प्रदेश के 7 राज्यों तथा पूर्वोत्तर परिषद् की राज्य योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय (असम के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए तथा असम, मणिपुर और त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए, तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को छोड़कर)

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	पूर्वोत्तर परिषद्	165	185	215	202
2.	असम	575	610	635	675
3.	अरुणाचल प्रदेश	110	126	150	183
4.	मणिपुर	105	122.5	142	170
5.	मिजोरम	74	85	102	125
6.	मेघालय	110	130	150	175
7.	नागालैंड	94	110	132	145
8.	त्रिपुरा	122	144	167	200
	कुल जोड़ :	1351	1512.5	1693	1875

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की शर्तें

6860. श्री नाथू सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु प्रायोजक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रस्तावों को स्वीकार करने से पूर्व केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समझौते के लिए निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा समझौते के पालन को सुनिश्चित करने सम्बन्धी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) उच्च अध्ययन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं के स्थानों में केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने की शर्तों के बारे में एक विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा, परिवहन, मनोरंजन सुविधाएं आदि केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ को प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से प्रदान की जाएगी जिस प्रकार से उनकी परियोजना स्टाफ को दी जाती है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र/उच्च शिक्षा के संस्थानों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शर्तें

नोट : सार्वजनिक क्षेत्र/उच्च शिक्षा के संस्थानों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा शर्तों को स्वीकार करना। प्रायोजक प्राधिकारी से अपेक्षा है कि चार प्रतियों में शर्तों की स्वीकृति और पुष्टि प्रस्तुत करें।

1. सामान्य

(क) संगठन किसी विद्यमान विद्यालय को अपने अधिकार में नहीं लेता।

(ख) संगठन समान पाठ्यक्रम और शिक्षा-पद्धति वाले अपने स्वयं के नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है।

(ग) संगठन बाल विहार (किंडर गार्डन) अथवा पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का संचालन नहीं करता।

(घ) संगठन किसी भी परिस्थिति में वर्तमान विद्यालय के कर्मचारियों में से किसी एक को भी संगठन में नियुक्त/समविष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा लेकिन, वर्तमान कर्मचारी संगठन द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र है और बाह्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

11. वित्तीय दायित्व

किसी नए केन्द्रीय विद्यालय को भारत सरकार के उपक्रम अथवा उच्च शिक्षा संस्थान के परिसर में खोला जा सकता है बशर्ते कि वह आवास, भूमि, भावी विकास हेतु सुविधाओं तथा प्रस्तावित विद्यालय पर होने वाले अनुपातिक ऊपरी खर्चों सहित आवर्ती

तथा अनावर्ती खर्चों को वहन करने के लिए सहमत हो जाता है।

;II. प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि एवं भवन :

प्रायोजक प्राधिकारी को लगभग 15 एकड़ आकार का एक उपयुक्त भूमिखण्ड निःशुल्क प्रदान करना होगा जिस पर प्रायोजक प्राधिकारी को अपने ही कोष में से संगठन के मानकों के अनुसार विद्यालय भवन/कर्मचारियों के लिए मकान/छात्रावास/क्रीड़ा स्थल विकसित एवं निर्मित करने होंगे। वर्तमान भवन के मामले में यह अनिवार्य है कि इसमें कम से कम 0 कमरे ऐसे आकार के होने चाहिए जिनमें 40 विद्यार्थी प्राप्त प्रति सैक्शन के अनुसार बैठ सकें। यह आवास आगामी 3-4 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय के भावी विस्तार सहित दो-दो सैक्शनों की पांचवी तक की कक्षाओं के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इसमें प्राचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय तथा संगीत, एन० सी० सी० स्काउटिंग तथा गाईडिंग, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य जैसी अन्य विविध गतिविधियों के लिए आवास भी शामिल होंगे। आवास के एक रेखा मानचित्र को संलग्न करें जिसमें उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रस्तावित कमरों के आकार का उल्लेख किया गया हो। एक बार उपलब्ध करवाया गया अस्थायी आवास किसी भी परिस्थिति में तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक इस सम्बन्ध में प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया वैकल्पिक आवास संगठन की संतुष्टि के अनुसार न हो या जब तक संगठन अपने स्वयं का भवन निर्माण नहीं कर लेता।

4. रिहायशी मकान

प्रायोजक प्राधिकारी को शत प्रतिशत रिहायशी मकान प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करवाने होंगे जो समनुरूप पद वाले उनके अपने कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

5. प्रवेश: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश प्राथमिकताएं

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेशों के नियन्त्रण का एक मात्र मूल आधार माता-पिता के स्थानांतरणीयता की जांच अर्थात् किसी माता-पिता के पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान कुल कितने स्थानांतरण हुए हैं। पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों के स्थानांतरणों की संख्या अधिक है उन कर्मचारियों के बच्चों को उन कर्मचारियों के बच्चों से वरीयता मिलेगी जिनके इस अवधि के दौरान स्थानांतरणों की संख्या कम है।

II. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय

(क) संबन्धित उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चे बशर्ते कि यह उपक्रम आवर्ती तथा अनावर्ती, भूमि, भवन तथा उपकरणों इत्यादि पर होने वाले सभी प्रकार के खर्चों को वहन करने के लिए सहमत हो जाता है।

(ख) वर्दीधारी रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(घ) अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों के बच्चे ।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते जिनमें असैनिक लोगों के बच्चे भी शामिल हैं ।

III. उच्च शिक्षा संस्थानों में केन्द्रीय विद्यालय

(क) उन संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे जो भूमि, भवन, उपस्कर आवर्ती और अनावर्ती तथा भावी विकास से सम्बन्धित सभी खर्चों को वहन करते हैं ।

(ख) वर्दीधारी रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मकारियों के बच्चे ।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(घ) अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों के बच्चे ।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चों जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते जिनमें असैनिक लोगों के बच्चे भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा के संस्थानों में स्थापित केन्द्रीय विद्यालय के मामलों में जिनके प्रायोजक-प्राधिकारी सभी प्रकार के खर्चों को वहन करते हैं, उनके कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में सर्वोपरि प्राथमिकता मिलेगी । तत्पश्चात उपरोक्त सामान्य श्रेणियां अपनी प्राथमिकता प्राप्त करेंगी । प्रायोजक उपक्रम या उच्च शिक्षा के संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों की मांग को पूरा करने के बाद ही संगठन अन्य प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश देगा । अन्य केन्द्रीय विद्यालयों से स्थानांतरण पर आने वाले बच्चों को स्वतः ही प्रवेश दे दिया जाएगा । भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपरोक्त प्रवेश-नीति का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जाएगा । अतः प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश स्वतः नहीं होंगे । विद्यार्थियों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी । तदनुसार उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जिसके लिए वे सही और उपयुक्त पात्र पाए जाएंगे ।

6. कर्मचारी वर्ग

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समस्त कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति उनके लिए समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतनमानों और शर्तों के आधार पर की जाएगी ।

7. विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन संगठन द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया जाएगा ।

8. सम्बन्धन

विद्यालय अपने आपको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से उचित समय पर सम्बद्ध कराएगा।

9. केन्द्रीय विद्यालय को चलाने हेतु बनी शर्तों का प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन करने पर संगठन को केन्द्रीय विद्यालय, को बन्द करने और सम्पदा और देयताओं के निपटान की जांच करने का अधिकार होगा।

10. आगे भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रकाश में/शासी मंडल द्वारा किए निर्णयों के अनुरूप उपरोक्त शर्तें संशोधनीय है।

केरल विश्वविद्यालय और कालेजों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग की सहायता

6864. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में विश्वविद्यालयों और कालेजों को संकाय, शोध और खेलकूदों के विकास के लिए कितनी सहायता दी गई; और

(ख) केरल में कालजों और विश्वविद्यालयों को वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि की सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भवनों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, उपस्कर और शिक्षकों की नियुक्ति जैसी संस्थागत बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान प्रदान करता है। शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार की कोटि को समृद्ध करने के लिए अनेक कार्यक्रमों के वास्ते विशेष योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। संकाय का विकास और अनुसंधान की प्रोन्नति अधिकांश योजनाओं का अभिन्न भाग है। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सामान्य विकास के लिए और विशेष योजनाओं के लिए 7वीं योजनाओं के दौरान केरल विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	विश्वविद्यालय	सामान्य विकास अनुदान	विशेष योजनाओं के अंतर्गत अनुदान	शेष
1	2	3	4 (1989-89 तक)	5
1.	कालीकट विश्वविद्यालय	108.83	46.57	—
2.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	123.85	136.13	—
3.	केरल विश्वविद्यालय	137.81	124.28	—
4.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	57.50	—	—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भवनों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, उपस्कर और संकाय सुधार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 7वीं योजना के दौरान केरल के कालेजों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए लाखों में)

अनुदान प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त कालेजों की संख्या	भवन, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं और उपस्कर	संकाय सुधार	खेल
142	444.88	55.34	1.75

(ख) वि० अ० आ० द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए अनुदानों का आवंटन सम्पूर्ण योजनावधि के लिए किया जाता है। वि० अ० आ० ने 8वीं योजना के दौरान सहायता के लिये विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 8वीं योजना के दौरान सहायता का स्तर वही रहेगा जैसा 7वीं योजना अवधि के दौरान था।

इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद विज्ञान संस्थान

[हिन्दी]

6862. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चलाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान को अब तक कुल कितना अनुदान दिया गया है,

(ग) क्या इस संस्थान का न तो अपना भवन ही है और न ही खेल का मैदान; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) यह संस्थान दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

(ख) प्रारंभ (1987) से अब तक कालेज को दिया गया कुल अनुदान 89,79,050 रुपए है।

(ग) और (घ) इस समय यह संस्थान लुडलो केसल, खेल परिसर, श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली में स्थित है। संस्थान को स्थायी रूप से विवेक विहार स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली प्रशासन के पास प्रस्ताव है, जहां पर अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

6863. **श्री राम सागर (संबलपुर)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि० ने ई० सी० टी० वी० के खराब होने से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तियों को ठेका दे रखा है,

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वे संतोषजनक सेवा प्रदान करें और टी० वी० में असली नए पुर्जों के स्थान पर पुराने पुर्जे न लगा जाएं,

(ग) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि० टी० वी० का उस समय तक के लिए सेवा का ठेका नहीं लेता जब तक कि इसके सभी पुर्जे अच्छी स्थिति में होते हैं,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ङ) आकस्मिक सेवा तथा वार्षिक सेवा करार की दरों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि० के सेवा विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ई० सी० टेलीविजन सैटों की मरम्मत के लिए अपने सर्विस तकनीशियनों का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त, अर्हत-प्राप्त कार्मिकों को ठेके भी देता है।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जिन व्यक्तियों को ठेकों के लाइसैंस देता है, उन्हें प्रशिक्षित भी करता है। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के कार्मिक इन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी सेवा संतोषजनक है। ठेके की शर्तों में यह निर्धारित होता है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जो पुर्जे बदले जाएंगे उन्हें वे केवल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से ही लेंगे।

(ग) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड गारन्टी समाप्त होने के तुरन्त बाद सेवा का ठेका लेने अथवा मौजूदा सेवा के ठेके को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई पूर्व-शर्त निर्धारित नहीं करता। तथापि, एक अंतराल के बाद जब इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के साथ सेवा का ठेका किया जाता है, तब वह सुनिश्चित करता है कि टेलीविजन सैट चालू हालत में है।

(घ) ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सेवा के ठेके का कोई गलत इस्तेमाल न हो।

(ङ) सेवा-ठेके की दरों में वृद्धि होने का कारण मजदूरी की दरों में वृद्धि होना और सामग्री की लागत बढ़ना है।

(च) (i) शाखा कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ii) निगम कार्यालय सेवा की गुणवत्ता की जांच करने और उसमें सुधार लाने की दृष्टि से शाखा प्रबंधकों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाता है कि शाखा कार्यालयों में मानक अतिरिक्त कल पुर्जों का पर्याप्त भंडार हो।

(iv) सभी अनुज्ञप्तिधारियों और ई० सी० टेलीविजन के तकनीशियनों को नियमित अन्तरालों पर प्रशिक्षण इस बात को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि उन्हें नवीनतम मॉडलों के बारे में जानकारी रहे। इन अनुज्ञप्तिधारियों और तकनीशियनों के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक यथोचित कदम उठाए जाते है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

6864. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं,

(ख) इस बोर्ड द्वारा हाल ही में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया और इसका वार्षिक बजट क्या है,

(ग) इस बोर्ड द्वारा अभी तक यदि कोई उल्लेखनीय कार्य किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इसकी प्रभाविकता बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वनीकरण और वृक्षारोपण के वृहत कार्यक्रम के माध्यम से देश की परती भूमि को उत्पादन योग्य बनाने के प्रमुख उद्देश्य से वर्ष 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी।

(ख) इस समय बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 146 है। वर्ष 1990-91 के लिए बोर्ड का बजट 45 करोड़ रुपये का है।

(ग) बोर्ड द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं :

(i) पहली बार देश की परती भूमि को परिभाषित और वर्गीकृत किया गया। 19 राज्यों के 146 जिलों के लिए परती भूमि मानचित्र तैयार किए गए।

(ii) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन वनीकरण और वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

(iii) देश के विभिन्न भागों की अनेकों स्वैच्छिक एजेंसियों को क्षेत्र प्रायोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(iv) सहकारिताओं जिनमें दुग्ध सहकारिताएं और वृक्ष उत्पादक एवं फार्म वानिकी सहकारिताएं भी शामिल हैं, को सार्वजनिक भूमि पर पोदशालाएं लगाने और फार्म वानिकी तथा सिल्वी चरागाह कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(v) अधिकांश राज्यों में विकेन्द्रित पौदशाला परियोजना शुरू की गई है ।

(vi) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यकलापों के लिए धनराशि रखी गई है ।

(ख) और (ङ) बोर्ड की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से, अभी हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि परती भूमि विकास कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और उनका पर्यवेक्षण बोर्ड करेगा और इस प्रयोजन के लिए, कार्यक्रम की आयोजना तथा उसके कार्यान्वयन में जन सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा अन्तर विषय समन्वय स्थापित करने के लिए मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा। नई कार्यनीति, जल संग्रहण प्रणाली के आधार पर एकीकृत भूमि उपयोग आयोजना, ग्राम-स्तरीय कार्य योजना, संरक्षण और प्राकृतिक पुनरुत्पादन, ईंधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन और प्रौद्योगिकी विस्तार पर बल देती है ।

बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र बढ़ाना

6865. श्री ए० जयमोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक मुकदमों को शामिल करने हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र बढ़ाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) हालांकि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के खण्ड 14 (2) के अन्तर्गत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली तथा इसके द्वारा नियंत्रित सभी निगमों/सोसाइटियों तथा स्थानीय तथा अन्य प्राधिकरणों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कार्यक्षेत्र में लाए जाने का उपबन्ध विद्यमान है, फिर भी बैंकिंग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित ऐसे सभी निगमों/सोसाइटियों को कवर करने के लिए कोई ऐसी सामान्य अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के अतिरिक्त कार्य को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है ।

नागालैंड में इलेक्ट्रानिक उद्योग

6866. श्री शिकिहो सेमा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की पर्यावरणीय परिस्थितियां इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए अत्यन्त उपयुक्त है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का राज्य से विभिन्न इलेक्ट्रानिक इकाइयों स्थापित करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० ओ० के० मेनन): (क) धूलि-रहित एवं अपेक्षाकृत कम नमी वाली जलवायु इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किन्तु, कई और अधिक महत्वपूर्ण पहलू भी हैं जैसे कि प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता, परिवहन की सुविधाएं, बाजार अथवा कोई प्रमुख शहरी क्षेत्र का आस पास होना आदि जो उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में ऐसा कोई विचार नहीं है। नागालैण्ड राज्य में इलेक्ट्रानिकी इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग में कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

बिहार में थारू जनजातियों के विकास की योजनाएं

6867. **श्री धनेश प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम चम्पारन, बिहार की उन थारू जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है जो वाल्मीकि टाइगर परियोजना की स्थापना के कारण प्रभावित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वाल्मिकी बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में कोई गांव नहीं है। इस बाघ रिजर्व के बफर क्षेत्र में बसे गांवों में मुख्य रूप से थारू जनजाति के लोग रहते हैं। राज्य सरकार से प्राप्त इस बाघ रिजर्व के लिए प्रबन्ध योजना में इन जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित उपायों का उल्लेख है :—

1. ग्रामीणों को अपने कृषि खेतों की मेढ़ों पर सागौन, सिस्सु जैसी पौध उगाने के लिए प्रेरित किया जाए।
2. अल्पकालिक लाभ के लिए फलदार वृक्ष भी लगाए जाएं।

3. उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी विकास कार्य किए जाएं। इसमें सुअर पालन और मुर्गी पालन भी शामिल होना चाहिए।

4. इन कार्यक्रमों को ब्लाकों और पंचायतों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास स्कीमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

5. स्थानीय गांवों के बेरोजगार स्थानीय युवकों का पार्क के लिए मार्गदर्शक के रूप में चयन किया जा सकता है।

6. गांवों में सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र स्थापित करके खादी ग्रामोद्योग की सहायता से अपारम्परिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।

7. बाघ परियोजना को चरागाह विकास जैसी स्कीमों, साल के पत्तों के दोने बनाना, मधुमक्खियों को पालने के लिए डिब्बे बनाना जैसे वनों पर आधारित कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

8. यदि जंगली जानवरों द्वारा फसल को क्षति पहुंचाई जाती है तो फसल का मुआवजा देने के लिए बीमा कम्पनियों को सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

9. जंगली जानवरों द्वारा मारे गए लोगों और मवेशियों के लिए मुआवजा यथाशीघ्र दे दिया जाए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए मामले

6868. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (इसके एककों सहित) और इसके कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मामले दायर किए गए,

(ख) न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने मामलों में निर्णय लिए गए तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किए गए,

(ग) कार्यान्वयन हेतु कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मुकदमों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (इसके एककों सहित) की कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1987 से 1.4.1990 तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) और इसके कर्मचारियों के बीच केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए मामलों की कुल संख्या 196 है (इसमें डेली वेजेस/कन्ट्रेक्ट वर्कर्स/वर्क चार्जड पर्सन्स/पूल ऑफीसर्स/अप्रेन्टिसों द्वारा दायर किए मामले भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) उपयुक्त में से 56 मामलों में निर्णय लिए जा चुके हैं। 7 के अतिरिक्त सभी मामलों में निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है।

(घ) इन तीन वर्षों (31.3.1989 तक) में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय) जिसमें उच्च न्यायालय तथा लेबर कोर्ट व आर्बिट्रेशन्स सहित अन्य कोर्ट भी शामिल हैं) में इन मामलों को लड़ने में सी० एस० आई० आर० द्वारा खर्च की गई एडवोकेट फीस, कोर्ट फीस तथा खर्चों सहित कुल धनराशि 18.452 लाख रुपए है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र

6869. श्री प्रतापराव बी० भोसले
श्री यशवन्तराव पाटिल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजना हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है, और इन केन्द्रों की वहां स्थापना करने के मानदण्ड क्या है,

(ग) 31 मार्च, 1990 तक ऐसे कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गई हैं,

(घ) इन केन्द्रों से क्या लाभ होने की आशा है,

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर (कर्नाटक), शिलांग (मेघालय), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा खेड़ा (गुजरात) में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। ये केन्द्र प्रादेशिक आधार पर प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना केन्द्र ने पहले से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। बंगलौर, शिलांग, लखनऊ तथा खेड़ा में केन्द्रों की स्थापना का कार्य 1989-90 के दौरान शुरू हो गया था।

(घ) इन केन्द्रों में ग्राम ब्लॉक तथा राज्य स्तरों पर जनशक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को शुरू तथा आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमताओं को विकसित करेंगे ताकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र-आधारित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं तथा परियोजनाओं को तैयार किया जा सके और उनको क्रियान्वित किया जा सके।

(ङ) और (च) इन उपर्युक्त केन्द्रों की स्थापना का कार्य 7वीं योजना के दौरान, शुरू किया गया था। आठवीं योजना के लिए नये केन्द्रों की स्थापना के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाएगा जब आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

पेरिस और मास्को में आयोजित उत्सवों में भाग लेने वाले कलाकारों और दस्तकारों पर खर्च की गई धनराशि

6870. श्री बाबू भाई मेघजी शाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पेरिस और मास्को में आयोजित उत्सवों में भारत के कलाकारों और दस्तकारों ने भाग लिया था,

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले कलाकारों और दस्तकारों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है,

(ग) सरकार द्वारा इन कलाकारों और दस्तकारों के आने-जाने, आवास, भोजन और उन्हें दिये गये पारि-श्रमिक पर व्यय की गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कुल कितना व्यय वहन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत संघ में आयोजित भारत महोत्सव में 1908 भारतीय कलाकारों और कुछ दस्तकारों ने भाग लिया । 1588 कलाकारों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है । भारत के कई राज्यों में बुलाये गये शेष कलाकारों ने महोत्सव के समापन कार्यक्रमों में भाग लिया ।

फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव में एक दस्तकार सहित 521 कलाकारों ने भाग लिया । भाग लेने वाले दलों की सूची विवरण-2 में दी गई है । इन कलाकारों को भी भारत के अनेक राज्यों से बुलाया गया था ।

(ग) स्वागतकर्ता देशों के साथ हुए एक करार के अन्तर्गत, विदेश में आवास और भोजन पर होने वाले व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी मेजबान देश की थी । तथापि, भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित 1588 कलाकारों की यात्रा तथा उनको दिए गए पारिश्रमिक पर 2,96,93,959 रुपये की राशि खर्च हुई थी ।

(घ) फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव का कुल खर्च 3·89 करोड़ रुपये था । सोवियत संघ में आयोजित भारत महोत्सव का कुल खर्च 14.48 करोड़ रुपये था ।

विवरण-1

सोवियत संघ में भारत महोत्सव

कलाकारों का राज्य-वार वितरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कलाकारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	53
अरुणाचल प्रदेश	17
बिहार	34

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कलाकारों की संख्या
गोआ	18
गुजरात	174
हरियाणा	16
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू एवं कश्मीर	25
कर्नाटक	43
केरल	85
मध्य प्रदेश	102
महाराष्ट्र	79
मणिपुर	91
नागालैंड	16
उड़ीसा	83
पंजाब	40
राजस्थान	82
सिक्किम	10
तमिलनाडु	209
त्रिपुरा	12
उत्तर प्रदेश	36
पश्चिम बंगाल	127
दिल्ली	220
कुल :	1588

विवरण-2

ख. फ्रांस-2

1. (क) शास्त्रीय संगीत

1. शास्त्रीय ढोलकिए (श्री कुमार बोस के नेतृत्व में)
2. मणिपुरी नृत्य दल (श्री प्रकाश सिंह खुमानथेम के नेतृत्व में)
3. सुभाष चन्द्रम

4. फहीमुद्दीन डागर
5. कुमार गंधर्व
6. एन० रामानी
7. बी० एम० बालमुरली कृष्ण
8. जयन्ती गोपाल (मृदंगम)
9. भीमसेन जोशी
10. ई० गायत्री (वीणा)
11. विजय राघव राव (बांसुरी)
12. यू० श्रीनिवास (मन्डोलिन)
13. डी० के० पत्तामाल
14. डी० के० जयरामन
15. एन० राजम (वायलिन)
16. साबिर खां
17. एन० रविकिरण (गोट्टुवाद्यम)
18. बुद्धादित्य मुखर्जी (सितार)
19. एन० ए० डागर एवं जेड० ए० डागर
20. श्री शिव कुमार शर्मा (सन्तूर)
21. के० जे० येसुदास
22. टी० जयशंकर (नादस्वरम)
23. परवीन सुल्ताना
24. के० राव (गोट्टुवाद्यम)
25. बिस्मिल्लाह खां (शहनाई)

(ख) शास्त्रीय नृत्य

1. सुश्री क्षेमवती (मोहिनीअट्टम)
2. कुम कुम मोहन्ती एवं दल (ओडिसी)
3. वेदान्तम सत्यनारायण शर्मा (कुचीपुडी)
4. प्रियदर्शिनी गोपालन (भारत नाट्यम)
5. दर्शन झावेरी का मणिपुरी दल
6. पं० बिरजू महाराज का कत्थक दल

2. लोक

1. मेर रास दल (श्री मनसुख जोशी के नेतृत्व में)

2. डांग आदिवासी दल (श्री लोखांडे जयराम भाई रतनभाई के नेतृत्व में)
3. नोबत वादक (सुलेमान जुमा जमानी के नेतृत्व में)
4. लोक गायक :
श्री बाबू भाई रामपुरा और श्री डीसारभाई गढवी
5. सांगास (श्री काहा राम के नेतृत्व में)
6. तेरा ताली दल (सुश्री भूरी भाई के नेतृत्व में)
7. तीजनबाई के साथ पांडवाणी दल (श्री बंसी कौल के नेतृत्व में)
8. पधी नर्तक (श्री आप्रहीज के नेतृत्व में)
9. थैयृयमदल (श्री ए० कुन्हीरामन् नाम्बीयार के नेतृत्व में)
10. पयृयमबक्का एवं पंचवाद्यम दल (श्री मराठ बालकृष्णन के नेतृत्व में)
11. कालारीपयात्तु दल (श्री सी० वी० गोविन्दन कुट्टी नायर के नेतृत्व में)
12. येयूर कुथु दल (श्री दुरईसामी कनप्पा थाम्बीरन के नेतृत्व में)
13. कव्वाली दल (श्री जफर हुसैन के नेतृत्व में)
14. लोक ढोलकिए (श्री जगन नाथ के नेतृत्व में)
15. पश्चिम बंगाल कठपुतली (श्रीमती उमा गोस्वामी के नेतृत्व में)
16. बाउल गायक (श्री श्याम सुन्दर दास बाउल के नेतृत्व में)
17. हिमाचल से किन्नौर नृत्य दल (श्री मिलन जोशी के नेतृत्व में)
18. गिद्धा नृत्य दल (सुश्री गीतिका काल्हा के नेतृत्व में)
19. लवणी दल (श्री कमलाकर एम० सोन्टक्के के नेतृत्व में)
20. केरल से कूडीयात्तम दल
21. नागालैण्ड नृत्य दल (कुमारी अहोनी चोप्पी के नेतृत्व में)
22. यक्षगण दल (श्रीमती लीला उपाध्याय के नेतृत्व में)
23. तोलु बोमलता (श्री रामा राव के नेतृत्व में)
24. कठपुतली दल (श्री खैराती राम भट के नेतृत्व में)
25. सेराईकेल्ला छाऊ दल (श्री केदार नाथ साहू के नेतृत्व में)
26. पुरूलिया छाऊ दल (श्री गम्भीर सिंह के नेतृत्व में)
27. मयूरभंज छाऊ दल (श्री सुधांशु मोहन राऊतराय के नेतृत्व में)
28. थाग टा दल (श्री एम० अचम सिंह के नेतृत्व में)
29. भावना दल (कुमारी कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में)
30. बाउल दल (चण्डी चरण दास बाउल के नेतृत्व में)

31. त्सस वीला दल (श्री गिरिधर लाल शर्मा के नेतृत्व में)

32. मांडो दल (सुश्री क्लेटा एच० लोबो के नेतृत्व में)

33. गोंधल दल (श्री अशोकजी गणेश पराजपे के नेतृत्व में)

34. लांगास एवं मंगनिवासं (श्री मनोहर लालास के नेतृत्व में)

पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शाखा

687 . श्री डी० बाल गौड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शाखा स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु राजा गार्डन चौराहे के समीप शिवाजी मार्ग पर एक भूखंड का कई वर्ष पहले निर्धारण किया गया था;

(ग) अब तक यह भवन न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या लाइब्रेरी के भवन के निर्माण हेतु धनराशि का आबंटन और उसकी मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) लाइब्रेरी के भवन का निर्माण कब तक पूरा होगा और लाइब्रेरी अपना कार्य प्रारम्भ करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 1976 में 1 47 एकड़ का एकड़ का एक भूखंड अधिग्रहित किया था ।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका ।

(घ) और (ङ) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को धनराशि इसके प्रस्तावों तथा योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के आधार पर वार्षिक एक मुश्त राशि के रूप में दी जाती है । दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को अपनी परियोजनाओं में पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारित करके निर्माण कार्य आरंभ करना होगा ।

बाल भवन सोसायटी के अध्यक्ष का रिक्त पद

[हिन्दी]

6872. श्री एम०एस० पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसाइटी का अध्यक्ष पद पिछले ढाई वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग)

बाल भवन सोसायटी भारत के अध्यक्ष का पद मार्च, 1988 से रिक्त पड़ा हुआ है। अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है।

महासागर विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग

6873. **श्री बसई चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महासागर विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है; यदि हां, तो उन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि आवंटित की गई थी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सका; और

(ख) महासागर विकास की विभिन्न योजनाओं पर चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महासागर विकास गतिविधियों के लिए आवंटित और इस्तेमाल की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है। महासागर गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसी योजनाएं नहीं हैं, जिनके लिए राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित की जाती हो। विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि को, भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा खर्च द्वारा किया जाता है।

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट		व्यय	
	आयोजना	आयोजना भिन्न	आयोजना	आयोजना भिन्न
1987-88	20.00	6.73	12.22	4.00
1988-89	22.00	7.40	17.96	6.86
1989-90	24.00	7.77	23.51	7.66

(ख) महासागर विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु चालू वर्ष अर्थात् 1990-91 के लिए आयोजन के अन्तर्गत 35 करोड़ रुपए तथा आयोजना भिन्न के अन्तर्गत 8.16 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है।

अग्नि शमन सामग्री निर्माता फर्म

[अनुवाद]

6874. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सेफ फायर सर्विस, बम्बई द्वारा अभी भी अग्निशमन सामग्री का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय उनसे यह सामग्री खरीद रहा है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) इन सामग्रियों का निर्माण करने वाली अन्य फर्मों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष

[हिन्दी]

6875. स० अतिन्दर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सरकारी कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर असंतोष व्याप्त है और जिनके लिए उन्होंने हड़ताल भी की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों पर क्या कारवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पंजाब के कुछ सरकारी कर्मचारियों में हाल ही में तब कुछ असंतोष देखा गया जब वे हड़ताल पर चले गए। उनकी कुछ मांगे, जिनके लिए उन्होंने आवाज उठाई है संशोधित वेतनमानों में अनियमितताओं को दूर करना, प्रगतिरोध को हटाना, समयबद्ध पदोन्नति और वेतनमान देना, अधिक वेतनवृद्धि देना, वेतन निर्धारण प्रसुविधा में वृद्धि करना, बोनस देना पति और पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता आदि देना। पंजाब सरकार की इस अपील पर कि ये सरकारी कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले ले और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें, कर्मचारियों ने 11 अप्रैल, 1990 से अपनी हड़ताल समाप्त कर दी।

कच्चे माल के रूप में बांस और अन्य वन-उत्पादों का उपयोग

[अनुवाद]

6876. श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ कागज के मिल कागज का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में बांस और अन्य वन-उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वन सम्पदा को बचाने और इन मिलों से कच्चे माल के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढने के लिए कहने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) नई वन नीति, 1988 के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जाने हैं :—

(1) वनों में कार्य करने की अनुमति केवल सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध योजना के आधार पर ही दी जानी चाहिए। इसके अलावा वनों में कोई काम नहीं किया जाएगा।

(2) वनों पर आधारित उद्योगों को ऋण, निरन्तर तकनीकी सलाह आदि सहित निवेशों

से नागरिकों की सहायता करके अधिमानतः फैक्टरी और कच्चा माल पैदा कर सकने वाले नागरिकों के बीच शीघ्र संबंध स्थापित करके अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना चाहिए।

(3) सरकार उत्पाद शुल्क में राहत जैसे प्रोत्साहन देकर कागज और लुगदी के उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट जैसे गैर-वन आधारित कच्चे माल के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा विज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन

6877. श्री पी० एस० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने एक नई योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत बच्चों के लिए विज्ञान की आकर्षक पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विशेष बातें क्या-क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इन पुस्तकों को निर्धन बच्चों की पहुंच के अन्तर्गत और कम मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने "लोकप्रिय विज्ञान श्रृंखला" नामक सप्लीमेंट्री रीडर की एक नई श्रृंखला के अंतर्गत लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया है। इन पुस्तकों का उद्देश्य भारतीय बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान की जानकारी कराना तथा इसके रहस्य को समाप्त करना है। "वाट मेक्स देम टिक" शीर्षक से पहली पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई थी।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अपने अनुमोदित मूल्य सूत्र "बिना लाभ हानि के" के अनुसार लोकप्रिय विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। राज्य स्तरीय एजेंसियों को क्षेत्रीय भाषाओं में सस्ते संस्करण प्रकाशित करने के लिए बिना शुल्क कॉपीराईट अनुमति दी जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

6878. श्री राम सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्यवार कुल संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आई०ए०एस० में आने वाले उम्मीदवारों की भर्ती में कोई कमी नहीं हुई है। फिर भी, 1985 की परीक्षा के आधार पर जो एक रिक्ति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी उसे रिक्त ही रखा गया है क्योंकि अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार जिसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी, के विरुद्ध परीक्षा में की गई अनियमितताओं के कारण आपराधिक कार्रवाई चल रही है। अतः उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले पर निर्णय हो जाने से पहले इस रिक्ति को नहीं भरा जा सकता।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	भा०प्र० सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या	निम्नलिखित से सम्बंधित भा०प्र० सेवा० के अधिकारियों की संख्या	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
1.	असम-मेघालय	205	10	33
2.	आन्ध्र प्रदेश	326	42	13
3.	बिहार	381	35	22
4.	गुजरात	245	25	10
5.	हिमाचल प्रदेश	124	11	13
6.	हरियाणा	201	35	2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	100	9	4
8.	केरल	169	23	6
9.	कर्नाटक	252	37	8
10.	महाराष्ट्र	345	42	11
11.	मध्य प्रदेश	393	44	19
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	136	5	29
13.	नागालैंड	51	—	21

1 2	3	4	5
14. उड़ीसा	205	19	7
15. पंजाब	193	29	1
16. राजस्थान	259	26	13
17 सिक्किम	44	4	14
18. तमिलनाडु	311	48	10
19. उत्तर प्रदेश	540	75	11
20. पश्चिम बंगाल	309	31	15
21. संघ राज्य क्षेत्र	202	22	18
योग :	4991	512	280

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक संघ द्वारा आन्दोलन

[अनुवाद]

6880. श्री के०एस० राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शिक्षक संघ परिसंघ अप्रैल, 1990 से आंदोलन शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त संघ का कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन मांगों सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) इस प्रकार के सूचना की हमें जानकारी नहीं है तथापि महासंघ ने परीक्षाओं से पूर्व संशोधित वेतनमानों की घोषणा न किए जाने के मामले में प्रमुख परीक्षाओं का बहिष्कार करने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह सम्बन्धी निर्णय लिया।

(ख) महासंघ से मांगे पहले प्राप्त हो गई थी।

(ग) मुख्य मांगे ये थी कि पहले से घोषित 5 संवर्गों के मुकाबले केवल 3 संवर्ग होने चाहिए और तकनीकी शिक्षा की अन्य संस्थाओं के वेतनमानों से उनके लिए भिन्न वेतनमान होने चाहिए।

(घ) मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से सरकार ने संवर्गों और इन अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन करने के लिए 19.4.90 को आदेश जारी किए।

केरल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

6881. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विश्वविद्यालय को विकास अनुदानों तथा विशेष योजनाओं के अंतर्गत दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान दिए गए थे;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता एवं स्तर के संवर्द्धन पर कोई निगरानी रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए जाने वाले अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सामान्य विकास और विशेष योजनाओं के लिए सातवीं योजना के दौरान केरल में विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	विश्वविद्यालय	सामान्य विकास अनुदान	विशेष योजनाओं के अंतर्गत अनुदान (1988-89 तक)
1.	कालीकट विश्वविद्यालय	108.83	46.67
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय	123.85	136.13
3.	केरल विश्वविद्यालय	137.81	124.28
4.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	57.60	—

(ख) सामान्य विकास अनुदान संस्थागत बुनियादी सुविधाओं, जैसे, भवन, पुस्तक और पत्रिकाएं, उपस्कर, अध्यापकों की नियुक्ति, को सुदृढ़ करने के लिए दिए जाते हैं। विशेष योजनाओं के अंतर्गत शिक्षण अनुसंधान और विस्तार की कोटि को समृद्ध करने के वास्ते अनेक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान, सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता के उपयोग और प्रभाव का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए वि०अ०आ० द्वारा विशेष रूप से नियुक्त मध्यावधि मूल्यांकन समितियों द्वारा किया गया था विशेष कार्यक्रमों की आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना के दौरान सहायता के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान सहायता का स्तर कम से कम वही रहेगा जो सातवीं योजना के दौरान था।

गिर वन के शेरों द्वारा मारे गए व्यक्ति

6882. श्री गोविन्द भाई कानजी भाई शेखड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के गिर क्षेत्र में शेरों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) मृतकों के परिवार के सदस्यों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) उक्त क्षेत्र के लोगों के जीवन की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में गुजरात के गिर वनों में शेरों द्वारा मारे गए व्यक्तियों और उनके परिवारों को दी गई क्षतिपूर्ति के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	दी गई क्षतिपूर्ति
1987-88	2	10,000 रुपए
1988-89	6	30,000 रुपए
1989-90	7	85,000 रुपए
कुल	15	1,25,000 रुपए

(ग) उक्त क्षेत्र के लोगों की जीवन रक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं।—

(1) स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने और उनको वन्यजीवों के स्वभाव तथा उनके व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के दोहरे उद्देश्य से उनके साथ निकट सम्बन्ध बनाए रखना।

(2) राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान के साथ कड़ी गश्त की व्यवस्था।

(3) सूचना प्राप्त होते ही पशुओं को ढूंढने जाना, उनका पता लगाना और वापस राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में भगाना।

(4) समस्या वाले क्षेत्रों में, जहां पशुओं को वनों में वापस भगाना कठिन है वहां उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जाती है जिसमें उन्हें पिंजरे में डालना, बेहोश करना तथा अन्यत्र ले जाना शामिल है।

(5) पर्याप्त जल सुविधाएं मुहैया करना, आवास स्थलों के सुधार के उपाय करना, चराई पर प्रभावकारी नियंत्रण के उपायों का कार्यान्वयन करना।

आयोजना में समेकित वृद्धि

6883. श्री कैलाश मेघवाल
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोजना में समेकित वृद्धि की मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का आयोजना के बारे में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर कार्य करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) से (ग) आठवीं योजना के नए दृष्टिकोण में जिसे विकसित किया जा रहा है, संघीय संरचना को सुदृढ़ करने, प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण, लोगों की सहभागिता, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अधिक बल, आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भूमिका पर अधिक अभिकेन्द्रण और रोजगार पर जोर दिया गया है। इस समय आठवीं योजना के लिए क्षेत्रकीय रूप रेखाएं लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें आठवीं योजना प्रलेख में समाविष्ट किया जाएगा। पूर्ववर्ती योजना कार्रवाइयों से आठवीं योजना में भिन्नता का महत्वपूर्ण बिन्दु नए दृष्टिकोण तथा कार्यनीति में निहित है, जिसमें मानवतावादी और एकीकृत आधार पर, विभिन्न आवश्यकताओं के बीच विभिन्न लोगों और प्रदेशों के बीच तथा लोगों और उनके नैसर्गिक पर्यावरण के बीच विकास प्रक्रिया सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। योजना आयोग का अर्थशास्त्रियों के दलों और सामाजिक वैज्ञानिकों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सहकारी समितियों, व्यवसाय और उद्योग और इसी प्रकार के अन्य दलों के साथ पारस्परिक कार्यवाई करने का विचार है, जिससे योजना और इसकी प्राथमिकताओं के बारे में उनके विचारों की जानकारी मिल सके और आयोजना की प्रक्रिया में व्यापक राष्ट्रीय भागीदारी को विकसित किया जा सके।

थोरियम के भण्डार

6884. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का भारत में ज्ञात थोरियम भण्डारों के बारे में क्या अनुमान है और यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है;

(ख) क्या इन भंडारों से इन क्षेत्रों की जनसंख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के पास देश के विभिन्न भागों में अनुमानित 4.49 मिलियन मीटरी टन मोनाजाइट के भंडार हैं। इन भण्डारों का पता केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पाए पुलिन प्लेसरों में तथा बिहार के रांची जिले और पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के अंतः स्थलीय प्लेसरों में तथा केरल के अपतटीय और सरोवर तली प्लेसरों में लगाया गया है। केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की प्लेसर बालू समुद्र

तट के पुलिन भागों में उपलब्ध है, जबकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में ये पुलिन के साथ-साथ टेरिस में (अतस्थलीय प्लेसरों) भी पाया जाता है।

(ख) इन भण्डारों से विकिरण की जितनी मात्रा निकलती है वह सहय सीमा और विकिरण की अनुमेय मात्रा के भीतर ही है अतः इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

त्रिपुरा की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना

6885. **श्री के०बी०के० देव बर्मन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा त्रिपुरा राज्य के लिए प्रस्तावित वार्षिक योजना का सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए त्रिपुरा के लिए स्वीकृत परिव्यय का सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तावित वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना के क्षेत्रवार ब्यौरे तथा राज्य की वार्षिक योजना के सहमत परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

त्रिपुरा के लिए प्रस्तावित तथा अनुमोदित परिव्यय—1990-91

(लाख रु० में)

मुख्यशीर्ष/विकास के लघु शीर्ष		1990-91	
		प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
1		2	3
1.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	4511	4113
2.	ग्रामीण विकास	1713	1558
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2421	1726
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2035	1620
5.	ऊर्जा	2606	1977
6.	उद्योग तथा खनिज	3015	1425
7.	परिवहन	2354	1556

	1	2	
8.	सचार (पुलिस)	50	25
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	108	87
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	369	153
11.	सामाजिक सेवाएं	9749	5635
12.	सामान्य सेवाएं	262	125
	कुल जोड :	29193	20000

आयुध फैक्टरियों द्वारा सामान की खरीद

6886. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरी बोर्ड, कलकत्ता तथा महानिदेशक, आयुध फैक्टरी ने विभिन्न प्रकार के सामान और कुछ विशेष मदों की स्थानीय बाजार से खरीद करने के बारे में फैक्टरियों के लिए कोई निदेश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ फैक्टरियो ने घटिया किस्म के और अनावश्यक सामान की खरीद की है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन की सप्लाई आयुध फैक्टरियों में नहीं हो पा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(च) ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे सामान, उपलब्ध होने की स्थिति में केवल सरकारी क्षेत्र से ही खरीदा जाए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। भण्डारों और स्थानीय रूप से खरीदी जाने वाली अन्य मदों को "क्रिया विधि नियम पुस्तिका" में निहित मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता रहता है और इस विषय पर संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार खरीदा जाता है।

(ख) उपर्युक्त में निम्नलिखित के बारे में प्रक्रिया निर्धारित है :

(1) सामान मुहैया करना।

(2) निविदा देना।

(3) निवेदित भाव का तुलनात्मक, तकनीकी/वाणिज्यिक मूल्यांकन करना।

(4) खरीद के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन।

(5) संविदा के उपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(6) बिल तैयार करने की प्रक्रिया।

(7) सामान शर्तों के अनुसार न मिलने पर, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की योजनाएं

6887. **श्री वसन्त साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की कुछ परियोजनाएं मंजूरी हेतु योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) से (ग) योजना आयोग में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थिति निम्नानुसार है :—

योजना आयोग में दो विद्युत परियोजनाएं अर्थात चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII 1 × 500 मेगावाट की स्थापना तथा घाटघर पम्प स्टोरेज स्कीम (2 × 125 मेगावाट) स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी है। जहां तक पहली परियोजना का सम्बन्ध है, परियोजना-प्राधिकारियों ने अभी तक पर्यावरण एव वन मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरण से सम्बन्धित अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। दूसरी परियोजना—घाटघर पम्प स्टोरेज स्कीम भी वन दृष्टि से स्वीकृति न मिल पाने के कारण लम्बित पड़ी है। लगभग 68 हेक्टेयर वन-क्षेत्र के बारे में स्वीकृति के मामले पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी भी कार्रवाई की जा रही है।

2. इस समय, रोहा से मंगलौर तक 840 कि० मी० लम्बी नई रेल लाइन (पश्चिमी तटीय रेल लाइन) बिछाने की रेलवे परियोजना योजना आयोग में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है। रेल लाइन महाराष्ट्र,गोवा तथा कर्नाटक राज्यों में बिछाई जाएगी तथा इस पर 570 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना के कारवाड से मडगाव और मंगलौर से उडुपी खंड के लिये योजना आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। योजना आयोग के आग्रह पर रेल विभाग ने हाल ही में अद्यतन लागत तथा लाभों का उल्लेख करते हुये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है।

3. महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना, जिसे विश्व बैंक सहायता के लिये प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है, ग्रामीण विकास विभाग से योजना आयोग में वित्त पोषण की दृष्टि से जांच/स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की जांच की जा रही है।

विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति

6888. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) क्या इस समय किसी देश के साथ छात्रों के आदान-प्रदान करने संबंधी आपसी समझौता है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका के छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना पर कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिमल भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्र-वृत्तियों के लिए छात्रों के आपसी आदान-प्रदान के लिए 53 देशों के साथ करार है। योजनाओं के नाम और उन देशों के नाम, जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हैं, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। 1988-89 से, एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत श्रीलंका के छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित कुछेक योजनाओं के अन्तर्गत श्रीलंका के छात्रों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) 1989-90 के दौरान, विदेशी राष्ट्रिकों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय लगभग 170.00 लाख रुपये है जिसमें श्रीलंका के छात्रों पर हुआ लगभग 4.00 लाख रुपये का व्यय शामिल है।

विवरण-I

I. उन योजनाओं के नाम जिनके अन्तर्गत विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं : –

1) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना
2) राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना
3) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां
4) पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना
5) राष्ट्रमंडल शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां शिल्प निर्देशकों का प्रशिक्षण
6) स्वर्गीय डा० अमिलकर केब्रल की याद में "अफ्रीका दिवस" के लिए अफ्रीकी नागरिकों को विशेष भारतीय छात्रवृत्ति
7) भारतीय मूल के एक दक्षिण अफ्रीकी छात्र को दादू नायकर छात्रवृत्ति
8) कोलम्बो योजना का टी० सी० एस० —छात्रवृत्तियां।
9) बंगला देश के राष्ट्रीकों के लिये छात्रवृत्ति योजना

10) श्रीलंका के राष्ट्रीकों के लिये छात्रवृत्ति योजना

11) अंगोला के राष्ट्रीकों के लिए छात्रवृत्ति योजना (केवल एक समय की योजना)

II. उन देशों के नाम जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हैं :—

अल्जीरिया, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, साइप्रस, ए० आर० ई० (मिश्र), बेल्जियम, बहरीन बुलगेरिया, साइप्रस, चेकोस्लोवाकिया, कोरिया गणराज्य (उत्तरी कोरिया), ईथोपिया, जर्मनी संघीय गणराज्य, फ्रांस, घाना, मिस्र, हंगरी, इटली, ईराक, ईरान, जोर्डन, जापान, केन्या, मालद्वीव, मंगोलिया, मलेशिया, मारिशस, मेक्सिको, नीदरलैण्ड, नाईजीरिया, नार्वे, यमन जनवादी गणराज्य (दक्षिण यमन), पोलैंड, फिलीपिन, खाडा, सेनेगल, सोमल, स्पेन, सीरिया, दक्षिण कोरिया, सूडान, श्रीलंका, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, ट्यूनीशिया, युगांडा, सोवियत संघ, वियतनाम, अरब जनवादी यमन (उत्तरी यमन) युगोस्लाविया, जिम्बाबवे, जायरे।

विवरण-2

श्रीलंका के राष्ट्रीकों के लिए छात्रवृत्ति योजना

"श्रीलंका के राष्ट्रीकों के लिए छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत प्रतिवर्ष श्रीलंका के राष्ट्रीकों को पचास छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। योजना 1988-89 में आरम्भ की गई थी तथा विदेश मंत्रालय योजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क) छात्रवृत्ति का मूल्य

I) अवरस्नातक अध्ययन के लिए 750/- रु० प्रति माह।

II) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 900/- रु० प्रति माह

ख) आकस्मिक भत्ता

I) अवर-स्नातक छात्रों के लिए अध्ययन के प्रथम वर्ष में 2000/; रु० तथा अनुवर्ती वर्षों में 1500/- रु०।

II) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अध्ययन के प्रथम वर्ष में 2500/- तथा अनुवर्ती वर्षों में 1500/- रु०।

ग) 1500/- रु० की सीमा तक शोध निबंध का शुल्क

घ) 1000-/ रु० की सीमा तक अध्ययन यात्रा का व्यय

ङ) विश्वविद्यालय/संस्थान के मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रमाणित मेडिकल व्यय।

च) उन छात्रों को 500/- रु० की सीमा तक गृह किराया भत्ता जिन्हें छात्रावास की सुविधा नहीं मिली।

छ) सभी अनिवार्य शुल्क (छात्रावास शुल्क व जमानती जमा राशि को छोड़कर)

ज) श्रीलंका से मद्रास तक हवाई यात्रा लागत तथा मद्रास से अध्ययन के स्थान तक जाने व वापसी के लिए प्रथम श्रेणी का रेल किराया।

भारत के उच्च आयोग, कोलम्बो से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र मंगाए गये हैं और केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिनके आवेदन पत्र श्रीलंका सरकार द्वारा अनुशंसित होकर भारतीय उच्च आयोग को भेजे जाते हैं।

राष्ट्रीय वन कोष

6889. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल में स्थापित राष्ट्रीय वन कोष की धनराशि किन-किन योजनाओं पर व्यय करने का प्रस्ताव है,

(ख) राष्ट्रीय वन कोष में धन किन-किन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है,

(ग) सरकार का इस कोष में प्रति-वर्ष कितनी धनराशि जुटाने का विचार है, और

(घ) सरकार का इस कोष से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किस प्रकार लाभ पहुंचाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वन कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वनीकरण के लिए कोष के सम्बन्ध में ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय प्राणी-उद्यान

6890. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी-उद्यान में बीमार पशुओं के उपचार की आधुनिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण अनेक पशुओं की मौत हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने तथा बीमार पशुओं के उपचार हेतु आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली में पशुओं के हताहत होने की दर देश के अन्य चिड़ियाघरों की तुलना में अधिक नहीं है। पशुओं को बेहतर दीर्घायु बनाने के लिए चिड़ियाघर में भोजन, जल, रहने की दशाओं और चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।

स्वीकृति हेतु गुजरात की विचाराधीन योजनाएं

6891. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गन्धार-गैस पर आधारित टरबाइन कम्बाइन्ड सायकल

विद्युत संयंत्र और पिपावव (सौराष्ट्र) की कम्बाइन्ड सायकल विद्युत संयंत्र सम्बन्धी योजनाएं वित्तीय स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इन योजना को स्वीकृति दे दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्मान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा सेवाओं में नए पदों के सृजन पर रोक

6892. **श्री मोरेश्वर साबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में नए पदों के सृजन पर लगाई गई रोक अब भी विद्यमान है,

(ख) क्या इस रोक के कारण बड़ी संख्या में प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या इस रोक के कारण बड़ी संख्या में रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों विशेष रूप से आई० एन० एस० शिवाजी, लोनावला पर भी प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने नए पदों के सृजन सम्बन्धी मामलों पर कार्रवाई करने के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, रक्षा सेवाओं में नये पदों के सृजन हेतु कुछ प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रशिक्षण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, भारतीय नौसेना पोत, शिवाजी, लोनावाला सहित रक्षा प्रशिक्षण स्थापनाओं में जनशक्ति की वर्तमान कमियों को अन्य स्थापनाओं से उपयुक्त स्टाफ लगाकर पूरा किया जा रहा है।

एच० डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे की जांच में हुई प्रगति

6893. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा**
श्री यादवेन्द्र दत्त
श्री प्रकाश कोको शास्त्रभट्ट } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे में कमीशन पाने वालों के नाम और कमीशन की राशि का पता लगाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) जांच के निष्कर्ष कब तक प्राप्त होंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 5-3-1990 को इस सम्बन्ध में एक "नियमित मामला" दर्ज किया है और जांच कार्य चल रहा है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

कर्नाटक को प्रौढ़ शिक्षा के लिए धनराशि

6294. श्री जी० एस० बासवराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 1985 से प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) कर्नाटक सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पर वर्ष-वार वस्तुत. कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) इस सम्बन्धी में प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत किये गए हैं।

विवरण

(क) और (ख)

राज्य का नाम : कर्नाटक (राशि लाखों में)

निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी किया गया अनुदान				
1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
203.12	217.63	274.55	406.38	301.91

खर्च की गई अनुदान राशि				
1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
181.38	254.25	248.42	323.49	*

*सूचना की प्रतीक्षा है।

भाग (ग)

निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले स्वैच्छिक एजेंसियों सहित 1985-86 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में दाखिल किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित है—

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य कर्नाटक	नामांकन कर्नाटक (पूर्ण आंकड़े)	साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	1985-86	3.84	399191	385582
2.	1986-87	3.84	430082	287606
3.	1987-88	3.84	315505	209446
4.	1988-89	3.25	299670	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	1989-90 (अनन्तिम)	5.45	324750	—वही—

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन

6895. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था के कर्यचारियों के एक वर्ग को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वांछित वेतनमान नहीं दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें संशोधित वेतनमान के लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना बेड़ा

6896. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना बेड़े का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए कोई समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) संभवित खतरे को ध्यान में रखते हुए नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार किया किया जा रहा है।

(ख) नौसेना के आधुनिकीकरण की योजनाओं में ये शामिल हैं—पुराने पोतों, पनडुब्बियों और विमानों के स्थान पर अधिक आधुनिक तथा अत्याधुनिक पोत, पनडुब्बी और विमान शामिल करना और नौसेना की सक्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी उपस्करों को शामिल करना।

हल्के लड़ाकू विमानों के लिए एफ०—404 इन्जन

6897. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्के लड़ाकू विमानों के लिए अमरीकी "एफ०—404" इन्जन खरीदने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो हल्के लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिये अन्य कौन से वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) अमरीकी इंजन खरीदने के पक्ष में कौन-कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी नहीं। लेकिन हल्के युद्धक विमानों के आरम्भिक आद्यरूपों के लिए सीमित संख्या में अमरीका एफ०-404 इंजन खरीदे गए हैं। उत्पादन के लिए तैयार हल्के युद्धक विमान को देश में निर्मित इंजन से चलाए जाने की योजना है।

(ख) हल्के युद्धक विमान के आद्यरूपों के परीक्षण चरण के लिए अपेक्षित अंतरिम शक्ति संयंत्र के रूप के ही जनरल इलैक्ट्रिक एफ०-404 और रोल्स रॉयस आर० बी०-199 की जांच की गई।

(ग) हल्के युद्धक विमान के लिए अन्तरिम इंजन के चयन हेतु गठित मूल्यांकन समिति ने जी० ई०-404 इंजनों की संचालकता, रखरखाव, विश्वसनीयता, उपलब्धता और उनके अत्याधुनिकता जैसे गुणों के आधार पर उनके उपयोग की सिफारिश की। इस प्रकार के विमान के लिए विश्व में उपलब्ध इंजनों में से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एफ०-404 ही केवल ऐसा प्रमाणिक इंजन है जिसका कार्य और भार का अनुपात सर्वोत्तम है और जिसका शक्ति संयंत्र बहुत ही शक्तिशाली है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

6898. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री दिलीप सिंह जू देव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितने तथा कहां-कहां केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान और केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में (20.4.90 की यथास्थिति के अनुसार) सत्तर केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों के स्थान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कम से कम 1000 स्थानांतरणीय कर्मचारियों का समूह रहता हो और आरम्भ में विभिन्न कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए इच्छुक कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामलों में 500 बच्चे) हो। केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, संगठनों अथवा पात्र श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित किए जाएं जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हों :—

(I) निःशुल्क अथवा नाममात्र की लागत पर 15 एकड़ भूखण्ड।

(II) केन्द्रीय विद्यालयों को तब तक चलाने के लिए स्थायी आवास जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने स्थान का निर्माण न कर ले।

(III) कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान का प्रावधान जहां स्कूल से उचित दूरी के अन्दर वैकल्पिक उचित स्थान उपलब्ध न हों।

इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय परियोजना क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाओं में उन स्थानों में खोले जाते हैं यदि वहां :—

(I) पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों।

(II) उपरोक्त के अनुसार अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हों, और

(III) उपक्रम/संस्था सभी आवर्ती और अनावर्ती खर्च वहन करने के लिए राजी हों।

विवरण

दिनांक 20.4.90 की यथा स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की सूची :

1. अम्लाडिपो, अम्लाजिल, बेतुल
2. सरणि जिला बेतुल
3. बेलादिला आयरन और प्रोजेक्ट, डिपोजिट न० 5 बाचेली, जिला बस्तर
4. बेलादिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, डिपोजिट न० 14, किरणदुल जिला बस्तर।
5. ओरनान्स फैक्टरी, इटारसी
6. गोरार कैन्ट, ग्वालियर
7. ग्वालियर न० 1, शक्ति नगर, ग्वालियर
8. ग्वालियर नं० 2, ए० एफ० एस० रेजीडेन्सी, ग्वालियर।

9. वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, डाकखाना बैकुंठपुर, जिला सरगुजा ।
10. वैस्टर्न कोल फील्डस लि०, चिरिमिरी क्षेत्र, जिला सरगुजा
11. बैरागढ़, भोपाल
12. सेन्ट्रल इण्डिया फ्लोर मिल्स, भोपाल ।
13. सुरक्षा कागज मिल्स, होशंगाबाद ।
14. रेजीडेन्सी बलब रोड, इन्दौर
15. 92 केमिकल्स, महो, जिला—इन्दौर
16. जबलपुर नं० 1 जी० सी० एफ० एस्टेट, जबलपुर ।
17. जबलपुर नं० 2, सिगनलस प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर
18. ओरडनेन्स फैक्टरी, खामारिया, जबलपुर
19. भारत एल्युमिनियम कं० लि०, बाल्की टाउनशिप, कोरबा, जिला बिलासपुर
20. प्रगति नगर, एन० टी० पी० सी० लिमिटेड दारी जिला-बिलासपुर ।
21. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलंजखंड, जिला बालाघाट
22. पंचमढ़ी ।
23. सी० आर० पी० एफ० कैम्पस, नीमच
24. सागर, जिला सागर
25. नेशनल कोल डवलपमेंट कारपोरेशन, सिंगरौली, जिला-सिद्धी ।
26. रेलवे कालोनी, न्यू कटनी जंक्शन ।
27. ओरडिनेन्स फैक्टरी, कटनी ।
28. उज्जैन ।
29. नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि० नैपानगर जिला ईस्टनीमर
30. बाना (सागर) ।
31. बैंक नोट प्रैस, देवास
32. रायपुर, ओल्ड रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन स्टोर डिपो, डी० सी० ओ० (आर० ई०) रिपेयर शोप कालोनी
33. रीवा, पोओ रीवा, जिला-रीवा
34. आर्मी ओर्डिनियंस कारपो० स्कूल, जबलपुर
35. व्हीकल फैक्टरी एस्टेट, जबलपुर
36. कुसुमंद प्रोजेक्ट, डब्ल्यू० सी० एल०, जिला—बिलासपुर, कोरबा ।
37. डब्ल्यू० सी० एल०, पोस्ट भारखंड कोलरी, जिला—सरगुजा ।

38. डब्ल्यू० सी० एल०, पोओ धानपुरी, जिला—शहडोल ।
39. बी० जोन, सी० ओ० डी०, जबलपुर
40. कामगार महिला होस्टल बिल्डिंग, कटगु नगर, जिला—रतलाम ।
41. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नयागांव, सीमेंट फैक्टरी, तहसील जावद, जिला—मन्दसौर ।
42. चांदमेता, पश्चिमी कोल फील्ड लि० पेंच एरिया, जिला—छिंदवाड़ा
43. ए० एफ० एस० महाराजपुर, पोओ० महाराजपुर, ग्वालियर-474020
44. सेंट्रल प्रूफ स्टाबलिशमेंट, इटारसी-461114
45. अखलतारा सीमेंट फैक्टरी, सीमेंट कारपोंशन आफ इंडिया लि० जिला—बिलासपुर ।
46. जमुना कौलरी, पश्चिमी कोलफील्डस लि० जमुना कोटमा एरिया, पो० ओ० जमुना कौलरी, जिला—शहडोल-4844 4.
47. आर्डिनेन्स फैक्टरी एस्टेट, ईस्ट लैण्ड, कटनी, जिला—जबलपुर (म० प्र०) 483500
48. वीपन्स ट्रेनिंग, बी० एस० एफ०, इन्दौर—(म० प्र०)
49. शोपिंग कम्पलैक्स, नियर गर्ल्स कालेज, दुर्ग ।
50. नरसिंगपुर
51. खारगोना, पिन-कोड-451001
52. बिलासपुर
53. राजगढ़-पिन-465661
54. सैटलमेंट ऑफीस इमारत, नानसिडी, गूना-पिन-473001
55. कृषि उपज मण्डी गिनौर, आश्रम स्टेशन रोड, सिहोरी ।
56. खांडवा-पिन-450001
57. अम्बिकापुर (सुरगुजा) पिन-497001
58. एम० एम० डी० सी० लि०, आकाशनगर, बछली ।
59. जी० ओ० एफ० जबलपुर, नं० 11 पिन-482001
60. सेन्ट्रल वर्कशाप जयन्त प्रोजक्ट, पोओ० जयन्त कोलेरी, जिला—सिंद्धी पिन-486890
61. ओ० एफ० खमारिया नं० 11 जबलपुर-482005
62. आई० टी० बी० पी० शिवपुरी, जिला-473554
63. आई० टी० बी० पी० करेरा, जिला-शिवपुरी-473662

64. भिलाई,-3 रेलवे कालोनी, भिलाई मार्शलिंग यार्ड, जिला—दुर्ग।

65. मनेन्द्रगढ़ जिला—सरगुजा।

66. बीना, जिला—सागर-470113

67. जगदलपुर, जिला—बस्तर

68. बी० सी० पी० पी० (एन० टी० पी० सी०) कोरबा, जिला—बिलासपुर

69. न्यू यार्ड इटारसी, जिला—होशिंगाबाद।

70. एस० ई० सी० एल० नौरोजाबाद, जोहिला एरिया, जिला—शहडोल।

दिल्ली छावनी बोर्ड की निर्माण समिति

[अनुवाद]

6899. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड की निर्माण समिति पिछले अनेक वर्षों से गठित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली छावनी बोर्ड की निर्माण समिति के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की शिकायतों पर छावनी बोर्ड स्तर पर, कमान स्तर पर, महानिदेशालय स्तर पर, संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकों में विचार किया जाता है और उनकी जांच की जाती है। इन सभी समितियों में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होता है। कार्य समितियों का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार वन क्षेत्र

[हिन्दी]

6900. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के सीमा क्षेत्र से ऐसे वन क्षेत्रों को छूट देने का विचार है जहां कोई वन नहीं हैं और जो राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के रूप में दिखाए गए हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को ऐसे आदेश जारी करने का है कि वे ऐसे क्षेत्रों को वन-क्षेत्र न दर्शाते हुए अपने-अपने रिकार्डों को अद्यतन कर लें?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों में संशोधन

6901. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्रीमती गीता मुखर्जी
डा० सुधीर राय } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चेयरमैन ने प्रशासक मंडल से कोई विचार-विमर्श किए बिना ही, वर्ष 1989 के दौरान भर्ती नियमों में कुछ संशोधन किए थे,

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासक मंडल ने इस बीच अपनी पहली बैठक में, जो उपबंधों के अनुसार हुई थी, इन संशोधनों का अनुसमर्थन कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन संशोधनों की वैधता क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 3-12-1985 को हुई इसकी 46वीं बैठक में संगठन के अध्यक्ष को सभी वर्गों के पदों के भर्ती नियमों का अनुमोदन करने के लिए अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार के भर्ती नियमों को अपनाने के लिये बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 1989 के दौरान संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित प्रशिक्षित स्नातक-शिक्षक के पद के भर्ती नियमों में परिवर्तन किये गये थे. संगठन के आयुक्त के पद के लिए भर्ती नियम भी अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किये गये थे। इनके शासी बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

सेवानिवृत्त/विकलांग सर्कस कलाकारों को पेंशन सुविधा

6902. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त या विकलांग सर्कस कलाकारों के लिए पेंशन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले तथा खेल विभाग में उप मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में कोई भी विवरण नहीं था। सर्कस संविधान (राज्य सूची) के VIIवीं अनुसूची की सूची II में उल्लिखित "मनोरंजन और मनबहलाव" के अन्तर्गत आता है। अतः यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य

6903. श्री चुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बने विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव/पक्षी अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना है,

(ख) क्या सरकार का विद्यमान राष्ट्रीय पार्कों/पक्षी अभयारण्यों में से किसी का विस्तार करने अथवा कुछ नये क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्क/पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या किसी राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्रफल किन्हीं विशेष वर्गों के जानवरों को रखने के लिए अपर्याप्त पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव/पक्षी अभयारण्य कुल 1,29,317 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के क्षेत्र का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. राष्ट्रीय उद्यान 30,001 वर्ग किलोमीटर

2. वन्यजीव/पक्षी अभयारण्य 99,316 वर्ग किलोमीटर

(ख) से (ङ) वांछित सूचना नीचे दी गई है :—

(1) 651 राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के सम्बन्ध में सूचना इतनी विस्तृत है कि उसको इस संक्षिप्त उत्तर में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तथापि, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 1988 में प्रकाशित "प्लानिंग ए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया" नामक रिपोर्ट की अंग्रेजी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में रखी गई हैं जिसमें क्षेत्रों को बढ़ाने, नए अभयारण्यों/उद्यानों की स्थापना अथवा वर्तमान अभयारण्यों/उद्यानों का दर्जा बढ़ाने सहित वन्यजीव के विविध प्रजातियों के संरक्षण के सम्बन्ध में अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों की सार्थकता में सुधार लाने के लिए विस्तृत सुझाव दिए गए हैं।

(2) बारहसिंघा को पर्याप्त वासस्थल मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (बाघ रिजर्व) के क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है।

(3) गैंडों को पर्याप्त वासस्थल मुहैया कराने के लिए काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। "असम में गैंडों का संरक्षण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार ने असम राज्य सरकार को निधियां दी हैं।

दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें

6904. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों की गणित की पुस्तक भाग-दो (हिन्दी माध्यम) में अनेक गलतियां हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पुस्तकों में एक पृष्ठ पर मुद्रित अक्षर इसी पृष्ठ के पिछले हिस्से में भी दिखाई देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार किसी स्कूल शिक्षक, छात्र अथवा माता-पिता द्वारा किसी गलती का उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ख) उपयोग में लाए गए कागज के कम वजन के कारण पृष्ठ के एक ओर मुद्रित अक्षर आंशिक रूप से दूसरी ओर नजर आते हैं । तथापि, इससे विषयवस्तु की पठनीयता पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ग) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा पाठ्यपुस्तकों की वार्षिक समीक्षा करता है । ऐसा इस वर्ष भी किया जाएगा । यदि किसी गलती का उल्लेख किया जाता है तो उसे पुस्तक के अनुवर्ती पुनर्मुद्रणों में सही कर दिया जाएगा ।

शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना

[हिन्दी]

6905. **प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1986 में घोषित की गई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दृष्टि से बनाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इन योजनाओं को किन-किन स्थानों में लागू किया गया है,

(ख) क्या इस बारे में अब तक हुई प्रगति संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पूर्व-प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे के समस्त विकास को स्वीकार किया गया है और यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी प्रयास संपूर्णता की दृष्टि से किए जाएं और बाल विकास के सभी पहलुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाए ।

यद्यपि कोई नई योजना नहीं बनाई गई है, फिर भी चालू कार्यक्रमों का उद्देश्य स्ट्रक्चरड तथा अनस्ट्रक्चरड खेल कार्यों, खेल सामग्री और सीखने के अनुभवों द्वारा बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देना है। इस समय चालू योजनाओं के अन्तर्गत इस स्तर पर कुल बच्चों में से लगभग 12% बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रारम्भिक बाल शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है, वे हैं—प्रारम्भिक बाल शिक्षा योजना (ई० सी० ई०) और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आई० सी० डी० एस०) प्रारम्भिक बाल शिक्षा योजना के अन्तर्गत 4300 केन्द्र हैं (प्रत्येक केन्द्र 30-50 बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है।) जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में 3-5 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह कार्यक्रम अविस्तारणीय है और इसे धीरे-धीरे समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) के साथ मिलाया जा रहा है जिसमें स्कूल पूर्व बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का एक घटक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना भी है। आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम में लगभग 120 लाख बच्चों को शामिल किया गया है और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस समय देश में पहले से स्वीकृत राज्य क्षेत्र की 188 परियोजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र की 2236 परियोजनाओं में 100 से भी अधिक परियोजनाएं जोड़ी जा सकती हैं।

मथुरा तेल शोधक कारखाने से प्रदूषण फैलना

[अनुवाद]

6906. श्री इरा अग्गारापु
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मथुरा तेल शोधक कारखाने से फैल रहे प्रदूषण की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले बहिस्राव और उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

(ख) और (ग) बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के अन्दर रखने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सल्फर-डाईआक्साइड के उत्सर्जन को प्रति घंटा एक टन तक सीमित रखने के लिए तेल शोधक भट्टियों और बायलरों में कम सल्फर ईंधन का प्रयोग।

(2) फ्ल्यू गैसों से सल्फर को दूर करने के लिए दो सल्फर रिकवरी यूनिटों की व्यवस्था।

(3) वातावरण में प्रदूषकों के उत्तम छितराव के लिए लम्बी चिमनियां।

(4) चिमनी उत्सर्जनों में सल्फर डाईआक्साइड स्तरों को मापने के लिए सभी बड़ी चिमनियों मे लगातार निगरानी।

(5) इंडियन आयल कार्पोरेशन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी।

(6) वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को लगाना।

(7) अपशिष्ट जल को एकत्र करने और उसकी सफाई के लिए पूर्ण भौतिक, रसायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की व्यवस्था।

प्रौद्योगिकी मिशन

6907. **श्री इरा अग्गारापु**
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अनेक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन मिशनों पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोडघंन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की प्रजातियों का समाप्त होना

[हिन्दी]

6908. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की प्रजातियों के नाम क्या-क्या हैं और उनमें कौन-कौन सी विलुप्त होने के कगार पर हैं,

(ख) इन प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों की महत्वपूर्ण प्रजातियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले छोटे रीढ़धार जानवरों, बिना रीढ़वाले जानवरों और पौधों की व्यापक सूची उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में वन्य पशुओं या पौधों की कोई भी

प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। फिर भी, आई० यू० सी० एन० की संकटापन्न सूची में शामिल किये गये पशुओं और पौधों की सूची विवरण-2 में दी गई है।

(ख) और (ग) इन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनकी सूची विवरण-3 में दी गई है।

(2) वन्यजीवों के शिकार और वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों और उनके उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(3) घड़ियालों का बन्दी अवस्था में पालन किया जाता है तथा उन्हें उपयुक्त वासस्थलों में छोड़ दिया जाता है।

(4) दुधवा और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यानों के बाघ परियोजना के तहत बाघ रिजर्व घोषित किया गया है।

(5) उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में हिम तेन्दुए के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियों की सूची

क्र० सं०	प्रजातियों का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	2	3
स्तनधारी		
1.	भरल या नीली भेड़	पेसुडोइस नायोर
2.	काला हिरण	एंटीलाप सैरवीकेपरा
3.	काकड़	मुंटिएकस मुंटजाक
4.	भूरा चूहा	रेट्टस नार्वेजिकस
5.	स्याहगोश	फेलिस कैरकैल
6.	लंगूर	प्रेसबाइटिस एंटीलस
7.	चीतल	एक्सिस एक्सिस
8.	पीली चिमगादड़	स्काटोफिलस हीथी
9.	कामन बिलावकस्तुरी या टोडी क्रैट	पैराडाक्सरस हरमाफ्रोडीटस
10.	लोमड़ी	वलपेंगालेंसिस
11.	मत्स्य बिल्ली	फेलिस वावेरीना

1	2	3
12.	चौसिंगा	टेट्रासीरस क्वड्रिकारिनिस
13.	गिलहरी	क्वाड्रिकारनिस
14.	फ्लाइंग फाक्स	पेट्रोपस गिगेंटस
15.	गंगेटिक डाल्फिन	प्लांटेनिस्टा गंगेटिका
16.	गोरल	नेमोरहेडस गोरल, नेमारहेडस हागसोनी
17.	चिमगादड़	राइनोलोफस लुक्टस
18.	चिमगादड़	हिप्पोसिडरस आर्मिगर
19.	भारतीय खरगोश	लीपस नाइग्रिकोलिस
20.	हिमालय भालू	सेलीनाकोटस थिबेटेनस
21.	हिमालय भूरा भालू	उरसस आर्कोटस
22.	हिमालय सनकिन	कापरा आइबेक्स
23.	हिमालय बिलाव करतूरी	पागूमा लारवाटा
24.	हिमालय तहार	हेमिट्रेगस जेमलाहिकस
25.	हिमालय गलोथोटेड मार्टन	मारटेस फ्लेविगुला
26.	हिसपिड खरगोश	कैप्रोलिगस हिस्पिडस
27.	हाग बेजर	आर्कटनिक्स कालेरिस
28.	हेजहॉक	हेमिचिनस आटिट्स
29.	फाढ़ा	एक्सिस पोरसिनस
30.	लकड़बग्घा	हाइना हाइना
31.	भारतीय हाथी	एलिफैस मेक्सिमस
32.	इंडियन फाल्सवेपायर	मेगाडरमा लाइरा
33.	चिंकरा	गेजेला गजेला
34.	कस्तूरा हिरण	मारचय फासीफैरस
35.	इंडियन मोल रेट	बैंडिकोरा बैंगालिनसिस
36.	भारतीय साल	मेनिस क्रेसिकाडारा
37.	भारतीय साही	हेस्ट्रिक्स इन्डिया
38.	भारतीय जंगली कुत्ता	कुआन आल्पिगस
39.	भेड़िया	केनिस लुपुस पेलिपस

1	2	3
40.	सियार	कैनिस आईसस
41.	जंगली बिल्ली	फेलिस चोस
42.	चीता या पैंथर	पैंथरा पारडस
43.	चीता बिल्ली	फेलिस बंगालेनसिस
44.	लम्बे बालों वाला चूहा	मुस टाइटलेरी
45.	नेवला	हुरपेसटेस एडवार्डिस
46.	मारखोर	कैपरा फालकोनेरी
47.	कस्तूरी मृग	मोसचुस मोस्चिफेरस
48.	नीलगाय	बोसेलाफस ट्रैगोकेमेलस
49.	ऊदबिलाव	लूटरा परस्पिसिलाटा
50.	नयान	ओविस अमोन हडगोसोनी
51.	बिज्जू (रेटल)	मेलिवारा कैपेनसिस
52.	लाल लोमड़ी	वलपस वजपस
53.	रेड गिलहरी	पैटोरिस्टा पैटोरिस्टा एल्बिवेंटर
54.	बंदर	मैकाका मुलाटा
55.	सांबर हिरण	सारवस यूनिकलर
56.	सेराव	कैप्रिकार्निस सुमात्राइनसिस
57.	भालू	मेलूरसस अरसिनस
58.	छोटी भारतीय कस्तूरी	विवरीकुला इन्डिया
59.	छोटा भारतीय नेवला	हुरपेसटेस औरोपुंकटेटस
60.	हिम तेंदुआ	पैंथरा यूनिसिया
61.	नीरंगाय	प्रिओनोडोन पार्डिकलर
62.	बारहसिंगा	करवस डुवोसेली डुवोसेली
63.	बाघ	पैंथरा टिगरिस
64.	तिब्बती चिकारा	प्रोकैपरा पिक्टिकोडटा
65.	यूरियल या शापु	ओविस ओरिएटेलिसस
66.	भारतीय जंगली सूअर	सस स्क्रोफा

पक्षी

1.	वीयर फ्रीवेंट	कार्टेयस वालिची

1	2	3
2.	हिमालय मोनाल फीजेंट	लोफोफोरस इंपेजेनस
3.	कालेज फीजेंट	लोफूरा ल्यूक्रोमेलारा
4.	कोकलास फीजेंट	फक्रेसिया मैक्रोलोफा
5.	भारतीय मोर	पावो क्रिस्टेटस
6.	वेस्टर्न ट्रागोपान	ट्रागोपान गेलानोसेफालस
7.	हिम तीतर	लवा लवा
9.	रंगीन तीतर	फ्रेंकोलिनस फ्रेंकोलिनस
10.	भूरा तीतर	फ्रेंकोलिनस पांडिलेरिएनस
11.	पेंटेड भटतीतर	पेट्रोकस्स इन्डिकस
12.	भटतीतर	पेट्रोकल्स एक्सटस
13.	भूरा बटेर	कोरटूनिक्स कोरटूनिक्स
14.	जंगली बटेर	परडीकुला एसियाटिका
15.	भूरा जंगली बटेर	गैलस सोनेराटी
16.	लाल जंगली बटेर	गैलस गैलस
17.	गिद्ध	फालको बाइरेमिकस
18.	काबीपंखों वाली चील	इलेनस काइडूलैस
19.	कामन पेरिहा चील	मिलवस माइग्रेनस
20.	ब्रहमिनी परिहा चील	होलिएस्टर इंडस
21.	क्रेस्टेड ईगल	स्पिजेसट सिराटस
22.	सपेंट ईगल	स्पिलोरनिस चीता
23.	टानी ईगल	एक्विला रेपेक्स
24.	साहिन बाज	फालको पेरीग्रिनस
25.	केस्ट्रल	फाल्को रिनूनकुलुस
26.	राज गिद्ध	सारकोगिप्स कालवस
27.	सफेद पीठवाला गिद्ध	गिप्स बेंगालेनसिस
28.	सफेद स्केवेंजर गिद्ध	नियोफोन परकोपटरस
29.	इन्डियर ग्रेट हार्न उल्लू	बुबो बुबो
30.	कामन नाइटरजार	कैमुलगुस एशियाटिकस

1	2	3
31.	सारस	ग्रस एंटीगोन
32.	डेमोइसेली सारस	एंथ्रापोडेस बिरगो
33.	काले गले वाला सारस	एफिपियोरहेंकस एशियाटिक
34.	रंगीन बगुला	माइटेरिया ल्यूकोसीफाला
35.	सफेद बगुला	सिकोनिया सिकोनिया
36.	सफेद गर्दन वाला बगुला	सिकोनिया एपिस्कोपस
37.	ढेंक	अंसेर इन्डिकस
38.	हंस या सवन	अंसेर इन्डिकस
39.	गिरी	नेटापस कोरोमंडेलीएनस
40.	नकटा	सारकिडियोरनिस मेलानोटोस
41.	गगराल	एनिस पोइसिलोरहेंचा
42.	बागा	पेसुडिविम पेपीलोसा
43.	सफेद बाज	थ्रेसकियोरकिस एथ्योपिका
44.	सिदारी	एनस क्लाइपेटा
45.	सफेद आंख वाला बुजार	आइथाया नाइरोका
46.	डैबचिक पडुब्बी	पेडिसेनस रफीकोलिस
47.	सुरखाब	होडोरना फेरजिनिया
48.	सीखपर	एनस एकूटा
49.	छोटी मुर्गाबी	एनस क्रेका
50.	मीलसर	एनिस प्लाटेरहाइनोस
51.	जलकाग	फलाक्रोकोक्स नाइगर
52.	पनडुब्बी	एनहिंगा रूफा
53.	चमचा	प्लेटाले ल्यूकोरोडिया
54.	छोटा बगुला	इग्रेटा गारजेटा
55.	भूरा बगुला	आरिडया सिनेरिया
56.	पशु बगुला	बुबुलकस इबिस
57.	छोटा हरा बिटंब	बुटोरिडस स्ट्रिएटस
58.	तालाब में रहने वाला बगुला	आरडियोला ग्रेई

1	2	3
59.	बक	निक्टीकोरैक्स निक्टीकारैक्स
60.	लाल बगला	इक्सोब्राइचय सिन्नामोमस
61.	जलमुर्गी	गैलीनुल क्लोरोपस
62.	मूरहिन	पोरफिरियो पोरफिरियो
63.	टिकरी	फुलिका अटरा
64.	रंगीन चाहा	रोस्ट्रावुल्ला बंगालेसिस
65.	पहाड़ी मैना	ग्रेकुला रेलिमिपोसा
66.	भारतीय मैना	सक्रियोथेरेसट्रिस्टिस
67.	ब्राह्मनी मैना	स्टुसस पैगोडारम
68.	बैंक मैना	एक्रिडोथेरस गिंगनीएनस
69.	टुइया तोता	पिट्टाकुला साइनोसेफाला
70.	तोता	पिट्टाकुला क्रामेटी
71.	हीरामन तोता	पिट्टाकुला यूपाट्रिया
72.	कोयल	यूडमनस स्कोलोपेसिपा
73.	फीजेंट टेल्ड जेकाना	हाइड्रोफेसिएनस चिरुरगस
74.	ब्रोजविग्ड जेकेना	मैटोपिडिस इंडिकुस
75.	लिटिल विंग्ड प्लोवर	चाराड्रसि डूवियस
76.	एवेसेट	सकुरविरोस्ट्रा एवोसेटा
77.	कालेपंख वाला तिंघुट	हिमांटोपस हिमांटोपस
78.	गुलिन्दा	नूमेनस अरकुआटा
79.	कामन टिटहरी	ट्रिंगा हाइपोलेकोस
80.	तितवाई	वुरहिनस ओइडिकनेमस
81.	रिवर टर्न	स्टेरना आरेंटिया
82.	कबूतर	कोलुम्बा लिविया
83.	हरियल	ट्रेरान फाइनिकोपटेरा
84.	फाखता	चालकोफाप्स इन्डिया
85.	चित्तीदार फाखता	स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेनसिस
86.	रेड टर्टल फाखता	स्ट्रेप्टोपेलिया ट्रेक्वेबेरिका
87.	रिंग फाखता	स्ट्रेप्टोपेलिया सेनिगेलेनासिस

1	2	3
88.	छोटा भूरा फाख्ता	स्ट्रेप्टोपेलिया सेनिगेलेनासिस
89.	कुक्कल	सेंट्रोफस सिनेनसिस
90.	पियड क्रिस्टेड कुक्कू	क्लेयेटोर जेकोनिस
91.	बसन्ता	मेगालाइमा हेमेसेफाला
92.	बसंता	मेगालाइमा एसिपाइरिका
93.	नीलकंठ	मेगालाइमा एशिपाइटिका
94.	पतरिंगा	मेरोप्स ओरिएंटेलस
95.	किंगफिशर	सेराथी रुडिस
96.	भुजंगा	डिकरुरस एडसिमिलिस
97.	भुगांगा	डिकरुरस पाराडिसेस
98.	सुनहरा पीलक	ओरियोलस ओरियोलस
99.	जंगलीकौवा	थोलस मोक्रोहियोस
100.	घरेलू कौवा	थोरवस स्प्लेंडेंस
101.	हरी बुलबुल	क्लोरोपमिस आरिफेंस
102.	बुलबुल	पाइनोनोटस कैफर
103.	लाल मुनिया	एस्ट्रिलडा एमानडावा
104.	चित्तीदार मुनिया	लोंचुरा पुंकटूलाटा
105.	कालेसिरवाली मुनिया	लोंचुरा मालाका
106.	आम गौरेया	पासर डेमेस्टिकस
107.	पीली कलगी वाली गौरैया	पेट्रोसिया एंथोकोलिस

सरीसृप

1.	मगर	क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस
2.	घड़ियाल	गोविएलिस गंगेटिकस
3.	घूर	काचुगा छोगोका
4.	कछुआ	बिसेम्स पुकटारा
5.	चित्रा कछुआ	चित्रा इन्डिका
6.	कछुआ	ट्राइनाक्स गंगेटिकस
7.	छिपकली	हैमिडेक्टिलस फ्लैविरिडिस

1	2	3
8.	छिपकली छिपकली	हैमिडैक्टिलस ब्रूकी
9.	वैंडेड छिपकली	क्राइटोडेक्टेलस लाउसस
10.	वैंडेड छिपकली	क्राइटोडेक्टेलस स्टोलिजैकी
11.	फैंथ्रोटेड छिपकली	सिटाना पोटिसेरियाना
12.	सांडा	यूरोमाराटेक्स हार्डविकी
13.	भारतीय गिरगिट	चेमिलियोन लेजेनिकस
14.	सैंड वधुनी	लियोलोपिस्मा हिमालयन
15.	गोह	वाटानस ग्रिसेस
16.	गोह	वारानस फलैवेसेंस
17.	गोह	वारानस बंगालेनसिस
18.	भारतीय अजगर	पाइथान मोलूरस
19.	धामन	पाटास मुकोसस
20.	डाइडम सांप	स्पोलेरोसोपिस डाइडम
21.	आम-कुकी सांप	ओलिगोडोन अर्नेनासिस
22.	कीलबेक	जेनोक्रोफिस पिसकेटर
23.	क्रेट	बंगारस सेकूलेस
24.	भारतीय कोबरा	नाजा नाजा
25.	रसेल्स वाइपर	पाइपेरा रसेली
26.	शॉ स्केल वाइपर	इचिसकेरिनेटस

विवरण-2

आई० यू० सी० एन० की संकटापन्न सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के पशुओं और पौधों की सूची

(क) स्तनधारी

1.	बाघ	पैंथरा टाइग्रिस
2.	हिम तेंदुआ	पैंथरा अनसिया
3.	एशियाई हाथी	एलीफस मैक्सीमस
4.	बारहसिंगा	सरविसा डुवासेली

(ख) पक्षी

1.	पश्चिमी ट्रैगोपैन	ट्रैगोपैन मेलानोसेफेलस
2.	चीर फीजेंट	केट्स वालिची

(ग) सरीसृप

1.	घड़ियाल	गैविएलिस गंगेटिकस

(घ) वनस्पति

1. एसर ओवलोगम वार मैंक्रेनेसेम
2. एरीनेरिया करविफोलियां
3. एरीनेरिया फेरुगिनिया
4. बरबेरिस लॅबीरटी
5. कालंथ पेंचस्टेलिफस
6. डिडिसिपा कुनीनघामी
7. फिलविगेरिया हेस्पेरिस
8. साक्टुका फिलिसिना
9. सोसुरिया कोस्टस
10. ग्सेलागिनेला एंडूका

विवरण-3

क्र० सं०	नाम	जिला
राष्ट्रीय उद्यान		
1.	कार्बेट (बाघ रिजर्व)	गढ़वाल नैनीताल
2.	दुधवा (बाघ रिजर्व)	लखीमपुर खीरी
3.	गंगोत्री	उत्तरकाशी
4.	नन्दादेवी	चमोली
5.	फूलों की घाटी	चमोली
6.	राजाजी	पोढ़ी गढ़वाल, सहारनपुर, देहरादून
अभयारण्य		
1.	असकोट	पिथौरागढ़
2.	बिनसर	अल्मोड़ा
3.	चन्द्रप्रभा	वाराणसी

क्रम सं०	नाम	जिला
4.	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी
5.	हस्तिनापुर	मेरठ
6.	कैमपुर	मिर्जापुर
7.	कटरनीघाट	बहराइच
8.	केदारनाथ	चमोली
9.	किशनपुर	लखीमपुर खीरी
10.	महावीरस्वामी	ललितपुर
11.	नेशनल चंबल	इटावा, आगरा
12.	नवाबगंज	उन्नाव
13.	रानीपुर	बांदा
14.	समसपुर	रायबरेली
15.	सोनाही	गढ़वाल

उत्तर प्रदेश को सहायता

6909. **श्री शिव चरण वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में वनरोपण हेतु वित्तीय सहायता दी थी,

(ख) यदि हां, तो जिस क्षेत्र में वन लगाये गए हैं उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान लगाये गये वृक्षों की विभिन्न किस्मों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्र/राज्य प्लान परियोजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार वृक्षारोपण कार्यकलापों के अन्तर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
			(लाख हैक्टेयर में)	
1.77	2.43	2.21	2.72	2.75

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत लगाई गई मुख्य प्रजातियों में शीशम, अर्जुन, बबूल, प्रोसोपिस, कंबी, काला शिरिस, यूकलिप्टस, सुबबूल, बांस, नीम, टीक आदि शामिल हैं।

वन क्षेत्र

[अनुवाद]

6910. श्री काशीराम राणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं; और

(ख) इस समय देश में वन क्षेत्र का राज्य-वार का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गये अध्ययनों के अनुसार देश में 1985-87 की अवधि के दौरान 64.01 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र थे जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.47 प्रतिशत है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार वन क्षेत्र के ब्यौरे (वर्ग किलोमीटर में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	1985-87 प्रतिबिम्ब की पर आधारित वास्तविक वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र के वास्तविक वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्रप्रदेश	276820	47911	17.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	83580	68763	82.3
3.	असम	78520	26058	33.2
4.	बिहार	173880	26934	15.49
5.	गोआ	3698	1300	35.2
6.	गुजरात	195980	11670	6.0
7.	हरियाणा	44220	563	1.3
8.	हिमाचल प्रदेश	55670	13377	24.03
9.	जम्मू और कश्मीर	222240	20424	9.1
10.	कर्नाटक	191770	32100	16.74
11.	केरल	38870	10149	26.1
12.	मध्य प्रदेश	442840	133191	30.1
13.	महाराष्ट्र	307760	44058	14.32

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	22360	17885	80.0
15.	मेघालय	22490	15690	69.8
16.	मिजोरम	21090	18178	86.2
17.	नागालैंड	16530	14356	86.8
18.	उड़ीसा	155780	47137	30.3
19.	पंजाब	50360	1161	2.3
20.	राजस्थान	342210	12966	3.8
21.	सिक्किम	7300	3120	42.8
22.	तमिलनाडु	130070	17715	13.62
23.	त्रिपुरा	10480	5325	50.08
24.	उत्तर प्रदेश	294411	3?844	11.5
25.	पश्चिमी बंगाल	87850	8394	9.6
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8290	7624	91.96
27.	चण्डीगढ़	114	8	7.02
28.	दादरा व नगर हवेली	490	205	41.84
29.	दमन व द्वीव	112	2	1.78
30.	दिल्ली	1490	22	1.48
31.	लक्यद्वीप	30	—	—
32.	पांडिचेरी	492	—	—
		कुल : 3287797	640134	19.47

कम्प्यूटर सुरक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

6911. श्री प्रकाश कोको बह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लॉस प्रिवेनशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' ने कम्प्यूटर सुरक्षा के सम्बन्ध में 30 मार्च, 1990 को नई दिल्ली में कोई विचार-गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ग) विचार-गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें प्रतिष्ठापन संबंधी आवश्यकताएं, कम्प्यूटर संरक्षण तथा बीमा और सॉफ्टवेयर का चयन, अनुरक्षण, प्रयोग तथा सुरक्षा शामिल थे।

(ग) इस सेमिनार में सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, बीमा कम्पनियों के 2, बैंकों के 6, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 10 तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में इस सेमिनार की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं प्राप्त हुई है।

गुजरात में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त होना

6912. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में पूर्व-हड़प्पा काल की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिल्प कृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व-हड़प्पा काल की सभ्यता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से कोई अनुसंधान किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन शिल्प-कृतियों को जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया गया है अथवा किया जा रहा अथवा इनका संग्रह किया गया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग, एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ोदरा द्वारा उत्खनित एक प्राचीन स्थल नागवाडा (जिला सुरेन्द्र नगर, गुजरात) के सबसे नीचे के स्तरों में मिट्टी के बर्तनों के साथ विभिन्न प्रकार के दफन स्थलों सहित एक पूर्व-हड़प्पा की किसान बस्ती का पता लगा है।

(ग) नागवाडा से पूर्व-हड़प्पा के दफन स्थलों तथा सम्बद्ध मिट्टी के बरतनों का अध्ययन करने से पूर्व-हड़प्पा के लोगों के मृत शरीरों के अन्तिम संस्कार की प्रथाओं सहित महत्वपूर्ण संस्कृति और जीवन पर प्रकाश पड़ा है।

(घ) नागवाडा उत्खनन कार्यों से प्राप्त कलाकृतियों को पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग, एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ोदरा के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को आवास आवंटन

69.3. **श्री राघवजी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास आवंटित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय के सम्पदा निदेशालय के साथ उठाया गया है।

वायुसेना केन्द्र, बरेली के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

[हिन्दी]

6914. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना केन्द्र, बरेली की स्थापना के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का सभी भू-स्वामियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्हें इस प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है; और

(घ) उन्हें इस मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) वायुसेना केन्द्र बरेली के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृतियां 1962 से 1975 तक जारी की गई थीं और मुआवजे की राशि कलैक्टर के पास जमा करा दी गई थी। मुआवजे की अदायगी करने सम्बन्धी कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में मॉडल स्कूल खोलना

6915. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ मॉडल स्कूल खोलने के लिए राज्य को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ये स्कूल किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ग) क्या पिथौरागढ़ जिले में ऐसा कोई स्कूल खोला जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य को नवोदय विद्यालय (न कि माडल स्कूल जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) खोलने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है तथापि, नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के अधीन नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में अब तक इस प्रकार 30 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इन विद्यालयों का स्थान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अब सरकार ने नवोदय विद्यालय योजना की समीक्षा करने तथा इस प्रस्ताव की समीक्षा के पूरा होने तक कोई और विद्यालय न खोलने का निर्णय किया है।

विवरण

क्रमांक	उस गांव तथा जिले का नाम जहां उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय स्थापित है
1.	सरधना, मेरठ
2.	रुद्रपुर, नैनीताल
3.	दभासमर, फैजाबाद
4.	बुकलाना, बुलन्दशहर
5.	चौवारी, बरेली
6.	हरिहु, जौनपुर
7.	बरूआ, सागर, झांसी
8.	गौरीगंज, सुल्तानपुर
9.	बावन बुजुर्ग वाला, राय बरेली
10.	जंगल अगही, गोरखपुर
11.	सरसौल, कानपुर नगर
12.	तारीखेत (रानीखेत अल्मोड़ा)
13.	जियानपुर, आजमगढ़
14.	दिलवाडा, ललितपुर
15.	माहु दरवाजा, फरूखाबाद
16.	पेचरा कलान, मिर्जापुर
17.	कितंनपुर, बहराइच
18.	उत्तराखण्ड विद्यापीठ, चमोली
19.	प्रताप नगर, टेहरी गढ़वाल
20.	देवरिया, गोण्डा
21.	बेजाखास, इलाहाबाद
22.	धुम्गिर, उत्तरकाशी
23.	पैनाम, मथुरा
24.	बहादुरपुर, बस्ती
25.	दादरी, गाजियाबाद
26.	अकबर गंज, सीतापुर
27.	ओगु, उन्नाव
28.	कुन्दौल, आगरा
29.	बाघरा, मुजफ्फर नगर
30.	खिनाकबर, बलिया

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की भर्ती

6916. डा० बंगाली सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों, दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित विद्यालयों और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में कुल कितने नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पद भरे नहीं गए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित उक्त रिक्त पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन में नियुक्त किए गए अध्यापकों का विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

अध्यापकों की श्रेणी	पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अध्यापकों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जन-जाति के अध्यापकों की संख्या	नही भरे गये अ०जा०/अ० ज०जा० की रिक्तियां
स्नातकोत्तर अध्यापक	1190	290	27	कुछ नहीं
स्नातक अध्यापक तथा भाषा अध्यापक	3146	759	87	197
विभिन्न श्रेणी	450	154	11	03
पुस्तकालयाध्यक्ष	95	28	11	03
प्रयोगशाला सहायक	411	60	30	कुछ नहीं

30.4.1990 तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्त अध्यापकों से सम्बन्धित विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

अध्यापकों की श्रेणी	पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्तियों की कुल संख्या	आरक्षित पद		भरे गए पद		टिप्पणी
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०	
(सीधी भर्ती)						
प्रधानाचार्य	सूचना एकत्रित की	20	12	16	04	
पी०जी०टी०	जा रही है तथा					
टी०जी०टी	सभा पटल पर रख	232	133	65	08	(नियुक्ति
पी०आर०टी०	दी जाएगी	407	240	403	63	(के लिए
अन्य		433	292	533	93	(अनुमोदित
		84	56	उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा चुके हैं।		
(प्रोन्नति द्वारा)				नियमानुसार विचाराधीन		
प्रधानाचार्य	06	03	—	—		जोन में अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।
						(प्रोन्नति के लिए
उप-प्रधानाचार्य	15	07	02	01		(अनुमोदित
पी०जी०टी०	80	40	15	02		(
टी०जी०टी०	33	16	65	09		(
हेडमास्टर	08	04	10	02		(

अ०जा०/अ०ज०जा० की रिक्तियों को न भरे जाने से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिक्तियों की उत्पत्ति तथा उनका भरा जाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रिक्तियों के समय से भरे जाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

[अनुवाद]

6917. डा० बंगारी सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद इस समय रिक्त पड़े हैं तथा ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गंगा परियोजना निदेशालय और राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड सहित लेकिन अन्य अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर पर्यावरण और वन मंत्रालय में 13 रिक्त पद हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पदों का श्रेणीवार ब्यौरा तथा पदों के रिक्त होने की तारीख नीचे दर्शाई गयी है :—

क्र०सं०	पद	रिक्त		पद रिक्त होने की तारीख
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	वैज्ञानिक "एससी"	2	1	9-11-1989 (1) अगस्त, 89 (1) 15-1-1988 (1)
2.	अनुसंधान सहायक (पर्यावरण)	—	1	1987
3.	अनुसंधान सहायक (वानिकी)	1*	1@	*2-12-1988 @10-12-1989
4.	सफाईवाला	1	—	21-8-1989
5.	चौकीदार	—	1	4-1-1990
6.	स्टाफ कार चालक	1	—	नवम्बर 1989
7.	डिस्पैच राइडर	—	1	मई, 1989
8.	चपरासी	—	3	मई, 1989 (2) अगस्त, 89 (1)

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

1. वैज्ञानिक "एससी"

विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। चयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2. अनुसंधान सहायक (पर्यावरण)

चयन करने के लिए संघ सेवा आयोग को फिर से रिक्ति की सूचना दे दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिए विज्ञापन दे दिया है।

3. अनुसंधान सहायक (खानिकी)

चयन करने के लिए कर्मकारी चयन आयोग को रिक्तियों के बारे में सूचित किया गया है।

4. सफाई वाला

नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिए गया है।

5. चौकीदार

स्थानीय रोजगार कार्यालय को मांग भेज दी गई है।

6. स्टाफ कार चालक

7. डिस्पैच राइडर

रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के नाम भेजने का अनुरोध किया गया है।

8. चपरासी

रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के नाम भेजने का फिर से अनुरोध किया गया है।

अभ्यर्थी के छद्मवेश में होने की शिकायत के कारण एक पद रिक्त है जिसकी पुलिस जांच हो रही है। जांच समाप्त होने के बाद नियुक्ति की जा सकती है।

रक्षा मंत्रालय में आरक्षित पद

6918. डा० बंगाली सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद इस समय रिक्त पड़े हैं और कब-कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय सचिवालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित ग्रेड "क" और "ख" :

वर्ष 1987 में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित एक रिक्त पद अनारक्षित करने के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भर लिया गया था और उस रिक्त पद को भविष्य में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरने के लिए उसे आगे ले आया गया था।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड :

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित चार पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक पद (30.6.89 की स्थिति अनुसार) रिक्त होने की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी। इनके लिए नामांकन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकी सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "ग" :

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित दो पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक पद (30.6.89 की स्थिति के अनुसार) रिक्त होने की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी। इनके लिए नामांकन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "घ" :

30.6.89 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नौ पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक पद रिक्त होने की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी। इसके लिए नामांकन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक :

30.6.89 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पद रिक्त होने की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी। उम्मीदवार के मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक :

30.6.89 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 3 पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को नामांकित कर दिया है।

समूह "घ" (दफ्तरी) :

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दफ्तरी के एक पद को वर्ष 1989 से आगे लाया गया है।

योजना आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

6919. डा० गंगाजली सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूर्ण है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) सूचना नीचे दिए अनुसार है :

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या	
		अनुसूचित जाति कर्मचारी	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी
ग्रुप "क"	777	48	8
ग्रुप "ख"	1130	80	12
ग्रुप "ग"	1457	165	24
ग्रुप "घ"	467	187	15

(ख) और (ग) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं । ऐसे मामलों में, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते रहे हैं ।

बिहार में गरीबी उन्मूलन योजनाओं हेतु आवंटन

6920. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : योजना आयोग द्वारा बिहार में प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना हेतु वर्ष 1989-90 में किए गए आवंटन की तुलना में वर्ष 1990-91 में कितना अतिरिक्त आवंटन किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : बिहार के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के लिए क्षेत्रवार परिव्ययों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

भारत में ऐस्ट्रो-टर्फ वाले मैदान

[अनुवाद]

6921. **श्रीमती अवन्ती नवीनचन्द्र मेहता**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर ऐस्ट्रो-टर्फ वाले मैदान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और ऐस्ट्रा-टर्फ वाले मैदान निर्मित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब और किन-किन स्थानों पर; और

(घ) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर कितना खर्च होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में उप- मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) देश में निम्नलिखित स्थानों पर कृत्रिम हॉकी सतह उपलब्ध हैं :—

(I) लखनऊ (उ० प्र०); (II) ग्वालियर (मध्य प्रदेश); (III) नई दिल्ली (शिवाजी स्टेडियम); (IV) नई दिल्ली (नेशनल स्टेडियम); (V) बंगलौर (कर्नाटक); (VI) गांधी नगर (गुजरात); (VII) पटियाला (पंजाब); (VIII) अमृतसर (पंजाब); (IX) जालंधर (पंजाब); (X) कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर भी कृत्रिम हॉकी सतह बिछाने की मंजूरी दी है :—

	मंजूरी की तिथि
(1) बम्बई (महाराष्ट्र)	25-3-88
(2) पुणे (महाराष्ट्र)	27-2-89
(3) रांची (बिहार)	16-11-88
(4) चण्डीगढ़ (चण्डीगढ़ प्रशासन)	22-3-90
(5) भोपाल (मध्य प्रदेश)	22-3-90
(6) राउरकेला (उड़ीसा)	28-3-90
(7) श्रीनगर (कश्मीर)	30-3-90
(8) रामपुर (उत्तर प्रदेश)	30-3-90
(9) वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	30-3-90

(घ) एक कृत्रिम हॉकी सतह बिछाने की लागत लगभग एक करोड़ रुपए होती है जिसमें सब-बेस की लागत भी शामिल है। लागत के 50% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते कि यह प्रत्येक सतह के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक हो।

राजस्थान को रियायती दरों पर कागज की आपूर्ति

[हिन्दी]

6922. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक-वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार का राजस्थान राज्य सरकार को पुस्तकों तथा कापियों के लिए कितनी मात्रा में रियायती दरों पर कागज की आपूर्ति करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : राजस्थान सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शैक्षिक क्षेत्र के लिए रियायती दर पर सफेद मुद्रण कागज मुहैया करने से सम्बन्धित योजना वर्ष 1989-90 तक चल रही थी। इस योजना को जारी रखने से सम्बन्धित सरकारी निणय अभी नहीं लिया गया है।

राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शर्तें

[अनुवाद]

6923. श्री नाथू सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विद्यमान कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या के कारण, राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) राजस्थान में (20.4.90 की यथा स्थिति के अनुसार) बयालीस केंद्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों के स्थान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केंद्रीय सरकार के कम से कम 1000 स्थानांतरणीय कर्मचारियों का समूह रहता हो और आरम्भ में विभिन्न कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए इच्छुक कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500 बच्चे) हों। केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों, राज्य सरकारों, संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों, संगठनों अथवा पात्र श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित किए जाएं जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हों :—

(i) निःशुल्क अथवा नाममात्र की लागत पर 15 एकड़ भूखण्ड।

(ii) केन्द्रीय विद्यालयों को तब तक चलाने के लिए स्थायी आवास जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने स्थान का निर्माण न कर ले।

(iii) कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान का प्रावधान जहां स्कूल से उचित दूरी के अन्दर वैकल्पिक उचित स्थान उपलब्ध न हो।

इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय परियोजना क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाओं में उन स्थानों में खोले जाते हैं यदि वहां :—

(i) पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों।

(ii) उपरोक्त के अनुसार अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हों; और

(iii) उपक्रम/संस्था सभी आवर्ती और अनावर्ती खर्च वहन करने के लिए राजी हों।

विवरण

दिनांक 20.4.90 की यथास्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

1. एयर फोर्स स्कूल, जैसलमेर ।
2. एयर फोर्स स्कूल, सूरतगढ़
3. मोती डूगरी के समीप, अलवर ।
4. महलखास, भरतपुर ।
5. सागररोड, बीकानेर संख्या I
6. जयपुर नं० I, जयपुर ।
7. जयपुर नं० II, सेना क्षेत्र, जयपुर कैंट ।
8. जयपुर नं० III, मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, मालवीयनगर,
9. एयर फोर्स स्टेशन, जोधपुर नं० I
10. जोधपुर (सेना) मिलिटरी क्षेत्र संख्या III
11. जोधपुर, बी० एस० एफ० मैनडोर रोड, जोधपुर नं० II
12. खेत्री नगर नं० I, जिला झुनझुनु ।
13. खेत्रीनगर नं० II झुनझुनु ।
14. कोटा
15. आंतरिक सुरक्षा अकादमी सी० आर० पी० एफ०, माउन्टआबू, जिला सिरोही ।
16. 21, जी० आर० सी० कैमल रोड, नसीराबाद ।
17. आर्मी स्टेशन, श्रीगंगानगर ।
18. राजपुरा दरिबा माइन्स, हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड, जिला—उदयपुर ।
19. प्रताप नगर, उदयपुर ।
20. जावार माइन्स, उदयपुर ।
21. एकलिंगढ़, फोरेस्ट, उदयपुर
22. 5, एफ० बी० एस० यू०, एयर फोर्स मार्फत 56 ए० पी० ओ० उत्तरलाई ।
23. जालिया कैन्ट, जिला-बाड़मेर ।
24. जोधपुर नं० IV, ए० एफ० एस० जोधपुर ।
25. बीकानेर संख्या II, बीकानेर ।
26. 3, एफ० बी० एस० यू०, ए० एफ० मार्फत 56 ए० पी० ओ० बीकानेर नं० 3
27. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल, देवली परिसर, जिला टोंक ।
28. लाल गढ़ जाटान, जिला—श्रीगंगानगर-335037
29. ग्रुप सैंटर नं० I, सी० आर० पी० एफ०, अजमेर-305007 ।

30. इतारना, अलवर—पिन० 301001

31. जयपुर, पो० ओ०—खातीपुरा, जयपुर नं० IV।

32. सूरतगढ़कैंट, जिला—श्रीगंगानगर-335804

33. 19 बटालियन, बी० एस० एफ०, अनूपगढ़, जिला—श्रीगंगानगर-335701

34 झुनझुनु।

35. ग्रुप केन्द्र नं० 2 सी० आर० पी० एफ० फेय सागर रोड़, अजमेर-305005

36. केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, जिला—टोंक पिन-304501

37. जोबनेर, एस० के० एन० कृषि कालेज, जिला—जयपुर।

38. बानार जिला—जोधपुर।

39. आर्मी जोधपुर-नं० II, पिन-342001

40. बांसवाड़ा, डाकखाना बांसवाड़ा-327001

41. अटा गैस पावर प्रोजेक्ट (एस० टी० पी० सी०) पी० ओ० ऊंटा, जिला कोटा।

42. चूरू, राजस्थान।

बोफोर्स तोपों का आयात

6824. प्रो० के० वी० थॉमस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोफोर्स कम्पनी से अब तक कितनी तोपें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या भारत सरकार और बोफोर्स कम्पनी के बीच हुआ समझौता दोनों पार्टियों द्वारा ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो समझौते के किन खण्डों का पालन नहीं किया गया है तथा किस पक्ष ने पालन नहीं किया है;

(घ) क्या बोफोर्स तोपों का आयात भारतीय-माल के स्वीडन को निर्यात के बराबर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) बोफोर्स के साथ "सप्लाई सविदा" के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली सभी तोपें प्राप्त हो गई हैं। इस संविदा के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली कुछ अन्य मदें प्राप्त हो रही हैं। स्विस बैंक खातों में गुप्त रूप से की गई अदायगियां सप्लाई संविदा और लाइसेंस करार से पहले किए गए स्पष्ट समझौते और स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन हैं।

(घ) और (ङ) बोफोर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि सप्लाई संविदा की तारीख अर्थात् 24.3.1986 से दस वर्ष की अवधि तक इस संविदा और लाइसेंस करार के अन्तर्गत जितने

मूल्य का सामान सप्लाई किया जाएगा उसके कम से कम 50 प्रतिशत की राशि के सामान का आयात भी किया जाए ।

रीजिनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर

6926. **प्रो० के० वी० थॉमस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजिनल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर फिर से खुल गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कब तक खुलने की संभावना है;

(घ) क्या दक्षिण भारत के छात्रों ने अनुरोध किया है कि उन्हें किन्हीं अन्य रीजिनल इन्जीनियरिंग कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये समाचार पत्र विवरण के अनुसार श्रीनगर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज 15 मई, 1990 को पुनः खोला जाना है ।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों के अनेक छात्रों ने अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया है । अनुरोध सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीलंका और सियाचिन में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को रोजगार

6927. **श्री बसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और सियाचिन में मारे गए सैनिकों के बड़ी संख्या में आश्रितों के लिए अब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो हताहत हुए सैनिकों की कुल संख्या कितनी है तथा सशस्त्र बलों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में उनके कितने आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले सैनिकों के आश्रितों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए/निशक्त हुए (50% से अधिक निशक्तता वाले और रोजगार के लिए अयोग्य, लेकिन ऐसी निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो) रक्षा कार्मिकों की पत्नियों सहित उनके दो आश्रित केन्द्र सरकार में समूह "ग" और "घ" के पदों पर प्राथमिकता-2 (क) के आधार पर नियुक्ति के लिये पात्र हैं । भारतीय शांति सेना के हताहतों के लिए की गई

विशेष व्यवस्था के रूप में सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किये हैं :

( ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर सरकारी नौकरी देते समय भूतपूर्व सैनिकों के अन्य सामान्य मामलों की तुलना में निशक्त सैनिकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए;

(2) श्रीलंका की संक्रियात्मक कार्रवाईयों में वीरगति को प्राप्त हुये भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के आश्रितों को, जहां तक सम्भव हो उपयुक्त छूट देकर, प्राथमिकता और अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया जाए। यह छूट विशेष रूप से इस प्रकार की नियुक्तियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करते समय संबन्धित लाभ पर विचार करने के मानदण्डों में दी जा सकती है।

आम के वृक्षों को काटना

6928. **श्री बसंत साठे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल के वर्षों में पैकिंग के लिये लकड़ी की पेटियों का निर्माण करने हेतु आम के वृक्षों को भारी संख्या में काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो संतरों की पैकिंग के लिये आम के वृक्षों को काटने से अनुमानतः कितनी क्षति हुई है; और

(ग) आम के वृक्षों को काटने के विरुद्ध तथा आम के वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने के रूप में, विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पैकिंग सम्बन्धी लकड़ी की पेटियों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कड़े उपाय/कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण विकास हेतु उपाय

6929. **श्री ओ० एस० बासवराज**
श्रीमती बासव राजेश्वरी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश में ग्रामीण विकास हेतु कुछ नए उपाय करने पर विचार कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगेय गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना के लिये दृष्टिकोण में जो विकसित

किया जा रहा है, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण सेक्टर के विकास की ओर अधिक झुकाव पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में, आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 50 प्रतिशत उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवंटित करने का विचार है, जिनसे कृषि तथा ग्रामीण सेक्टरों को लाभ पहुंचता है। इस दृष्टिकोण में रोजगार का गारंटीशुदा कार्यक्रमों एक प्रमुख तत्व होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग का प्रसार सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास पर विशेष बल देने के उपाय करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आयोजन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय संसाधनों सहित स्थानीय सरकार की निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं को हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्वृद्धि और रोजगार के अधिक अधिकरण हेतु लोगों की सहभागिता के जरिये एकीकृत क्षेत्र आयोजना शुरू की जा सके।

पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक समझौता

6930. **श्री जी० एस० बावसराज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई सांस्कृतिक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई सांस्कृतिक समझौता करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक सहयोग करार पर 31 दिसम्बर, 1988 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षर किए गए थे तथा अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के साथ ही 18 जून, 1989 को यह करार लागू हो गया। इस करार में दोनों देशों के बीच कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा, जन-माध्यम, सूचना और खेल-कूद के क्षेत्रों में आपसी सम्बन्धों और सद्भावना को बढ़ावा देने तथा विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस करार की प्रमुख विशेषताओं में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, कलाकारों, लेखकों, संगीतज्ञों, खेलकूद टीमों, पुस्तकों प्रकाशनों, कला वस्तुओं, कला एवं अन्य प्रदर्शनियों का आदान प्रदान, सेमिनारों, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में सहभागिता, छात्रवृत्तियों की पेशकश तथा सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल के कोट्टायम जिले में केन्द्रीय विद्यालय

6931. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विमल भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, प्रायोजित एजेंसी विद्यालय खोलने के लिए अभी तक अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकी है। इसके निलम्बित पड़े होने तक विद्यालय को आरम्भ नहीं किया जा सकता।

परिवार पेन्शन की दर में वृद्धि

6932. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन की दर परिवारों के लिए विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवार पेंशन दर में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम परिवार पेंशन 300/-रुपए प्रतिमास निर्धारित की जाए, इसमें सुधार करते हुये सरकार ने 1-1-1986 से न्यूनतम परिवार पेंशन रु० 375/- रुपये प्रतिमास निर्धारित कर दी है। पेंशन के मुकाबले परिवार पेंशन मृतक कर्मचारी की वास्तविक सेवावधि पर कोई विचार किये बिना ही मंजूर की जाती है। यह परिवार पेंशन किसी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए अथवा यदि कर्मचारी जीवित रहा होता और उसने जिस दिन 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती उस तारीख तक कुछ शर्तों के आधार पर सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त परिवार पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत भी उसी तरह मंजूर की जाती है जैसेकि पेंशनभोगियों को समय-समय पर मंजूर की जाती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

करुणामूलक आधार पर रोजगार

6933. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी सन्तान को करुणामूलक आधार पर रोजगार देने से सम्बन्धित अनुदेशों की पुनरीक्षा करने का विचार है क्योंकि वर्तमान अनुदेशों में करुणामूलक आधार पर रोजगार दिए जाने की गारण्टी नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति में नामांकन

6934. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्शदात्री समिति में नामांकन केवल सेवा संघों के शासी निकाय

ही कर सकते हैं तथा संयुक्त परामर्शदात्री समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन का कोई उपबन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संयुक्त परामर्शदात्री समिति में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही व्यक्तियों को भेजने का है ताकि संयुक्त परामर्शदात्री समिति निकाय के दर्जे और कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के उपबन्धों के अनुसार, संयुक्त परामर्श तंत्र में कर्मचारी पक्ष के सदस्यों का नामांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों द्वारा किया जाता है। संयुक्त परामर्श तंत्र के लिए किसी सीधे चुनाव की व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) कर्मचारी पक्ष के सदस्यों का संयुक्त परामर्श तंत्र में नामांकन ऐसे तरीके से किया जाता है जिसके लिए सरकार और कर्मचारी पक्ष के नेता दोनों ही आपस में सहमत हो गये हों। संयुक्त परामर्श तंत्र सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है और संयुक्त परामर्श तंत्र में सीधे चुनाव के माध्यम से व्यक्ति भेजे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध व्यवस्था के लक्ष्य

6935. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इसकी जानकारी किन-किन विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त की जाती है; और

(ग) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था के आंकड़ों/जानकारी के विभिन्न प्रयोक्ताओं के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जो० के० मेनन) : (क) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन० एन० आर० एम० एस०) के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

1) सुदूर संवेदन आंकड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा उपयुक्त सहयोगी उपयोग अध्ययनों के माध्यम से पारम्परिक प्रणाली के साथ इनके समाकलन को सुलभ बनाना,

2) अवसंरचना की स्थापना तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण, और

3) राष्ट्रीय संसाधन सूचना प्रणाली (एन० आर० आई० एस०) के लिए आंकड़ा आधार तैयार करने के लिये ब्लाकों के निर्माण के रूप में उपयोग अध्ययन करना।

(ख) सुदूर सम्वेदन आंकड़ों के स्त्रोत निम्न हैं :

— भारतीय सुदूर सम्वेदन उपग्रह,

— विदेशी सुदूर सम्वेदन उपग्रह जैसे लैण्डसैट, स्पॉट और राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञानीय तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एन० ओ० ए० ए०)—अमरीकी उपग्रह ।

पारम्परिक आकड़ों की जानकारी के स्रोत भारतीय भूविज्ञानीय सर्वेक्षण (जी० एस० आई०), सर्वे ऑफ इण्डिया (एस० ओ० आई०), भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ० एस आई०), केन्द्रीय भूमि जल आयोजना बोर्ड (सी० जी० डब्ल्यू० बी०), मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग आयोजना का राष्ट्रीय ब्यूरो (एन० बी० एस० एस० तथा एल० यू० पी०), कृषि तथा सहकारिता विभाग (डी० ए० तथा सी०) इत्यादी जैसे केन्द्रीय संगठनों एवं तदनुरूप राज्य-स्तर के विभागों द्वारा नियमित रूप से किया जाने वाला सर्वेक्षण और मानीटरन कार्य है ।

(ग) राष्ट्रीय प्राकृतिक ससाधन प्रबन्ध प्रणाली द्वारा उत्पादित आंकड़ों के प्रयोक्ताओं में निम्न शामिल हैं :

— केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग

— राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र

— राष्ट्रीय ससाधन प्रबंध में कार्यरत स्वायत: एजेंसियां ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हल्के लड़ाकू विमानों की बिक्री

6936. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने पर विचार कर रही है;

(ग) इस परियोजना पर अभी तक कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं । हल्के युद्धक विमान के विकास का कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस परियोजना पर मार्च, 1990 तक लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है ।

(घ) हल्के युद्धक विमान की परियोजना की रूपरेखा तैयार होने के बाद उसका पूरा इंजीनियरी विकास कार्य अलग-अलग चरणों में किया जाना है । परियोजना के प्रथम चरण के लिए सरकार से स्वीकृति मांगी गई है । प्रथम चरण में महत्वपूर्ण तकनालाजियों के प्रदर्शन की योजना है । आशा है कि प्रथम चरण के तहत पहली उड़ान 1995 में की जाएगी और सीमित

उड़ान परीक्षण 1997 तक पूरे कर लिए जाएंगे। पूरी मात्रा में इंजीनियरी विकास के द्वितीय चरण के अन्तर्गत विभिन्न तकनीकों के एकीकरण को प्रथम चरण के साथ-साथ प्रदर्शित किया जाना है। पूरी मात्रा में इंजीनियरी विकास कार्य को चरण में पूरा करने के कारण उसके बाद जो उत्पादन चरण शुरू होगा, उसका निर्धारण इंजीनियरी विकास कार्य के दौरान किया जाएगा। यह मान लेने पर कि परियोजना का पूरा होना प्रारम्भिक सक्रियात्मक सफलता पर निर्भर करता है, मौजूदा अनुमान यह है कि सन् 2000 से शुरू होने वाले दशक के आरम्भ के वर्षों में यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

तमिलनाडु में महापाषाणी युग के अवशेषों की खोज

6937. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ दल को तमिलनाडु में पुम्पुहार और तरंगमबाडी समुद्री तट से दूर समुद्र में पहली बार महापाषाणी युग के 2000 वर्ष पुराने अवशेषों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मार्च 1990 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान तमिलनाडु में तरंगमबाडी तट से 400 मीटर दूर एक महापाषाणी अवशेष स्थल का पता लगाया गया था।

(ख) प्रारम्भिक जांच-परिणामों से पता चलता है कि सात मीटर की समुद्री गहराई में इसकी लम्बाई 10 मीटर और चौड़ाई 6.3 मीटर है। शायद 200 ईसा० पूर्व से 200 ईस्वी पहले तक के, इसी प्रकार के पदार्थ, एक बीच चट्टान के ऊपर पाए गए हैं जो वर्तमान में जल-मग्न है।

नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय को धनराशि का आवंटन

6938. **श्री शिकिहो सेमा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लुमामी को वर्ष 1990-91 के दौरान किसी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 1990-91 की अपनी योजना में नागालैंड विश्वविद्यालय सहित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 2 करोड़ रुपये का अस्थायी प्रावधान किया है। नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित आवश्यकता 61.34 करोड़ रुपये है। संसाधनों की पूरी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विश्व-विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक उपाय करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

"टिम्बर शार्टेज टू कंटिन्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6939. श्री आर० एम० राजेश
श्री माणिक राव होडल्या गावीत } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1990 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टिम्बर शर्टेज टू कंटिन्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इमारती लकड़ी की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई "द स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1987" के अनुसार इमारती लकड़ी की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 15 मिलियन घन मीटर अंतर होने का अनुमान है। लकड़ी पर आधारित उद्योगों, गृह निर्माण आदि के लिए मांग में वृद्धि होने तथा प्राकृतिक वनों से इमारती लकड़ी के शोषण में गिरावट के कारण कमी हुई है।

(घ) इमारती लकड़ी की मांग के दबाव को कम करने के लिए नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं :—

(1) वन उत्पाद के कुशल उपयोग और लकड़ी के अधिक से अधिक प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना।

(2) वैज्ञानिक और तकनीकी निवेशों के उपयोग के जरिए वन आवरण और वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

(3) वन पर आधारित उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चा माल स्वयं उगाना चाहिये। उन्हें कारखाने और उन लोगों से सीधा सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए जो ऋण सहित निवेश, निरन्तर तकनीकी सलाह और अंततः कटाई और परिवहन सेवाएं लेकर कच्चा माल उगा सकते हैं।

(4) किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों को उनके पास उपलब्ध सीमांत अवक्रमित भूमि पर उद्योगों के लिए अपेक्षित लकड़ी की प्रजातियां उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई दिल्ली स्थित पीठ के समक्ष लम्बित मुकदमें

6940. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर मुकदमों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई दिल्ली स्थित पीठ में 31 दिसम्बर, 1989 को कितने मुकदमे लम्बित पड़े थे;

(ग) 31 दिसम्बर, 1989 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राधिकरण की नई दिल्ली स्थित पीठ में कितने मुकदमें दायर किये गये; और

(घ) इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31-12-1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नई दिल्ली स्थित मुख्य न्यायपीठ के सामने लम्बित मामलों की संख्या (विविध प्रकार की याचिकाओं को छोड़कर) 6528 है।

(ग) 31-12-1989 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित मुख्य न्यायपीठ में दायर किए गए मामलों की संख्या 8421 है।

(घ) लम्बित मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए केन्द्रिय प्रशासनिक अधिकरण की नई दिल्ली स्थित मुख्य न्यायपीठ में दो और न्यायपीठें स्थापित करने का सरकार ने पहले ही निर्णय किया है।

अनुसंधान पोत सागर-कन्या

6941. **श्री डी० पंडियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि-दुर्घटना में अनुसंधान पोत "सागर-कन्या" को हुई क्षति के कारणों की जांच की गई थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पोत के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् अनुसंधान पोत की गति कम होकर आधा समुद्री-मील प्रति घंटा रह गई है तथा इसकी मरम्मत और दैनिक परिभ्रमण व्यय के साथ-साथ इसकी ईंधन खपत में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसे कैरिबियन सागर में चलाने के क्या कारण हैं;

(घ) मरम्मत के पश्चात् इस समय पोत की गति, दैनिक परिभ्रमण व्यय और ईंधन की खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पोत के तमिलनाडु के समुद्री तट पर अब तक न पहुंचने के क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अनुसंधान जलयान सागर कन्या पर आग दुर्घटना के कारणों की जांच की गई। जलयान के इंजन कक्ष में आग लगने का कारण सम्भवतः सहायक ईंधन से डीजल तेल ईंधन वाले एक जेट का आकस्मिक टकराव था।

(ख) इस जलयान की गति किसी समय भी 8 समुद्री मील प्रति घंटा से कम नहीं हुई है। दुर्घटना के बाद ईंधन की खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस जलयान की प्रचालन लागत में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है।

(ग) यह जलयान राष्ट्रमण्डल विज्ञान परिषद और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रमण्डल विज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत कैरिबियन सागर में समुद्र ज्ञान अनुसंधान से सम्बन्धित समुद्री यात्रा कर रहा है।

(घ) साफ मौसम की दशाओं में इस जलयान की सामान्य समुद्री यात्रा की गति 12 समुद्री मील होती है। दुर्घटना से पहले की तरह ही, 195/200 प्रति मिनट परिभ्रमण की गति से ईन्धन की औसत खपत 15 टन प्रतिदिन है। पत्तन देय, ईन्धन प्रभार आदि जैसे प्रचालन व्यय को छोड़कर इस जलयान का दैनिक स्थायी प्रभार 69,265 रुपए है।

(ङ) तमिलनाडु शेल्फ सहित भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ में समुद्री विज्ञान और भू-भौतिकी सर्वेक्षण के लिए इस जहाज का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

प्रदूषण की स्थिति से सम्बन्धित रिपोर्ट

6942. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल तथा वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने एवं इसकी स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्टें तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु और जल गुणवत्ता स्तरों की निगरानी करते हैं। उन्हें स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए नहीं कहा गया है।

(ख) 31 मार्च, 1990 तक की स्थिति के अनुसार देश में 400 जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र और 157 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र हैं।

बिहार में पूर्व और पश्चिम चम्पारन जिलों की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण

6943. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पूर्व और पश्चिम चम्पारन जिलों की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बिना भवन वाले विद्यालय

6944. श्री सरयू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर लखनऊ और प्रतापगढ़ में कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकंडरी तथा केन्द्रीय विद्यालय बिना भवनों के कार्य कर रहे हैं, और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इन स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिना भवनों के स्कूलों की संख्या इस प्रकार से है :—

	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	केन्द्रीय विद्यालय
लखनऊ में	322	35	शून्य	शून्य
प्रतापगढ़ में	387	20	शून्य	शून्य
राज्य में	13689	2129	15	शून्य

(ख) और (ग) स्कूल के भवनों का निर्माण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उनके द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे शुरू किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में मिडिल अथवा माध्यमिक स्कूल भवनों के निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, नौवें वित्त आयोग ने वर्ष 1989-90 में प्राइमरी स्कूल के भवनों के लिए 69.61 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। राज्य सरकार ने भी एन०आर०ई०पी०/आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण करने के लिए वर्ष 1987-88 में 8.83 करोड़ रुपए और वर्ष 1988-89 में 9.01 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

दिल्ली चिड़ियाघर का सुधार करना

6945. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चिड़ियाघर को बेहतर बनाने तथा उसे आदर्श रूप देने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली के पशुओं के रहने की स्थिति को स्वास्थ्यकर और अनुकूल बनाने तथा दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुधारा जा रहा है। इस सम्बन्ध में शुरू किए गए मुख्य निर्माण कार्य संलग्न विवरण में अनुमानित खर्च के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण द्वारा उद्यान को हरा-भरा बनाने का एक अभियान चलाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में किए जा रहे मुख्य निर्माण कार्य

(धनराशि रुपयों में)

क्र० सं०	कार्य की मद का नाम	अनुमानित लागत
1.	जल संग्रहण तालाबों का निर्माण कार्य	20,74,000
2.	अतिरिक्त जल लाइन बिछाकर जल आपूर्ति में वृद्धि करना	91,500
3.	बन्दरों के बाड़ों की वृद्धि	6,20,000
4.	सरीसृप घर का निर्माण	18,99,000
5.	400 कि०वा० पावर सब-स्टेशन का निर्माण	44,95,000
6.	विकलांग लोगों के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर रपटा निर्माण	22,000
		92,01,500

छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन

6946. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की कोई जांच की है; और

(घ) इस अधिनियम में कब तक संशोधन किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

पक्षियों के लिए नए अभयारण्य

6947. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ नए पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में कितने नए पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का विचार है;

(ग) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नए अभयारण्य स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या उड़ीसा में भी कोई पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) वन्यजीव अभयारण्यों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है।

योजना व्यय शीर्ष के अन्तर्गत पंजाब को आवंटन

6948. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना व्यय शीर्ष के अन्तर्गत पंजाब को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उपर्युक्त धनराशि का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेश गोवर्धन) : (क) पंजाब की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3283 करोड़ रुपये के परिव्यय पर सहमत हुई थी।

(ख) और (ग) किसी राज्य के योजना परिव्यय का आकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर तय किया जाता है जिसमें (क) राज्य के अपने संसाधन और (ख) केन्द्रीय सहायता शामिल होते हैं। केन्द्रीय सहायता राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अगस्त 1980 में यथा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आवंटित की जाती है। केन्द्रीय सहायता के आवंटन के प्रयोजन से, राज्यों को दो श्रेणियों अर्थात् विशेष श्रेणी राज्यों और गैर-विशेष श्रेणी राज्य में बांटा गया है, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता सकल वितरण योग्य पूल से पहले से अधिकृत होती है और शेष राशि पंजाब जैसे गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच संशोधित गाडगिल फार्मूले में समाविष्ट जैसाकि नीचे देखा जा सकता है विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर आवंटित होती है :

मद	वरीयता
1. जनसंख्या	60%
2. प्रति व्यक्ति कर प्रयास	10%
3. राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य	20%
4. विशेष समस्याएं	10%
	100%

पंजाब के मामले में सातवीं योजनावधि के दौरान विशेष केन्द्रीय ऋण प्रदाएन कि गए थे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में "जूनियर प्रोग्रामिंग एसिसटेंटों" की भर्ती

6949. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में एन०आर०ए०एस० की तृतीय ग्रेड (:400-2300 ई०) में प्रवेश स्तर पर भर्ती करने हेतु निर्धारित योग्यताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन योग्यताओं में गत वर्ष 'जूनियर प्रोग्रामिंग एसिसटेंटो" के पदों पर भर्ती करते समय छूट दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों, जिन्होंने इस पद हेतु आवेदन किया था, की उपेक्षा की गई थी और केवल विभागीय उम्मीदवारों को ही बुलाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) में नवीन भर्ती और मूल्यांकन योजना (एन०आर०ए०एस०) के अन्तर्गत प्रवेश स्तर पर समूह (वर्ग)-III की निर्धारित योग्यताएं इस प्रकार हैं : बी०एस०सी० (साइंस)/बी० लिब० साइंस/तीन वर्ष की अवधि का इंजी०/टेक० में डिप्लोमा या समकक्ष।

(ख) और (ग) विज्ञान में डिग्री/इंजी०/टेक० में डिप्लोमा के अतिरिक्त समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर बी० कॉम/बी०ए० (गणित) की योग्यताएं भी विज्ञापन में इस पद के लिए निर्धारित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कम से कम 6 माह की कुल अवधि का कम्प्यूटर भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स और साथ में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव निर्धारित किए गए थे जिससे कि कम्प्यूटर ऑपरेशन और अनुप्रयोगों में पारंगत सक्षम व्यक्तियों के चयन में वृहद (अधिक) विकल्प मिल सके।

(घ) और (ङ) जी नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर 22 उम्मीदवार परीक्षा और साक्षात्कार के बुलाए गए थे जिनमें से केवल दो सी०एस०आई०आर० के थे।

साधारण बीमा निगम में रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम

6950. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में 16 अप्रैल 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि उन्हें साधारण बीमा निगम में नियुक्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षार्थियों के चयन के लिए प्रस्तावित मानदण्डों का ब्योरा क्या है तथा साधारण बीमा निगम में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है;

(घ) क्या प्रशिक्षार्थियों को कोई वजीफा देने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ङ) साधारण बीमा निगम और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सहमत हुए मानदण्ड के अनुसार वे छात्र जो बारहवीं कक्षा में साधारण बीमा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% अंक प्राप्त करते हैं, वे छात्र साधारण बीमा निगम में प्रशिक्षु सहायक के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। यह उनके साक्षात्कार और डाक्टरी जांच की स्वीकृति पर होगा।

प्रशिक्षु सहायक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस अवधि के दौरान उन्हें साधारण बीमा निगम द्वारा हजार रुपए प्रतिमाह की वृत्तिका दी जाएगी।

प्रशिक्षुता अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्रों को निर्धारित वेतनमानों में नियमित आधार पर सहायकों के रूप मे नियुक्त किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में वानिकी योजना

6951. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनरोपण, सामाजिक और कृषि वानिकी योजनाओं को विभिन्न राज्यों में मुस्तैदी से लागू करने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में सातवीं योजना अवधि (1985-90) में कुल 9.9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग

6952. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पश्चिम जर्मनी और फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में इन देशों से सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है; और

(घ) अब तक सहयोग के जिन अन्य क्षेत्रों का पता लगाया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) पश्चिम जर्मनी के साथ प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता के नए क्षेत्रों का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। लेकिन केन्द्रीय और चुने हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने से संबंधित एक पर्यावरणीय परियोजना का जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से 1985 में आरम्भ किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य प्रयोगशालाओं में सुधार करना तथा जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों में केन्द्रीय बोर्ड सहित चुनिन्दा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है। परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है तथा परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है। फ्रांस सरकार के सहयोग से इस समय प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कोई परियोजना नहीं चल रही है।

(घ) पश्चिम जर्मनी के साथ सहयोग के किसी अन्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन पश्चिम जर्मनी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक समेकित वनीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में भारत की सहायता की है। कर्नाटक के चुने हुए क्षेत्रों में व्यापक भूमि उपयोग प्रबन्ध पर अन्य परियोजना को धन देने के लिए पश्चिम जर्मनी सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फ्रांस के साथ अभी तक सहयोग के किन्ही और क्षेत्रों का पता नहीं लगाया गया है।

तटवर्ती क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना

6953. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को देश में तटवर्ती क्षेत्रों के लिए स्थिति रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक स्थिति सम्बन्धी कागजात और पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर ली है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों के तैयार करने में देरी होने के कारण उन क्षेत्रों में विकास की कोई गतिविधि नहीं चलाई जा रही है जो उच्च ज्वार आने वाले स्थान से 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में पर्यटन विकास के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु अन्तर मन्त्रालय समिति द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों द्वारा स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई है। किसी भी राज्य ने पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार नहीं की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलर तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

6954. **श्री पी०सी० थामस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन इलेक्ट्रॉनिक एककों के नाम क्या हैं जो टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रही है;

(ख) क्या वे पूर्णत: स्वदेशी प्रौद्योगिकी और सामान का प्रयोग करके इनका निर्माण कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० ओ० के० मेनन) : (क) दूरदर्शन के लिए भारत में पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली इलेक्ट्रानिकी इकाइयों के नाम सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली इलेक्ट्रानिकी इकाइयों ने कोई विदेशी-सहयोग नही किया है। रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली तीन इलेक्ट्रानिकी इकाइयां विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। इस समय पिक्चर ट्यूबो के विनिर्माण के लिए आवश्यक अधिकांश कच्ची सामग्रियों का स्वदेश में विनिर्माण नही किया जा रहा है। यह मुख्यत: इसलिए है कि क्योंकि इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है तथा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करना वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवपार्य नहीं है। किन्तु, मांग में वृद्धि होने से, सामग्रियों का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण हो रहा है। श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के मामले में, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड अपने तलोजा स्थित संयंत्र में एक मुख्य संघटक पुर्जा, ग्लास शील का विनिर्माण कर रहा है।

विवरण

क. श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली इलेक्ट्रानिक इकाइयों की सूची

1. मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर
2. मेसर्स टेली ट्यूब इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
3. मेसर्स जे०सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिब जादा अजीत सिंह नगर, पंजाब
4. मेसर्स वेवेल वीडियो डेवाइसिस लि०, कलकत्ता
5. मेसर्स समटेल (इंडिया) लि०, भिवाड़ी, राजस्थान
6. मेसर्स फेनोविजन लि०, मेडक, आन्ध्र प्रदेश
7. मेसर्स मुल्लार्ड ट्यूब प्रा० लि०, लुधियाना, पंजाब
8. मेसर्स प्रकाश पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीस लि०, काशीपुर, उ० प्र०

9. मेसर्स क्वालीट्रॉन कम्पोनेन्ट्स लि०, अहमदाबाद

10. मेसर्स सुचित्रा टेलीट्यूब्स लि०, हैदराबाद

ख. रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करने वाली इलेक्ट्रानिक इकाइयों की सूची

1. मेसर्स जे०सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब

2. मेसर्स अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०, साहिबाबाद, उ० प्र०

3. मेसर्स समटेल कलर लि०, दादरी, गाजियाबाद

रोजगार को डिग्रियों के साथ न जोड़ा जाना

6955. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की संशोधित शिक्षा नीति के अनुसार डिग्रियों को रोजगार से अलग नहीं किया गया है और केवल उन्हीं लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती है जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा अन्य छात्रों को रोजगार पाने अथवा जीवन यापन व्यवस्थित करने के अन्य अवसर प्रदान किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम प्रतिभाशाली छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराने अथवा उन्हें दुकानें आवंटित न करने या और किसी प्रकार के अन्य साधन उपलब्ध कराकर उन्हें जीवन यापन की अन्य व्यवस्था का अवसर न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकरियों से डिग्रियों को न जोड़ने की शुरूआत की जाएगी । नीति में इस बात की भी परिकल्पना की गयी है कि व्यावसायिक शिक्षा के सुव्यवस्थित, सुनियोजित तथा कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों को प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में आरम्भ करना महत्वपूर्ण है । इन घटकों का आशय किसी व्यक्ति की नियोज्यता में वृद्धि करना, निपुण जनशक्ति में मांग और आपूर्ति के बीच व्याप्त असंतुलन को कम करना; और बिना किसी विशेष रुचि अथवा उद्देश्य के उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने वालों के लिए एक विकल्प की व्यवस्था करना है । इन उद्देश्यों के अनुसरण में रोजगार क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं । साधारण बीमा निगम के सहयोग से बीमा पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया गया है । सहयोगी प्रयासों के सम्बन्ध में भी अन्य विभागों/संगठनों के साथ विचार किया जा रहा है ।

व्यावसायिक शिक्षा रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकती, परन्तु छात्रों को रोजगार के योग्य बनाकर रोजगार को सुकर बनाने का प्रयास करती है । माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से इन क्षेत्रों में रोजगार संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के लिये अनुरोध किया जाता है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सके ।

रक्षा सामग्रियों का निर्यात

6956 श्री जनार्दन पुजारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान और 1990 में अब तक कितने मूल्य की रक्षा सामग्री निर्यात की गई है; और

(ख) इस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सरकार और सरकारी क्षेत्र में उत्पादन यूनिटों से 1988-89 में 18.99 करोड़ रुपये और 1989-90 में 23.66 करोड़ रुपये की कीमत के रक्षा सामान का निर्यात हुआ।

(ख) रक्षा सामान की निर्यात से सम्बन्धित नीति एवं प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिन देशों को निर्यात किया जा सकता है और जिन मदों का निर्यात किया जा सकता है, उनका पता लगा लिया गया है। सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अल्प एवं दीर्घ-अवधि की सामूहिक निर्यात नीतियां तैयार करें। आयुध निर्माणी बोर्डों को सीधे निर्यात के लिए प्राधिकृत किया गया है। विदेशों में हमारे मिशनों के प्रमुखों को भी कहा गया है कि वे अपने देश के रक्षा सामान के निर्यात को बढ़ाने में रूचि लें। सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों द्वारा तैयार किए गए सामान को विदेशों में रक्षा प्रदर्शनों में दिखाया जा रहा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर को "एक निर्यात केन्द्र" (एक्सपोर्ट हाउस) घोषित किया गया है ताकि यह कम्पनी और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र के अन्य रक्षा उपक्रम निर्यात के क्षेत्र में और मजबूती से अपने पांव जमा सकें।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों और डिस्टिलरियों द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

6957. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों और डिस्टिलरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के फलस्वरूप मछलियों के मरने और महामारी फैलने को रोकने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) मानकों की अधिसूचना जिनमें चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों के बहिस्रावों के विसर्जन के लिए मानक निर्धारित किए गये हैं।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों को बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(3) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

6958. श्री लेइता अम्बरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार किया गया है और ये कहां कहां खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मय भाई मेहता) : (क) अरुणाचल प्रदेश में 31.3.1990 की यथास्थिति के अनुसार 6 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर उनके नाम के सामने दर्शायी गयी प्रायोजित एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

i) एलांग, जिला पश्चिम सियांग—असम राइफिल्स

ii) जयरामपुर, जिला—चंगलांग —वही—

iii) रंगनाड़ी हाईड्रो इलैक्ट्रिक —उत्तर पूर्व इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन याजाली

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और स्थान के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति

6959. श्री बापूराव परांजपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान वेतनमानों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों के निर्धारण में कई विसंगतियां पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मय भाई मेहता) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम० ईस० एस० इंजीनियरों की मांगें

6960. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया एम० ई० एस सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने हाल ही में अपनी मांगों के सम्बन्ध में उन्हें एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) एसोसिएशन ने निम्नलिखित मुख्य मांगें उठाई हैं :—

(1) ए० एस० डब्ल्यू० की हर वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति को अन्तिम रूप देना;

(2) ग्रेड-1 और 2 के अधीक्षकों/सर्वेक्षकों की भर्ती और पदोन्नति पर रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाई गई पाबन्दी को हटाना;

(3) ग्रेड-1 और 2 के सभी अधीक्षकों को यात्रा भत्ता देना; और

(4) अधीनस्थ इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों की तैनाती तथा स्थानांतरण की नीति की पुनरीक्षा करना ।

इस विषय में की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

(1) ए० एस० डब्ल्यू० के लिए वर्ष 1987 तक की विभागीय पदोन्नति समितियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(2) भर्ती के माध्यम से खाली पदों को भरने और पदोन्नति पर लगाई गई पाबन्दी सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप है ।

(3) सैन्य इंजीनियरी सेवा के सभी अधीक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं है । एसोसिएशन को आश्वासन दिया गया है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत विशिष्ट पदों के जो पात्र कर्मचारी अपने दावे पेश करेंगे उन्हें मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा ।

(4) सैन्य इंजीनियरी सेवा के अधीनस्थ इंजीनियरों की तैनाती और स्थानांतरण संबंधी वर्तमान नीति इस विषय में सरकारी आदेशों पर आधारित है और इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की कमी

6961. श्री डी० पंडियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में मद्रास के निकट पल्लावरम छावनी क्षेत्र रक्षा विभाग द्वारा शासित किया जाता है उक्त छावनी क्षेत्रों की सीमा के

अन्तर्गत रहने वाले निवासियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आर्थिक योजनाओं का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जाता है कि इन क्षेत्रों पर रक्षा नियम लागू होते हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन क्षेत्रों के निवासियों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित राहत योजनाओं का लाभ मिले और वहां पर अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) छावनी क्षेत्रों की सिविल आबादी विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत समान रूप से सहायता प्राप्त करने की पात्र होती है ।

(ख) छावनी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने वाली विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती हैं ।

माझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा आयात

6962. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई, विदेशों से विभिन्न प्रकार के पाईपों और फिटिंग का अन्य अत्याधुनिक सामान का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विभिन्न प्रकार के "शिप फायर प्रोटेक्शन डोर्स" का भी आयात कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ये सामान किन देशों से आयात किए गए और उनका मूल्य क्या था और उन पर कितना खर्च किया गया ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय इस मद का आयात नहीं किया जा रहा है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (क) भाग में उल्लिखित मदों सहित, आयात किए गए सामान का कुल मूल्य इस प्रकार था :—

	(रुपए लाखों में)
1986-87	10,402.23
1987-88	10,270.72
1988-89	8,826.47

यह सामान मुख्यतः ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और रूस से प्राप्त किए गए ।

आठवीं योजना के लिए मुख्यमंत्रियों के सुझाव

6963. श्री गोपी नाथ मजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से योजना प्रक्रिया को परिवर्तित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना तैयार करते समय मुख्य मंत्रियों के सुझावों को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भा ोय गोखर्धन) : (क) जी नहीं, यद्यपि योजना प्रक्रिया मे परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नए दृष्टिकोण का, जो तैयार किया जा रहा है, उद्देश्य विकास की पूर्व पद्धति में आ चुकी विकृतियों को दूर करना है । नए दृष्टिकोण में न केवल आयोजना के संकेन्द्रण और प्राथमिकताओं को पुन: तैयार करने की परिकल्पना है बल्कि इसके कार्यतंत्र और पद्धति को भी बदलने की परिकल्पना है ताकि योजना आयोग एक ओर तो राज्य आयोजना संस्थाओं के साथ निकटतर सम्बन्ध रख सके और दूसरी ओर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं और राज्य स्तरीय आयोजना संस्थाओं के बीच निकटतर अन्त: क्रिया हो सके ।

वर्ष 1990-91 के दौरान अन्तरिक्ष कार्यक्रम

6964. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आरम्भ किए जाने वाले विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी०के० मेनन) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित विविध अन्तरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

— राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन० एन० आर० एम० एस०) के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बकी प्रदान करने के लिए आई० आर० एस० I ए० अन्तरिक्ष-यान का प्रचालन जारी रखना ।

— इन्सैट प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रचालनात्मक सेवाओं को जारी रखना ।

— जून 1990 में इन्सैट-I डी० का प्रमोचन और प्रचालनीकरण करना ।

— निम्न का विकास :

क) जून 1991 में प्रमोचन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०1 बी०) ।

ख) 1991 के अन्त में प्रमोचन के लिए इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान ।

ग) 1991 के पूर्वार्ध में प्रमोचन के लिए सम्वर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) ।

घ) 1991 की अन्तिम तिमाही में प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०)।

— निम्न के विकास से सम्बन्धित क्रियाकलाप :

क) आई० आर० एस० 1 ए०/1बी० के अनुवर्ती द्वितीय पीढ़ी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० 1 सी०/1 डी०)।

ख) इन्सैट-II ए० और II बी० के अनुवर्ती इन्सैट-2 "सी", "डी" और "ई"।

ग) भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०); और

घ) निम्नतापी इंजिन और खण्ड।

— अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विज्ञान पर अग्रिम अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप।

(ख) वर्ष 1990-91 के अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए 434.86 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 के लिए विविध कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा अन्तरिक्ष विभाग के निष्पादन बजट, 1990-91 में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भंडारण विभाग में कथित भ्रष्टाचार

6965 श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री सूबदार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कैंटीन भंडारण विभाग की कथित व्यापक अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) क्या कैंटीन भंडारण विभाग द्वारा उस अतिरिक्त व्यय के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कोई कार्यवाही की गई है जिसका कि वर्ष 1989 के "केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाएं—थल सेना और आयुध फैक्टरियां)" संख्या 2 सम्बन्धी उनके प्रतिवेदन के पैरा 33-37 में उल्लेख किया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अगस्त 1989 में इस विभाग से 48 फाइलें प्राप्त की थीं; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर तथा की गई जांच से क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क), (ख) और (ङ) कैंटीन स्टोर विभाग में धांधली और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। यदि शिकायतों से प्रथम दृष्टया मामले की आगे जांच करने का औचित्य दिखाई देता है तो इनकी उचित रूप से जांच की जाती है। हाल ही में प्राप्त ऐसी कुछ शिकायतों की जांच करने का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिए

कैंटीन स्टोर विभाग की कुछ फाइलें ली हैं। इन शिकायतों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1989 की रिपोर्ट नं० 2 में शामिल पैरा 33, 34 और 37 का सम्बन्ध कैंटीन स्टोर विभाग की कार्यप्रणाली से है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताएं संक्षेप में इस प्रकार से हैं :—

(1) पैरा 33 — इसका सम्बन्ध सस्ती किस्म की बजाए अन्य किस्म की रम खरीदने पर किए गए अतिरिक्त व्यय से है।

(2) पैरा 34 — इसका सम्बन्ध डिब्बा बन्द गोश्त की खरीद पर किए गए अतिरिक्त व्यय से है।

(3) पैरा 37 — इसका सम्बन्ध अण्डे का पाउडर खरीदने के लिए संविदा से अधिक अदायगी करने से है।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, लोक लेखा समिति को प्रत्येक मामले में लिए गए निर्णयों के आधार और उन निर्णयों पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, से यथा समय अवगत करा दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में रक्षा औद्योगिक परियोजना

[हिन्दी]

6966. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में रक्षा औद्योगिक परियोजना स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी ऐसी ही मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक स्थापित कर दी जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक आयुध निर्माणी स्थापित करने का अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल कोई नई आयुध निर्माणी स्थापित न की जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

6967. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई है,

(ख) यदि हां, तो सूत्र-वार तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी,

(घ) क्या इस पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां । नवीनतम समीक्षा के अनुसार, अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान, 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों में उत्तर प्रदेश का बारहवां स्थान रहा । इस कार्यक्रम के लिए चयन की गई उन 27 मदों, जिनका प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाता है, के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति का ब्यौरा विवरण-1 में है ।

(ग) से (च) राज्य योजना क्षेत्र में आवंटित निधियों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है । 1989-90 के व्यय का ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से ज्ञात नहीं हुआ है ।

विवरण-1

1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सूत्र	मद	इकाई	वार्षिक लक्ष्य 1989-90	अप्रैल-फरवरी 1989-90 का लक्ष्य	अप्रैल-फरवरी 1989-90 की उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1 (क)	ए० ग्रा० वि० का०	परिवार की संख्या	[illegible]	516026	517781	100
1 (ख)	ज० रो० योजना	लाख कार्य दिवस	1436.0	1244.5	1266.5	102
1 (घ)	लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	24000	22000	23122	105
5.	फालतू भूमि	एकड़	1600	1440	3692	256
6.	बंधुआ मजदूर	संख्या	101	86	297	345

1	2	3	4	5	6	7
7.	पेय जल सप्लाई	गांव	4193	3774	8295	220
8क	सी० एच० सी० एस०	संख्या	35	26	शून्य	0
8ख	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	सं०	676	563	21	4
8ग	उप केन्द्र	संख्या	500	467	शून्य	0
8घ	बाल प्रतिरक्षण	लाख संख्या	37.5	33.1	34.1	103
9क	परिवार नियोजन नसबंदी	लाख सं०	7.00	6.18	3.90	63
9ख	समतुल्य नसबंदी	लाख संख्या	5.09	4.60	4.69	102
9ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड	संख्या	210	209	207	99
9घ	आंगनवाड़ी	संख्या	21971	21886	19578	90
11क	अनु० जा० के परिवार	सं०	370000	326833	244803	75
11ख	अनु० जन० जा० के परिवार	सं०	3200	2869	2556	89
14क	आवास स्थल	सं०	50000	45333	117777	260
14ख	निर्माण सहायता	सं०	30000	27 00	54426	200
14ग	इंदिरा आ० यो० (अनु० जा०/अनु० जन० जाति)	सं०	23315	21139	22320	106
14घ	आ० रुप से पिछड़े वर्ग को मकान	सं०	18000	16320	15774	97
14ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	सं०	7500	6800	6885	101
15.	गंदी बस्तियो का सुधार	सं०	200000	181333	155358	86

1	2	3	4	5	6	7
16.	वृक्षारोपण	करोड़ संख्या	55.0	53.7	53.7	100
19क	विद्युतिकृत गांव	सं०	2365	1979	973	49
19ख	शक्ति चालित पंपसेट	सं०	20000	17133	13937	81
19ग	सुधरे चूल्हे	सं०	210000	173600	127786	74
19घ	बायो गैस संयंत्र	सं०	12000	9600	8280	86

विवरण-2

बीस सूत्री कार्यक्रम—उत्तर प्रदेश

वर्ष 1989-90 में परिव्यय (राज्य योजना क्षेत्र)	लाख रुपये
1. ग्रामीण गरीबी पर प्रहार	
ए० ग्रा० वि० का०	7805
जवाहर रोजगार योजना	10341
सामुदायिक विकास और पंचायत	2947
ग्राम लघु उद्योग	3289
2. वर्षा पर आधारित कृषि	693
3. सिंचाई का बेहतर उपयोग	42165
4. उन्नत कृषि	15936
5. भूमि सुधार	3000
6. सुरक्षित पेय जल	7524
7. सभी के लिए स्वास्थ्य	3300
8. दो बच्चों का मानदंड पोषण	2020
9. शिक्षा	16577
10. अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	3791
11. युवाओं के लिए अवसर	1113
12. लोगों के लिए मकान	3000
13. गंदी बस्तियों का सुधार	580
14. बानिकी	4600
15. पर्यावरण का संरक्षण	230
16. उपभोक्ता कल्याण	52
17. गांवों के लिए बिजली	3635
योग :	132598

बिहार को आवंटित धनराशि

6969. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा बिहार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है,

(ख) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ग) यदि कोई रकम खर्च नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) बिहार की चालू पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

6970. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने सम्बन्धी कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकार द्वारा बिहार के ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को चालू पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे निदेश जारी करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों का पुनः सरकारी नौकरी देते समय उन्हें आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि में छूट दी जाती है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समूह "ग" के 10 प्रतिशत पद और समूह "घ" के 20 प्रतिशत पद और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह "ग" के 14½ प्रतिशत पद तथा समूह "घ" के 24½ प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होते हैं। कई राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण किया है जिनकी प्रतिशतता राज्यवार अलग-अलग है। यद्यपि बिहार राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में पिछले 5 वर्षों (1985-89) के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	1985	1986	1987	1988	1989
केन्द्रीय सरकार	204	122	126	96	71
केन्द्रीय सरकार के सार्व-	419	614	122	184	265
जनिक क्षेत्र के उपक्रम					
राज्य सरकार	99	474	60	18	68
राज्य सरकार के सार्वजनिक	36	53	3	7	18
क्षेत्र के उपक्रम					
स्थानीय निकाय	8	37	1	12	5
निजी क्षेत्र	96	151	43	19	35
कुल	862	1552	370	336	462

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में बिहार राज्य सरकार को कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं। फिर भी बिहार सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों के समय समय पर इस बात पर जोर देने के लिए कहा जाता रहा है कि वे यथा सम्भव अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करें और यदि अब तक नहीं की गई है तो उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करें।

(ङ) जी, नहीं।

राजस्थान में 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम

6971. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार को 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या राजस्थान के अधिकांश स्कूलों में भवन, ब्लैक बोर्ड और टाट की पट्टियां नहीं हैं तथा ऐसे अधिकांश स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्कूलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत राजस्थान को निम्नलिखित राशियां मुक्त की गई है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1987-88	1175.55
1988-89	1123.68
1989-90	1568.63

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य में 27014

प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें से 2091 स्कूल बिना भवन के और 5104 मात्र एक कक्षा वाले स्कूल हैं।

लगभग सभी स्कूलों में श्यामपटटों और टाटापट्टियों सहित अपेक्षित शिक्षण अध्ययन उपस्करों की आवश्यकता है।

सभी प्राथमिक स्कूलों को आप्रेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल करने और उन्हें कम से कम दो शिक्षकों, सभी मौसमों में काम आने वाले दो कक्षा वाले भवनों तथा नक्शों, चार्टों, श्यामपट्टों, टाट्पट्टियों, एक छोटा सा पुस्तकालय, खेल उपस्करों आदि सहित अपेक्षित शिक्षण अध्ययन उपस्करों का एक सेट प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1987-88 और 1988-89 में इस योजना के अंतर्गत 17198 स्कूल शामिल किए जा चुके हैं और बाकी स्कूलों को शामिल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

"अर्जुन" टैंक के विकास में प्रगति

[अनुवाद]

6972. श्री एम० एम० पल्लम राजू
श्री दिलीप सिंह जू देव } क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1990 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "एम० बी० टी० प्रोजेक्ट रन्स इन -टू रफ वेदर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) मेन बैटल टैंक "अर्जुन" का इस समय किस चरण में विकास किया जा रहा है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(घ) मूल विनिर्देशों के अनुसार इस टैंक का निर्माण कार्य किस तिथि से शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस परियोजना की प्रगति में विलम्ब के किन-किन मुख्य कारणों का पता लगाया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट गलत सूचना पर आधारित हैं और उनमें यथार्थता नहीं है। चूंकि परियोजना संवेदनशील किस्म की है अतः उनका खण्डन करने के लिए रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करना उचित नहीं होगा। तथापि, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि "मुख्य युद्धक टैंक, अर्जुन" का विकास प्रारम्भ में निर्धारित जनरल स्टाफ गुणता आवश्यकताओं के अनुसार, जिन्हें कि थलसेना द्वारा समय-समय पर आधुनिकतम बनाया जाता रहा है, किया जा रहा है। प्रारम्भ में पेश आने वाली कुछ समस्याओं के कारण परियोजना के विकास में निःसन्देह कुछ विलम्ब हुआ है। तथापि इस प्रकार की हथियार प्रणाली के विकास

कार्यक्रम में ऐसा सामान्यतः होता है। अब परियोजना का विकास-कार्य काफी आगे बढ़ गया है और उस पर प्रयोक्ता परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) इस टैंक के 12 आद्यरूप बनाए गए हैं, जिनमें से दो पूरी तरह से एकीकृत रूप में हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्रयोक्ता एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन के दौरान इस टैंक के विभिन्न आद्यरूपों द्वारा अब तक कुल मिलाकर 12,500 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है. इसकी हथियार-प्रणाली परीक्षण के मूल्यांकन के दौरान उसकी इस क्षमता को देखने के लिए कि वह कितनी दूरी तक कितना सही और स्थिरता से निशाने पर मार कर सकता है, इस टैंक के आद्यरूपों से कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के 75+ गोले दागे गए। इसकी प्रतिरोध क्षमता का भी निरीक्षण किया जा चुका है तो सन्तोषजनक रहा है। इस टैंक के पूरी तरह से एकीकृत दो आद्यरूपों का राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता और फायर क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 1990 में गर्मियों के दौरान सेना के मुख्य युद्धक टैंक सैल द्वारा इन टैंकों का जांच-परीक्षा किया जाएगा।

(घ) टैंकों का उत्पादन 1992 तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ङ) (1) गुणता आवश्यकताओं में परिवर्तन।

(2) सेना द्वारा टैंक के अतिरिक्त आद्यरूपों की आवश्यकता।

(3) उत्पादन शुरू करने से पूर्व टैंक की विभिन्न श्रेणियों के आद्यरूपों के निर्माण की आवश्यकता।

(4) तकनीकी और प्रयोक्ता परीक्षण का और अधिक वास्तविक मूल्यांकन।

पश्चिमी घाटों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

6973. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील**
श्री टी० बशीर } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी घाटों के विकास सम्बन्धी अनेक योजनाओं के लिए केरल को कोई वित्तीय सहायता दी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने पश्चिमी घाट के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट के विकास के लिए वर्ष 1990-91 के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोयलीय) : (क) से (ङ) केरल सरकार को पश्चिमी घाट के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मुहैया की जा रही है जिससे पारिस्थितिकीय विकास, जो कार्यक्रम का मुख्य

विषय से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विशेष बल सहित पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अनुपूरित किया जा सके। राज्य सरकार प्रति वर्ष योजना आयोग को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। वर्ष 1990-91 के लिए केरल सरकार ने 1989-90 के दौरान प्रत्याशित 567.95 लाख रुपए के व्यय की तुलना में 568 लाख रुपए की राशि के वार्षिक योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं जिनके स्कीमवार आवंटनों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

केरल—वार्षिक योजना 1990-91

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम—अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	सेक्टर/सब-सेक्टर	अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि	131.00
2.	डेरी विकास	27.00
3.	मत्स्य उद्योग	8.00
4.	वानिकी तथा वन्य जीवन	160.00*
5.	लघु सिंचाई	77.00
6.	पश्चिमी घाट सेल	5.00
7.	सड़कें और पुल	78.00
8.	रेशम कीट पालन/अन्य कृषि कार्यक्रम	44.00
9.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	6.00
10.	विविध	32.00*
		कुल 568.00

*पत्थर की चारदीवारी के लिए निर्दिष्ट 40 लाख रुपए में से स्टाल फीडिंग के लिए धन-राशि की व्यवस्था करते हुए इस सेक्टर के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के लिए धन राशि के पुनरावंटन की शर्त के अधीन।

अंटार्कटिक जाने वाले वैज्ञानिकों की चिकित्सीय जांच

6974. श्री डी० पंडियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के चिकित्सकों द्वारा अंटार्कटिका अभियान के लिए चुने गए सदस्यों की चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया को उदार बनाया गया था अथवा समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण वर्ष 1989 में चार वैज्ञानिकों की दल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी और इससे अन्य नुकसान भी हुए थे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इन खामियों को दूर करने तथा वैज्ञानिकों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) नौवें अंटार्कटिका अभियान के चार सदस्यों की मृत्यु, कार्बन मोनोक्साइड गैस के आकस्मिक विष प्रभाव के कारण हुई मानी जाती है। अभियान पर जाने से पहले अभियान दल के सभी सदस्यों की स्वास्थता जांच सशस्त्र सेना अथवा सरकारी सिविल अस्पताल के डाक्टरों द्वारा की जाती है।

(ख) सरकार अंटार्कटिका अभियान में शामिल होने वाले सभी सदस्यों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करती है।

बोध गया और पास के क्षेत्रों में मन्दिरों का विकास और संरक्षण

[हिन्दी]

6975. प्रो० संतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का विचार है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त मंदिर की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी वर्ष-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) बोध गया और पास के क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्थानों के विकास के लिए वर्ष 1990-91 में बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है तथा इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और किन एजेंसियों के माध्यम में धनराशि खर्च की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि मंदिर केन्द्रीय सरकार के संरक्षण के अधीन नहीं है, इसलिए इसके अनुरक्षण और मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है। ये कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बोध गया और निकटवर्ती ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्थानों के विकास के लिए अपनी देख-रेख में कोई योजना नहीं बनाई गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तुलना में वैज्ञानिकों के वेतन मान

[अनुवाद]

6976. श्री जी० एस० वासवराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी प्रतिष्ठानों में विभिन्न ग्रेडों के वैज्ञानिकों के वेतनमान भारतीय

प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के वेतनमानों की तुलना में आकर्षक नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के वेतनमानों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों एवं सरकार द्वारा इसके बाद किए गए कतिपय सुधारों को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के कुछेक वेतनमानों को विभिन्न समूह "क" पदों के लिए संशोधित तथा अधिसूचित किया गया था।

विवरण में दिया गया तुलनात्मक ब्यौरा भारतीय सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और वैज्ञानिकों हेतु दिए गए वेतनमानों को दर्शाता है; यह नोट करना होगा कि यहां असमानताएं हैं। फिर भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों की जीविकन व्यवस्था एवं योग्यता और निष्पादन पर आधारित पदोन्नति अवसरों के लिए कई वैज्ञानिक विभागों/संगठनों द्वारा पदोन्नति के एक नम्य सम्मानार्थ स्कीम के अपना लिया गया है।

विवरण

स्तर	आई॰ ए॰ एस॰ में वेतनमान (रुपयों में)	आई॰ पी॰ एस॰ में वेतनमान (रुपयों में)	विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में सामान्यतः पदनाम व वेतनमान — पदनाम	वेतनमान (रुपयों में)
1	2	3	4	5
कनिष्ठ टाइम स्केल	2200-4000	2200-4000	एस॰ सी॰	2200-4000
वरिष्ठ टाइम स्केल	3200-4700	3000-4500	एस॰ डी॰	3000-4500
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	3950-5000	3700-5000	एस॰ ई॰	3700-5000
सेलेक्शन ग्रेड	4800-5700	4500-5700	एस॰ एफ॰	4500-5700
सुपर टाइम स्केल	5900-6700	उपमहानिरीक्षक 5100-6150 (5400/रु॰-18वें वर्ष में अथवा उसके बाद) महानिरीक्षक : 5900-6700	एस॰ जी॰	5100-6300
सुपर टाइम स्केल से ऊपर	1. 7300-7600 2. 8000/-(नियत)	7300-7600/7600-8000	वैज्ञानिक "जी" वैज्ञानिक "एच" (कुछ वैज्ञानिक विभागों में 7300-7600 रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक पद विद्यमान हैं। वैज्ञानिक विभागों के सचिव भी 8000/-रु॰ (नियत) वेतन पाने के हकदार हैं।)	5900-6700 5900-7300

कर्नाटक में प्रौढ़ शिक्षा

6977. श्री जी० एस० बासवराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में निरक्षरता को दूर करने के कार्य में लगे हुए स्वयं सेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार इन संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में निरक्षता दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कर्नाटक सरकार को निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है :—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं—25

(ii) कर्नाटक प्रौढ़ शिक्षा परिषद, मैसूर के माध्यम से एक राज्य संसाधन केन्द्र संचालित करना।

(iii) 1988-89 में 20 जिलों के 20 तालुकाओं और 90-91 में दक्षिण कन्नड़ और बीजापुर जिलों में एक जन-अभियान दृष्टिकोण।

(iv) स्वैच्छिक एजेंसियां —57

विवरण

क्र० सं०	एजेंसी का नाम व पता	अनुमोदित प्रौ० शि० के०/ज०शि०नि०की संख्या	कुल अनुमोदित अनुदान
1	2	3	4
	1987-88		
1.	बानशंकरी महिला समाज केवापुर--577432 बीरबाहल्ली तालुक, जिला शिमोगा कर्नाटक	30	82200
2.	भारत स्काउट व गाईड चिकमंगलूर-577101, कर्नाटक	30	82200

1	2	3	4
3.	केनरा बैंक प्लेटीनम जुबली ग्रामीण विकास न्यास, केनरा बैंक, बिल्डिंग, 112, जे०सी० रोड, बंगलौर-560002.	30	127500
4.	गांधी समाज शिक्षण केन्द्र कुनीगल तुमकुर जिला कर्नाटक-572130.	30	82200
5.	गुडीबंडा ग्रामोद्योग संघ गुडीबंडा-561209 जिला कोलर कर्नाटक	300	1317700
6.	कर्नाटक युवा कल्याण संघ कनकपुरा मेन रोड, बंगलौर-560078.	100	285000
7.	कस्तूरबा महिला सेवा समाज, चल्लाकरन, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक-577522.	60	164000
8.	कर्नाटक समाज कल्याण सेवा समस्थे, बेलगाम-590001	30	82200
9.	द कस्तूरबा सदन, बिजयापुर, जिला चिकमंगलूर, कर्नाटक-577101.	100	284400
10.	कैवल्य अंग्रेजी संस्थान द कन्नड़ शिक्षा सोसाइटी, सं० 1156 श्रीनगर, बंगलौर-560050.	30	83000
11.	मधुगिरी शिक्षा सोसायटी, मधुगिरी-572132, तुमकूर जिला, कर्नाटक	60	165000

1	2	3	4
12.	मानधेश शिक्षा सोसायटी, 78/24 आठवीं क्रास मगदी रोड, शंकरप्पा गार्डन, बंगलोर-560023	90	246600
13.	नवधीरंगा शैक्षिक सोसायटी, 131, विद्यारानाबननगर, बंगलोर-560023.	120	328800
14.	नेताजी शिक्षा सोसायटी विनोबा नगर, शीमोगर-577201 कर्नाटक ।	60	165000
15.	नालंदा शिक्षा सोसायटी, 1181, राघवेन्द्र ब्लाक, बंगलोर-560050.	90	247200
16.	प्रकाश अम्बेडकर शैक्षिक सोसायटी बीदर तालुक व जिला बीदर, कर्नाटक-585401.	30	83000
17.	पदमा रामदास स्मारक समस्था बासावानी, थीरथहल्ली तालुक, कर्नाटक-577440.	30	82200
18.	सिंडीकेट कृषि प्रतिष्ठान, मणिपाल-576119 उदीपी तालुक, जिला दक्षिण कन्नड़ ।	300	1317700
19.	श्री जगदगुरु पंचाचार्य, गुरुकुल न्यास, शिरालकप्पा, शिमोगा जिला, कर्नाटक-577428	30	127500
20.	श्री सामान्य विद्या केन्द्र, नं०-87, पदमासदन, गांधी बाजार, बंगलोर-560004.	60	246800
21.	शिवपदमा विद्या समस्थे प्रशासनिक कार्यालय, कुशतगी, जिला रायचूर, कर्नाटक-584121.	30	83000

1	2	3	4
22.	श्री वासवेश्वर्य लिबरल शिक्षा सोसायटी, हेरूरकलाकेरी, तालुक हंगल, जिला धारवाड़	30	83000
23.	श्री वाल्मिकी शिक्षा सोसायटी अलगवाडी-577541, चित्रदुर्गा तालुक, कर्नाटक ।	30	83000
24.	श्री वरसीधी विनायक मंडली, एन०ई०एस० एक्सटेंशन, डी० नं० 2495, मगदी टाउन -562120, बंगलौर जिला ।	210	328600
25.	सर्वोदय विद्यापीठ, नं०-15, मल्लीकार्जुन मन्दिर, सेंट बासवनगुडी, बंगलौर-560004.	100	28,5000
26.	स्वर्णम्बा शिक्षा सोसायटी, के०आर०एस० अग्रहार, कुनीगल-572130, तुमकुर जिला ।	30	82200
27.	श्री शारदा विद्यालय, टीपापेठ, गुलाडगुड्डा, तालुक बादामी जिला, बीजापुर-587203.	60	164400
28.	श्री शिवनारद स्वामी ग्रामोद्योग संघ, बस्वीहल्ली, हुलेलेहुन पोस्ट, भ्रसागर, होबली, जिला चित्रदुर्गा ।	30	82200
29.	श्री सत्यसाई महिला समाज चिकमाहुल्ली, पो० आ० सिरा तालुक, तुमकुर जिला —572151.	30	82200

1988-89

1.	राम्या शैक्षिक व सांस्कृतिक सोसायटी	60	246300

1	2	3	4
	364-ए 5वीं मेन रोड, आर० पी० सी० लेआउट विजयानगर, बंगलौर-560040.		
2.	विवेकानन्द केन्द्र, नं०-9, अप्पाजप्पा अग्रहारा, तीसरी मेन रोड, चमरजापेट, बंगलौर-560013.	30	127500
3.	श्री शारदा विद्यालय, 1332 टिप्पा पेठ पो० आ०, गोलेडगुडड तालुका : बादामी जिला : बीजापुर, कर्नाटक ।	12 ज० शि० नि०	16,8000
4.	शुभदा सोसायटी, सुरलपडी किन्नीकम्बला, पो० आ० मंगलौर तालुक —574151, दक्षिण कर्नाटक जिला कर्नाटक ।	60	248300
5.	श्री धर्मस्थल, मंजुनातेश्वर शिक्षा न्यास, उजिरा पो० आ० दक्षिण कन्नड़, जिला कर्नाटक ।	300	1319700
6.	आशिका, एम० बी० रोड कोटेश्वर, कुंदापुर तालुक, दक्षिण कनार जिला, कर्नाकट-576222	60	248300
7.	मणिपाल औद्योगिक न्यास, वेल्ले ब्यू, दूसरा तल, मणिपाल-576119, जिला दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक ।	30 ज० शि० नि०	420000
	—वही—	300	1319700
8.	भारत विकास सेवा पो० आ० मेडलेरी	30	127500

1	2	3	4
	रानीबेन्नुर तालुक दारवाड़ जिला कर्नाटक —581211		
	—वही—	4 ब० शि० नि०	56000
9.	श्री कर्नाटक शिक्षा सोसाइटी मार्केट यार्ड, महात्मा बसवेश्वर नगर, धारवाड-580008, कर्नाटक।	30	127500
10.	श्री मणिक प्रभू युवा समाज कल्याण सोसाइटी, एम० आर० टंडाले भवन, पंजबा के समीप, गंजरोड गुलबर्ग-585102.	30	127500
11.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, पी० ओ० बाक्स सं०-12 कस्तूरबा ग्राम अरवीकेरे-573103, जिला हसन; कर्नाटक।	100	440600
	—वही—	10 ज० शि० नि०	140000
12.	गुदीबंदा ग्रामोद्योग संघ, गुडीबंदा-561209, जिला कोलर, कर्नाटक।	36 ज० शि० नि०	504000
13.	विश्वेश्वरीह विद्या केन्द्र, करुपा उद्यम, अदि चुनचमगिरी भवन सुभाष नगर, मंड्य-571401.	30	126300
14.	विकासन (ग्रामीण विकास संस्थान) बस स्टैंड के पास, मेलकोटे, पाण्डव पुरा, तालुक, जिला मण्य, (कर्नाटक-571438)।	30	127500
15.	ओम श्री निकेथन, रूपा श्री लेलया कसबा मारीगुडी बीड़ी श्रीरंगा, पटना जिला मंड्य, कर्नाटक-571438.	30	127500

1	2	3	4
	16. ग्रामीण विद्यापीठ न्यास, पूड़ी गली, मालावल्ली तालुक जिला मंड्य (कर्नाटक) पिन-571430.	60	248300
	17. मैसूर जिला स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संघ, 1047/247वां चौराहा, दूसरा मुख्य मार्ग, विद्यारण्यापुरम, मैसूर-570008.	कन्नड़ में पुस्तक का प्रकाशन	5700
	18. गांधी समाज शिक्षण केन्द्र, बी० एम० मार्ग कुनीगल, जिला टुमकुर, कर्नाटक-572130.	4 ज० शि० नि०	56000
	19. स्वर्णम्बा शिक्षा सोसाइटी, कुनीगल जिला, टुमकुर, कर्नाटक-572130.	4 ज० शि० नि०	56000
	20. सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रोन्नति के लिए जनसंचार पर्यवेक्षण, 193, 6वां मुख्य मार्ग, आर० टी० नगर, बंगलोर-560032.	स्वैच्छिक वर्गों का शामिल होना	444600

1989-90

1. सिंडीकेट कृषि प्रतिष्ठान, मणिपाल उडूपी तालुक, जिला डी० के०-576119, कर्नाटक।	300 प्रौ० शि० के०	11,26,227/-रुपये
2. ग्रामीण विकास सोसाईटी, मुधोल, प्रशासनिक अधिकारी गालागली-587117, तालुक.बिलागी, जिला बीजापुर, कर्नाटक।	i) 60 प्रौ० शि० के० ii) 6 ज० शि० नि०	2,46,800/-रुपये 84,000/-रुपये
3. वनशंकारी महिला समाज, कदापुर तालुक चिर्पाहाल्ली-577432, जिला सिमोगा, कर्नाटक	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/-रुपये

1	2	3	4
	4. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, पो० ओ० बाक्स सं०-12, कस्तूरबाग्राम, अरबीकेड़े-573103, जिला हसन, कर्नाटक ।	श्रव्य कैसिटों का निर्माण	49250/-रुपये
	5. पदमा राम दास स्मारक समस्ये, पो० ओ० बासवानी तालुका चिर्थाहाल्ली, जिला सिमोगा, कर्नाटक-577432	30 प्रौ० शि०के०	1,07,843/-रुपये
	6. शिव पदमा विद्या समस्ये, पी० ओ० और तालुका कुश्तागी, पिन-584121, जिला रैचूर .	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/-रुपये
	7. श्री बसवेश्वरा लिबरल शिक्षा सोसाइटी, हुरुर-कनाकेरी तालुक हंगल, जिला धारवाड़ 581148.	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/रुपये
	8. श्री शारदा विद्यालय, पो० ओ० गुलेडगुदद, तालुक बादामी, जिला बीजापुर-587203, कर्नाटक ।	60 प्रौ० शि० के०	2,10,239/-रुपये
	9. श्री सत्यसाई महिला समाज पी० ओ० चिक्कनहाल्ली, तालक सीरा, जिला टुमुर कर्नाटक-572151.	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/-रुपये
	10. श्री आदि चुम चनगिरि, शिक्षण न्यास, तालुक नागेमंगेला, जिला मंड्या, कर्नाटक-571811.	100 प्रौ० शि० के०	440565/-रुपये
	11. श्री जगदगुरु पंचचार्य गुरुकुल न्यास पो० ओ० शिराडकोप्पा, जिला सिमोगा ।	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/रुपये

1	2	3	4
	12. दि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, जिला खेल मैदान, चिकमंगलूर-577101, कर्नाटक ।	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/-रुपये
	13. विश्वेश्वरैया विद्या केन्द्र, करुपा उद्यम, आदि चुनचुनगिरि भवन, सुभाष नगर, मध्या-571401	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/रुपये
	14. विवेकानन्द केन्द्र सं०;9, अप्पा अप्पा अग्रहारा-III, मेन रोड, चमराज पेट, बंगलौर-560018.	30 प्रौ० शि० के०	1,07,843/-रुपये
	15. अनेकाल जेस्यूट एजूकेशनल एण्ड चेरीटेबिल सोसाइटी लोयोला मंदिर, 21-लेवेल्ले रोड, बंगलौर-560001.	30 प्रौ० शि० के०	1,26, 350/-रुपये
	16. कर्नाटक राज्य प्रौढ़ परिषद्, (एस० आर० पी०), 501, चित्रशानु रोड, ए० बी० ब्लाक कुवेमपुनगर, मैसूर-570023	कार्यशाला	30,000/-रुपये
	17. जनता विद्या समस्थे, कोवडले तालुक, मादूर जिला मंध्या, कर्नाटक ।	30 प्रौ० शि० के०	1,27,475/-रुपये
	18. भारतीय ग्रामीण सेवा समस्थे, आदरा गुन्ची, तालुक हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक-580023.	30 प्रौ० शि० के०	1,27,475/-रुपये
	19. भावाई अल्पसंख्यक विकास न्यास रेणुकासहल्ली, गुडीबांडा डा०, कोलर जिला-561309, कर्नाटक ।	100 प्रौ० शि० के०	4,40,565/-रुपये

1	2	3	4
	20. श्री विगनेश्वर शिक्षा न्यास, 44 बी० बी० गली, येलन्डोर तालुका, मैसूर जिला-571441.	30 प्रौ० शि० के०	1,27,475/-रुपये
	21. एशियाई शैक्षिक नवीकरण प्रतिष्ठान, 902, इन्दिरा नगर, प्रथम चरण, बंगलौर-560003.	30 प्रौ० शि० के०	1,27,475/-रुपये
	22. कर्नाटक ग्रामीण पुनर्निर्माण मिशन, 11, मुनुस्वामेप्पा लेआउट, उल्सूर, बंगलौर-560008.	60 प्रौ० शि० के०	2,48,300/-रुपये
	23. मैसूर जिला स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संघ, 1047/24, सातवां क्रास, दूसरा मुख्य मार्ग, विद्यारण्यपुरम, मैसूर-570008,	100 प्रौ० शि० के०	4,39,100/-रुपये
	24. समग्र ग्रामीण आश्रम, मुल्लूर, डचिला डाक०, उदापी तालुक, डी० के० जिला कर्नाटक ।	15 प्रौ० शि० के०	68,000/-रुपये
	25. नेताजी शिक्षा सोसायटी, विनोबा नगर, शिमोगा-577201.	60 प्रौ० शि० के०	2,10,239/-रुपये
	26. निट्टे शिक्षा न्यास, निट्टे-कर्कला तालुक, डी० के० जिला-574110 कर्नाटक ।	30 प्रौ० शि० के०	1,27,500/-रुपये
	27. श्री शम्भूलिंग शैक्षणिक और सांस्कृतिक संघ, इल्लाकन डाक० हुनागन्द तालुक, जिला बीजापुर ।	30 प्रौ० शि० के०	41,719/-रुपये

संरक्षित वनों में रह रहे आदिवासी

6978. **श्री के० डी० के० देव बर्मन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरक्षित वन और रक्षित वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को स्थाई आवास उपलब्ध कराने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रस्तावित संशोधनों की पृष्ठभूमि क्या है; और

(ग) इस अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक कब तक पेश किया जावेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) भारतीय वन अधिनियम 1980, नाम का कोई अधिनियम नहीं है । वनों के संरक्षण के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था । इसे और व्यापक बनाने के लिए 1988 में इसको संशोधित किया गया । इसमें अतिरिक्त संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । तथापि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

वन संसाधनों पर विचार-गोष्ठी

6979. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली, इस वर्ष अप्रैल के आरम्भ में "वन संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग का अर्थशास्त्र" (इकोनोमिक्स आफ दि सस्टेनेबल यूज आफ फोरेस्ट रिसोर्सीज) सम्बन्धी विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में वन से सम्बन्धित किन-किन महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या देश में नियोजित विकास की पूरी अवधि के दौरान वन नीति की उपेक्षा की गई है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में वनों पर व्यय के लिए निर्धारित की गई धनराशि में से प्रति वर्ष कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) सेमिनार में वनरोपण, वन उत्पादों की दीर्घकालीक पैदावार और अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुद्दों पर विचार किया गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रथम छः पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वानिकी क्षेत्र का कुल परिव्यय 1.75.71 करोड़ रुपए था जो कुल परिव्यय का एक प्रतिशत से भी कम था । सातवीं पंचवर्षीय योजना के

दौरान बानिकी क्षेत्र के लिए 1859.10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जो कुल योजना परिव्यय का 1.0% प्रतिशत है। बानिकी पर हुआ वर्षवार व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय		(करोड़ रुपयों में)
	केन्द्र	राज्य	कुल
1985-86	47.39	241.12	288.51
1986-87	64.38	276.61	340.99
1987-88	72.92	320.05	392.97
1988-89	87.54	376.11 (प्रत्याशित)	463.65
1989-90	98.06 (प्रत्याशित)	428.90 (परिव्यय)	526.96
	370.29	1642.79	2013.08

आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अमरीका में विश्व पारिस्थितिकीय सम्मेलन

6980. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस महीने के आरम्भ में वाशिंगटन (अमरीका) में आयोजित किए गए विश्व पारिस्थितिकीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या ब्यौरा है और विश्व में पारिस्थितिकीय परिवर्तनों से सम्बन्धित मामलों के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने में भारत का क्या योगदान रहा है; और

(ग) भारत सरकार ने पृथ्वी के गरम होने के सम्बन्ध में भारत में अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए यदि कोई कार्य योजना तैयार की है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन विश्वव्यापी परिवर्तन और इस परिवर्तन के कारण व प्रभावों का पता लगाने के लिए आवश्यक अध्ययनों और विश्व-व्यापी परिवर्तनों का सामना करने के लिए नीतियों के बारे में था। भारत ने इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम सहयोग की पेशकश की। तथापि, इस बैठक में किसी कार्य योजना पर विचार नहीं किया गया।

(ग) जैसा ऊपर बताया गया है। तथापि, विश्व-व्यापी परिवर्तन और समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि होने के सम्बन्ध में विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य-

कमों के समन्वय के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का पहले ही गठन कर लिया गया है।

काले मृग

6981. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में काले मृगों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो काले मृगों की अनुमानतः राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा में गंजम जिले के बागड़ा क्षेत्रों में काफी संख्या में पाये गए काले मृगों को तुरन्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्यों में, उड़ीसा सहित काले मृगों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) गंजम जिला, उड़ीसा के बागुडा में लगभग 1000 काले मृग हैं। काले मृग की इस आबादी की सुरक्षा के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 37 के तहत क्षेत्र को "शिकार के लिए बन्द" घोषित करना।

(2) चारागाहों के सुधार, पानी के टैंकों का निर्माण आदि करके वास स्थलों का सुधार करना।

(3) निरीक्षण स्तम्भों के निर्माण और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे सुरक्षा उपाए करना।

(4) काले मृगों के संरक्षण और सुरक्षा में स्थानीय लोगों का सकारात्मक सहयोग सुनिश्चित करना।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	काले मृगों की अनुमानित संख्या*
1.	आंध्र प्रदेश	1108-1138
2.	बिहार	30-40
3.	गुजरात	4300
4.	हरियाणा	4852

क्रम सं०	राज्य	काले मृगों की अनुमानित संख्या
5.	कर्नाटक	4000
6.	मध्य प्रदेश	4110
7.	महाराष्ट्र	8200
8.	उड़ीसा	1200-1300
9.	पंजाब	3530
10.	राजस्थान	8178
11.	तमिलनाडु	2325
12.	उत्तर प्रदेश	1480
13.	पश्चिमी बंगाल	26

*स्रोत—डा० एम० के० रनजीत सिंह द्वारा लिखित "दि इंडियन ब्लैक बक" (1990)

प्रदूषण-रोधी नियन्त्रण उपकरणों के प्रयोग को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना

6982. श्री पी० एम० सईद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी लघु और बड़े उद्योगों में प्रदूषण-रोधी नियन्त्रण उपकरण का प्रयोग कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए कोई विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक लाए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत, सभी उद्योगों को अपने प्रदूषण को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक बाध्यता है। इस संबंध में नया विधान आवश्यक नहीं है।

कस्तूरीमृग को संरक्षण प्रदान करना

[हिन्दी]

6983. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कस्तूरी मृगों की संख्या घटी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी, राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश के किसी भी भाग में कस्तूरी मृग अभ्यारण्य स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) कस्तूरी मृग जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य सरकारों ने कस्तूरी मृगों की गणना नहीं की है। यह बताना सम्भव नहीं है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कस्तूरी मृगों की संख्या में कमी आई है।

(ग) और (घ) अभयारण्यों की स्थापना करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में कस्तूरी मृग पाये जाते हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जिनमें कस्तूरी मृग पाए जाते हैं

क्र० सं०	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य का नाम	राज्य
1.	डाचिगांव वन्यजीव अभयारण्य	जम्मू व कश्मीर
2.	किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान	जम्मू व कश्मीर
3.	ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	हि-चल प्रदेश
4.	कनवार वन्य जीव अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
5.	मेहो वन्यजीव अभयारण्य	अरूणाचल प्रदेश
6.	कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान	सिक्किम
7.	नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
8.	फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
9.	गोविन्द पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
10.	केदार नाथ वन्यजीव अभयारण्य	उत्तर प्रदेश

सामाजिक वानिकी योजनाओं में बेरोजगार युवकों द्वारा भाग लिया जाना

6984. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि बेरोजगार युवक सामाजिक वानिकी योजना में भाग लेकर आजीविका का उपार्जन कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना कब से और कितने राज्यों में चल रही है तथा

इससे अब तक कितने बेरोजगार युवक लाभान्वित हुए हैं और इससे उन्हें मिलने वाले लाभ का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है जिनमें बेरोजगार युवक भी शामिल हैं ।

(ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के समय से चल रहा है और सातवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों में कार्यान्वयनाधीन था । कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को वास्तव में कितना लाभ मिला यह बता पाना सम्भव नहीं है ।

वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति न मिलने के कारण मध्य प्रदेश के लम्बित बड़े निर्माण कार्य

6985. श्री रेशम लाल जांगडे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं, योजनाओं और निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं जिनके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि के इस्तेमाल हेतु केन्द्रीय सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान अनुमति मांगी है;

(ख) इन कार्यों के लिए कितने एकड़ वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ग) कितने एकड़ वन भूमि के उपयोग से सम्बन्धित अनुरोध अभी तक सरकार के पास लम्बित पड़ा है अथवा जिसके लिए अनुमति अभी तक प्रदान नहीं की गई है;

(घ) मध्य प्रदेश में इस समय कितना-भूक्षेत्र बंजर है और इस बंजर भूक्षेत्र को मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का विचार उपरोक्त बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने जिन परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अनुमति मांगी है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) केन्द्र सरकार ने 1-4-1987 से स्वीकृत किए गए 64 मामलों के सम्बन्ध में गैर-वन प्रयोजनों के लिए 49661.199 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है ।

(ग) 31-3-1990 तक 60 प्रस्ताव मंजूरी में लिए लम्बित थे जिनमें 2.60 लाख हैक्टेयर

वन भूमि को उपयोग में लाया जाना था।

(च) मध्य प्रदेश में कुल 71.95 लाख हैक्टेयर वन भूमि अवक्रमित है।

वन भूमि को सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल में लाने के बारे में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत विचार किया जाता है।

(छ) जी, हां।

(च) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड राज्य सरकार के परामर्श से वर्षानुवर्ष आधार पर राज्यवार वनरोपण के लक्ष्य निर्धारित करता है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना/योजना/अन्य निर्माण कार्यों के नाम	जिला
1.	रेडियो रिपीटर का निर्माण	शिवपुरी और गुना
2.	वृक्षारोपण	रायसेन
3.	चक्कला तालाब का निर्माण	छिंदवाड़ा
4.	कोरबा ताप विद्युत परियोजना	बिलासपुर
5.	जामपाटी तालाब का निर्माण	खरगांव
6.	माइक्रोवेव टावर का निर्माण	बेतुल
7.	सुलतानपुर तालाब का निर्माण	खरगांव
8.	पदोरिया तालाब	छतरपुर
9.	माइक्रोवेव टावर का निर्माण	सिधि
9क.	400 कि० वा० कोरबा ट्रांसमिशन लाइन	बिलासपुर
10.	माइनिंग लीज का नवीकरण	होशंगाबाद
11.	रेलवे डबल लाइन का निर्माण	छिंदवाड़ा
12.	सिंचाई के लिए भील-कुण्डा तालाब	धार
13.	संजय सागर (बी० ए० एच०) मझौली सिंचाई परियोजना	विदिशा
14.	इन्द्रगढ़ लघु सिंचाई योजना	मंदसौर
15.	पश्चिमी कोलफील्ड का निर्माण	छिंदवाड़ा
16.	स्वर्ण रेखा लिंक नहर	ग्वालियर
17.	400 कि० वा० इटारसी इन्दौर लाइन	देवास
18.	500 कि० वा० डी०/सी० रिहन्द दिल्ली लाइन	सिधि और रीवा

क्र० सं०	परियोजना/योजना/अन्य निर्माण कार्यों के नाम	जिला
19.	धोमाट लघु सिंचाई योजना	रतलाम
20.	माइक्रोवेव सिस्टम का निर्माण	पन्ना
21.	रिहन्द सुपरथर्मल पावर परियोजना के लिए एम० बी० आर० रेलवे सिस्टम	सिंधि
22.	कोसारटेडा लघु सिंचाई परियोजना	बस्तर
23.	माइक्रोवेव सिस्टम का निर्माण	शाहडोल
24.	रेलवे लाइन का निर्माण	खण्डवा
25.	11 कि० वी० विद्युत लाइन	सिवानी
26.	सम्पर्क सड़क	नीरसिंहपुर
27.	11 कि० वी० विद्युत लाइन	धार
28.	अन्तर्राज्यीय परियोजना (राजघाट) का निर्माण	गुना
29.	डॉलीमाइनर सिंचाई परियोजना	जबलपुर
30.	माइक्रोवेव टावर	शाहडोल
31.	पंच घाटी पीने के पानी की पूर्ति योजना	छिंदवाड़ा
32.	दक्षिणी पूर्वी कोलफील्ड	सरगुजा
33.	220 कि० वी० ट्रांसमिशन लाइन	खंडवा
34.	सम्पर्क सड़क	बालाघाट
35.	माइनिंग लीज का नवीकरण	सतना
36.	म्यूनिसिपल कमेटी के प्रयोग के लिए	राजनन्दगांव
37.	बबीर मातिया लघु सिंचाई परियोजना	खंडवा
38.	हिनोटाखर लघु सिंचाई परियोजना	खंडवा
39.	नाहर अन्तर्राज्यीय परियोजना बावनथोडी	बालाघाट
40.	आयुध फैक्टरी का निर्माण	होशंगाबाद
41.	कोटीजुरसी की परियोजना	इन्दौर
42.	400 कि० वी० विंध्याचल रीवा, जबलपुर ट्रांसमिशन लाइन	सिंधि
43.	रिव्हाई सिंचाई परियोजना	नरसिंहपुर
44.	बन्दियानाला लघु सिंचाई परियोजना	गुना
45.	मैसर्स जे० ए० त्रिवेदी कोलीज का नवीकरण	बालाघाट
46.	दुधी नदी पुल डायमंड सरणी सड़क से सम्पर्क सड़क	बैतूल

क्र० सं०	परियोजना/योजना/अन्य निर्माण कार्यों के नाम	जिला
47.	बाणसागर सिंचाई परियोजना	सिधि
48.	पहुलगांव तालाब परियोजना	छतरपुर
49.	अप्पर जिराई तालाब परियोजना	दमोह
50.	टाटा आयरन एण्ड स्टील (चुना पत्थर) से रिवेन्यु लैण्ड	रायपुर
51.	रामपुरा तालाब परियोजना	झबुआ
52.	गोल पहोरिया और लक्ष्मणतोलिया तालाब परियोजना	ग्वालियर
53.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन	दुर्ग
54.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन	दुर्ग
55.	कालापानी तालाब परियोजना	दमोह
56.	नेहरू वनगांव के राजस्व विभाग का स्थानांतरण	इन्दौर
57.	रामपुरा खुर्द लघु सिंचाई परियोजना	सिहोर
58.	भारतीय रेलवे द्वारा गुना-इटावा रेल लाइन का निर्माण	ग्वालियर
59.	इटारसी-धुला से 400 कि० वी० ट्रांसमिशन लाइन	खण्डवा
60.	सतना वनसागर से 200 कि० वी० ट्रांसमिशन लाइन	रीवा
61.	बोदकपुर तालाब परियोजना	दमोह
62.	33 कि०वी० बाडवानी घेटी ट्रांसमिशन लाइन	खरगोन
63.	बरगर नहर का निर्माण	सिवनी
64.	परमहंसी गया आश्रम	नरसिंहपुर
65.	गुवरी तालाब परियोजना	दमोह
66.	मोगरा बोहाड तालाब परियोजना	राजनंदगांव
67.	नर्मदा खनिजों के पक्ष में सोप स्टोन लीज का उत्खनन	नरसिंहपुर
68.	[illegible] सिली तालाब परियोजना	रायसेन
69.	पोलापत्थर घोघरा से सेन्ट्रल रेलवे के बीच बोगुरो रेल लाइन का निर्माण	बेतूल
70.	11 कि०वी० हर्राटोला-सोमगुढा ट्रांसमिशन लाइन	बालाघाट
71.	11 कि०वी० जिनवानी-डोंगरापानी ट्रांसमिशन लाइन	देवास
72.	11 कि०वी० उम्देल सिंह रानी ट्रांसमिशन लाइन	देवास
73.	11 कि०वी० थाना जबलपुर ट्रांसमिशन लाइन	देवास
74.	11 कि०वी० भामेर बेदर-बाक्स ट्रांसमिशन लाइन	देवास
75.	11 कि०वी० खरिया जिम्बानी ट्रांसमिशन लाइन	देवास

क्र० सं०	परियोजना/योजना/अन्य निर्माण कार्यों के नाम	जिला
76.	11 कि०वी० बारागढ़ सिहुलावेह ट्रांसमिशन लाइन	देवास
77.	11 कि०वी० चन्द्रपुरा लक्ष्मीनगर ट्रांसमिशन लाइन	देवास
78.	11 कि०वी० सरमान्य कालो-रावरी ट्रांसमिशन लाइन	देवास
79.	11 कि०वी० सिमोली-प्रेमगढ़ ट्रांसमिशन लाइन	देवास
80.	बघरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार	शाहडोल
81.	मोहनी-पिक-अप वीयर परियोजना स्टेज 2	शिवपुरी
82.	तीरगढ़ सिंचाई परियोजना	दमोह
83.	400 कि०वी० विंध्याचल बीना डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	सिधि
84.	गोरवी विस्तार कोयला खान	सिधि
85.	220 कि०वी० डी/सी बनसागर-1 से बनसागर-2 ट्रांसमिशन लाइन	रीवा
86.	कुल्हियापुर सिंचाई परियोजना	राजनंदगांव
87.	लखनपुर सिंचाई परियोजना	राजनंदगांव
88.	लिम्हरी सिंचाई परियोजना	राजनंदगांव
89.	अम्बातिया सिंचाई परियोजना	राजनंदगांव
90	पीपली-टोला सिंचाई परियोजना	मंडला
91.	400 कि० वी० ट्रांसमिशन लाइन-बीना-भोपाल	भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर
92.	श्री अशोक कुमार कोण्डावर के लिए लाल मिट्टी (गेरु) का उत्खनन	राजनंदगांव
93.	11 कि०वी० झपदीवबारी-खामरखोडे ट्रांसमिशन लाइन	बेतूल
94.	गुरभेली सिंचाई परियोजना	रतलाम
95.	पाचव सिंचाई परियोजना	रतलाम
96.	केलो सिंचाई परियोजना	रायगढ़
97.	भिलाई इस्पात संयंत्र से उत्खनन पट्टा	राजनंदगांव
98.	रक्षा बलों को अभ्यास करने के लिए वन भूमि	सागर
99-144.	वन क्षेत्रों में अवैध कब्जों को नियमित करना (46 मामले)	म० प्र० के सभी जिले
145.	बी०एस०पी० द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन	बस्तर
146.	(मोहाला तालाब) नहर का निर्माण	राजनंदगांव

क्र० सं०	परियोजना/योजना/अन्य निर्माण कार्यों के नाम	जिला
147.	11 कि०वी० ट्रांसमिशन लाइन पट्टमोहोदा	बेतूल
148.	11 कि०वी कुमकड़ी-खेरा ट्रांसमिशन लाइन	बेतूल
149.	राजस्व भूमि (लिंग गांव) का स्थानांतरण	छिंदवाड़ा
150.	ग्रेनाइट का उत्खनन (विमल लुदिया)	बस्तर
151.	धर्मपुरा तालाब परियोजना	रायपुर
152.	कीलावर सिंचाई परियोजना	मण्डला
153.	बी०एस०पी० द्वारा क्वेटीजाइट का उत्खनन	दुर्ग
154.	पेशिफिक मिनरल्स के मैंगनीज खदान के लिए पट्टे का नवीकरण	बालाघाट
155.	बारगंवा पोलपुर सड़क का निर्माण	मुरैना
156.	भारत एल्यूमीनियम के पट्टे का नवीनकरण	मांडला
157.	पन्डा तालाब परियोजना	दमोह
158.	डूमरपाली तालाब	रायपुर
159.	एम०पी० मोहरात्रा खनिज प्रा० लिमिटेड के खनन पट्टे का नवीकरण	राजनंदगांव
160.	पसीदा तालाब परियोजना	रायपुर
161.	धोकोरियानल्ला तालाब परियोजना	बालाघाट
162.	पेशिफिक खनिज प्रा०लि० के खनन पट्टे का नवीकरण	बालाघाट
163.	हसदेव ताप विद्युत परियोजना	बिलासपुर

आन्ध्र प्रदेश में लाल चन्दन की लकड़ी अबंध रूप से काटा जाना तथा इसकी तस्करी

[अनुवाद]

6986. **श्री राज मोहन रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के वनों से लाल चन्दन की लकड़ी अबंध से काटी जा रही है और इसकी विदेशों को तस्करी करके वहां ऊंचे दामों पर बेची जा रही है;

(ख) क्या भारतीय वन अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सीमा से बाहर तस्करी की जाने वाली लाल चन्दन की लकड़ी को जब्त किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय वन अधिनियम, 1980 में समुचित संशोधन करने का विचार है जिसमें तस्करी की जा रही लाल चन्दन की लकड़ी को भारत की सीमा के

अन्दर कहीं भी जब्त किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्ध मद्रास से हो रही लाल चन्दन की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए । केन्द्र सरकार देश में लाल चन्दन के मामलों से निपटने के लिए एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है ।

कीटनाशकों के प्रयोग से प्रदूषण

6987. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में बड़े पैमाने पर कीटनाशकों के प्रयोग से वन्य जीव जन्तुओं, पालतू पशुओं और जन स्वास्थ्य को भारी खतरा है यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या कोई स्वयंसेवी संगठन सरकार को इस विषय में लिखते रहे हैं और यदि हां, तो इस विषय पर प्राप्त रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आम खाद्य वस्तुओं में कीटनाशनों के पाए जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा खाद्य दूषित होने के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्य की अधिकांश मदों में कीटनाशक आर्गेनोक्लोरीन) निर्धारित सहनीय सीमा के भीतर है । निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए और अधिक अध्ययन किए जा रहे हैं ।

(ख) वालेंटरी हैल्थ आर्गेनाइजेशन आफ इण्डिया ने उपभोक्ता संरक्षण की तुलना में कीटनाशक अवशेष के सम्बन्ध में एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की है तथा स्थिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मंत्रालय को भेजा है । देश में कीटनाशकों के प्रयोग की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने कृषि विभाग के अधीन कीटनाशकों पर एक स्थाई समिति गठित की है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

6988. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी वार्षिक परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मूल्यांकन पद्धति को समाप्त कर दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस पद्धति के कारण वर्ष 1989 में बड़ी संख्या में छात्रों के वार्षिक परिणाम पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था तथा जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम बहुत विलम्ब से घोषित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उन प्रभावित छात्रों के लिए क्या राहत दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने इस वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की उत्तर-पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन न करने और परीक्षकों को उत्तर-पुस्तिकाएं भेजने की पूर्व व्यवस्था को पुनः न अपनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केन्द्रीय मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्य स्थान से संबंधित वित्तीय प्रतिबन्धों और कठिनाइयों के कारण लिया गया है।

(ख) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 1989 की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के मामलों की संख्या अनुपाततः वही थी जो कि पिछले वर्षों में थी और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में उत्पादन और बिक्री

6989. श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में कितना उत्पादन हुआ तथा कितनी बिक्री हुई है;

(ग) गत दो वर्षों 1989 और 1988 की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) किन-किन मदों का उत्पादन किया गया था; और

(घ) प्रत्येक मद के मामले में कितना स्वदेशीकरण किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) 31.3.90 को समाप्त वर्ष और पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में किए गए उत्पादन का मूल्य और उसके द्वारा की गई बिक्री का मूल्य इस प्रकार है :—

(रुपए करोड़ों में)

	89-90 (अस्थाई)	88-89	87-88
उत्पादन मूल्य	883.45	787.19	685.90
बिक्री मूल्य	806.03	689.17	679.77

(ग) जिन बड़ी मदों का उत्पादन किया गया उनमें शामिल हैं:—जगुआर, मिग-27 एम० और डोरनियर-228 विमान, चेतक तथा चीता हैलीकॉप्टर और उनके संबंधित इंजन/सहायक हिस्से पुर्जे। इसके अलावा विमान और इंजनों की मरम्मत आदि का काम किया गया।

(घ) विभिन्न विमानों/हैलीकॉप्टरों के मामले में कीमत की दृष्टि से स्वदेशीकरण का

लक्ष्य एयर फ्रेमों के मामले में 40% से 74% तक और एरोइंजनों के मामले में 35% से 72% तक प्राप्त किया गया।

सीमावर्ती राज्यों के विकास की योजना

6990. श्री बाबू भाई मेघजी शाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती राज्यों के विकास के लिए विशेष योजनायें स्वीकृत की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आनंद मोहन) : (क) और (ख) जी हां, सातवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उपयोग इन क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार करने, आधारभूत संरचनात्मक, शैक्षिक तथा प्रशिक्षण नेटवर्क को विकसित करने, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा अन्य कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए किया गया था।

केन्द्रीय सरकार के फालतू कर्मचारी

[हिन्दी]

6991. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु क्या नीतिगत अपनाया जा रहा है,

(ख) क्या इनका केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में पालन किया जा रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फालतू हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई एक समान स्थानान्तरण नीति निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया है। सम्बन्धित संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी, संवर्ग से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को बराबर के अवसर दिए जाने, भिन्न-भिन्न प्रकार का कार्य अनुभव प्रदान करने, विभिन्न स्थानों में तैनाती किए जाने, आवश्यक क्रमिक स्थानान्तरण जैसे विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुए और साथ ही प्रशासनिक दबाव तथा सुविधा और लोकहित पर भी उचित ध्यान देते हुए अन्तर-विभागीय स्थानान्तरणों के लिए नीति निर्धारित करते हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अधिशेष कर्मचारियों का अन्य पदों पर स्थानान्तरण किया जाना सामान्य अन्तर-संवर्गीय स्थानान्तरणों से भिन्न होता है। चूंकि उनके पदों को समाप्त किया जाना होता है, अतः उन्हें, उपयुक्त रिक्तियों तथा निर्धारित तैनाती सम्बन्धी मानदण्डों के अनुसार दूसरे स्थान

पर अर्थात् दूसरे विभागों अथवा कार्यक्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र स्थानांतरित करना पड़ता है। पुनर्नियोजन के बाद ऐसे कर्मचारी उनके नए पदों पर लागू होने वाली स्थानान्तरण नीति द्वारा शासित होते हैं। तथापि जिन्हें निम्न पदों पर और कुछ मामलों में जिन्हें किसी अन्य राज्य में पुनर्नियोजित किया जाता है, उन्हें नियमों में निर्धारित की गई शर्तों पर अधिशेष कर्मचारी सैलों के माध्यम से पुनः तैनात किया जा सकता है।

सखुआ वृक्ष लगाना

[अनुवाद]

6992. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बड़े पैमाने पर सखुआ पेड़ लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सखु (साल) का पेड़ देश के सभी भागों में नहीं पाया जाता है। यह मुख्यतः गंगा के मैदानी भाग द्वारा विभाजित उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित है जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व के राज्य सम्मिलित हैं। यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वनों में पाई जाने वाली प्रजाति है और यह सामान्यतया प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहायक होती है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में इसका वृक्षारोपण किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनागत स्कीमों पर व्यय

6993. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनागत स्कीमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अलग अलग कितनी धनराशि खर्च की गई और इसमें से मात्स्यिकी क्षेत्र पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोस्वामी) : (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किए गए व्यय के बारे में सूचना सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए ही उपलब्ध है। संशोधित अनुमान और अनुमोदित योजना परिव्यय क्रमशः वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों पर आधारित एक विवरण तैयार किया गया है और संलग्न है।

विवरण

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नियोजित स्कीमों के लिए खर्च की गई कुल राशि।

(करोड़ रुपये)

	वार्षिक योजना 1985-86 वास्तविक	वार्षिक योजना 1986-87 वास्तविक	वार्षिक योजना 1987-88 वास्तविक	वार्षिक योजना 1988-89 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1989-90 (योजना परिव्यय)	कुल (कलम 1 से 5 तक)
1. खर्च की गई कुल धनराशि	33059.90	39149.11	42920.55	49442.17	57597.52	222169.25
(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, ग्रामीण विकास तथा मछली पालन पर अलग-अलग खर्च की गई धन राशि।						
1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1825.92	2215.79	2742.92	2846.45	3054.82	1[illegible]685.90
2. उसमें से मछली पालन	75.47	115.97	106.44	129.62	127.09	554.59
3. ग्रामीण विकास	2226.14	2267.65	3146.42	3054.81	3100.11	14195.13

लड़कियों का बीच में ही शिक्षा छोड़ना

6994. श्रीमती वासव राजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के स्तर पर कितनी प्रतिशत लड़कियां बीच में ही शिक्षा छोड़ देती हैं,

(ख) क्या सरकार लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी कोई नई योजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है कि वे बीच में ही अपनी शिक्षा न छोड़ें; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना (1985-86) के अनुसार, वर्ष 1985-86 के लिए प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल के स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर इस प्रकार है :—

कक्षाएं I—V 50.27%

कक्षाएं I—VIII 70.04%

(ख) और (ग) कोई नई योजना आरम्भ किए जाने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, स्कूल में नामांकन को प्रोत्साहित करने तथा लड़कियों के अवरोधन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष उपाय किए गए हैं और ये इस प्रकार हैं :—

(i) पाठ्य-पुस्तकों, वर्दियों, उपस्थिति, छात्रवृत्तियों और मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान,

(ii) समेकित बाल-विकास सेवाओं (आई० सी० डी० एस०), शिशु सदन योजना आदि जैसे योजनाओं के जरिए शिशु देखभाल के लिए सहायक सेवाओं का प्रावधान ताकि लड़कियों को स्कूल जाने के योग्य बनाया जा सके,

(iii) महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना,

(iv) गैर-औपचारिक तथा उन लड़कियों के लिए जो पूरे दिन की शिक्षा में भाग नहीं ले सकती, के लिए लड़कियों के केन्द्र का प्रावधान,

(v) आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्राइमरी स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का प्रावधान,

(vi) अन्य बातों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता के परिवर्तित बोध के उद्देश्य के साथ प्रौढ़ साक्षरता का वृहद् कार्यक्रम।

केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए अभियान के अन्तर्गत रोजगार

6995. श्री के० मुरलीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत केरल में अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया,

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान भी इस अभियान को जारी रखने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कितना लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1989 में चलाये गए विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप रेल मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कुल 31243 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए थे। चुने गए उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1990 के दौरान ऐसा ही अभियान चलाए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि 31-3-90 तक न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना ही इस अभियान का लक्ष्य है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस प्रकार से नहीं।

श्री पी० एम० सईद।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, मैं लक्षद्वीप से निर्वाचित हुआ हूं जो कि एक शांति-प्रिय जगह है। अब मैं 27 तारीख को वापस स्वदेश लौटा, मैंने एक समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा कि मेरे निवास स्थान अन्द्रोत द्वीप में प्रथम खलिफा हजरत अबूबाकर के पोते हजरत उबयदुल्ला द्वारा 1350 वर्षपूर्व बनवाये गए जुमा मस्जिद के परिसर में पुलिस ने गोली चलायी। उस के दौरान एक विवाद उठ खड़ा हुआ था और पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी जिससे दो व्यक्तियों की बहुमूल्य जानें गयीं और अनेक लोग घायल हो गये। अब मुझसे कहा गया है कि वहां धारा 144 लगा दी गयी है क्योंकि विगत 15 दिनों से घटना के कारण तनाव बना हुआ है और अन्द्रोत जुमा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की गयी है। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य दें और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अभी वहां की स्थिति क्या है। यह घटना कैसे हुई, इसे कैसे शांत किया जा सकता है और वे ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी ?

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है जिस पर हमारे देश के सभी लोगों ने चिन्ता प्रकट की है। बुश प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि व्यापार सम्बन्धी मामलों में सुपर 301 के अन्तर्गत भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए। वे हमें निर्देश देना चाहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलायें, वे चाहते हैं कि हमें अपनी सेवाओं में राष्ट्रीयकरण जैसे बीमा आदि समाप्त कर देना चाहिए। वे चाहते हैं कि हम विदेशियों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश के बारे में अपनी सीमा हटा दें, अपनी बौद्धिक शक्ति और विशेष अधि-

कार को समाप्त कर दे। यह हमारी प्रभुसत्ता का निरादर करने का स्पष्ट प्रयास है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बाहर कोई वक्तव्य दिया है। मैं चाहता हूं कि वे इस सभा में एक वक्तव्य जारी करें ताकि सभी दल और निर्दलीय सदस्य एक जुट हो सकें और उन्होंने जो निणय किया है उसके प्रति राष्ट्र की भावना, इसकी भर्त्सना और रोष प्रकट कर सकें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को माननीय प्रधान मंत्री जी तक पहुंचायें और मैं उनसे वक्तव्य जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर या तो कालिंग अटैंशन एलाऊ करें या बहस करायें। यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए आप कालिंग अटैंशन या बहस करा लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को आपके प्रश्नों का उत्तर देने से नहीं रोक रहा हूं। उत्तर देने वाले यहीं उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : माननीय अध्यक्ष जी, नक्सलवादियों का आतंक महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली, चन्द्रपुर, भण्डारा और मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बड़े परिमाण में फैला हुआ है। कान्हा के लगभग 3/4 राष्ट्रीय उद्यान जल रहा है, ऐसी स्थिति में सांभर, चीतल, बारहसिंगा, पार्किंग डीयर और शेर आदि भी वहां से भाग रहे हैं। 75 फीसदी क्षेत्र जलने के कारण कर्मचारी भी भयभीत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में शासन को वहां पर तुरन्त कार्यवाही करके अधिकारियों को सबल बनाना चाहिए, अधिकारियों को समर्थन देना चाहिए और कान्हा का जो जंगल जल रहा है, उसे बुझाने की व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए। गढ़ चिरौली और चन्द्रपुर जिले में बसेज भी बंद हैं, जंगल जलाया जा रहा है, तेंदू पत्ता भी जलाया जा रहा है अतः इस सम्बन्ध में शासन शीघ्रता से दखल दे और नक्सलियों पर कार्यवाही करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, यह व्यक्तिगत चिंता का भी मुद्दा है। मेरे एक पूर्व के सहयोगी और मित्र श्री शाहिद सिद्दिकी जो कि 'नई दुनियां' नामक पत्रिका के मालिक एवम सम्पादक हैं···

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री एम० जे० अकबर : हो सकता है कि यह मुद्दा उठाया गया हो लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। महोदय मैं समझता हूं कि इस मामले की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया गया है लेकिन कुछ लोगों जिन्हें इमाम बुखारी का समर्थन प्राप्त है और जो सरकार की शह पर गुण्डागर्दी कर रहे हैं, उन्हें बराबर धमकियां दी जा रही हैं। चूंकि मेरे द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार से यह जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने यह मुद्दा उठाया है। मैं इन कट्टर-

पंथियों और इमाम बुखारी जैसे कट्टरपंथी को बढ़ावा दिए जाने की आलोचना करता हूं। महोदय, उन्होंने बार-बार सरकार से सुरक्षा दिए जाने का अनुरोध किया है लेकिन आज तक उन्हें कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। उनकी पत्नी और बच्चे घर पर हैं। कृपया सरकार से उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया जाए।

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, बृहस्पतिवार को आपकी अनुमति से मैंने यह अनुरोध किया था कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुए वार्तालाप के सम्बन्ध में सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। अब तक हमने कोई वक्तव्य नहीं सुना। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को वक्तव्य जारी करने के लिए कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमैंट आ रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव (रामटेक) : महोदय, हमें उस वक्तव्य पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : आप यहां से वहां कैसे पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, आप नाराज लगते हैं। जब भी हम हाथ उठाते हैं आप हमारी तरफ नहीं देखते।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं हूं। आप बैठ जायें।

श्री राम धन (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक गम्भीर घटना घटी है, जिसमें एक हरिजन की हत्या कर दी है। इसके पहले भी पुलिस ने एक हरिजन को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था और एक हरिजन इंजीनियर को बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने मार डाला था। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में तीन हरिजनों की हत्या की गई है। इसके पहले दो भूस्वामियों ने दो हरिजनों को मार डाला था, उनकी रक्षा के लिए, हरिजनों की रक्षा के लिए पुलिस की तैनात की गई थी लेकिन रक्षक ही भक्षक बन गए और स्थानीय पुलिस की साजिश से एक हरिजन को मार डाला है और 4-5 हरिजनों को अत्यन्त गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जो अस्पताल में पड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में कई बार कहा गया कि स्थानीय पुलिस हरिजनों की रक्षा करे लेकिन स्थानीय पुलिस इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है और जैसा मैं पहले भी कहता था कि इस तरह से क्रिमिनल हावी हो रहे हैं, स्थानीय शासन पर, उसी तरह से फिर यह क्रिमिनल हावी होकर हरिजनों की रक्षा करने में बाधक बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरी मांग केन्द्रीय सरकार से है कि संविधान के अंतर्गत उन्हें जो सेफगार्डस दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हरिजनों की रक्षा की जाय। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को कैसे लूटा जा रहा था, इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक फिल्म अभिनेता···*···(व्यवधान)···

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जो बात हुई है, उसके अनुसार बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उनके परिवार के चार सदस्य—एक वे खुद, एक उनकी बीवी और जो माइनर बच्चे—उन्होंने 40 एकड़ भूमि जहां पर कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री की भी है, उसके नजदीक, जहां पर उसकी कीमत 30-40 लाख रुपए प्रति एकड़ है, वह 40 हजार रुपये प्रति एकड़ में उनके नाम कर दी गई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या वे कोई आरोप लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं नाम नहीं ले रहा हूं। (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जैसी बात हुई है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। एलीगेशन नहीं लगाना है, फैक्ट्स रख दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई एलीगेटरी चीज है, वह रिकार्ड में न जाए।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : यदि संकेत उस व्यक्ति के बारे में स्पष्ट है, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे किसी माननीय सदस्य की ओर संकेत करते हैं तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वसन्त साठे : उन्होंने कहा "सभा के एक भूतपूर्व सदस्य"। इसे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, 960 में दिल्ली में लैण्ड सीलिंग एक्ट लगा, उसमें 18 एकड़ से ज्यादा भूमि किसी परिवार की नहीं हो सकती। लेकिन इस परिवार के पास, जिसमें माइनर बच्चे भी हैं, 40 एकड़ भूमि कैसे उनके नाम कर दी गई है। दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ने कैसे नाम कर दी। मेरे दो निवेदन हैं—एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड सीलिंग एक्ट को लागू करके जो उनकी एक्स्ट्रा भूमि है उसको छीनकर लैण्डलैस लेबरर्स को दिल्ली के अन्दर दी जाए और दूसरे जब उसकी कीमत 30-40 लाख रुपए है और वह तीस हजार में बेची गई, तो उस भूमि का एक्वायर करके उस रुपये पर जनता को दे दी जाए। यही मुझे कहना है।

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर पिछले 15 दिनों सब लोगों की

हड़ताल चल रही है। सन् 1984 में सरकार ने बयान दिया था कि दिल्ली के कोर्टों को अलग-अलग नहीं किया जाएगा और वह एक ही जगह रहेंगी। अगर कोई कदम उठायेंगे तो इस पर कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी उसका फैसला करेगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पेपर में बयान आया है कि दिल्ली में कोर्टों को अलग-अलग किया जाएगा, जिसकी वजह से वकीलों ने हड़ताल कर रखी है और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं, सरकार क्या बताएगी कि वह इस मामले में क्या कर रही है? जब वकीलों के साथ फैसला हो गया था, तो दोबारा उसमें क्यों इन्टरफियर किया जा रहा है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। कश्मीर के अन्दर जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनको यह आर्डर दिया गया है कि वह फौरी तौर पर वहां जाकर रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा और उनकी जगहों पर कुछ और आदमियों को एप्वाइंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार उनको सीधे-सीधे मौत के मुंह में ढकेलना है, उनकी बिना सिक्योरिटी के इन्तजाम किए हुए। उनको बिना यहां से इकट्ठा किए ले जाया जा रहा है। वहां पर जितने भी लोग गए हैं, उनमें से बहुतों को मार डाला गया है। एच० एम० टी० के कई आदमी मार डाले गए। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पहले सुरक्षा का इन्तजाम किया जाए और उनको ले जाने का इन्तजाम किया जाए। उनको जो आर्डर दिया गया है कि वे काश्मीर जाकर रिपोर्ट करें, सरकार इस आर्डर को फौरी तौर पर वापिस ले। नहीं तो अगर यह हादसा हो गया तो सीधे-सीधे उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक का काम-काज इतनाबिगड़ चुका है, इतनी अव्यवस्था है कि वहां पर करोड़ों रुपयों का घोटाला है और गबन हो रहा है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने कुछ संस्थाओं को करोड़ों रुपये दिए हैं, जिनसे वसूल होना सम्भव ही नहीं है। आडिटर द्वारा भी कहा गया है कि लेखा परीक्षण नहीं हो सकता है। डिपाजिटर्स भी इस बात से चिंतित हैं कि क्या उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं? उस बैंक की ऐसी स्थिति हो गई है कि कल दिवाला निकले, उनका कामकाज ठप्प हो जाये। यह एक गम्भीर विषय है। इसमें लोगों के करोड़ों रुपए जमा हैं। इस पर मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आखिरी वर्किंग डे पर पीछे मैंने एक बात कही थी कि पूरे उत्तर भारत में जो साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति है वह बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर भारत में बारूद का ढेर तैयार है। जरा सी भी चिंगारी लग जाएगी तो दंगे-फसाद हो सकते हैं। ऐसी हालत में कुछ लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम 7 जून को शिलान्यास करेंगे, कुछ दूसरे लोग अभियान चला रहे हैं कि जुलाई तक हम धर्म जागरण करेंगे, उसके बाद हम फिर शिलान्यास करेंगे। वे जलूसों में जिस तरह से नारे लगाते हैं, जिस तरह से उनमें भाषण होते हैं, जलूसों में लोग त्रिशूल, बल्लम और भाले ले कर के जिस तरह से नंगा नाच सड़कों पर करते हैं उसके नतीजे जो हमारे सामने आ रहे हैं वे बहुत गम्भीर हैं। इस गंभीर मामले पर आज से दो-तीन दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ की एक आम सभा में अपने विचार स्पष्ट ढंग से रखे थे। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को अपने कदम के बारे में जन-प्रतिनिधियों के सामने आना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि इस स्थिति पर नियंत्रण

प्राप्त करने के लिए वह क्या करने जा रही है और इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहा है। सरकार का बयान इस सदन के सामने आना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज' और 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' तथा दो अन्य मानव अधिकार संगठनों ने एक आठ सदस्यीय दल कश्मीर घाटी में भेजा है। इस दल में जस्टिस तारकुण्डे, जस्टिस राजेन्द्र सच्चर जैसे लोग हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य मुद्दे पर आएं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन की एक प्रति मेरे पास है। मेरे विचार से यह प्रतिवेदन बहुत ही संतुलित है : इसमें आतंकवाद की रूप रेखा, कश्मीरी पण्डितों के दुर्भाग्यपूर्ण पलायन के कारणों, राज्य के वर्तमान प्रशासन जिसने कश्मीर के लोगों को और पराया बना दिया है, की चर्चा की गयी है। उस प्रतिवेदन में सिफारिश भी की गयी है। वे भारत के वीर सपूत हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को इन सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें स्वीकार और लागू करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री भजन लाल जी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, सार्वजनिक सवाल उठाइये।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जो कि जरूरी है। जो सरकार यह कहती थी कि यह सरकार नैतिकता पर आधारित है इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इसी पार्टी की सरकार हरियाणा में है : गृह मंत्री के कहने पर एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा और उसको 53 दिन अवैध रूप से हिरासत में रखा। उस आदमी का बेटा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में उसकी इन्कवायरी बिठाई। इंकवायरी एक डिस्ट्रिक एण्ड सैशन जज ने की उस सेसन जज की इन्कवायरी में हरियाणा के होम मिनिस्टर का हाथ बताया गया है और उन्हें दोषी करार दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वहां बात हुई है।

श्री भजन लाल: वहां की बात वहां तो हम कहेंगे। इनकी सरकार वहां भी है। इनके जो वहां होम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। यह मैं नहीं कहता, यह अखबार कहते हैं, यह रिपोर्ट कहती है। (व्यवधान) होम मिनिस्टर के खिलाफ केस दर्ज करें और तुरन्त इस्तीफा लें यह मेरी इस सरकार से मांग है।

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप बैठ जाए।

[अनुवाद]

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : हम लगातार यह देख रहे हैं कि दिल्ली में प्राय: रोज हजारों झुग्गियां जलायी जा रही हैं।

[अनुवाद]

जहां तक गरीब लोगों का सम्बन्ध है, दिल्ली में उनका बहुत बुरा हाल है। वास्तव में आग लगी हुई है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जाए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक नोटिस दीजिए। कार्य-मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी।

श्री बसंत साठे : कृपया इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही आवश्यक है। सभी जगह उपद्रव हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सभी पक्ष चर्चा करना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए, बार-बार आग लगने के कारण क्या हैं। (व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की तन्तुवाय, तांती (ततवा, खतवे, पटवा, चौपाल एवं पान-स्वामी) जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में और बिहार में पिछड़े वर्ग में रखा गया है। इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अवस्था से सभी परिचित हैं। बिहार सरकार की ओर से सम्बन्ध में समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् इसका औचित्य स्वीकार किया गया है और कहा है कि इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में अंकित किया जाए। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की ओर से कतिपय पत्र भारत सरकार को भेजे गए हैं, परन्तु भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

श्री सूर्य नारायण यादव : बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

इस सम्बन्ध में मुंगेरीलाल आयोग और बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखकर भेजा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब चुनाव सभा में गए थे तब उन्होंने सहरसा में आश्वासन दिया था कि ये सारी जातियां एक हैं। इनको कहीं पिछड़े वर्ग में रखा गया है, कहीं

अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, इसलिए एक विधेयक लाकर इन सब जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के सम्बलपुर शहर तथा अन्य जगहों में पानी की बहुत अधिक कमी है और विगत बीस वर्षों से पेय जल पूर्ति व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक जल पूर्ति व्यवस्था का सवाल है, उड़ीसा के छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों की उपेक्षा की जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा में छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों में पेय जल की सप्लाई बढ़ाये जाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में और विशेषकर बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता कम होने के कारण पूरे बिहार में छोटे और कुटीर उद्योग संकट में पड़ गए हैं। पूरा बिहार अंधकारमय हो गया है। मैं कल ही बिहार से लौटकर आया हूं, वहां पर पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसी हालत में विद्युत पर आधारित उद्योग बेकार पड़े हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही एक टीम भेजकर स्थिति का पता लगाया जाए। वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ाकर कुटीर और छोटे उद्योगों का संकट दूर करना चाहिए।

इसी तरह से पूरे देशों में और विशेषकर बिहार में मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ओर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में पासपोर्ट कार्यालय की बिल्डिंग नजर आतिश हो चुकी है और श्रीनगर में पासपोर्ट कार्यालय बंद हो चुका है। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उनके लिए न तो दिल्ली में और न चण्डीगढ़ में पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार से मांग है कि जम्मू में पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र खोला जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर की जनता को लाभ हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह स्मरण दिलाया कि एक सप्ताह पूर्व हमने फतेहपुर जो कि माननीय प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, में अपहरण और एक हरिजन को जला डालने से सम्बन्धित मुद्दा उठाया था। वास्तव में आपने अनौपचारिक ढंग से माननीय गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देने के लिए कहा था और माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वयं वक्तव्य देना चाहा था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभा के अनुरोध पर उन्होंने यह कहा था कि वे छान-बीन करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह एक सप्ताह पहले की बात है। उसके पश्चात आज पुनः सभा के ध्यान में यह बात लाई गयी है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में जो कि माननीय प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे जला

कर मार डाला गया। उस निर्वाचन क्षेत्र में एक विशेष जाति के लोगों द्वारा, जो कि वर्तमान संसद सदस्य का समर्थन करते हैं, हम सप्ताह जुल्म ढाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम एक रिपोर्ट की मांग करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि वे एक वक्तव्य जारी करेंगे। हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं। क्यों नहीं आप यह निर्देश देते हैं कि सभा के दिए गए आश्वासन पर सरकार को कायम रहना चाहिए? अथवा ऐसा सिर्फ इस कारण है क्योंकि यह प्रधान मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और इसलिए यहां की सभी वारदातों को छिपा लेना चाहिए? हमारे पास इतने विशेष प्राण हैं कि जो लोग इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा दी जा रही है। इसे और कितने दिन तक हम चला दे सकते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि आप प्रधान मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी एक वक्तव्य दें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार आपकी बात सुन रही है।

श्री वी० आर० कुमारमंगलम : सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। आधी सरकार तो सोई हुई है। माननीय गृह मंत्री जी अच्छे मित्र हैं लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

श्री वी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० के० थुंगन।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, कुछ असंतुष्ट अधिकारियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में उनकी नियुक्ति कर देना दंड समान समझा जाता है। विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि विकास तन्त्र को बिल्कुल दुरुस्त रखा जाए और उन्हें उचित जगहों पर लगाया जाना चाहिए। परसों ही मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन पर कि एक आयोग द्वारा अभियोग लगाया गया है, उनका स्थानांतरण मिजोरम कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में नियुक्तियां सजा समान समझी जाती हैं जबकि अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारीगण भी हैं, जो कि वहां नियुक्त होना चाहते हैं लेकिन वहां उनकी नियुक्ति नहीं की जाती। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन पिछड़े क्षेत्रों के रहने वाले लोग इस प्रकार की कार्यवाही से अपने आपको वास्तव में पराया समझने लगते हैं और यही कारण है कि वे सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

श्री पी० के० थुंगन : पुनः एक बार मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां नियुक्ति के आदेश को वापस ले रही है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सूखे की चपेट में है। पूरे प्रदेश के अन्दर पेय जल की गम्भीर समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 24 तारीख को प्रधान मंत्री जी वहां पर बस्तर यात्रा पर गए थे। उन्होंने 37 करोड़ रुपए वहां पर पेयजल के लिए दिए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर जो पैसा दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि 10-15 दिन में समुचित व्यवस्था नहीं की गयी तो मध्य प्रदेश के लोग वहां से पलायन करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय दृष्टिकोण स विचार करके प्रधान मंत्री महोदय को कम से कम 80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए देने चाहिएं।

डा० खुशाल परसराम बोपचे (भण्डारा) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के गोंदिया शहर में सर्वदलीय समिति ने काश्मीर बचाओ जनजागरण सप्ताह शुरू किया है। उसके अन्तर्गत वहां पर जो जनजागरण हेतु मांगों के बोर्ड लगाए गए थे, उनपर विघटनकारी शक्तियों ने ऐसिड डाल कर उन्हें जला दिया। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गयी थी। लेकिन अब तक एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया। इसकी जांच ठीक से नहीं हो पायी। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय में कार्यवाही करें। अन्यथा विघटकारी शक्तियां फिर से सिर उठायेंगी।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की 25 अप्रैल, 1990 को न्यूयार्क में मुलाकात हुई। उसकी स्टेटमेंट आने वाली है। दूसरे दिन उन्होंने घोषणा की कि बाकी के जो अलग प्रकार के प्रश्न हैं उनके जरिए काश्मीर की समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

इसका अर्थ है कि वे कश्मीर में अपनी कारवाही जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि जब कल प्रवक्ता ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम ट्रेनिंग कैम्प विध्वस्त करेंगे। यह जो स्टेटमेंट है, यह विदेशी प्रवक्ता ने दी है। हम चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की बजाए, क्योंकि स्टेटमेंट काफी हो गए हैं, हम एक्शन चाहते हैं, एक्शन कब करेगी। इस प्रकार की स्टेटमेंट प्रधान मंत्री को आज करनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : सम्पूर्ण देश में महंगाई जोरदार तरीके से बढ़ रही है मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से लौटकर आया हूं वहां पर स्थिति यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : इस पर 193 में बहस है शायद 2 तारीख को।

श्री हरि केवल प्रसाद : मेरा मतलब दूसरा है। इस समय विवाहों का समय है और लोगों को शादी-ब्याह पर चीनी नहीं उपलब्ध हो रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में और देश में लड़के-लड़कियों की शादियां हैं वहां पर चीनी नहीं मिल पा रही है मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शादी के अवसर पर स्पेशल तरीके से चीनी और डालडा की व्यवस्था करायें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मुझे बहुत पीड़ा हो रही है यह मामला यहां उठाते हुए।

मैंने सदन में यह दो बार प्रश्न उठाया है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भयंकर सूखा है उसका परिणाम यह निकला है कि 10 लोगों की मौत होने का समाचार मिला है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में तीन दिन में दो लोगों की मृत्यु का समाचार आया है। वहां पीने के पानी की भीषण समस्या है, भुखमरी व्याप्त हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं मांग करता हूं कि इस पर एक घंटे की चर्चा करायें और जो सम्बन्धित मंत्री है वह इस पर सदन में वक्तव्य दें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र उसका जीवन-मरण का सवाल हो गया है। हम लोग वहां के निर्वाचित सदस्य हैं और वहां पर जब जाते हैं तो हमारे पास कहने को शब्द नहीं होते। प्रादेशिक सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि वह उचित व्यवस्था कर सकें। आप मंत्री जी से इस विषय के ऊपर वक्तव्य करा दें।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, आप बैठ जायें। आपका सरकारी पक्ष सुन रहा है। मैं एक आब्जर्वेशन कर रहा हूं।

12.32 म०प०

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणियां

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 26 अप्रैल, 1990, को श्रीमती गीता मुखर्जी ने प्रश्न काल के पश्चात् सभा में एक मामला उठाते हुए 7 मई, 1990 को विवादास्पद राम जन्म भूमि मन्दिर का शिलान्यास करने के बारे में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य के निर्णय के सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा :—

> "ऐसा लगता है कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में विश्व हिन्दू परिषद और इस जगद गुरु के बीच होड़ लगी हुई है। मैंने यह सुना है—मेरी बात गलत भी हो सकती है और सही भी—कि इस शंकराचार्य को कुछ कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त है।"

श्री वसन्त साठे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि प्रक्रिया नियमों के नियम 353 के अन्तर्गत श्रीमती मुखर्जी को आरोप लगाने की अपनी मंशा से बारे में अध्यक्ष को पूर्व-सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने नियम 352 (सात) का भी हवाला दिया जिसके अनुसार कोई सदस्य बोलते समय अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा। श्री साठे ने यह मांग भी कि इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

चूंकि विपक्ष के अन्य अनेक सदस्यों ने भी श्रीमती गीता मुखर्जी की टिप्पणियों पर आपत्ति की, इसलिए मैंने सर्वश्री विनेश सिंह, हरीश रावत, लाल कृष्ण आडवाणी, सैफुद्दीन चौधरी, वसुदेव आचार्य, इन्द्रजीत गुप्त, श्रीमती सुभाषिनी अली और श्री मित्रसेन यादव को इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी।

सदस्यों के विचार सुनने के बाद, मैंने यह उचित समझा कि मैं कार्यवाही वृत्तांत और फिर इस मामले में अपना विनिर्णय दूं।

आज सुबह मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि मैं अपना विनिर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखकर दूं कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और

अधिकांश समाचार-पत्रों ने सिर्फ एक अंश ही प्रकाशित किया जिससे गलत धारणा पैदा हुई। मैंने कार्यवाही वृत्तांत पढ़ा है तथा इस मामले से सम्बन्धित नियमों और पूर्वोदाहरणों का भी अध्ययन किया है। जहां तक प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित नियम इस प्रकार है :—

"352 बोलते समय कोई सदस्य—

(एक) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो;

(दो) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा;

नियम 353 के अनुसार

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

मैंने देखा कि उपरोक्त नियम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां देने से प्रतिषिद्ध करते हैं न कि किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध। जहां तक राजनैतिक दलों के विरुद्ध आरोप लगाने का सम्बन्ध है, कौल और शकधर द्वारा लिखित संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार में कहा गया है—

"जब सभा में किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध आरोप लगाए गए हों तो दल/ग्रुप के नेता को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है। तथापि, उसको अपने उस वक्तव्य का पाठ अध्यक्ष को देना होता है और वह केवल तब ही वक्तव्य दे सकता है जबकि अध्यक्ष उस वक्तव्य का पाठ पढ़ने के बाद उसको ऐसा करने की अनुमति दे दें।"

पूर्वोदाहरण के रूप में, 1 अप्रैल, 1963 को जब एक सदस्य श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने गृह मंत्री द्वारा प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों पर आपत्ति उठाई तब अध्यक्ष महोदय ने वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। उन्होंने गृह मंत्री को भी अग्रिम उजागर करते हुए एक वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। जब श्री द्विवेदी ने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में मार्गदर्शन करने के लिए कहा कि जब कोई मंत्री किसी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाता है और कोई व्यक्ति या जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए है वह उस रिपोर्ट के गलत होने का दावा करता है तब सभा को अपनी कार्यवाही कैसे चलानी चाहिए, तब अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी दी :—

"... यह जांच करने की अदालत नहीं है। हम यही कर सकते हैं कि जब एक ही विषय

पर परस्पर विरोधी बातें कही गई हों और तथ्य सिद्ध न हों, तब हम तत्काल प्रमाण देकर उसे सिद्ध नहीं कर सकते न ही सभा या सदस्य इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और फिर अन्तिम निर्णय पर पहुंचेंगे···दोनों ही तरह के वक्तव्य दिए गए हैं। तथ्य स्वीकार नहीं किए गए हैं सदस्य दिए गए वक्तव्यों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।"

एक अन्य मामले में, 17 मई, 1972 को एक सदस्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री व उनके दल के विरुद्ध आरोप लगाया था। तब नियम 353 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि सम्बन्धित सदस्य को आरोप लगाने की अपनी मंशा के बारे में अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी चाहिए थी तथा यह मांग की गई कि सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाए, उस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे उन्होंने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था :—

"··· मैं नहीं चाहता कि समूचा देश यह समझे कि सभा में कुछ आरोप लगाए गए हैं और सरकार तथा प्रधान मंत्री बहुत सुदृढ़ हैं और वित्त मंत्री ने यह कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और ये सब मनगढ़न्त हैं और यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में है और इस सबके अलावा, इन सब टिप्पणियों को निकालने के लिए अध्यक्ष पीठ की अनुमति आवश्यक है, मैं नहीं चाहता कि देश की जनता पर यह गलत छाप पड़े कि सरकार अध्यक्ष के माध्यम से अपना बचाव कर रही है। यह ठीक नहीं है। न तो सरकार के लिए अच्छा है न ही अध्यक्षपीठ के लिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका खंडन करे।"

मैं समझता हूं कि यह बात केवल सत्तारूढ़ दल पर ही नहीं अपितु इस सदन के सभी दलों पर लागू होती है। कार्यवाही के दौरान लगाए गए आरोपों का खण्डन करने के लिए इस सदन से उपयुक्त और कोई स्थान है ही नहीं और जनता इससे क्या निष्कर्ष निकालती है, यह उन पर है। कार्यवाही वृत्तांत से यह पता चलता है कि श्री दिनेश सिंह और उनके दल के एक अन्य सदस्य ने इन आरोपों का तत्काल खंडन किया था और यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। वास्तव में एक दिलचस्प बात यह है कि 26 अप्रैल, 1990 को ही श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में झुग्गियों में लगी आग के सम्बन्ध में पकड़े दो व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया था कि वे भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने आग लगने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली थी। एक अन्य सदस्य श्री कामका दास ने इस आरोप का तत्काल खण्डन किया था।

इस मामले में, चूंकि दोनों बयान कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हैं और पिछली प्रथा को ध्यान में रखते हुए वह वाद-विवाद के किसी भाग को कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकालना उचित नहीं समझते। साथ ही श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की बारीकी से जांच करने पर, मैं संतुष्ट हूं कि उन्होंने इस बात की पूरी सावधानी बरती है कि कोई असंसदीय शब्द न हो अथवा किसी व्यक्ति पर कोई आरोप न लगाया जाए, जिन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़े।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं । मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

12.38/1/2 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : श्री देवी लाल की ओर से मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 745/90]

12.39 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की बात को जाहिर किया है कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ रहा है और कई मौतें हो रही हैं । उसमें राजस्थान भी शामिल है । सदन में यह मामला कई बार आया है और माननीय सदस्यों की तरफ से मांग की गई है कि शासन की ओर से कोई भी मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें । नियमों के अन्तर्गत भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है, आपकी अनुमति भी मिली है तभी तो माननीय सदस्यों ने इस मामले को सदन में उठाया । मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न यह चाहता हूं कि आपकी ओर से शासन को या किसी मंत्री को इस प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए कि जब देश के कुछ भागों में ऐसी स्थिति है, उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाये । मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न दुरूस्त नहीं है क्योंकि चेयर की ओर से न तो किसी मंत्री को और न सरकार को नियमों के अन्तर्गत किसी तरह का निर्देश दिया जा सकता है कि वे कुछ कहें या न कहें । उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता ।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : लेकिन सलाह तो दी जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह एक भयंकर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन को चलाने के लिए कुछ नियम बने हैं और उन नियमों के अन्तर्गत ही आप कोई चर्चा यहां कर सकते हैं या अपनी बात कह सकते हैं।

श्री कालका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष जी, स्थिति को देखते हुए चेयर की तरफ से कुछ तो निर्देश सरकार को दिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा कि इस सदन में यद्यपि बार-बार अनेक तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, सदस्यों की ओर से कहा जाता है कि सरकार को कुछ कहने के लिए कहा जाये, मगर इस हाउस के नियम ऐसे हैं कि यदि सरकार अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकती है, न कहना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। आप नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसा रास्ता निकालिए, जिसे अपना कर, आप सरकार को कुछ कहने के लिए मजबूर कर सकें। आप चेयर को ऐसा नहीं कर सकते कि वह सरकार को कुछ कहने के लिए या न कहने के लिए बाध्य करे। ऐसा नियम नहीं है। यदि इस मुद्दे पर आपको कुछ कहना है तो वह आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है और इस मुद्दे को लेकर सदन में बार-बार चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री कालका दास : बहुत दफा देखा गया है कि यदि मामला गम्भीर हो तो चेयर को···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। नियम ऐसा नहीं कहते हैं।

श्री कालका दास : जब हमारे मामलों पर सरकार कोई ध्यान ही न दे तो आपसे प्रार्थना तो की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रेजाइडिंग ऑफिसर की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह कैसा डिसीजन ले।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं।

[अनुवाद]

इस विषय पर और चर्चा नहीं की जाएगी। मैं और चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

12.42 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र...जारी

अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 746/90]

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 747/90]

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 748/90]

(4) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 749/90]

योजना मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : महोदय, मैं योजना मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 750/90]

———

12.43 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर और कुल्लू जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं की मांग

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में दूरदर्शन का प्रसार-प्रचार अभी तक ठोस रूप में नहीं पहुंच पाया है। हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार की ओर से जो दूरदर्शन टावर लगाये जाते हैं, उनका लाभ भी कार्यक्रम सुनने वालों को प्राप्त नहीं है। शिमला जिले में भारत सरकार की ओर से टी०वी० टावर लगाने हेतु खड़ा पत्थर नामक स्थान पर मंजूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त दलाश, जो जिला कुल्लू का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां टावर लगने से दूरदर्शन के प्रोग्राम सुनने के लिए काफी सुविधा प्राप्त हो सकती है, परन्तु इस ओर भी सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया। मैं कई बार संसद में इस सम्बन्ध में आवाज उठाता रहा हूं कि इस पिछड़े हुए राज्य को ज्यादा से ज्यादा टी०वी० के प्रसार से लाभान्वित किया जाये। शिमला में भी, स्टूडियो का उद्घाटन पिछली सरकार द्वारा हुआ था, परन्तु वह अभी तक कार्य करने की क्षमता में नहीं आया। मैं यहां भारत सरकार से मांग करता हूं कि

शिमला जिला, सिरमौर जिला और कुल्लू के पिछड़े हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन की सुविधा प्रदान की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्य करके लाभान्वित करेगी।

(दो) अरुणाचल प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली में सुधार किए जाने की मांग

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, पर्याप्त तथा उपयुक्त जल-भूतल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दूरसंचार सुविधाओं पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु विभाग द्वारा दी गई वर्तमान सेवाएं लोगों की आशाओं के अनुरूप नहीं हैं। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश अपने गतव्य स्थान पर 10 दिन से ज्यादा अवधि के बाद पहुंचते है, जबकि सुदूर पश्चिमी भारत से एक साधारण पत्र अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगते हैं। इस विभाग में लोगों का विश्वास जीतने के लिए समग्र प्रणाली को तुरन्त नए सिरे से पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है।

(तीन) राजस्थान राज्य की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय की ओर नियम 377 के अधीन ध्यानाकर्षित करता हूं :—

"राजस्थान भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां देश की आजादी के 43 वर्षों के बाद भी सिंचाई तो छोड़िए पीने के पानी के लिए लोग दुखी एवं मोहताज हैं। भारत सरकार ने राजस्थान के अकाल एवं पीने के पानी पर करोड़ों रुपया अब तक व्यय किया, फिर भी 33 हजार गांवों में से 18 हजार गांव आज भी पीने का पानी से वंचित हैं और वहां के निवासियों को एक किलोमीटर से 15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। वर्षा के पानी को टेंकों में इकट्ठा करना एवं उपयोग करना उनकी जीवन-पद्धति है। राजस्थान के गांव ही नहीं कई बड़े शहर जैसे उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर जहां के लोग 72 घंटों में ढाई या एक घंटा पानी प्राप्त करते हैं। 40 प्रतिशत भाग थार रेगिस्तान से आच्छादित है जहां पानी मिलना कठिन है इस लिए नर्मदा, यमुना, गंगा एवं इन्द्रागढ़ बिसालपुर, मानसी वाकल, सिदमुख नहर जैसी योजना को अतिशीघ्र पूरा करके ही किया जा सकता है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार यहां के अकाल एवं पानी पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च करती रहती है। अगर इस धन का उपयोग स्थाई समाधान हेतु किया होता, तो समस्या का समाधान ही हो जाता। भविष्य में स्थाई समाधान की योजना बनाकर ही कार्य करना चाहिए।"

(चार) अनूपगढ़ और बीकानेर के बीच एक रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

श्री गोपाल सिंह मक्कासर (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

"जिला गंगानगर व बीकानेर दोनों सीमावर्ती जिले हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का पहला चरण पूरा हो चुका है। करीब 15 से 20 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है। लाखों टन

[श्री मोहन सिंह मवकासर]

अनाज किसान उस क्षेत्र में पैदा कर रहा है। विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा किसान की पैदावार को बेचने से उसको उचित दाम मिलें, उसके लिए मंडियों की स्थापना भी की जा रही है। मगर रेल के अभाव में उस क्षेत्र की मंडियों का विकास होना सम्भव नहीं। जिसका असर उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों किसानों पर पड़ना स्वाभाविक है। आज किसान जब अपनी पैदावार कपास, गेहूं, सरसों तथा मूंगफली, जो उस क्षेत्र की मुख्य फसल है, बाजार में ले जाता है, तो उसकी फसल जिले की अन्य मंडियों के मुकाबले सस्ती बिकती है तथा देश के अन्दरूनी भागों में ले जाने के लिए सड़क के माध्यम से अधिक खर्चा होता है।

इसके साथ ही सीमावर्ती जिला होने के नाते अनूपगढ़ से घड़साना खाजूवाला पूगल होती हुई अगर यह रेल लाइन बीकानेर जाती है, तो सीमा सुरक्षा बल के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, सीमा सुरक्षा तथा उस क्षेत्र के विकास के लिए उपरोक्त रेल लाइन का होना, सिर्फ आवश्यक ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। प्रधान मंत्री जी ने भी विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों को एक विशेष चिट्ठी के मार्फत, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने को कहा है। ऐसी परिस्थिति में ब्रॉडगेज लाइन को अनूपगढ़ से घड़साना, रावला, हैड 365, खाजूवाला, पूगल तथा कोलायत होती हुई बीकानेर तक बनाई जाए। रेल मंत्री व रक्षा विभाग दोनों, मेरे इस सुझाव की गम्भीरता को अनुभव करते हुए सन् 1990 में इसका सर्वे कार्य सम्पूर्ण कर सन् 1991 के रेल बजट में प्राथमिकता देंगे।"

(पांच) चित्रदुर्ग-रायदुर्ग और बेल्लारी-रायदुर्ग रेल लाइनों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा मंगलौर और सिकन्दराबाद के बीच रेल सेवा में सुधार किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हैदराबाद से मंगलोर जाने वाले यात्रियों को तमिलनाडु तथा केरल से होकर यात्रा करनी पड़ती है और इस यात्रा में लगभग 36 घन्टे लगते हैं। वर्तमान समय-सारणी के अनुसार कोई भी व्यक्ति वेंकटादरी/विजयानगर/मिराज मंगलोर महालक्ष्मी एक्सप्रैस द्वारा गुंतकल, हुबली और अरसीकेटे से होकर छोटी लाइन से सिकन्दराबाद से मंगलोर 37 घन्टे 45 मिनट में पहुंच सकता है। वापसी में इस यात्रा में गुन्तकल तथा हुबली में हाल्टिंग तथा प्रतीक्षा समय को कम करके एक सीधी रेलगाड़ी होने से लगभग 34 घन्टे लगते हैं।

सिकन्दराबाद से मंगलोर तक की कुल दूरी बड़ी लाइन पर बरास्ता विजयवाड़ा, गुडूर, रानीगुन्ता और जोल्लारपाट्टा 1630 किलोमीटर है और छोटी लाइन पर यह दूरी 1160 किलोमीटर है। यदि चित्रदुर्ग-रायदुर्ग लाइन पर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाती है और बेल्लारी-रायदुर्ग लाइन को सुदृढ़ कर दिया जाता है तो सिकन्दराबाद से मंगलोर के बीच की दूरी और कम हो जाएगी।

इस बीच सिकन्दराबाद से मंगलोर तथा वास्कोडेगामा तक की बोगियां शामिल करके, जिन्हें हुबली में अलग कर दिया जाए, एक मिली-जुली एक्सप्रैस रेलगाड़ी प्रारम्भ में सप्ताह में

दो बार चलाई जा सकती है और बाद में इसे हर रोज चलने वाली रेलगाड़ी में बदला जा सकता है। मंगलोर पहुंचने का समय 30 घन्टे तथा वास्कोडगामा पहुंचने का समय 22 घन्टे किया जाना चाहिए। प्रस्तावित रेल गाड़ी के चलने से विजयवाड़ा और रानीगुन्ता से होकर जाने वाले व्यस्त मुख्य मार्ग पर भीड़ कम हो जाएगी। सरकार का विचार शीघ्र ही डीजल से चलने वाली काचीगुड़ा जयपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है और यदि सुझाई गई इस सिकन्दराबाद से मंगलोर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय इस तरह निर्धारित किया जाता है ताकि यह जयपुर एक्सप्रेस के साथ साथ सिकन्दराबाद पहुंचे तो इससे मंगलोर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पर्यटक स्थानों को जाने वाले यात्रियों को एक सुविधाजनक सेवा मिल जाएगी।

अतः मेरी मांग है कि इस बारे में तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए।

(छः) पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव (मधेपुरा) : भारत जैसे महान देश का बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अनेक प्राकृतिक प्रचुरताओं और वैभव के बावजूद वहां अभाव है, दारिद्य है। बिहार का पाटिलपुत्र, सम्प्रति पटना विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इसकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता, ऐश्वर्य और वैभवशाली परम्पराओं से विश्व परिचित है। इस देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से पटना विश्वविद्यालय भी एक है। अभी तक इस देश में मात्र छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इस देश की आबादी लगभग 84 (चौरासी करोड़) है। आबादी, आवश्यकता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा उसके उन्नयन और प्रवर्द्धन के निमित्त विभिन्न लोकहित में पटना विश्वविद्यालय को अनिवार्य प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं।

12.54 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन 25 अप्रैल, 1990 को प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाए गई मामले "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार" पर चर्चा करेंगे। अब श्री कालका दास अपना भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : आपने जो मुझे नियम 193 के अन्तर्गत भारत में हो रहे अनुसूचित जाति, जनजाति के नागरिकों पर भारी अत्याचार के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दिन-प्रतिदिन इस दलित वर्ग के

[श्री कालका दास]

ऊपर अत्याचारों की भरमार बढ़ती जा रही है। अखबारों को जब हम सुबह पढ़ते हैं तो शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिसमें देश के कोने से ऐसे समाचार न छपे हों जो इस वर्ग पर अत्याचार की ओर संकेत न करते हों। अध्यक्ष जी, अत्याचार रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले साढ़पुर देवली में मात्र इसलिए लोगों को मार दिया गया, गोलियों से उड़ा दिया गया कि उन्होंने अन्य वर्ग के लोगों के लिए बेगार करने के लिए मना कर दिया। एक सटूरे नाम का व्यक्ति, जो जूते बनाता था, उसके लड़के ने जब उनसे कहा कि इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, इसी आधार पर रात को सारे गांव को घेर लिया गया और एक परिवार के आठ लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। बिहार से दर्दनाक समाचार आ रहे हैं। जब भी इस वर्ग के लोग उचित मजदूरी की मांग करते हैं तो उनकी झोंपड़ियां जला दी जाती हैं, उनकी बस्तियों को जला देते हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे मान लो इस वर्ग का व्यक्ति मात्र इन जुर्मों को सहन करना अपने भाग्य की रेखा समझता हो। दूसरे वर्ग के लोग शायद इन पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं। उनको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, संविधान में व्यवस्थाएं की गई लेकिन व्यवहार में अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसे रोकने में सफल सिद्ध होते हों।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गुजरात से एक समाचार छपा कि गुजरात में कुछ ढोल बजाने वाले व्यक्ति दोपहर के समय भोजन खाने के लिए एक स्कूल के आंगन में बैठ गए। जब मालूम हुआ कि ये दलित वर्ग के लोग हैं तो उनके सात आदमियों को इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने एक स्कूल के प्रांगण में दोपहर को भोजन करने की हिम्मत कैसे कर ली। अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे ये अन्याय इस बात के द्योतक हैं कि आज ये समस्यायें राष्ट्रीय समस्यायें बन गई हैं। इनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार को लेना चाहिए। कानून केवल बनाना पर्याप्त नहीं है लेकिन कानून के आधार पर कड़ी कार्यवाही भी बहुत आवश्यक है।

छुआछूत के बारे में अनेक कानून बनाए गए और इसे आपराधिक दण्ड माना गया लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जहां छुआछूत करने के आधार पर किसी को कड़े दण्ड दिए गए हों। पहले थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी लेकिन अब लिख तो देते है लेकिन गवाह नहीं मिलते हैं। अगर कहीं गवाह मिल भी जाते हैं तो शक्तिशाली लोग उन गवाहों को डरा देते हैं और परिणाम यह होता है कि जालिम छूट जाते हैं। उनके छूटने के बाद उनका हौसला बढ़ता है। जिनके ऊपर जुल्म होता है वह इसको भाग्य मान लेता है। अनेक कानून बनाने के बाद भी वे दलित वर्ग के लोग यह समझते हैं कि ये सब उनको विरासत में मिला है। अनुसूचित जाति के नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार को एक अलग से शक्तिशाली मंत्रालय बनाना चाहिए। जब भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार या अन्याय हो तो एक शक्तिशाली ढंग से इसको रोका जाये और उसको राष्ट्रीय समस्या मानकर कोई काम करना चाहिए। बहाना बनाने के लिए मात्र कहेंगे कि कुछ कर रहे हैं और कानून में इसके लिए प्रावधान कर दिया है तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है। पहले अनुसूचित जाति के लिए एक कमीशन बनाया गया था और वह कमीशन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत था। उस कमीशन के लोगों को मात्र यह अधिकार था कि जहां कहीं भी दलित वर्ग पर अत्याचार होता था तो

इंस्पेक्टर वहां आता था और खोज-बीन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देता था। वह कमीशन की रिपोर्ट में छप जाता था, लेकिन उन पर कोई मरहम नहीं लगती थी। राजीव गांधी जी के समय में यह मांग उठाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को उठाया कि यहां पर एक मंत्रालय बने, एक शक्तिशाली ढंग से इसको डील किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति के इन लोगों पर हो रहे अत्याचारों को बन्द किया जाना चाहिए। राजीव गांधी जी की सरकार ने इस कमीशन को गृह मंत्रालय से निकाल करके सोशल वैलफेयर में लगा दिया। इसमें उसकी शक्ति और घट गई। परिणाम यह हुआ कि अत्याचार उन पर और बढ़ने लगे और वे दिन दुगने रात चौगने बढ़ने लगे। अत्याचार करने वाले जोर से अत्याचार करते रहे और यह वर्ग कराहता रहा लेकिन मरहम नहीं लगाई गई। ऐसी यह मांग है कि इसके लिए एक शक्तिशाली मंत्रालय अलग से स्थापित किया जाना चाहिए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि अगर आप वास्तव में इस वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनकी पीड़ा पर मरहम लगाना चाहते हैं, इनकी फटी बिवाइयों को भरना चाहते हैं तो एक 20 अरब रुपये का अलग दरिद्र कोष स्थापित करना चाहिए क्योंकि इन वर्गों पर बहुत अत्याचार होते हैं।

अभी यहां दिल्ली में मोतिया खान में झुग्गियां जला दी गई। उनमें 90 परसेंट लोग अनुसूचित जाति के थे। ऐसे में प्रशासन ने एनाउन्स किया कि 500-500 रुपये इनकी झुग्गियों को बनाने के लिए दिए जायेंगे। 500 रुपये में अगर बांस भी खरीदने लगे तो बांस भी झुग्गियों के लिए नहीं मिलेगा।

1.00 म० प०

कहां से उसकी झोंपड़ी के लिए फूस आएगा, कहां से बनाने वाले आयेंगे, कहां वह रहेंगे लेकिन वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा जाता और कह देते हैं कि धन की कमी है। मेरा निवेदन है कि अगर 20 अरब रुपये के एक दरिद्र नारायण कोष की स्थापना की जाए तो जहां पर इस तरह का अन्याय होता है, जहां पर वह पीड़ित होते हैं वहां उनकी पीड़ा पर कुछ मरहम लगाया जा सकता है। इसमें मात्र फार्मेलिटी से काम नहीं चलेगा, औपचारिक रूप से काम नहीं चलेगा, यह तो हृदय से करना होगा, इसको दरिद्र नारायण की सेवा मानकर करना होगा। अभी प्रधान मंत्री जी ने बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को एक घोषणा की थी कि नाइन्थ शैड्यूल को एमेण्ड करने के लिए इनके लिए अलग अदालतें बनाई जायेंगी, मैं समझता हूं यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जब तक इनके लिए अलग मंत्रालय की स्थापना नहीं होगी तब तक इस रोग को दवा नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में दरिद्र नारायण की आप सेवा करना चाहते हैं, वास्तव में इस देश में दलित वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचारों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो दो सुझाव मैंने अभी दिए हैं, मैं फिर उनको रिपीट करना चाहता हूं कि एक तो अनुसूचित जाति वर्ग के अन्याय को समाप्त करने के लिए, उनके विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए और दूसरी मांग यह है कि 20 अरब रुपये का एक दरिद्र नारायण कोष खोला जाए ताकि जहां भी अत्याचार हो, वहां उनको ठीक से राहत दी जा सके।

यह कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० अमात (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर रहा हूं। पिछली सरकार तथा वर्तमान सरकार वास्तव में जनजातीय भूमि पर गैर-कानूनी अधिग्रहण करने वाली और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शोषक है। उन्होंने राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 21,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी और भूमि का अधिग्रहण करते समय हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सर्वोच्च प्राथमिकता विस्थापित व्यक्तियों विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाएगी। परन्तु यह आश्वासन निर्मल यमुना में प्रवाहित हो गया है। उन्होंने पापड़ की तरह अपना वादा तोड़ दिया है। भूमि अधिग्रहण के समय हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा एक शर्त निर्धारित की गई थी कि यदि हिन्दुस्तान स्टील लि० को भूमि की आवश्यकता नहीं हुई तो वह भूमि उसके मूल स्वामी को लौटा दी जाएगी। वह भूमि उसके मूल स्वामी को वापस देने की बजाए अब वे उसे महंगी दर पर बेच रहे हैं और उसका मुआवजा केवल 200 रुपए ही दिया गया है। अब वे उस जमीन को 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपय की महंगी दर पर बेच रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 47 में यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की अन्याय से तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा की जानी चाहिये। क्या यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लोगो पर आर्थिक शोषण का दण्ड नहीं है? मैं यह कहता हूं कि यह विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का शोषण है।

मैं इस सम्बन्ध में गठित किए गए विभिन्न आयोगों के बारे में बात कहना चाहता हूं। ये आयोग प्रति वर्ष वे विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और उनकी सिफारिशों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इन सभी आयोगों के प्रतिवेदन निरर्थक होते हैं। मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के 20वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 51 से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है कि उड़ीसा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई प्रथा से भिन्न हैं जबकि अनुसूचित जनजातियों की छंटनी के मामले में उनकी तब तक छंटनी नहीं की जा सकती जब तक उनका कोटा न भरा जाए। मैं धेबार आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 से भी उद्धृत करता हूं। इस प्रतिवेदन में कहा यह गया है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग शोषित लोग हैं जबकि अन्य लोग शोषक होते है। हमारा शोषण किया जा रहा है। मेरा कहना है कि वह जमीन उसके मूल स्वामी को वापस कर दी जानी चाहिए। यदि सरकार ने इस भूमि का उपयोग सभा-भवनों, खेल के मैदान, स्टेडियम अथवा तरन-ताल आदि के निर्माण के लिए किया होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। परन्तु ऐसा करने की बजाए निर्धन व्यक्तियों से खरीदी गई जमीन अब धनी लोगों को बेची गई है। (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में कोई गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घन्टी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री डी० अमात : सरकार ने तिब्बतियों का चन्द्रगिरि में पुनर्वास किया था, बर्मा से वापस आए शरणार्थियों का माना में पुनर्वास किया गया था, बंगालियों का पुनर्वास दण्डकारण्य में किया गया है और हाल ही में भारतीय शांति सेना का उड़ीसा के कोरापुट में पुनर्वास किया जाएगा। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। परन्तु हमने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया और सरकार हमारी जमीन का अधिग्रहण करने के बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी हमारा पुनर्वास नहीं कर पाई है।

आपने उत्तर प्रदेश में से एक एक प्रान्त को निकाल कर उसे हिमाचल प्रदेश का नाम दे दिया अपने पंजाब का विभाजन कर दिया और हरियाणा तथा पंजाब बना दिए। अब उत्तराखण्ड बनाए जाने की मांग है। जब बाबू जगजीवन राम जीवित थे तो वे एक दलित प्रान्त की मांग कर रहे थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र मैथिलि राज्य की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा के श्री ब्रह्मानन्द पांडा, जो नील चक्र के प्रमुख हैं एक जगन्नाथ देश की मांग कर रहे हैं। डा० चेन्ना रेड्डी ने तेलंगाना की मांग की है और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रान्त और महाराष्ट्र में विदर्भ प्रान्त की मांग की गई है। यह ठीक है। परन्तु यदि जनजाति के लोग झारखण्ड की मांग करते है तो उसमें क्या नुकसान है ? यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस मांग को स्वीकार करे या न करे। परन्तु इस प्रकार का शोषण हमेशा से होता रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं एक अन्य समस्या पर आता हूं। हाल में जब भविष्य निधि आयुक्त···* एक दिन शनिवार को अचानक विमान से भुवनेश्वर आए थे और अगले दिन वापस चले गए थे तो उन्हें प्रधान मंत्री ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिक्षा, पदोन्नति आदि की देखभाल के लिए वहां भेजा था।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

श्री डी० अमात : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से मिलने के बजाय उन्होंने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ साठ-गांठ करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियां की। इस कारण बहुत से आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को अपने वास्तविक तथा देय पदोन्नति के अवसरों से वंचित कर दिया गया। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले की छानबीन के लिए किसी अन्य सक्षम अधिकारी को भुवनेश्वर भेजे। यदि यह सही पाया जाए, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के साथ जर्मनी के यहुदियों तथा अफ्रीका के नीग्रो जैसा बर्ताव किया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज कल्याण बोर्ड का समिति पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण किया गया था। इसका पंजीकरण एक

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० अमात]

मार्च, 1969 अर्थात 'अप्रैल फूल' के दिन, किया गया था। इस तरह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

1.11 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मई दिवस सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं यह घोषणा करता हूं कि कल मई दिवस होने के कारण, सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय किया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने श्रमिकों को मान्यता दी है। अतः महोदय, मेरे विचार से कम-से-कम इस मुद्दे पर, समूचा सदन सहमत होगा कि वर्तमान सरकार ने मई दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करके श्रमिकों के महत्व को मान्यता दी है।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : महोदय, अपने दल की ओर से, मैं सरकार को बधाई देता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, पहली बार इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि सरकार भारत की जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है। इसलिए मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद करता हूं तथा उसे बधाई देता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : मैं इसके लिए सरकार को बधाई देती हूं।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बहुत पहले से मांग करते रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह एक बहुत ही अच्छा काम किया है।

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चाएं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार—(जारी)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं पी० उपेन्द्र जी द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारे देश के करोड़ों मजदूरों की यह एक बहुत ही क्राइंग डिमांड रही है कि इस दिन को होलिडे घोषित किया जाए। इस घोषणा के लिए मैं और

मेरी पार्टी कांग्रेस श्री पी० उपेन्द्र की इस घोषणा का स्वागत करती है।

इस सदन में अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में चर्चा हो रही है। यह मामला पिछले सत्र में भी चला था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई थी और हम लोग मांग करते रह गये थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मोशन के द्वारा इस सदन में हिन्दुस्तान के 20-22 करोड़ लोगों की समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे काफी सदस्यों ने आंकड़े देकर यह साबित कर दिया है कि आज भी 42 सालों की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान के करोड़ों आदिवासी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग जानवरों से भी बदतर से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अत्याचारों के सिलसिले में मैं इस सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूं और पहली सरकार की कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सदन को इस समस्या के बारे में एक मत होकर हिन्दुस्तान के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। इस बारे में आज भी हमारे साथियों ने काफी आंकड़े दिए हैं। आज भी 42 सालों की आजादी के बाद भी क्लास-वन श्रेणी की नौकरियों में :.9 प्रतिशत से भी ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं आ पाए हैं। अफसोस इस बात का है कि हिन्दुस्तान की पार्टियां इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी आरक्षण विरोधी आन्दोलन चला रही हैं। मैं इस सरकार के उप प्रधान मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जब आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा था, तब उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान देकर अपनी सरकार की नीतियों का विरोध किया था। मैं उसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। उस वक्त जबकि हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल 3?4 का संशोधन हो रहा था, तो उप प्रधान मंत्री देश में यह बयान दे रहे थे कि आरक्षण बन्द होना चाहिए। आरक्षण विरोधी आन्दोलन को बढ़ाने का काम कर रहे थे।

मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, केवल दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आंकड़े तो बहुत दिये जा चुके हैं, आज जरूरत इस बात की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, इसकी नीति निर्धारित करनी चाहिए। सरकार को इसकी नीति निर्धारित करते वक्त इस बात ध्यान रखना चाहिए कि भूमि सुधार आन्दोलन के लिए कैसे मजबूती से कदम उठाए जा सकते हैं। पिछली सरकार हो या यह सरकार हो, हिन्दुस्तान के हरिजनों को भूमि बांटने के नाम पर उनको बेवकूफ बनाती रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार हरिजनों को बसाने के लिए खेती के लिए पट्टे देना चाहती है, उसके लिए कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, ताकि उनको पोजेशन मिल सके। अगर कोई पटवारी, तहसीलदार या कोई जमींदार उस जमीन के बारे में कोई केस चलाना चाहता है तो उस केस से निबटने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए ताकि हरिजनों को कचेहरियों, वकीलों के चक्कर न काटने पड़ें। आज यह स्थिति हो गयी है कि जो पट्टे हरिजनों को दस दस साल पहले दिये गए थे और उनका मुकदमा लड़ते-लड़ते थक गये हैं लेकिन अभी तक उन्हें उन जमीनों का कब्जा नहीं मिला है।

[श्री जगपाल सिंह]

इसके लिए मैं सरकार की बुराई नहीं करना चाहता। जब से यह सरकार सत्ता में आई है लोगों को यह आभास हुआ है कि यह ऊंची जातियों के वोटों से सरकार बनी है। यह मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, यह मैं बुराई नहीं कर रहा हूं प्रधान मंत्री जी या उपप्रधान मंत्री जी की। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो पट्टे हरिजनों को मिले भी थे उन पट्टों से पिछले तीन-चार महीनों में हरिजन डीपोजेस्ड हो गए हैं। मैंने अपने यहां के सहारनपुर जिले के बीसियों केस वहां के जिला मेजिस्ट्रेट को दिये हैं कि इस-इस गांव के अन्दर हरिजनों के पट्टे छीन लिए गये हैं जो कि पिछली सरकार ने दिये थे। लेकिन कोई अधिकारी उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। मेरे यहां हंगावली गांव में पिछली सरकार ने हरिजनों को जो कालोनी बना करके दी थी, जमींदारों की जमीन अवायर करके दी थी, जमींदारों ने उस कालोनी को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। (व्यवधान) आप मेरे साथ चलिये, या मेरे साथ में किसी मिनिस्टर को भेजिए। मैं भी साथ चलूंगा।

मैंने पहले ही कहा कि सरकार के झझट में मैं इस समस्या को नहीं डालना चाहता हूं और किसी को भी इसे डालना नहीं चाहिए। यह देश की समस्या है और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी आबादी की समस्या है।

बाबा साहेब डा० अम्बेदकर ने हिन्दुस्तान का संविधान राष्ट्रपति जी को देते वक्त एक बात कही थी कि दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बनाने की कोशिश की गई है, जो कि मैं आपको समर्पित करता हूं। लेकिन आर्थिक आजादी आर्थिक समानता के बगैर यह संविधान भी बेकार हो सकता है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस मुल्क की एकता को खतरा हिन्दुस्तान के किसी भी आन्दोलन से नहीं है। खतरा अगर हो सकता है तो हिन्दुस्तान के उन 22 करोड़ लोगों से हो सकता है जो 12-12 घंटे काम करने के बाद भी गुरबत की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। जिनकी जवान बेटियां आज भी भूखे रह कर मेहनतक मशक्कत करने के बाद भी फटे कपड़ों में रहती हैं। खतरा इस देश की एकता को इनसे है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री जगपाल सिंह : मैं उस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि खतरा अगर हो सकता है तो इनसे हो सकता है। आप लोग अन्दाजा लगाइए। आप सब हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हैं। हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के जो ग्रन्थ हैं, उन महाभारत, रामायण के रचयिता ऊंची जाति के लोग नहीं थे भारत के संविधान के रचयिता भी सब दबी-पिटी बिरादरी के, दलित जातियों के लोग थे। आज उन्हीं की वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति का नाम है। मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की संसद् में बाबा साहेब अम्बेदकर की तस्वीर लगाई। लेकिन आज उनके जन्म दिन को मनाने की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के दलित लोगों की है, ऊंची जाति के लोगों की नहीं है। इसको ठीक करना होगा।

मैं मांग करता हूं कि भूमि सुधार को बहुत जल्दी से लागू करना चाहिए। ताकि जो जमीन के पट्टे सरकार देने की कोशिश करती है, जो कालोनियां दलितों के लिए बनाने की

कोशिश करती है, वे उन्हीं के पास रहे। उनके बारे में मुकदमें लड़ने का बोझ भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां हरिद्वार क्षेत्र में एक राजाजी नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। जिस भूमि पर वह बनाया जा रहा है उस पर जनजाति के 40 हजार परिवार रहते हैं। वे परिवार बगैर उनके लिए दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था किये उजड़ गए हैं। अब वे न उस जमीन को ले सकते हैं और न वह जमीन बो सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि राजाजी नेशनल पार्क में उजड़े हुए लोगों को सरकार तुरन्त बसाने का काम करे ताकि वे जंगलों में दर-दर भटक न सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में भी हरिजन आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान नहीं हुई है इसलिए उनका उत्पीड़न अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैं श्री विजय जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बार फिर सदन को झकझोर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर मैं ब्यौरा दूं तो सदन का ज्यादा समय जायेगा किन्तु संक्षेप में मैं कुछ ब्यौरे सामने रखना चाहता हूं जो निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	हत्या	आहत	बलात्कार	आगजनी	ना ना प्रकार का उत्पीड़न	टोटल
1985	502	1367	700	980	11824	15373
1986	563	1406	726	1002	11706	15403
1987	495	1503	674	812	10045	13529
1988	579	1557	779	745	11547	15207
	2139	5853	2879	3539	45,122	59512

1989 में अगर संख्या 16000 मान ली जाए तो इनका कुल योग 75512 हो जाएगा।

इन सब आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि अभी हरिजन आदिवासियों पर उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ है।

थाने में मुश्किल से 20 या 25 परसेंट ही केस आते हैं बाकी सब रफा-दफा कर दिए जाते हैं। कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति केस को आगे बढ़ने ही नहीं देते और उस केस को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इस तरह से अगर इन हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार होते रहे तो कैसे इनको संरक्षण प्राप्त होगा। अगर इनको उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो इनके लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि इस दिशा में थोड़ा बहुत सदन में विचार करके इनको आर्थिक सहायता पहुंचा दी जाये और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाये तो मैं समझता हूं कि यह अत्याचार और उत्पीड़न का

सिलसिला काफी हद तक समाप्त हो सकता है। इसके लिए प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को भी ठीक करना होगा। साथ ही साथ एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो केसिस दर्ज होते हैं उनमें बहुत दूर तक एवं बहुत दिनों तक पड़े रहने के कारण इनको न्याय नहीं मिल पाता है। इसके लिए चलते-फिरते न्यायालय की स्थापना करना आवश्यक है।

जहां तक भूमि अधिकार का प्रश्न है—भूमि बहुत पड़ी हुई है और सरकारी जमीन भी है लेकिन अगर हरिजन उसको लेना चाहता है तो उसमें भी उसको उत्पीड़न होता है। पट्टा मिल जाता है लेकिन अगर वह उसको पा लेना चाहता है तो उसमें भी उसको उत्पीड़न होता है। इस तरह से हरिजन आदिवासी उत्पीड़न के शिकार होते रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। आप उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी उचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं और समाज में भी उनको उचित स्थान नहीं मिलता है।

छुआछूत की बीमारी आज भी दूर नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हम होटल में तो एक ही गिलास में सब लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन गांवों में हालत दूसरी है। वहां पर दूर से ही पता लग जाता है कि यह हरिजनों की बस्ती है, वहां पर न रास्ता है, न पीने का पानी है, न बिजली है, रहन सहन का स्तर बहुत नीचा है, ढंग के मकान नहीं हैं। आप अगर जाएंगे तो दूर से आपको पता लग जाएगा कि यह हरिजन बस्ती है। आज भी हरिजन-आदिवासी उत्पीड़ित हैं, यह विषमता कब दूर होगी, कौन इस विषमता को दूर करेगा। पिछली सरकार की तरह अगर जनता दल की सरकार भी काम करेगी तो मैं समझता हूं कि फिर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही इनकी रक्षा हो सकेगी, क्योंकि इसके घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि हरिजन-आदिवासियों की शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक दशा में सुधार किया जाएगा, इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि हरिजन-आदिवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा, इनके साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, इस असमानता के व्यवहार को बन्द करना होगा और सामाजिक उत्पीड़न से इनको मुक्ति दिलानी होगी। इन पर होने वाले अत्याचारों को दूर करने के लिए एक अलग विभाग बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हर चीज की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आज बिहार से काफी उत्पीड़न हरिजन-आदिवासियों के साथ हो रहा है और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय जो कि छोटा नागपुर से आते हैं, उत्तर देते समय बिहार के बारे में अवश्य कहेंगे। मंत्री महोदय बताएंगे कि कैसे इनकी सुरक्षा की जाएगी, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। शहर में रहने वाले हरिजन-आदिवासियों को आर्थिक सहायता देकर ऊपर उठाया जाना चाहिए। शिक्षा में इनको उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए, विदेश भेजने में भी हरिजन-आदिवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मेडीकल कालेजेज में उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस तरह से इनकी दयनीय दशा में सुधार लाया जा सकता है और समाज में समानता लाई जा सकती है।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजन-आदिवासियों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार पर चर्चा की जा रही है। हम देखते हैं कि आज से नहीं बल्कि राम के समय

से यह सब चला आ रहा है। आज लोग राम जन्म भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी शम्बूक की क्या हालत की गई, यह सभी लोग जानते हैं। (व्यवधान)

इसके बाद मैं महाभारत काल में आता हूं। विश्व में गुरु द्रोणाचार्य जैसा कोई दूसरा गुरू पैदा नहीं हुआ, जिसने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी परन्तु उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। इसी तरह से मनु शुद्र के कान में वेदवाक्य पड़ जाने के बाद कान में गर्म सीसा डाल देने की बात कही। डा० अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, जबकि दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर है। लेकिन आधुनिक मनु ने संविधान में जो व्यवस्था करवाई, उसके बावजूद भी हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार बन्द नहीं हुए। आज हरिजन-आदिवासी हर तरह से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी तरह से पिछड़े हुए हैं और इस स्थिति ने इन्हें पंगु बना छोड़ा है यही कारण है कि कभी भी इन पर हमला किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से सब तरह से इन पर हमला होता है। कहने के लिए हरिजन-आदिवासियों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि आज इनकी क्या स्थिति है। सब जानते हैं कि भूमि प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन जिसने भूमि को सवारा, जोत कर बनाया वही हरिजन भूमिहीन है, वही आदिवासी भूमिहीन है और नवरवाजी का उस पर अधिकार है। यह कितना बड़ा अन्याय है। जो आदिवासी है उसके पास भूमि नहीं है और जो नव वाजी हैं उनका भूमि पर अधिकार है। हरिजन बन्धुआ है, आदिवासी बन्धुआ है। हरिया मांझी के दादा ने कर्जा लिया था, दादा के कर्जे को पोता भी अदा नहीं कर सका और मालिक ने दूसरे भूपति के यहां उसे बेच दिया बेगारी करने के लिए। यह परम्परा है। इन तमाम बातों अधिकारों पर हमें सोचना होगा। हमें देखना होगा कि जहां-जहां सामंतवाद का बढ़ रहा है वहां हरिजनों पर ज्यादा जुल्म होता है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब इलाके इसके नमूने हैं। हरिजनों की बराबर हत्यायें तो होती ही रहती है।

जहां तक बलात्कार की बात है, बलात्कार के आधे केस आते हैं और आधे नहीं आते हैं। इज्जत के लिए समाज में बहुत से केसों को छिपा लिया जाता है, थाने में भी नहीं लिया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हकूमत में थाने में पुलिस के लोग महिलाओं पर, हरिजनों की बहू-बेटियों पर अत्याचार ही नहीं बलात्कार भी करते थे। यह हालात है। यह अत्याचार कब बन्द होगा। इसको बन्द करने के लिए हरिजनों के लिए क्या किया गया। उनके लिए थाने बनाए गए। उससे क्या होगा ? थानों में केस नहीं लिए जाते हैं। जब तक दरोगा को कुछ दिया नहीं जाता जब तक दरोगा घटनास्थल नहीं जायेंगे, जानकारी हासिल नहीं लिखेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे। जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के केस दर्ज होते हैं। चाहे हरिजन दारोगा हो, या बड़जन दारोगा या पिछड़ी जाति का दारोगा हो, उनकी बात एक ही होती है। चाहे हरिजन अफसर हो या दूसरा अफसर हो, अत्याचार कम नहीं होता है। अभी बहुत से विकास के काम किए गए हैं। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं वहां जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास के काम किए जाने थे, लेकिन वहां नालियां नहीं बनी है। जहां साफ-सुथरे लोग रहते हैं नालियां वहीं बनी हैं। ईंट गलियों में कहां बिछायी गयी है। ईंटें वहीं बिछायी गयी हैं जहां साफ-सुथरे चेहरे वाले लोग रहते हैं। हरिजन उन्हीं गन्दी गलियों में रहते हैं। हरिजनों की टोली में किसी

[श्री प्रेम प्रदीप]

तरह की नाली नहीं बनायी गयी है। जबकि हरिजनों के लिए अलग से जवाहर रोजगार योजना के तहत पैसा रखा गया है। परन्तु वह पैसा मुखिया जी की जेब में होता है। अगर इन बातों की ओर देखा जाए तो पता चलेगा कि हरिजनों की क्या हालत है। इस पर हमें गम्भीरता से सोचना है। जुल्म क्यों होता है, यह रुकता क्यों नहीं है, इस पर गम्भीरता से सोचना होगा। कानून किसके लिए बना है और कौन उसका फायदा उठा रहा है। कानून मजदूर वर्ग के लिए नहीं है। क्या सरकार में हिम्मत है, कि जब हरिजनों पर जुल्म हो, उसकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटे या उन्हें कत्ल किया जाए तो ऐसे अपराध करने वाले की जमीन जब्त करके हरिजनों को दे दी जाए। क्या यह हिम्मत है सरकार में ?

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा—

"महल तो हमें मिला, वह महफिल न मिली,
सुनाऊं मैं किसे अपनी दास्तां,
मिला भी तो वह गाफिल ही मिला।"

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र में सबसे प्राचीन निवासी आदिवासी हैं, अगर इस राष्ट्र में सदियों से किसी वर्ग का शोषण हुआ है तो मैं समझता हूं वह हरिजन हैं। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक युग में, एक प्रगतिशील भारत में अगर इन दो वर्गों हरिजनों और आदिवासियों को, सम्मान का स्थान नहीं मिला और इनको पिछड़ेपन में रखा जा रहा हो, अगर उन पर अत्याचार हो तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात भारत के नागरिक को और कोई महसूस नहीं हो सकती। पूज्य बापूजी के मार्ग दर्शन में जब स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया उस समय हरिजनों को और आदिवासियों को विशेष स्थान देने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध रही। बापू जी की छत्रछाया में विशेष व्यवस्था, एक सम्मान का स्थान देने का प्रयास हरिजनों को और आदिवासियों को जारी रहा। इन पिछले वर्षों में जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है हमारा पूरा प्रयास रहा है कि उन्हीं महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चलते हुए हरिजनों और आदिवासियों को विशेष सुरक्षा की व्यवस्था दी जाये, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें, आर्थिक कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता दी जाये और हर तरीके से उनको राष्ट्र में आत्म सम्मान के साथ जीवनयापन करने का मौका मिले। पिछले तीस-चालीस वर्षों में काफी कुछ सफलता इसमें मिली है और कुछ असफलतायें भी रही हैं। पर मुख्य लक्ष्य सदैव मद्दे नजर रहा और उस मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कांग्रेस के अलग-अलग शासन काफी तेजी से उस मार्ग पर चले। पिछले कुछ दिनों से बहुत चिन्ता का विषय है कि राष्ट्र के कई क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट्स और जानकारियां मिल रही हैं कि गत तीन-चार महीनों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों में विशेष वृद्धि हो रही है। यह हम सबके लिए चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, यह कोई पार्टी का मामला नहीं होना चाहिए भारत के निवासी और भारत के नागरिक होने के नाते हम सबके लिए बहुत चिन्ताजनक विषय है। इसलिए मैं इसमें एक पार्टी कलरिंग नहीं देना चाहता। पर निश्चित रूप से क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं मध्य प्रदेश से विशेष सम्बन्ध रखता हूं, मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुआ हूं इसलिए मध्य प्रदेश की विस्तृत जानकारी मुझे समय-समय पर मिलती रहती है। सभा के समक्ष मैंने कई बार इन मुद्दों को रखा है।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पिछले चार-पांच महीनों में जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है काफी कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आये हैं जिनसे यह धारणा बनती जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि नई सरकार आने पर हरिजनों पर जो लोग अपने हिसाब-किताब चुकाना चाहते थे उनको सुनहरा मौका मिला है। और हरिजनों में एक धारणा बन रही है, आदिवासियों में भी कि नए परिप्रेक्ष्य और नए सन्दर्भ में जो नई स्थिति बनी है उसमें उनकी सुरक्षा की व्यवस्था में बहुत कमी आने वाली है और वे अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं मात्र हमारे इलाके में जो घटनायें घटी हैं और जिनकी निन्दा हमने की है। वहां गांव गांव जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिजनों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनको सान्त्वना दी और हमदर्दी प्रकट करने का प्रयास किया है और यह संकल्प लिया है कि हरिजनों पर जो कोई अत्याचार करेगा, कांग्रेस पार्टी अपने हरिजन भाई-बहनों के साथ मिलकर डटकर उसका सामना करेगी। कुछ दिनों पहले 2 मार्च को इन्दौर में जो रिपोर्ट पेश हुई है और उसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूं उसमें बताया गया है कि लगभग 100 हरिजनों के इसपर दस्तखत हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो चिन्ताजनक बात है, मात्र यह नहीं कि यह प्रवृत्ति या या मनोवृत्ति बढ़ी है हरिजनों पर अत्याचार करने की, परन्तु चिन्ताजनक बात यह है कि जब लोग पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने से इन्कार किया जाता है या कोई विशेष सहयोग नहीं दिया जाता है बल्कि जो हरिजन स्वयं रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम अपराधियों के रूप में रिपोर्ट में दर्ज कर दिए जाते हैं। इन्दौर के हरिजनों ने कहा कि 12 मार्च, 1990 को कई लोगों ने हम हरिजनों की बस्ती में आकर चार मकानों में आग लगा दी और मार-पीट की और बीस लोग घायल कर दिए जिसकी रिपोर्ट थाना इन्दौर में कर दी लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब हरिजनों पर आक्रमण हुआ तो वे लोग यह कहते रह गये कि अब तो सरकार हमारी है। तो इस प्रकार यह रिपोर्ट इन्दौर, जिला शिवपुरी (म० प्र०) की है जिस पर कई हरिजनों ने हस्ताक्षर किये हैं। इसके बाद शाजापुर जिला में भी एक हरिजन की हत्या हुई। छः हरिजनों पर हमले तथा विधवा को दुष्कृत किया गया यह सब अप्रैल माह में हुआ। दतिया जिला में अतरा और सुकेता गांव में कुछ दिन पूर्व 18 मार्च को कई हरिजनों पर अत्याचार हुये हैं। मारपीट और एक कत्ल हुआ। इसके बाद इसी जिले के इन्दरगढ़ गांव में 26 मार्च को ग्राम बिनूजा के पुरा मोहल्ले में सुबह के समय कई लोगों के साथ मारपीट हुई और एक हरिजन की हत्या हुई। महीदपुर, जिला गुना में 25 मार्च को फिर से एक अत्याचार की रिपोर्ट पेश की गयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जगह-जगह से ऐसी चिन्ताजनक रिपोर्ट आती जा रही हैं। मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में आपके सामने एक उदाहरण पेश कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में यह बात इस सदन में नियम 377 के अधीन भी उठा चुका हूं जब आप विराजमान थे। गांव सलैहा में गैर-हरिजनों ने हरिजनो पर बहुत ही भयंकर आक्रमण किया। उस समय एक हरिजन की हत्या हुई, लाठियों से मारे गये। वे क्यों मारे गए? क्योंकि गैर-हरिजनों ने हरिजन बस्ती में जाकर कहा कि हमारी महिलायें आएं या न आयें, हम हरिजन महिलाओं के साथ होली खेलेंगे। जब हरिजनों ने इन्कार किया तो लाठी के साथ एक हरिजन की हत्या हुई और उस समय 25-30 हरिजन घायल हुए। उनके मकानों को काफी नुकसान पहुंचाया गया और उनके भाण्डे-बर्तन नष्ट कर दिए गए, उनकी महिलाओं को पीटा गया। मैंने इस बात को यहां उठाया तो नये प्रवेश पाने वाले संसद सदस्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये कांग्रेस

[श्री माधवराव सिंधिया]

पार्टी के स्पोर्टर्स थे जिन्होंने हरिजनों पर अत्याचार किया। मैं दुबारा इस बात को कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। मैं इस घटना को कोई पार्टी रंग नहीं देना चाहता हूं, भले ही वे कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बी० जे० पी० या किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, जो व्यक्ति दोषी पाया जाये, उसे दण्डित किया जाये, यही मेरी आपसे मांग है। मेरी यह मांग नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे किस व्यक्ति या पार्टी के सपोर्टर हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिली है, टाइम्स ऑफ इण्डिया नामक समाचार पत्र के 19 अप्रैल के अंक में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, मैं आपकी अनुमति से उसे सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी कांस्टीटूऐंसी का मामला है, वहां हरिजनों का जिस तरह शोषण हो रहा है, हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप भी उसके लिए पूरी तरह से चिन्तित होंगे, मैं दो मिनट में उसे पढ़कर सुना देता हूं। उसमें यह लिखा है :

[अनुवाद]

"मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि वहां एक गांव में हरिजनों पर किया गया हमला जिसके कारण संसद की दोनों सभाओं में हल्ला हुआ, अत्याचार नहीं था....।"

[हिन्दी]

मैं यहां समस्या की ही बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं इसे दोहराता हूं, "अत्याचार नहीं था"। इसमें आगे कहा गया है :

"केन्द्र को भेजी गई एक रिपोर्ट में, मध्यप्रदेश सरकार ने इस आरोप को गलत बताया है कि 12 मार्च को शिवपुरी जिले के सलइया गांव में हरिजनों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उनकी महिलाओं ने नाचने से इन्कार कर दिया था।"

उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। पुनः मैं उद्धृत करता हूं :

"इस निर्णय की मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला हाल ही में अधिसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता है।"

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की विस्तृत जांच करें क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें आगे कहा गया है :

"इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इस झगड़े में एक हरिजन की मृत्यु हो गई और 27 अन्य को चोटें आई जिसमें बीस महिलाएं तथा दो बच्चे थे। इसके अलावा उनके 31 मकान नष्ट कर दिए गए।"

[हिन्दी]

जहां तक टांकों का सवाल है, मैं स्वयं कुछ माननीय महिला सदस्यों को लेकर वहां गया था, जिनमें लोकसभा की कुछ माननीय महिला सदस्य और कुछ राज्य सभा की माननीय महिला सदस्य शामिल थीं, उन्होंने स्वयं देखा कि इस आक्रमण के कारण हरिजन महिलाओं को कितनी चोटें आयीं हैं, कितने टांके आये हैं।

[अनुवाद]

अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है "केन्द्र सरकार क्षुब्ध है।"

> "केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय में अधिकारी क्षुब्ध हैं कि मध्यप्रदेश सरकार की राय में हरिजनों के साथ हुई इस हिंसा को अत्याचार नहीं कहा जा सकता।"

[हिन्दी]

इससे तीन महिलायें और दो बच्चे प्रभावित हुए हैं।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री महोदय से उनके उत्तर में यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है या नहीं, क्या ऐसी रिपोर्ट आई है या नहीं। क्या "टाइम्स ऑफ इंडिया" की रिपोर्ट में सच्चाई है या नहीं।

पुनः, मैं उद्धृत करता हूं :

> "उन्होंने (आपके अधिकारियों ने) वास्तव में इसे अत्याचार कानून के अन्तर्गत पहला मुख्य मामला माना है और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संविधि के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय इस मामले पर कैसे कार्यवाही करेगा।"

आपके अधिकारियों ने ऐसी आशा की थी। रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में क्या उसने बताया है कि यह घटना, हरिजनों पर अन्य प्रकार के इस हमले को अत्याचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इस पर कल्याण मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपको आशा थी कि इस नये कानून को इसलिए लागू किया जायेगा ताकि लोगों को दण्ड दिया जाएगा और उनके विरुद्ध मामला चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब से यह भी निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि कि जब यह बात पूरी तरह से साबित हो रही है, मध्यप्रदेश सरकार इस मामले में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही है, हरिजनों और आदिवासियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिलने वाली है तो एट्रोसिटीज रोकने के लिए यह आवश्यक है कि स्पीकर साहब ऑल पार्टीज के सदस्यों की, इस पार्लियामेंट के सदस्यों की, एक कमेटी नियुक्त करें और उस कमेटी में चूंकि मध्य प्रदेश सरकार है, बी० जे०

[श्री माधवराव सिंधिया]

पी० गवर्नमेंट के कुछ माननीय बी० जे० पी० सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए और अध्यक्ष महोदय जो भी कमेटी अपाइंट करें, वह डैलीगेशन सलइया जाये और सारी स्थिति का स्वयं अध्ययन करे।

[अनुवाद]

यह सर्वदलीय शिष्टमंडल हो। मैं इसे दलगत रंग नहीं देना चाहता। मैं इसे फिर दोहराना चाहूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा के एक संसद सदस्य ने इसे पार्टी का रंग देने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि यदि पार्टी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को अवश्य सजा दी जानी चाहिए और उसे यह सबक सिखाना चाहिए चाहे कोई भी सत्ता में हो। इस आधुनिक भारत में वे बच नहीं सकते।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी सैट-अप हो, स्पीकर साहब उसको नियुक्त करें उसमें सभी पार्टी के सदस्य हों। बी०जे०पी० का भी सदस्य सम्मिलित हो, वह पार्टी वहां जाकर देखे, स्पीकर साहब को रिपोर्ट पेश करे। उस रिपोर्ट के आधार पर कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस प्रकरण में जो अपराधी पाए जाएं, उनको सख्त-से-सख्त सजा दी जाए। यह मैं यूनियन वैलफेयर मिनिस्टर और स्पीकर साहब से आग्रह करना चाहता हूं। मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है। हम सब मिलकर यह प्रयास करें और ऐसे कदम उठाएं, जिससे हमारे हरिजन भाई-बहिनों को सुरक्षा प्राप्त हो और भविष्य में इस प्रकार का अत्याचार करने की हिम्मत कोई कर न सके। इस प्रकार के कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके सुझाव का समर्थन करती हूं क्योंकि रिपोर्ट देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री नकुल नायक (फूलबनी) : मैं हरिजनों और जनजातियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु अत्याचार रोकने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं ऐसे क्षेत्र में हूं जहां ज्यादातर जनजाति और हरिजन लोग रहते हैं। मैं जानता हूं कि समाज के दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्हें न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से किस प्रकार परेशान किया जा रहा है। अभी-अभी सिंधिया साहब ने बताया था कि पिछले कई दशक से हरिजनों और जनजातियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, महोदय, पिछले दिनों क्या हुआ यह बात मैं इस सभा में नहीं बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हरिजन और जनजाति के लोग शिक्षा सुविधाओं सामाजिक उत्थान और प्रशासनिक सहायता की कमी के कारण कष्ट उठाते रहे हैं और हर जगह वे ही शिकार होते रहे हैं। महोदय राज्य सरकार शायद यह दावा कर सकती है कि उसने जन-

जातियों और हरिजनों को हर तरह का लाभ और सुविधाएं दी है परन्तु सच्चाई यह है कि पिछले कई दशकों से देश में जो पुनर्वासन हुआ है उसका लाभ उन्हें नहीं मिला है। महोदय, मैं सरकार से यह दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि उन्हें स्नातक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जनजाति और हरिजन समुदाय के उन छात्रों को, जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ना चाहते हैं सभी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए और उनके छात्रावास सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

महोदय, दूसरी बात अब तक जनजाति और हरिजन परिवार महसूस करते रहे हैं कि उनके बच्चे उनका भरणपोषण करेंगे और अब भी ऐसा ही है। इस तरह के विचार इन लोगों के दिमाग से निकाल दिए जाने चाहिए तथा उनके बच्चों की हर तरह से देखभाल की जानी चाहिए तथा निशुल्क शिक्षा देते समय उन्हें अपने माता-पिता से अलग कर दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करता हूं कि सरकार को यह देखना चाहिए कि उन्हें समुचित शिक्षा दी जाए और प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। इन लोगों को अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य नौकरी दी जानी चाहिए। कोई कानून बनाते समय या कोई लाभकारी योजना स्वीकृत करते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि ये योजनाएं जनजातियों और हरिजनों तक पहुंचे।

महोदय, जब कभी भी वे अन्य जातियों के लोगों का शिकार बनते हैं तो वे न तो अदालत जा सकते हैं और न ही शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। यदि वे पुलिस स्टेशन पहुंचते भी है तो उन्हें समुचित न्याय नहीं मिलता क्योंकि पैसे की ताकत और बाहुबल बहुत हद तक बाधक होता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर रोक लगेगी। इन बातों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए उन जनजातियों एवं हरिजनों के लिए जो अत्याचार का शिकार होते हैं, एक समय सीमा होनी चाहिए जिसमें उनके केस पर निर्णय लिया जाए। वे ऐसे लोगों के खिलाफ बार-बार अदालत में नहीं जा सकते जिन्होंने उन पर अत्याचार किया है।

दूसरी बात, जनजातियों और हरिजनों के पुनर्वास के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया। मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत जनजातियों और हरिजनों का समुचित पुनर्वास नहीं किया गया है। पिछली बार जब उनका पुनर्वास किया गया सरकार ने उनके गांव के चारों ओर दीवार बना दी। उन्हें नदी को ओर भी नहीं जाने दिया जाता। अब भी वे अपनी पुनर्वास सीमा को नहीं पार कर सकते हैं। यह स्थिति मेरे क्षेत्र फलबनी में है और मैं समझता हूं यह स्थिति पूरे देश में है। भोले-भाले जनजाति और हरिजन के लोग उनके लिए बनाए नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जो भी कानून उनके लिए बनाया जाता है वह उनकी संस्कृति और परम्परा पर आधारित नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी सरकार भविष्य में करे वह उनकी संस्कृति परम्परा और रीति-रिवाजों पर आधारित हो।

अन्त में जब कभी भी जनजातियों तथा हरिजनों के विकास के लिए कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ घोषित किया जाये उन लोगों से पहले ही परामर्श किया जाए। जनजातियों तथा हरिजनों की समस्याओं की देख-रेख के लिए सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए और हर प्रखंड में उसकी शाखा होनी चाहिए।

[श्री नकुल नायक]

महोदय मुझे अब कुछ नहीं कहना है, मुझसे पहले के वक्ताओं ने अनेक सुझाव दिये हैं और मेरे बाद के वक्ता भी अनेक सुझाव देगें। सरकार को उन सुझावों पर ध्यान ध्यान देना चाहिए। जनजातियों तथा हरिजनों पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून होना चाहिए ताकि उनका पुनर्वास किया जा सकें और उन्हें समुचित न्याय मिल सके।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी पूर्व वक्ताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं उस पर चिन्ता व्यक्त की है। यह इस बात का द्योतक है कि केवल मात्र कानून बनाने से स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। जब तक "मनसा वाचा कर्मणा" मन से, बचन से और कर्म से समाज यह निर्णय नहीं लेता कि पिछड़े वर्ग पर जो अत्याचार होते हैं, वह नहीं होने चाहिएं और जब कभी बहस करें और कहते रहें कि पार्टी की लाइन पर बात नहीं करना चाहते और वास्तव में पार्टी का लाइन बात करें तो हम केवल मात्र राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। मुझे प्रसन्नता है माननीय माधवराव सिंधिया ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमदर्दी दिखाई है, उनका बहुत बढ़िया सुझाव आया है। मध्य प्रदेश के सलैया गांव में जो तथाकथित अत्याचार हुआ है उसके लिए संसदीय अध्ययन दल जाए, मैं स्वागत करता हूं पर मध्य प्रदेश के एक गांव में ही क्यों जाए, जहां-जहां ऐसे अत्याचार होते हैं क्यों न ऐसे सांसदों का एक परमानेंट दल बनाया जाए जो हर प्रदेश मे, जहां कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट आए, वहां पर जाए। माननीय श्री सिंधिया के चुनाव क्षेत्र में ही उसी एक गांव की एक घटना की चर्चा के लिए, जांच के लिए एक दल क्यों बनाया जाए? क्या यह वही मध्य प्रदेश नहीं है जहां आज से कुछ वर्ष पहले, जब कांग्रेस का राज था, आदिवासी महिलाओं की मंडी लगती थी, तब क्या श्री सिंधिया इस मंत्रिमंडल में नहीं थे? क्या समाचार पत्रों में समाचार नहीं छपे, वहां पर सैंकड़ों औरतें बिकती रहीं?

2.00 म०प०

तब इनके न्याय की भावना कहां थी, तब इनका दुख-दर्द जो गरीबों के लिए राजा-महाराजाओं में पैदा हुआ वह तब कहां गया था। मैं इनके सुझाव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनकी आप जांच करें। सभी पार्टियों का एक संसदीय दल हर क्षेत्र और हर राज्य में जहां-जहां ऐसी वारदातें हों, वहां अवश्य जांच करने के लिये जाना चाहिये।

वास्तव में समस्या का एक और कारण है। इसमें एक और व्यवस्था जुड़ी हुई है और वह है आर्थिक पिछड़ापन। अत्याचार हमेशा गरीब और निर्धन पर होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग जो अफसर बन जाते हैं और जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर ऊपर उठ जाते हैं, उन पर अत्याचार नहीं होते। बड़ी जाति के लोग वहां जाकर भी सलाम करते हैं। मुझे से पहले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ हरिजन थाने बने और वहां थाना अध्यक्ष भी हरिजन बना, लेकिन वह थानाध्यक्ष भी हरिजनों को नहीं बचा सका और वह धनी वर्ग और बड़ी जाति के हाथों में खेलता रहा। मेरा कहना यह है कि जब तक इस मर्ज

की असली जड़ तक नहीं जायेंगे, जब तक हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर नहीं करेंगे तब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव के क्षेत्र से आता हूं। वहां हरिजनों, आदिवासियों और जन जातियों की आपस में जातियां बंटी हुई है। सवर्ण लोग इनके साथ खाना साथ में बैठकर खाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अनुसूचित जाति की अलग-अलग जाति के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाने को तैयार नहीं होते। एक मानसिकता है। केवल सवर्ण, और अनुसूचित जाति या जन जाति में बांट कर आप इसे हल नहीं कर सकते है। आपको बांटना होगा समाज को, वह जन्म के आधार पर नहीं, धनी और निर्धन के आधार पर। आर्थिक आधार पर गरीब गरीब ही हैं, वह चाहे हरिजन है, चाहे सवर्ण जाति का है। उस पर अत्याचार हर जगह होता है। जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबल हो जाता है, वह दूसरों पर अत्याचार करता है। मेरी राय में शोषण जो आर्थिक आधार पर होता है, उसको रोकना है और उसके लिये दरिद्रनारायण कोष बनाना बहुत आवश्यक है।

बहुत चर्चा हुई कि 40 वर्ष में कांग्रेस ने बहुत जोरदार प्रयत्न किया पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। जन जाति के जो लोग थे—(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है, अब आप असली बात पर आयें।

श्री प्रेम कुमार धूमाल : जो कदम उठाये गये, उनको मैं सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री प्रेम कुमार धूमाल : अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला सुझाव यह है कि इसके लिये एक अलग मंत्रालय बने जो इसकी देखरेख करे और संसद की एक परमानेंट समिति बनाई जाये जिसका जिक्र माधवराव सिंधिया जी ने किया। वह हर जगह और हर प्रदेश में इसकी जांच करे। दरिद्र नारायण कोष बनना चाहिये जिससे इनको आर्थिक सहायता मिले।

आपने थोड़े समय में मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत 43 वर्ष की आजादी के बाद भी हरिजनों, अनुसूचित जातियों और वन वासियों की हालत लगातार खराब बनी हुई है। वे लगातार आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण के शिकार बने हैं। जो भी कानून अभी तक बनाये गये, उनको ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। भूमि के बंटवारे के कानून को लागू नहीं किया गया। पट्टे गलत लोगों को दिये गये। जो पट्टे दिये भी गये वह केवल कागजों पर रहे। इसके अलावा मौके पर कब्जे नहीं दिलाये गये। अगर कभी किसी ने लिए तो बाद में उनको मार-पीट कर भगा दिया गया। इसलिए जितने भी हरिजनों, आदिवासियों और वन जातियों के उत्थान के और प्रगति के लिए कानून बने हैं, उनको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जो भी आर्थिक सहायता यहां से दी जाती है वह उन तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही लोग उसको खा जाते हैं।

[श्री राम सजीवन]

हमारे देश में सभी नेता मानते हैं कि बीच के लोग, बीच के दलाल सारी सहायता बीच में ही खा गये, यदि हम इससे सहमत हैं तो इसको रोकने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जनता दल की सरकार से हम चाहते है कि सख्ती के साथ ऐसी कार्यवाही करें जिससे जो भी नियम कानून सहायता के लिए हैं, जो सहायता निर्धारित की गई है, वह उनके पास तक पहुंचे।

इसके साथ-साथ सामाजिक अत्याचार को भी रोकने की जरूरत है। जो कानून अभी तक बने हैं और जिनके लिए पूरे देश में आन्दोलन होते रहे हैं, हरिजनों, आदिवासियों के अत्याचारों को दूर करने के लिए ऐसे कानून तुरन्त बनवाने की आवश्यकता है···

2.06 म०प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

मेरा आग्रह है कि भारत सरकार स्वयं एक केन्द्रीय कानून बनाए, सैन्ट्रल लैजिस्लेशन फार शैडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स, आदिवासियों, जनजातियों के लिए, हरिजनों के लिए एक केन्द्रीय कानून इसी पार्लियामेंट में बनाया जाय जिससे हरिजनों, आदिवासियों को वृद्धावस्था पेंशन अनिवार्य के रूप से दे दी जाय। इसी के साथ-साथ उनकी महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था भी उस कानून में की जाय। इसी के साथ-साथ चूंकि हरिजन और आदिवासी ज्यादातर खेत मजदूर हैं इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियन अधिकार भी उस कानून में दिये जायें। जिस तरह से संगठित मजदूरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं, उसी तरह से उनके लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और केन्द्रीय कानून में अन्य बहुत सी बातें शामिल की जायें जिनके लिए हम लोगों ने इस सरकार को लिखित रूप में दिया हुआ है और यह केन्द्रीय कानून बनाने की मांग, जिससे हरिजनों, आदिवासियों का उद्धार सम्भव हो सकता है; उद्धार तेजी से सम्भव हो सकता है, उनकी भलाई जल्दी सम्भव हो सकती है, विगत कई वर्षों से इस देश में उठ रही है लेकिन विगत सरकार ने इस कानून को नहीं बनाया। अब वर्तमान सरकार से हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय कानून हरिजनों, जनजातियों के लिए जरूर ही बने। इसी के साथ-साथ आपने कुछ अच्छे काम भी किये है। नव बौद्धों को आपने जो सुविधाएं दी हैं, वह स्वागत योग्य हैं, जो काम अभी तक सरकार ने नहीं किए हैं, उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है और हम आशा करते हैं कि सरकार आगे तेजी के साथ बढ़ेगी। जैसे अभी तक जो राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी दूर किया जाएगा। लगातार चार साल तक नौकरियों में आदिवासियों और जनजातियों की भर्ती उनके कोटे के अनुसार नहीं की गई और पांचवें साल में चुनाव का दौरा आया तो चुनावी लाभ उठाने के लिए आदिवासियों, जन जातियों को विशेष रूप से भर्ती किया गया। मैं इस सरकार से चाहूंगा कि अभी से ही आप सतर्क रहें और नौकरियों में जो आदिवासियों और हरिजनों का कोटा है, वह तत्काल भरना शुरू कर दें जिससे आपके ऊपर यह लांछन न लगे कि आप राजनैतिक लाभ उठाने के लिए तत्काल ऐसी कोई कार्यवाही कर रहे हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि हरिजनों के साथ मार पीट की जाती है, उनको आप कहीं आर्थिक सहायता दे पाते हैं और कहीं नहीं दे पाते हैं। यह कानून बना है, हमारे उत्तर प्रदेश कानून बना है।

केन्द्रीय सरकार को स्वयं हस्तक्षेप करके देखना चाहिए कि जहां पर भी ये कानून बने हैं, लागू होते हैं या नहीं होते हैं। कानून बना है कि जहां हरिजनों को मारा-पीटा जाता है, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पाती है। कहीं-कहीं यह बहाना लगा लिया जाता है कि इस तरह से रोज हरिजन मारे जायेंगे तो कहां तक सब को सहायता दी जाएगी। यह तर्क बहुत ही भौंडा है और हरिजन विरोधी तर्क है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के मामले तुरन्त बिना किसी भेदभाव के देखकर सभी लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। भूमि सुधार के सवाल पर यह सरकार लगातार घोषणा कर रही है कि इसको संविधान की सूची में शामिल करेंगे, जिससे कि उनको कब्जा लेने में सुविधा हो जाए और जितने मुकदमें उनके खिलाफ विचाराधीन पड़े हैं, वे मुकदमे खत्म हो जाए। मुकदमेबाजी की दौड़ में उनको परेशानी न उठानी पड़े। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कानून आप लाना चाहते हैं, वह जल्दी लाइए, ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके और हरिजन विरोधी जो प्रचार चल रहा है, उस प्रचार को नष्ट करने के लिए और हरिजनों की भलाई के लिए इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार कानून बनाए। इस संविधान संशोधन को करिए और उसके साथ-साथ अभी तक जो कानून बने हैं, भ्रष्टाचार के कारण, निकम्मेपन के कारण और सरकारी मशीनरी की कमजोरी के कारण, जो कानूनों अभीतक लागू नहीं हुए हैं, जिनका लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिला है, जो अभी तकलगातार अत्याचार और उपेक्षा के शिकार रहे हैं, उनको सख्ती से लागू करें।

मैं आपके समक्ष एक बात और कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, का जिला इलाहाबाद है और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में फतेहपुर और बांदा का भी कुछ हिस्सा मिला हुआ है। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। इन दो जिलों में दो आदिवासी जनजातियां रहती हैं, इनके नाम कोल और मवैया हैं। ये दो जातियां बांदा और इलाहाबाद में भी रहती हैं, लेकिन अभी तक ये अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुई हैं। इनकी हालत जनजातियों की तरह से है। आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से शोषित और पीड़ित तथा उत्पीड़न की शिकार रही हैं। जंगलों में बसती हैं और भूखमरी की भी शिकार हैं। इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अभी तक ये अनुसूचित जाति में हैं। इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। पिछली सरकार से भी हम इस बारे में मांग करते रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह कोई नई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश सीमावर्ती जिलों में भी, रीवा और सतना, ये कोल और मवैया जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं और मध्य प्रदेश में उनको सारी सुविधाएं सुलभ हैं। उसी सीमा से मिला हुआ यह क्षेत्र है और बांदा तथा इलाहाबाद में भी ये जातियां हैं लेकिन इनको आज तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। इस बारे में हमने लगातार पत्र भी लिखे हैं, मेरा सरकार से आग्रह है कि संविधान में संशोधन करके इन कोल और मवैया जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि संबंधित सुविधाएं उनको सुलभ कराई जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मानी भट्टाचार्य (बरहामपुर): सभापति महोदया, मैं अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में

[श्री नरसी भट्टाचार्य]

कहना चाहूंगा। मैं कुछ मुद्दे सामने रख रहा हूं।

हममें से अधिकांश सदस्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पैरवी कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य ने यही कहा है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों का पूर्णतया विरोध करता है। किन्तु क्या हम इस सम्बन्ध में ईमानदार हैं? मैं स्वयं से तथा सदस्यों से यह महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हू। इसके साथ ही मैं सदस्यों से, विशेष रूप से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कामों के सचालक सदस्यों तथा पिछली सरकार के सदस्यों से जो अब विपक्ष में हैं तथा जिन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की है, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे अपने दिल को टटोलें कि क्या वे इस सम्बन्ध में ईमानदार हैं। क्या हम नीची जाति के लोगों को वही सम्मान देते हैं जो सम्मान अपने स्तर के लोगों को देते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। हम नोकर को आदमी नहीं समझते हैं। हम आदिवासियों, नेपालियों तथा विभिन्न अनुसूचित जातियों के लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं मानों वे हमारे भाई-बहिन नहीं हैं। यह वर्तमान समय में हर किसी के लिए आम बात है सिवाय उन लोगों के जो इन लोगों को किसान सभा अथवा किसान सगठनों के झडे के नीचे संगठित कर रहे हैं तथा जो किसानों और आदिवासियों के आन्दोलनों में लगे हैं। अधिकांश भूमिहीन मजदूर आदिवासी, पददलित और अनुसूचित जातियों के लोग हैं। हमें उनकी भावनाओं की जानकारी है। किन्तु हममें से अधिकांश लोग इस बात को महसूस नहीं करते। अभी भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ छूआछूत की जाती है तथा इसी तरह की अन्य प्रथायें विद्यमान हैं।

लोक सभा के सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्तधर्ताओं से मेरा पहला अनुरोध यह है कि वे अपने दिल को टटोलें तथा यह महसूस कर कि ये लोग भी उनके अपने भाई,बहिन और मां हैं। लोगों का दृष्टिकोण बदला जाना चाहिए। इस सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के इन लोगों का प्राचीन काल से शोषण किया गया है। उनका वर्षों से आर्थिक शोषण किया गया है। वे सामाजिक रूप से उत्पीड़ित हैं क्योंकि आप उनको मानव प्राणी ही नहीं समझते हैं। क्या हमारा, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का व्यवहार पूर्णतया उपयुक्त है? यह सर्वाधिक हास्यास्पद बात है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्य भी यह महसूस करते हैं कि स्वाभाविक तौर पर हमारा जन्म उत्पीड़ित किए जाने के लिए हुआ है तथा हमारा जन्म शोषण किए जाने के लिए ही हुआ है मानो यह सामाजिक कानून है जिसमें उच्च जाति के लोग हुक्म चलाने अथवा आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति है।

आज ऐसी बातें क्यों हो रही है? इसका प्रमुख कारण यह है कि अब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में जागृति आ रही है। वे यह महसूस कर रहे हैं कि वे मनुष्य हैं। पहले वे अपने आपको मनुष्य ही नहीं समझते थे तथा यह नहीं समझते थे कि उन्हें भी उच्च जाति के लोगों की तरह हर चीज का आनन्द लेने का अधिकार प्राप्त है।

जातिवादी तथा साम्प्रदायिक तत्व मेहनत कश लोगों, जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं, की लोकतांत्रिक आशाओं के इस आन्दोलन को

साम्प्रदायिक तथा धार्मिक वर्गों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक बात यह हो रही है। मेरे अनुमान के अनुसार ऐसा लगभग सभी राज्यों में हो रहा है। आज यह स्थिति है। निहित स्वार्थी तत्व अधिकांशतया केवल समाज के उच्च स्तर अथवा उच्च जाति के लोग है। उन्होंने इस अवधि के दौरान बिहार तथा असम के बहुत से स्थानों में पुलिस तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ सांठ गांठ करके जनजातीय तथा आदिवासी लोगों पर अत्याचार किए। बंगाल में ऐसा कोई अत्याचार नहीं होता है तथा यदि वहां ऐसी बात होती है भी तो इसके पीछे सच यह है कि वहां वामपंथी मोर्चे की सरकार है तथा वे किसी भी मामले पर तुरन्त कार्यवाही करते हैं। जातिवाद पश्चिमी बंगाल में नहीं उभर पाया है क्योंकि वहां लोकतांत्रिक आन्दोलन हुआ है तथा वहां लोकतांत्रिक चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। एक ओर हमें लोगों की आर्थिक आशाओं का तथा सबको भूमि दिए जाने का समर्थन करना चाहिए। कृषि करने वाले तथा भूमि में अपना उत्साह दिखाने वाले सभी लोगों के पास भूमि होनी चाहिए। जो कृषक नहीं है केवल जमींदार हैं, वे केवल उच्च जाति के लोग ही हैं। हमने विगत में प्रायः यह देखा है कि जलपाई गुड़ी तथा बहुत से अन्य स्थानों पर भू-आन्दोलन का स्वरूप बदल कर उसे जातीय स्वरूप दे दिया गया। हम इस आन्दोलन विशेष में शामिल थे। यह तस्वीर का एक पहलू है, तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जनजातीय समुदाय तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में मौजूद अवसरवादी तत्वों ने भी यह कहकर कि कुछ बंगाली उच्च जाति के हैं, इस आन्दोलन को जातिवादी तथा साम्प्रदायिक स्वरूप देने की कोशिश की। इससे प्रायः स्थिति जटिल हुई है। हमारा यही अनुभव है। मेरा विचार है कि पददलितों के आर्थिक संघर्ष के मार्ग में कमोबेश यह एक अड़चन है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो हमें वर्गवार संगठित करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए तथा जैसा कि मैं कह चुका हूं उनमें से अधिकांश लोग कृषि मजदूर हैं। इसी प्रकार जहां तक सामाजिक उत्पीड़न का सम्बन्ध है मुझे इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ये लोग किस भेदभावों और दमन का शिकार होकर रह रहे हैं। मुझे इसका अनुभव है। मैं लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संकीर्ण साम्प्रदायिक हितों से ऊपर उठें तथा एक जुट हों। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए सबको इकठ्ठा हो जाना चाहिए। मैं इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक संसदीय समिति बनाने के विचार का स्वागत करता हूं। परन्तु केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है। कानून को लागू करना कानून के बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के किसी भी हित से सम्बन्धित प्रावधान को लागू नहीं किया जाता। यह मेरा कड़वा अनुभव है। बहुत सी बातें कहनी है। परंतु मेरे पास समय नहीं है। मैं यह सलाह देना चाहता हूं कि यह संसदीय समिति यह देखे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार के मामलों को तुरन्त समाप्त किया जा सकता है या नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रशासन भी कुछ कर रहा है अथवा नहीं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में कानून का सख्ती से पालन कर रहा है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त जनजाति के लोगों तथा अनुसूचित जातियों के बीच एक प्रकार का समाज सुधार आन्दोलन की आवश्यकता है। मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों

[श्री नानी भट्टाचार्य]

के नेताओं से यह अपील करूंगा कि वह अपना अधिक समय निरक्षरता, दमन का सामना करने हेतु एक सामाजिक सुधार आन्दोलन के लिए लगाए। उन्हें सर्वव्यापी शिक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए ताकि वे जनजातीय लोग तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अपनी आर्थिक आकांक्षाओं, सामाजिक स्तर को अनुभव कर सकें तथा केवल कानून की नजरों में ही नहीं बल्कि सही अर्थों में समानता मिले। यह बहुत ही कठिन समस्या है। मुझे गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर की एक कविता याद आती है। परन्तु मैं कविता की वास्तविक विषय वस्तु को भूल गया हूं। फिर भी उन्होंने शिक्षा के स्तर में असमानता तथा आर्थिक असमानता के विरुद्ध चेतावनी दी है। एक ओर एक वर्ग धन जमा करता जा रहा है तथा दूसरी ओर निराशा है। निराश कौन है? अधिकतर वह जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं वह वास्तव में निराश हैं। अतः उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सत्ता के नशे में चूर उन लोगों को चेतावनी दी कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता आर्थिक असमानता तथा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा :

> "मृत्यु का संदेश आपका दरवाजा खटखटा रहा है। यदि आप स्थिति के महत्व को नहीं समझते हैं यदि आप आत्म संतुष्ट तथा सत्ता और घमंड के नशे में चूर रहते हैं तथा मनुष्य और मनुष्य के बीच में असमानता बढ़ाते जा रहे हैं तो मृत्यु होने पर श्मशान घाट पर पददलित लोगों के साथ आपकी समानता हो जाएगी।"

अतः हम काफी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह असमानता निहित स्वार्थों के लोगों, उनके सामाजिक वर्ग तथा आर्थिक प्रभुत्व को आघात पहुंचायेगी। अतः गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर की चेतावनी को दोहराते हुए मैं सबसे अपील करता हूं कि वे अपने दिलों को टटोलें और यह देखें कि क्या हम वांछित तरीके से काम करने को तैयार हैं। हमें इन लोगों को भाई, बहनों, पुत्र और पुत्रियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह मुख्य बात है। उसी दशा में इस समस्या का समाधान कर पायेंगे।

सभापति महोदय : अब श्री पंडियन बोलेंगे।

श्री शिकिहो सेमा (नागालैण्ड) : महोदया, कम से कम कोरम तो होना चाहिए। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा बिना कोरम के कैसे कर रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही श्री पंडियन को बुला लिया है।

श्री शिकिहो सेमा : कोरम होना चाहिए।

सभापति महोदय : चूंकि यह कोरम के लिए कह रहे हैं, मेरे पास घंटी बजाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

कोरम की घंटी बजाई जानी चाहिए।

श्री शिकिहो सेमा : सत्ता पक्ष में केवल 12 सदस्य हैं।

सभापति महोदय : कोरम के लिए घंटी बजाई जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति पूरी हो गई है श्री पंडियन बोले।

श्री डी० पंडियन (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और अधिकांश सभी वक्ताओं ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पर्वतीय जनजातियों पर किए गए अत्याचारोंके मामलों का जिक्र किया है । यदि मैं भी कोई दूसरी सूची दूं तो चर्चा समाप्त नहीं होगी । अत: मैं एक या दो ही घटनाओं का जिक्र करूंगा । परन्तु मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से सभा तथा सभा के माध्यम से देश का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि यह समस्या नई नहीं है । यह लगातार बढ़ रही है । यह उन स्थानों में भी फैल रही है जहां पर पहले नहीं थी तथा कुछ वर्षों पहले वहां यह समस्या नहीं थी । हमें इस बात का गर्व था कि कुछ वर्ष पूर्व हमारा रिकार्ड साफ था । यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक या दो घटनाओं को छोड़कर हम लोग ऐसे साम्प्रदायिक झगड़ों से मुक्त थे चाहे वह जातीय झगड़े हो या धार्मिक झगड़े हो । इसका कारण यह है कि तमिलनाडू में काफी लम्बे समय से सामाजिक सुधार आन्दोलन चलता रहा। परन्तु दुर्भाग्यवश यह उत्तर भारत में विंध्याचल को पार करके तमिलनाडु तक पहुंच गया है । पिछले कुछ महीनों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे हैं । पिछले हफ्ते भी दक्षिणी जिले में दंगा हुआ था और तीन गांवों में आग लगा दी थी तथा तीन लोगों को मार दिया गया था । हमें वास्तव में पता नहीं है कि क्या हुआ था क्योंकि हम यहां पर हैं और तमिलनाडु के बारे में कोई समाचार नहीं मिल पाता है । परन्तु यह स्पष्ट है कि इस तरह की घटनायें हो रही हैं और इनमें वृद्धि हो रही है । ऐसी घटनायें क्यों हो रही है ? सभा को पता है कि एक वर्ष पूर्व एक महत्वपूर्ण समाचार मीनाक्षीपुरम घटना के बारे में था जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवकों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था । बहुत शोर मचाया गया था कि इनको अमीर तेल देशों द्वारा खरीदा जा रहा है । पैसा देकर इन अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों को खरीदा जा रहा है और इस प्रकार के धर्म परिवर्तन द्वारा वह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं । ऐसा प्रसार शुरू हुआ और यह सारे तमिलनाडु में फैलता जा रहा है । इस प्रचार के कारण अनुसूचित जाति के गरीब लोग तथा भूमिहीन मजदूर इसका शिकार हो रहे हैं।

जब भी उन पर हमला होता है जैसा कि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में हुआ है, कानून लागू करने वाले अधिकारी तुरन्त कार्यवाही नहीं करते हैं । हम यह नहीं कहते हैं कि केवल कमजोर वर्ग के लोग ही निर्दोष है परन्तु कानून का पालन किया जाना चाहिए तथा दोषी व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए । आमतौर पर ऐसा होता है कि कानून लागू करने वाले अधिकारी पक्षपात से काम लेते हैं तथा गरीब लोग विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतें कानूनी तरीके से दूर नहीं हो पाती है ।

केवल भूमिहीन मजदूर को ही नहीं मारा तथा बलात्कार किया जाता है, पढ़े लिखे अनुसूचित जाति के लोग जो शहरी तथा औद्योगिक इलाकों में चले गए हैं । तथा सुरक्षित नौकरी कर रहे हैं को भी परेशान किया जाता है ।

मैं समय की कमी के कारण केवल दो उदाहरण देता हूं ।

[श्री डी० पंडियन]

रेलवे मुख्य कार्यालय मदुरै के एक कर्मचारी मैं उसका नाम नहीं ले सकता और मैं इस घटना के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा —को जाति के आधार पर हाल में अपमानित किया गया। उसको इस नाम से गाली दी गई और उस पर हमला किया गया और उसे अपमानित किया गया। सभी कर्मचारी, अपनी जाति की परवाह न करके, इस घटना से नाराज थे। उनका इसमें कुछ भी लेना-देना नहीं था। वे उठकर कार्यालय में गए और सारी घटना की अधिकारी से शिकायत की और उन्होंने उस दोषी व्यक्ति जो एक कर्मचारी ही था, के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा। आपकी रंजिश की वजह से उसने उसे जाति के नाम से गाली दी और उसे अपमानित किया था। परन्तु रेल अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह अपराधिक हमला है और अपराधी ने गाली गलौच की है, इसलिए उसे हरिजन सुरक्षा समिति के पास जाना चाहिए और वह मजबूर है तथा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। जब सारे कर्मचारी थाने गए और इस मामले की वहां रिपोर्ट की तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह घटना कार्यालय परिसर में हुई है और जब तक सम्बद्ध अधिकारी इसकी रिपोर्ट नहीं करता, वे इस मामले को दर्ज नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने इस मामले की हरिजन रक्षा समिति को रिपोर्ट की। समिति ने कहा क्योंकि घटना कार्यालय परिसर में हुई है वह तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगी जब तक विभाग से इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। इन कानूनी लड़ाइयों तथा उलझनों में अपराधी बच जाता है और पीड़ित व्यक्ति पीड़ित ही बना रहता है।

यदि कानून लागू करने वाले हमारे अधिकारी इस तरह निष्क्रिय रहते हैं तथा तत्काल कार्यवाही किए बिना कानूनी उलझनों में पड़ते हैं तो वे सभी कानून कागजों पर ही रहते हैं।

मेरा यह अनुरोध है कि जब तक इस बात की गारन्टी न हो कि बनाए गए सभी कानूनों तथा अधिनियमों को बिना किसी पक्षपात के लागू किया जाता है तो ये केवल अलमारी की शोभा बढ़ा सकते हैं और हम इस बात की शेखी मार सकते हैं कि हमने बहुत से कानून बना लिए हैं परन्तु गरीब वर्गों के लोगों पर होने वाले हमलों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

यदि केन्द्र सरकार इस बुराई को समाप्त करने की इच्छुक है भी तो वे भी सर्वसम्मति की बात करते हैं और इस मामले पर उसे सर्वसम्मति बनानी चाहिए और सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में एक प्रचारक अभियान शुरू कर सकें। इस सामाजिक बुराइयों का यही एकमात्र इलाज है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाजन (मालेगांव) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आभारी हूं। जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, यह केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सवाल नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है। यदि हर व्यक्ति इसे राष्ट्रीय सवाल देखकर सोचेगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि वहां कई सन्त हुए हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन करने के लिए बहुत कोशिश की। वे अनुसूचित जाति के थे और देवी के प्रिय भक्त थे। इनमें संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, संत तुकाराम और नामदेव के नाम प्रमुख हैं। इतने प्रिय थे कि देव और भक्त साथ-साथ थे। फिर भी, जैसे कहते हैं कि :

जल्दी चलिए, प्रभु चले न मंद,
पुजारी मुझे पिटाई करता है,
मेरा नहीं कुछ अपराध।

मुझे कहते हैं कि हार बनकर मेरे गले में कैसे आया। गला देकर हमारे देव को क्यों छूआ। चोखा मेला और प्रभु विट्ठलदास साथ-साथ रहते थे और पुजारी उनको पिटाई करता था। मेरा मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन उस वक्त तक भी नहीं हो पाया था। अनुसूचित जातियों के साथ चोखा मेला बाहर बैठा है। फिर हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े आदमी हुए हैं, जैसे ज्योत शिवपुरी जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, एस० एम० जोशी, नाना गोरा, उन्होंने भी बहुत परिवर्तन किया, फिर भी उतना परिवर्तन हो नहीं पाया, जितना होना चाहिए। मेरा कहना है कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, किसी जमात विशेष का सवाल भी नहीं है। मेरे एक साथी ने कहा कि यदि सब लोग ठीक दिशा में सोचेंगे तो यह सवाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपसे दो-तीन बातें ही उदाहरण के तौर पर कहता हूं। कल मंत्री महोदय ने घोषणा की कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकार 50 फीसदी सबसिडी और बैंकों से कर्जा देने वाली है। अब प्रश्न है कि इन लोगों को बैंकों से कितना कर्ज मिलता है—सिर्फ 18 हजार, जिससे एक कुआं भी नहीं बनता। यदि बन भी जाता है तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह आदमी ही उसमें डूबकर मर जाता है। यह स्थिति इस देश के अनुसूचित जनजाति और आदिमजाति के लोगों की है। इसलिए आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकों से कर्ज मिलना चाहिए और सबसिडी भी अधिक मिलनी चाहिए।

अब जहां तक सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, नासिक जिले के तालुका नान्दगांव में एक गांव बेरल है और यह घटना लगभग एक माह पहले की है। वहां मुझे आदिमजाति के लोगों की एक बस्ती में जाने का अवसर मिला, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। इस पर वहां के सवर्ण लोगों को इतना गुस्सा आया कि मेरे आने के बाद उन्होंने अनेक लोगों की पिटाई की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हथियारों से उनके शरीर पर अनेक घाव कर दिए। अभी भी एक बहन अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। आज भी उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी है। अब मैं इन लोगों की राजकीय स्थिति के बारे में आपको बता दूं। हमारे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं और उनमें आदिमजातियों और जनजातियों की लगभग 100 सीटें बढ़ने वाली हैं। वैसे ही 350 सीटें पंचायत समितियों में इन जातियों के लोगों की बढ़ने वाली हैं। बारह वर्ष हो गए अभी तक इन निकायों के चुनाव नहीं हुए। चूंकि 2 वर्ष हो गए इसलिए चुनाव कराने जरूरी हैं, और हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि वहां संविधान के अनुसार ही सारा काम चलता है, लेकिन वास्तव में कहीं संविधान के अन्तर्गत काम नहीं होता। बाबा साहेब ने स्वयं कहा है कि इन लोगों को पैरों से रौंदने की कोशिश की जाती है। अब जब कि चुनाव होने वाले थे, स्वयं कांग्रेस के लोग अदालतों में इस मामले को ले गए और स्टे ले आए। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि चुनाव हो गए तो इन निकायों में आदिम जाति और जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग आ जायेंगे। इसलिए राजकीय स्थिति में भी अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा अनेक

[श्री हरिभाऊ शंकर महाले]

तरह की शिकायते हमें सुनने को मिलती रहती हैं। आफिसर लोग इतनी मनमानी करते हैं कि आदिम्जाति या जनजाति के एक व्यक्ति तक को पियून के पद पर भी भर्ती नहीं होने देते, कहते हैं मिलता ही कोई नहीं। क्या एक सिपाही भी नहीं मिलता। या जगह होते हुए भी भर्ती नहीं की जाती। 1977 में महाराष्ट्र सरकार ने एक जी० आर० निकाला जिसके अनुसार इन आदिम जाति और जनजाति के लोगों के लिए नए पद सृजित किए गए परन्तु ऐसे साजिश भरे काम हुए कि आदिमजाति के झूठे लोगों को भर्ती कर लिया गया। फिर 1980 में एक दूसरा जी० आर० निकाला, उसमें भी हल्बा कुष्टि को बढ़ावा मिला और आदिमजाति के लोग नौकरियां पाने से पीछे रह गए। इसलिए हमारे दफ्तरों में जितने बड़े आफिसर बैठे हैं, ये इन लोगों को आगे आने ही नहीं देते, यह सबसे बड़ी कठिनाई है। दूसरे, कभी इन लोगों की सी० आर० ठीक नहीं लिखी जाती और किसी न किसी बहाने उन्हें पीछे बनाए रखते हैं, इनके पांवों को खींचने का काम करते हैं। इस बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मल्होत्रा जी ने सदन में जो चर्चा उठाई है, वह बहुत सामयिक है। सभापति महोदया, पहले पहले तो हमें रोने का अधिकार भी नहीं था, किसी भी आदिमजाति के लिए या जनजाति के लिए।

सभापति महोदया, अभी तो उनको रोने का अधिकार मिला है। इसमें तो मुझे खुशी है। मल्होत्रा साहब ने यह प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया, यह बहुत खुशी की बात है। मैं आखिरी में आपके सामने यह कविता पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा :

"बोलना अलग करना अलग इससे मन खिन्न होता है।
इसलिए अनुसूचित जाति जन जाति और आदिवासी के लिए
स्वायत्त मण्डल की मांग की जाति है ॥ 1 ॥
फुटीरवादी नक्सलवादी अह संगयवादी।
आदिवासी आदिमानव दंगसदा वे हैं देश प्रेम बारी ॥ 2 ॥
अन्यायी घटनाए हमेशा हैं घटती फिर हमें है घूमना पड़ता।
सच्चे मन को स्पर्श करने को कहां गया वह जत्था ॥ 3 ॥
डालो नजर कम से कम एक बार उस दुर्बल के ऊपर।
भूतल पर स्वाभिमान से जीने के लिए जो चाहता है पर ॥ 4 ॥
सहृदभाव परिपूर्ण मन में सदा रहने दो।
आनन्द से जीने के लिए थोड़ा तो रहने दो ॥ 5 ॥
लोहे को पारस ने स्पर्श किया जग को पता लगने दो।
फिर दुर्बल कहकर कौन पुकारता है देखने दो ॥ 6 ॥
सब मिलकर सोच समझ से हिंडोले पर झूलेंगे।
इस आ रण की पूर्ति से विश्व भी सहज डोले ॥ 7 ॥

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों

से निवेदन करना चाहती हूं कि जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों पर अत्याचार होता है, तो घटना की जो वस्तुस्थिति है उसको सामने लाया जाए और उसको राजनीतिक रंग न दिया जाए । राजनीतिक रंग देने से नेताओं को भले ही लाभ मिल जाता हो, लेकिन जिन लोगों ने कष्ट भोगे होते हैं, वे बैकग्राउण्ड में, बहुत पीछे धकेल दिए जाते हैं । उनकी समस्याएं अत्यधिक महत्वहीन हो जाती हैं । नेताओं के अहकारों की आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है । इससे उनको भले ही लाभ मिल जाता हो, लेकिन उन गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है । इसलिए इस विषय में बोलने के लिए मैंने आपसे सिर्फ दो मिनट का समय चाहा है । मैं उसी समय में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगी ।

सभापति महोदया, सलैया गांव, जिला शिवपुरी में जो घटना हुई, जहां पर कि एक जीवित जला दिया गया, कुछ घायल हुए और उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा । एक-दो महिलाओं को भी काफी चोट लगी । मैं स्वयं उस गांव में गई हूं । एम० पी० बनकर नहीं गई, नेता बनकर नहीं गई, यहां तक की गेरूए कपड़े पहनकर भी नहीं गई, बल्कि एक सामान्य लड़की की तरह सलवार कमीज पहनकर गई । मैंने उन लोगों से बात की, मैंने उनके बयान पूरे-के-पूरे रिकार्ड किए हैं । तब मुझे मालूम पड़ा कि बड़ा जघन्य काण्ड वहां पर हुआ है । वहां पर जो कुछ हुआ है, वह निन्दनीय है । उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी कम है । मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को भी मैंने इस विषय में लिखा है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, उसमें और कुछ भी जोड़ा जाना चाहिए । मैं जिस तारीख को वहां गई थी, तब तक भी उनको आतंकित करने के लिए, रात्रि में उनके घरों पर पथराव की घटनाएं हो रही थीं जब कि वहां पर फोर्स लगी हुई है । उसकी सूचना भी मैंने गृह मंत्री महोदय को भेजी । लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि जिन महिलाओं से मैंने चर्चा की, उनसे मैंने जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, उन्होंने जो मुझे पूरी घटना बताई, वह मेरे पास कैसेट में रिकार्ड है, अगर आप मुझे कभी आज्ञा देंगी तो मैं उसको आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकती हूं । उसमें साफ कहा गया है, उन महिलाओं ने कहा कि निश्चित रूप से कुछ लोगों ने यह आग्रह किया कि महिलाओं को नाचने के लिए बाहर निकलना चाहिए क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है । जो नौजवान तबके के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू-बेटियों, माता-बहनों को नाचने के लिए नहीं निकालेंगे । क्योंकि वे लोग शराब के नशे में थे, उन्हें ऊंची जाति का नशा था, पैसे का नशा था, इसलिए उन सारे नशों ने उनको पागल कर दिया और उन्होंने गरीब लोगों पर आक्रमण किया । एक को बहुत बुरी तरह से मारा, बीच में जब कुछ महिलाएं बीच-बचाव करने के लिए आईं तो उनमें से एक महिला की साड़ी खुल गई, बाद में उस महिला को भी चोट लगी, और भी कुछ महिलाओं को चोट लगी । मैंने उन महिलाओं से एक बात बार-बार पूछी, क्योंकि अखबारों में यह बार-बार आ रहा था कि सलैया गांव में महिलाओं को नंगा नाचने के लिए कहा गया । मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी ने भी आपको नंगा नाचने के लिए कहा तो उन महिलाओं ने कहा कि हमको नंगा नाचने के लिए किसी ने भी नहीं कहा, नाचने के लिए जरूर कहा और पूरी लड़ाई इसी बात को लेकर हुई कि हमारे नौजवान लड़कों ने कहा कि हमारे घर की महिलाएं नहीं नाचेंगी और अन्त में लड़ाई हुई ।

सलैया में जो कुछ हुआ या भारत में जो कुछ भी होता है, इस तरह के लोगों के ऊपर

[कुमारी उमा भारती]

जो अत्याचार होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, साथ में प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्रियों से, यहां बैठे माननीय संसद सदस्यों से भी कहूंगी कि इस तरह के कांड में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस तरह का अन्याय, अत्याचार करते हैं, उन्हें सारे नियमों को शिथिल करके कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से यह भी है कि इस तरह की घटनाओं को जब राजनैतिक रंग दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान उन गरीब लोगों को पहुंचता है। नेताओं को भले ही लाभ मिल जाये जैसे सलैया के मामले में इसी सदन के एक माननीय सदस्य के द्वारा लगातार असत्य बोला जा रहा है कि वहां महिलाओं को नंगा नचाया गया और वहां की महिलाएं कह रही हैं कि हमको नंगा नहीं नचाया गया। सदन के अन्दर इस प्रकार की गलत बयानबाजी करना, असत्य बोलना, सदन को गुमराह करना, यह एक अच्छी बात नहीं है। इससे उस गांव के लोगों को नुकसान हो रहा है, भले ही सदन में बैठे हुए नेताओं को कोई लाभ होता हो। मैं अपनी बात समाप्त करने के साथ-साथ अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगी। पूरे देश में इस समय एक साजिश रची जा रही है, उस साजिश के प्रति सभी को वाकिफ रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, एक योजना के अंतर्गत यह साजिश रची जा रही है। केन्द्र की नई सरकार को असफल साबित करने के लिए, प्रदेश में स्थापित सरकारों को असफल साबित करने के लिए जान-बूझकर योजनाबद्ध तरीकों से उनके घर जलाए जाएंगे, उनपर अत्याचार किए जाएंगे, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इनके राज में इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब भी इस प्रकार की घटना घटे, इस सदन के माननीय सदस्य एक ग्रुप बनाकर, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हों, तुरन्त वहां पर पहुंच ताकि इस तरह के चालू लोगों के, चतुर लोगों के षड्यंत्र खुल सकें और इस तरह की घटनाओं को राजनैतिक रंग न दिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदया, मैं केवल एक मुद्दा उठाऊंगा। मैं उन सभी बातों की चर्चा नहीं करूंगा जिनका जिक्र अन्य वक्ताओं ने किया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत समय से बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले एक कर्मचारी का मामला उठाते आए हैं। उसका नाम खेलानन्द झा है। उसे एक हरिजन लड़की से शादी करने के कारण 1985 में नौकरी से निकाल दिया गया था, वह खुद ब्राह्मण है। उसका यही एक अपराध था। तब वह दिल्ली आया था और धरना दिया। बहुत से राजनीतिक दल के नेता तब उससे मिले थे और उसे आश्वासन दिया था कि उसे उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन जब वह बिहार वापस गया तो उसे यह देखकर निराशा हुई कि उसे वापस नौकरी में लेने वाला वहां कोई नहीं था। इसकी बजाए, उसके परिवार पर हमला किया गया, उसकी पत्नी को जलाया गया और उसका घर फूंक दिया गया।

वह फिर दिल्ली आ गया और वह अब भी डेढ़ साल से अधिक समय से धरना दे रहा है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने बोट क्लब पर उस पर हमला किया, जहां वह गणतन्त्र दिवस तथा अन्य अवसरों पर धरना दे रहा था। हर बार वह हमारे पास आया। बहुत बार मैं खुद इस मामले

को सभा में उठा चुका हूं। उस समय, विपक्षी दलों के नेताओं ने जो अब सत्ता पक्ष में है, अपना समर्थन दिया था। मेरे लिए यह एक विशेष उदाहरण है और वह अब भी विट्ठलभाई पटेल हाउस के समक्ष धरने पर बैठा है।

जब चुनाव होने वाले थे तो मैंने उसे आशा दिलायी थी कि यह सरकार चली जाएगी और नई सरकार आएगी और नई सरकार के आते ही उसे फिर से नौकरी में ले लिया जाएगा। मैं श्रम मंत्री, कल्याण मंत्री को इस बारे में लिखा है और मुझे लगता है कि प्रत्येक मंत्री असहाय है। पता नहीं असहाय क्यों है। इसके लिए क्या किया जाये ?

बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो दिल जलाने वाली, हृदय विदारक हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने वह व्यक्ति धरने पर वहां बैठा है। पिछली सरकार के समय जब मैंने यह मामला उठाया था तो तत्कालीन प्रधान मंत्री की सलाह पर कुछ अधिकारियों ने कहा था कि इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। इस तरह के मामले में, कोई भी यह नहीं कहता कि इसने ब्राह्मण होते हुए एक हरिजन लड़की से शादी की है, इसलिए इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उस समय मैंने इनको बताया कि उसकी छवि खराब करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। यदि आप सर्दियों या गर्मियों में एक दिन बोट क्लब पर धरना दें तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मामला सही है। वह अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कुछ करे। माननीय मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, वे सहानुभूतिपूर्ण और विवेकशील भी हैं। वे उसी राज्य के भी हैं। यह किसी राज्य पर आरोप लगाने की बात नहीं है। ऐसा किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। इस प्रकार का रवैया बहुत से स्थानों पर है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें व्यक्तिगत रुचि लें ताकि यह व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है तथा अकेला लड़ाई लड़ रहा है, न्याय प्राप्त कर सके और हम उसे हर रोज वहां देखने के दुःख से बच सकें।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : महोदया, यह बड़े शर्म की बात है कि इस मामले को यहां इसलिए उठाना पड़ा ताकि इसका समाधान किया जा सके।

सभापति महोदय : इस मामले को इस सभा में बहुत बार उठाया गया है। हमें आशा है सभा की राय जानते हुए, सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

अब, मंत्री महोदय को भाषण देने के लिए बुलाने से पहले क्या मैं इस बात पर सभा की राय जान सकती हूं ? मूल्य वृद्धि पर चर्चा 3.00 म० प० शुरू होनी थी। अब मैं मंत्री महोदय को भाषण देने के लिए बुलाती हूं और वे थोड़ी देर बोलेंगे। ज्यों ही उनका भाषण समाप्त होगा हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। मैं आशा करती हूं कि सभा इस बात पर सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। अब कृपया मंत्री महोदय भाषण देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : आदरणीय सभापति महोदया, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां बोलने का मौका मिला और वह भी उस सवाल पर जिस पर हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की है। हम उस इलाके से आते है जो वनवासियों का इलाका है। हम जंगलों और पहाड़ों के बीच में छोटा नागपुर की उस गुफाओं में रहते हैं जिनके पास इस देश की आजादी तो आई लेकिन बापू जी ने जिस आजादी का चिराग इस उम्मीद से जलाया था कि यह गांवों की गलियों और गुफाओं तक पहुंचेगा, वह चिराग आज 42 साल के बाद तक वहां नहीं पहुंच पाया, चाहे सरकारें जिसकी भी रही हों। आज उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के संबंध में जब हम बहस कर रहे हैं, जो इस देश की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है, तो अगर मैं यह भूल जाऊं कि मैं सरकार की तरफ से बैठकर बोल रहा हूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे।

3.00 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

अत्याचार जिस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर हो रहे हैं और माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जिस सवाल को लेकर के पूरे सदन को ध्यान आकृष्ट करने का एक मौका दिया है, मैं समझता हूं कि सरकार उसे बहुत गम्भीरता से लेती है और इसलिए लेती है कि यह एक ऐसा सवाल है जिसको सत्ता में सदियों से जो रहे हुए लोग हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, बिरादरी के लोग रहे हों, उनको इस परिवर्तन के चक्र को समझना पड़ेगा, इस परिवर्तन की गति को, इस परिवर्तन के चक्र को जो रोकने की कोशिश करेगा तो वह कुचला जाएगा, मारा जायेगा, यह व्यवस्था उसको माफ नहीं करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां यह लड़ाई नहीं चल रही हो, उत्तर प्रदेश का वह इलाका, पूर्वांचल का इलाका, जहां पर यह लड़ाई लोग अपने-अपने तरीके से लड़ रहे हैं, सरकारें आती है और जाती हैं लेकिन उनकी लड़ाई जारी है और वह जारी रहेगी।

आज मध्य प्रदेश के सलैया गांव में जो घटना घटी, वह हमारे लिए शर्मनाक है, जिस पर शर्म आनी चाहिए। जिस तबके के लोगों ने इनमें हिस्सा लिया है, इस घिनौने कार्य में, उन्हें अगर सरकार सजा देने में सक्षम नहीं होगी तो समाज सजा देने से उन लोगों को बाज नहीं आएगा। अगर अत्याचार का यह रवैया जारी रहा तो मैं यह कहना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि जनसंख्या का 1/4 भाग तबका मूकदर्शक बनकर अब बैठा नहीं रहेगा, अत्याचार की कभी-कभी लोगों को जागरूक कर देता है और मैं समझता हूं कि वह अत्याचार की सीमा अब लबलबा गई है। उसके साथ-साथ आज नेशनल फ्रण्ट की सरकार ने आने के बाद जो विश्वास पैदा करने की कोशिश की है, वही हमारा सबसे बड़ा दायित्व रहा है, जो पिछली सरकार के द्वारा क्राइसेस ऑफ फेथ था, पूरे देश में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको रैस्टोर करें, स्थापित करें, जो समाज के दलित, वंचे कुचले लोग हैं, उनके दिल दिमाग में विश्वास पैदा करें कि वह आज के मंत्री, आज के सांसद की भी बांह पकड़कर अपनी बात कह सकते हैं और मैं उमा जी को बहुत ही बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वेश बदलकर भी इस अत्याचारी राज में अगर कुछ गड़-बड़ी है तो उसको देखने का काम किया और एक सही तस्वीर लाकर सदन के सामने रखने की कोशिश की।

सरकार ने कानून बनाये हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम, 1989 बनाया, जिसे जनवरी के माह में हमने लागू किया है और उसके बाद 3-4 महीने के अन्दर अगर मध्य प्रदेश के सलैया गांव में जो घटना घटी है, इस अधिनियम के तहत अगर वह केस दर्ज नहीं किए गए हैं तो यह वास्तव में सदन के लिए और हमारी सरकार के लिए भी सोचने का बहुत गम्भीर मसला है लेकिन उन लोगों की, वहां से जो रिपोर्ट आई है ···

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (राजगढ़) : वहां केस दर्ज हो चुका, चालान हो चुके हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय : माननीय सदस्यों ने कहा था कि केस दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। केस दर्ज किया गया है। शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, 89 के सैक्शन-3 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसको मैं इतना काफी नहीं समझता हूं। (व्यवधान) ···

श्री शोपत सिंह भक्कासर (बीकानेर) : केस तो दर्ज किया गया है, लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार किए गए हैं या नहीं—सवाल तो यह है।···(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : एक व्यक्ति जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसके लिए परेशानी हो रही है और बाकी सबको गिरफ्तार किया गया है। (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं और सभी लोग इस गम्भीर विषय से सम्बन्धित हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात शुरू करूं, सरकार ने जो उनकी सुरक्षा और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों की रक्षा के लिए अधिनियमों के तहत प्रावधान किए गए हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अधिनियम के तहत जहां सुविधायें देते हैं, वहां उनको कानूनी सहायता और आर्थिक न्याय प्रदाय किया जाए। मुकदमों की जांच के दौरान अत्याचार पीड़ित गवाहों को यात्रा भत्ता और रखवाला, जो उन की सुरक्षा के लिए हो, उसका भी प्रावधान सरकार ने किया है। पीड़ितों के लिए आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास के लिए इसके अन्दर प्रावधान किया गया है। मुकदमों के आरम्भ करने या उनके अधिकारों की नियुक्ति के लिए भी इसमें गम्भीरतापूर्वक प्रावधान किया गया है। हर स्तर पर समितियां बनाने का भी प्रावधान किया गया है जिससे जो भी सवाल आते हैं उनको सही तौर पर मोनिटर किया जा सके। राज्य सरकारों के द्वारा ये समितियां बनाई जायेंगी। यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसको इफैक्टिव तरीके से लागू किया जाए, जिसके लिए वैलफेयर मिनिस्टर ने जनवरी महीने में सभी राज्यों के पदाधिकारियों को या उनके राज्य मंत्रियों को बुलाकर एक सम्मेलन किया और उन्हें निर्देश दिया कि जो कोर्ट स्थापित होने वाले हैं, जिस कोर्ट के तहत ये सारे मुकदमे देखे जायेंगे, उनको अविलम्ब लागू किया जाए। बहुत से राज्य सरकारों से खबर आई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में कोर्ट नहीं बन पाए हैं, उन्हें अविलम्ब बनाने का राज्य सरकारों को सरकार द्वारा निर्देश जाएगा। यह सरकार जनवरी माह से आई है और मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था एक महीने के अन्दर हर राज्य में कोर्ट स्थापित हो जाएं, जिससे जिन इलाकों में सम्बित केसेज हैं, वहां पूरी तरह से सुनवाई हो और न्याय किया जाए। यह हमारा फैसला है।

जहां तक भूमि का सवाल है, हम यह मानते हैं कि भूमि आज हरिजन-आदिवासियों का

[श्री सुबोध कांत सहाय]

सबसे मुख्य मुद्दा उनके ऊपर अत्याचार का बन गया है। सरकार के द्वारा पट्टा दिया जा रहा है, लेकिन सही तौर पर उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। सरकार बड़ी गम्भीरता से राज्य सरकारों को यह निर्देश देना चाहती है कि जिले के जो भी सम्बन्धित पदाधिकारी हों, वे इस बात की पूरी तरह से गारन्टी लें कि उन्हें जो पट्टा दिया जा रहा है या उनको जो जमीन दी जाएगी, उसको किसी दूसरे को लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती ले लेता है, तो उससे वापिस कराई जाए। इससे सवाल को हम पूरी गम्भीरता से ले रहे हैं। इसलिए इसको हम शेडयूल 9 में ला करके एक अधिनियम बनाना चाहते हैं जिससे कि जमीनों के अधिकार से उनको वंचित न किया जा सके।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुण्टूर) : क्या ऐसा किया जा रहा है ?

श्री कुसुम कृष्णा मूर्ति (अमलापुरम) : क्या यह दर्शन है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह दर्शन नहीं है। हम लोग कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि "6 महीने पूरे होते तक सरकार की तरफ से आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी कि हमने आज तक क्या क्या किया है। जो कहा था उस पर क्या क्या कार्यवाही की गयी है। चार महीने गुजरे हैं, दो महीने का समय मैं आपसे और लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, यह नहीं, आपने देखा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभाओं में और संसद् में सीटों के आरक्षण का सवाल था, उसको हमने दस साल के लिए और लागू किया है और उसके बदौलत आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के रूप में माननीय सदस्य आज इस सदन में मौजूद हैं।

यही नहीं, जो नवबौद्ध हैं, उनके दिमाग में भी आशंका बनी हुई है उसके बारे में भी संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं नवबौद्धों पर अनुसूचित जाति का सदस्य बनने पर से प्रतिबन्ध हट सके। इस पर भी हम अविलम्ब कार्यवाही कर रहे हैं।

शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मैट्रिक स्तर की छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक, लड़कियों के लिए हॉस्टल, कोचिंग से सम्बन्धित योजनाएं बनायी हैं। मेट्रिक स्तर की केन्द्रीय प्रतियोगता के अन्तर्गत पुरस्कृत लोगों की संख्या बढ़ी है। जहां सेंट्रल सर्विसिज में 47-48 में 165 संख्या थी, आज के दिन में वह 14 लाख हुई है। यह उपलब्धि के तौर पर हुआ है। उन पर अत्याचार भी बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ से ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है जो अपने अधिकार के प्रति हरेक स्तर पर जागरूक हो करके समाज की मुख्य धारा में बागडोर पकड़ने के लिए आज सामने आ रहे हैं।

सभापति महोदय, सेवा, सुरक्षा के उपाय भी सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। नीति तथा संवैधानिक उपबन्धों को पूरा करते हुए किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पीछे से चले आ रहे रिक्त पदों को तत्कालिक उपायों के द्वारा भरा जाएगा। अगर इसमें किसी तरह की भी ढिलाई होगी तो सम्बन्धित अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यह मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

मेरे ख्याल से यह तो लगातार प्रक्रिया है। क्योंकि हरेक स्तर पर जगहें खाली होंगी और उनको भरा जाएगा। यह जो पीछे का बेकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : इसके लिये समय निर्धारित कीजिए। जल्दी से जल्दी काम नहीं चलेगा।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं समझता हूं कि पिछले तीन महीने के अन्दर इस प्रक्रिया को तेज किया गया है। अगर आप 6 महीने का समय दें तो मैं समझता हूं कि सरकार इस काम को पूरा करेगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के परम्परागत अधिकारों में पूरी तरह से हस्तक्षेप किया गया है। हम यह मानते हैं कि जंगल का अधिकार जो उनका ट्रेडिशनल राइट्स था उसको हम लाना चाहते हैं और यह विषय मंत्रिमंडल के पास लम्बित है। उनको जो अधिकार है उसको दिलाने का वचन देते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आप जंगल से क्या अर्थ लगाते हैं कि जो आदिवासी और हरिजन हैं उनकी आर्थिक जिन्दगी वन पर आधारित थी जैसे कत्था, तेन्दू का पत्ता और गोंद है। क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री सुबोध कांत सहाय : यह विषय मंत्रिमंडल के पास लम्बित है लेकिन इस अधिकार को सरकार वनवासियों को देना चाहती है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय यह उनका पहला भाषण है। उनके भाषण में इस प्रकार व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

सभापति महोदय : यद्यपि यह उनका पहला भाषण है लेकिन वे भाषण दे सकते हैं। चिन्ता मत करिए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : ग्राम में जो पूर्व जमींदार लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं उनके नाम से हरिजन अल्पसंख्यक और जनजाति के लोग मौके पर उनके घर हैं और सदियों से वहां पर बसे हुए हैं। उसी जमीन पर इन लोगों के नाम भूमिधारी या सिरदारी दर्ज है। जब तक यह लोग बेगारी करते हैं तब तक वह रहते हैं और बेगारी छोड़ देते हैं तो इनको उजाड़

[श्री हरि केवल प्रसाद]

दिया जाता है। क्या मंत्री जी इन बसे हुए घरों पर क्रमशः आबादी अंकित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी और गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि जिनको जमीन से बेदखल कर दिया गया है उनको उनका अधिकार वापस दिलाया जाएगा। इसके लिए पूरी गम्भीरता के साथ बात-चीत की जायेगी और इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। इन सब सवालों को जैसा कि माननीय सदस्यों की राय है सही तौर पर इसका इम्पलीमेंटेशन हो इसलिए एक समुचित सेल केन्द्रीय सरकार के द्वारा भी बनाए जाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। यह सेल मोनिटर करेगा कि कितने विकास के काम हुए और जो अत्याचार उनके ऊपर हुए, उस पर क्या कार्यवाही की है ? यह भी एक प्रपोजल सरकार के सामने है। जिस हम जल्दी ही इम्पलीमेंट करेंगे।

सभापति महोदय, यह सलैया गांव से सम्बन्धित सवाल कहीं न कहीं हमारे दिमाग में आता है। राज्य सरकार ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है लेकिन आम सदस्यों की जो राय है और इस देश में जो 40-42 साल की ब्यूरोक्रेसी है उसके जो काम करने के तरीके हैं उससे तो आप सब वाकिफ ही नहीं हैं। यह जो रिपोर्ट बनाकर दी जाती है उसके द्वारा हमारे जैसा व्यक्ति भी जाना पसन्द नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि यह जो प्रशासनिक व्यवस्था में जंग लगी हुई है इसको ठीक करना होगा। इसलिए इस भावना को देखते हुए मैं यह चाहता हूं कि सलैया गांव में जो घटना घटी है इस पर सदन की समिति बनाई जाए जिससे सही तौर पर क्या वहां पर अत्याचार हुए हैं और जिन साथियों ने आगे बढ़कर कहा है कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनका भी 40 साल में हुए अत्याचारों का लेखा-जोखा लेकर सामने लायें और अगर पदाधिकारियों ने कोई लीपा-पोती करने वाली रिपोर्ट दी है तो उस पर हम निर्णायक स्तर पर पहुंच जायें।

कुमारी उमा भारती : यह इनक्वायरी सलैया के लिए होगी या उत्तरप्रदेश में फतेहपुर में जो घटना हुई है उसकी भी इनक्वायरी होगी ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सख्ती से कार्यवाही की है। जहां पर कम्युनल रायट्स हुए हैं, वहां पर कांग्रेसी सांसद भी घूम कर आए हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार द्वारा अच्छा काम किया गया है। सरकार ने वहां पर काम किया है, मैं आपके सामने रिपोर्ट रखना चाहता हूं, आपने जो सवाल उठाए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहां पर सवाल उठाने से पहले सरकार ने जो काम किए हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक रूप से हरिजन-आदिवासी तबके के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, उनमें वित्तीय दबावों के बावजूद विशेष संघटक योजनाओं में 1990-91 के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 165 करोड़ रुपया तथा 205 करोड़ रुपए से 215 करोड़ रुपया तथा 225 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति विकास के लिए केन्द्रीय

परियोजनाओं में आबंटन के रूप में राज्यों को केन्द्रीय सहायता में भी वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने के सम्बन्ध में दृढ़ता से विचार किया जाएगा, यह हमारा उद्देश्य है।

इसी तरह के राज्य सरकारों द्वारा जो सूचनाएं दी जानी चाहिए, इस गम्भीरता की ओर भी हम राज्य सरकारों का ध्यान दिलायेंगे और मांग करेंगे कि हरिजन-आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में आंकड़े तुरन्त केन्द्र सरकार को भेजे, ताकि सदन को अवगत कराया जा सके तथा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

इस चर्चा में करीब 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, सबका उत्तर तो मैं अपनी लड़खड़ाई जुबान में यहां पर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी भावनाएं उनकी भावनाओं से अलग नहीं हैं, सरकार भी उनकी भावनाओं के साथ है। माननीय सदस्यों ने बिल्कुल सही कहा कि इस सवाल को पार्टी या इस बैंच या उस बैंच के नजरिए से नहीं लेना चाहिए, यह देश की एक चौथाई जनता का सवाल है, इस तरह से इसकी गम्भीरता को देखना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट को रिवाइज करने के बारे में मांग की, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सूचनाएं हमारे पास आएगी, उन सब को ध्यान में रखते हुए लिस्ट को रिवाइज करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी।

जैसा कि मेरे मित्र और सघर्ष के दिनों के साथी श्री सैफुद्दीन चौधरी जी ने बिलानन्द के बारे में बताया, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में सुबोध कान्त सहाय व्यक्तिगतरूप से एक महीने का समय मांगता है, अगर उनके ऊपर इस प्रकार का चार्ज है, जिस चार्ज को लेकर वे इधर से उधर भटक रहे हैं, सिर्फ एक हरिजन लड़की से शादी करने के लिए उनको यह पनिशमेंट मिला है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

इतना कह कर मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हमें मूल्य वृद्धि पर चर्चा करनी है। यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और अनेक मंत्रालयों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। गिलोटिन का समय होने वाला है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हम इस विषय पर चर्चा समाप्त करें और अगला विषय शुरू करें।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : क्या आज वाटर रिसोर्सिज पर डिसकशन होगी ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे नहीं लगता कि उस संसाधन पर चर्चा के लिए समय बचा है। लेकिन सभा इस पर बाद में विचार कर सकती है। जापान के प्रधान मंत्री महोदय 6.15 म०प० पर संसद सदस्यों को सम्बोधित करेंगे। पता नहीं यह कितनी देर चलेगा। उसके पश्चात् हम बैठ कर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं एक नए और युवा मंत्री को इस समस्या का इतने विश्वास पूर्वक और सहृदय तरीके से निपटने के उनके प्रथम प्रयास पर बधाई देता हूं। इसके बाद यह सुझाव देना चाहूंगा कि संसदीय समिति को शायद सरकार ने इसका निर्णय ले लिया है और यह कोई संसदीय समिति है जो प्रतिदिन गठित नहीं की जाती, न सिर्फ उस विशेष गांव में हुए अत्याचार की जांच करने बल्कि अन्य ऐसे गांवों में भी जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जिनके बारे में सूचना दी गई है तथा सरकार से शिकायत की गई ताकि संसद द्वारा चुनी गई सांविधिक समिति उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही कर सके और यह देख सके कि राज्य सरकार आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करे।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : हम इस पर आपसे बात करके विचार करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन दूसरी चर्चा अर्थात् देश में मूल्य वृद्धि पर चर्चा शुरू करेंगे। मैं श्री सैफुद्दीन सोज को चर्चा शुरू करने के लिए बुलाता हूं। वह संक्षेप में बात करने के लिए विख्यात हैं।

3.28 म०प०

(दो) देश में मूल्यों में वृद्धि

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय देश मूल्य वृद्धि की एक अत्यन्त कठिन समस्या का सामना कर रहा है। इसे मुद्रास्फिति भी कहते हैं। परन्तु महोदय मैं नानी पालकीवाला के विचारों से सहमत हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं, अपने एक प्रिय साथी जिसे मैं पिछले एक दशक से जान रहा हूं के सामने एक प्रश्न रखूं। मुझे उन्हें चुनौती देने का मौका मिला है जो मैं समझता हूं, प्रो० मधु दंडवते के लिए भी एक बड़ा अवसर है। परन्तु सबसे पहले मूल्यों की इस विकट समस्या पर बात करें। जिनके कम होने की कोई आशा नहीं है यद्यपि कि वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने हमें मूल्यों में कमी लाने का आश्वासन दिया है। मैं प्रो० मधु दण्डवते की सराहना करता हूं और मैं नानी पालकीवाला की बात से सहमत हूं। मुझे 1990-91 का केन्द्रीय बजट नामक पुस्तिका पढ़ने का मौका मिला है और उस पुस्तिका से मैं उद्धृत करता हूं।

> "अपने सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन में प्रो० मधु दण्डवते राष्ट्रीय हित के लिए पूर्णतया समर्पित रहे हैं। वे जन सम्पर्क से उतना जुड़े नहीं रहे जितना लोक सिद्धान्तों से उनका परस्पर सम्बन्ध निष्ठा और ईमानदारी संदेह से परे है।
>
> उन्होंने अपने बजट भाषण में राष्ट्र के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वे श्रेष्ठ हैं।"

मैं उनके विचारों से सहमत हूं।

नानी पालकीवाला ने एक और टिप्पणी की है, मैं उसका बाद में जिक्र करूंगा परन्तु, महोदय, मैंने यह क्यों कहा—वे एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं, इस देश के लिए उनसे बेहतर वित्त मंत्री

नहीं हो सकता है, और हम मधु जी के हाथों में सुरक्षित हैं। और मैं कहता हूं कि यह उनके लिए एक चुनौती है, परन्तु यह उनके लिए एक अवसर भी है और मैं अपना भाषण समाप्त करते समय इस बात को संक्षेप में स्पष्ट करूंगा।

महोदय, ये मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं, यह स्थिति पिछले दो दशकों से है। मूल्य वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। भगवान न करे यह तूफान अभी आना है। यह प्रक्रिया पिछले 2 दशकों से लगातार चली आ रही है, मैं इस बात से सहमत हूं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। प्रायः मूल्य वृद्धि को अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दबाव कह दिया जाता है और उदाहरण के तौर पर धन की सप्लाई, मुद्रा की गति और घाटे की वित्त व्यवस्था तथा सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण लेने के बारे में विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं और इस बीच पिछली सरकार तथा यह सरकार जिसने पिछली सरकार का अनुसरण किया है, ने कर लगाकर प्रायः अप्रत्यक्ष कर लगाकर मूल्य वृद्धि में एक और आयाम जोड़ दिया है और उन करों ने आग में घी का काम किया है और अब यदि हम यह कहें कि 'कारण क्या है?" और मैं अपने संक्षिप्त भाषण में प्रायः उन कारणों का जिक्र करूंगा—वे यह कहेंगे कि धन की सप्लाई बहुतायत में है और मूल्य वृद्धि हो गई है, वे यह कहेंगे कि वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है; हां, अप्रत्यक्ष कर। मांग और सप्लाई की साधारण ताकतें भी मौजूद हैं। अब मुद्रा स्फीति हो रही है, मूल्यों में वृद्धि हो रही है, शायद मैं राष्ट्र की पीड़ा को व्यक्त न कर पाऊं; समाज के सभी वर्ग इन मूल्यों के कारण चिन्तित हैं। यहां इस सभा में सभी राजनैतिक दलों, जो यहां मौजूद थे ने इस वर्ष इन करों के लगाए जाने के खिलाफ विरोध प्रकट किया था—भारतीय जनता पार्टी, दोनों कम्यूनिस्ट दलों तथा कांग्रेस दल ने। जब पैट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई थी तो हमने शोर मचाया था और मधु जी ने इस बात को नोट किया था। परन्तु संक्षेप में मैं यह बताना चाहूंगा, मुझे यह प्रयास करने दीजिए, एक आम आदमी की तरह मुद्रा-स्फीति को मापने दीजिए। मेरे विचार में यह सम्भव नहीं होगा और मैं आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में विश्वास नहीं करता। परन्तु स्थिति यह है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें आंकड़ों से नहीं बचा जा सकता क्योंकि हमें इसे निश्चित आंकड़ों तक नीचे लाना है और यह कहना है "मुद्रा स्फीति की दर यह है, इतनी मूल्य वृद्धि हुई है।" और वे एक योग्य वित्त मंत्री होने के नाते मेरे प्रश्नों का उत्तर देते समय मेरी बात का समर्थन कर देंगे।

अब हमें यह देखना चाहिए कि इस देश में मुद्रा-स्फीति की दर क्या है? थोक मूल्यों के अनुसार वर्ष 1988-89 में मुद्रा-स्फीति की दर 5.7% थी जबकि सूखा ग्रस्त वर्ष में यह 10.7% थी और सूखा वर्ष एक बहुत ही खराब वर्ष हो सकता था, यह आधार वर्ष नहीं बन सकता है, यह हमारे लिए एक तुलनात्मक वर्ष नहीं हो सकता है। और मैंने सबसे कम आंकड़े चुने हैं क्योंकि मैं इन आंकड़ों से इस सभा को ऊबा नहीं सकता। वर्ष 1989-90 के दौरान, हम इसी वर्ष का जिक्र कर रहे हैं, 17 फरवरी, 1990 तक थोक मूल्यों के अनुसार मुद्रा-स्फीति की दर 7.7% आंकी गई है और इसकी तुलना पिछले वर्ष से कीजिए, जो कि 5.3 प्रतिशत थी। अब 7.7% की दर 17 फरवरी तक थी। इसका अर्थ है जहां तक थोक मूल्यों का सम्बन्ध है अथवा जहां तक मुद्रा-स्फीति की दर का सम्बन्ध है, हम सूखा वर्ष के आंकड़ों के आस-पास पहुंच रहे हैं और यह एक भयानक स्थिति है।

[प्रो० संफुद्दीन सोज]

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो स्थितियों की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं खर्च के बहुत ही महत्वपूर्ण मदों की तुलना करूंगा। जब मैंने सूचना दी थी तब मैंने खाद्य वस्तुओं अथवा आवश्यक वस्तुओं के बारे में नहीं कहा था। कई वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं हैं। इसलिए मैंने केवल 11 वस्तुओं का चयन किया है। यदि आप वर्ष 1981-82 को आधार वर्ष मानकर और इसे 100 के बराबर समझकर जनवरी, 1984 की तुलना जनवरी, 1990 से करें तो आप पाएंगे कि चावल में 158.1 से 164.0; मछली 159.8 से 163.0; मांस 192.7 से 206.4; चाय 201.3 से 299.2, आटा 164.1 से 174.7; चीनी 126.5 से 141.0, नमक 131.8 से 156.2; वनस्पति 182.6 से 190 8 सूती कपड़ा 134.5 से 153.1; सूती कपड़ा विद्युतकरघा 139.5 से 166.1 तथा सूती कपड़ा हाथकरघा 156.6 से 164.0 तक की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि इस जनवरी की पहले वाली जनवरी से तुलना नहीं की जा सकती थी। मेरा विचार यह है कि जब मूल्य सूचकांक एक बार ऊपर जाता है तो यह कभी नीचे नहीं आता है। यही मधु जी का अनुभव है और मेरा भी। मैं कभी भी यह नहीं जानता था कि बैलट से यह पता चलेगा कि मुझे चर्चा प्रारम्भ करनी है। परन्तु एक आम आदमी के रूप में मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा था। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री कैसे यह कहते हैं कि मूल्य कम होंगे? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मूल्यों में गिरावट आ रही है। मैंने इन सभी आंकड़ों तथा सूचकांकों को छोड़ दिया है। मैं अर्थशास्त्र का साधारण विद्यार्थी रहा हूं और मैंने स्वयं एक परिवारिक बजट बनाने का प्रयास किया था। प्रति व्यक्ति आय गलतफहमी में डाल रही है और अर्थव्यवस्था की हालत को मापने के लिए यह बेरामीटर (मापक) नहीं है। मैं श्री मधु जी का ध्यान तीसरे विश्व के प्रमाण पुरुष एक अर्थशास्त्री श्री महबूब-उल-हक की ओर दिलाऊंगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी और यह सिद्ध किया था कि प्रति व्यक्ति आय अथवा वृद्धि की दर पूर्णतया गलतफहमी में डालती है क्योंकि जब हम प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख करते हैं तो हम उन करोड़ों व्यक्तियों को भूल जाते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जीविका से भी बहुत कम है। मैं आशा करता हूं कि वे प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करेंगे क्योंकि वे हमें वह सही आंकड़े देंगे कि लोग गरीबी की रेखा से नीचे कैसे रह रहे हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रति व्यक्ति आय सूचकांक नहीं है।

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैंने गरीबी की रेखा से ऊपर के पांच सदस्यों वाले जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, एक परिवार के लिए एक पारिवारिक बजट बनाने का प्रयास किया था। उस परिवार को प्रति मास 1000 रुपये मिलते हैं। मैंने यह मापने का प्रयास किया था कि उनके लिए कितने किलोग्राम चावल लिए जा सकते हैं और वह भी विश्व में सबसे घटिया तथा सबसे सस्ते चावल। मैंने चावल अथवा गेहूं के लिये 270 रुपये रखे जिसका अर्थ है एक महीने के लिए लगभग 65 किलोग्राम, वनस्पति के लिए 80 रु०; मिट्टी के तेल के लिए 80 रुपये क्योंकि वे खाना पकाने की गैस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं; सब्जियों के लिए 200 रुपये, यद्यपि एक किलोग्राम टमाटर का मूल्य 10 रुपए है; दालों के लिए 150 रुपए, मसालों, नमक आदि के लिए 50 रुपए, और

मकान के किराये के लिये 200 रुपये यद्यपि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में या किसी अन्य बड़े शहर में 200 रुपये में एक कमरा भी नहीं ले सकता है। यह एक घाटे का बजट है क्योंकि इसका कुल योग 1045 रुपये है; उस पारिवारिक बजट से पता चलता है कि इस परिवार के पास किसी और वस्तु के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सुख-साधनों, सुखकर वस्तुओं, मनोरंजन का कोई प्रश्न ही नहीं है, इस परिवार के पास शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस परिवार के पास आपतकाल के लिए कुछ नहीं है। मैंने पहले कहा है कि पिछले दो दशकों में मुद्रा-स्फीति रही है। परन्तु हाल ही में कुछ ऐसी बात हो गई है जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्कता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों, चाय, चीनी, गुड़, खाद्य तेलों तथा वस्त्रों की पूर्ति और मांग में असंतुलन है। मैं यह महसूस करता हूं कि फिर भी वे इन चीजों की वित्त मंत्रालय में निगरानी कर रहे हैं और उनकी मंत्रिमंडलीय समिति भी है, मैं नहीं समझता कि उस मांग और पूर्ति का उपयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया है अथवा पूर्ति को नियंत्रित किया गया है अथवा मांग को सही ढंग से दर्शाया गया है तथा उसका विश्लेषण किया गया है।

फिर दूसरी बात धन की पूर्ति की आती है। इसमें लगातार वृद्धि हुई है। मैं मधु जी के बजट पर आता हूं। उनके बजट ने इस वर्ष मूल्यों पर प्रभाव डाला था। बजट में लगाए गए करों के प्रभाव से 1981-82 को आधार वर्ष मानकर सभी वस्तुओं के सरकारी थोक मूल्य सूचकांक में 170.3 तक की वृद्धि हो गई है जो बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसा 24 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान हुआ था जैसा कि आप जानते हैं बजट 19 मार्च को प्रस्तुत किए गया था और एक सप्ताह के भीतर ही सूचकांक 170 तक पहुंच गया था। अब यदि हम इस मुद्रा-स्फीति को प्वाइंट से प्वाइंट के आधार पर मापें तो पिछले वर्ष इसी सप्ताह के दौरान सूचकांक में यह वृद्धि 8.5 प्रतिशत हुई थी। मैं नहीं जानता कि क्या वे इन आंकड़ों को स्वीकार करेंगे। श्री मधु दण्डवते जी ने अपने बजट में क्या किया है? उनके लगाने के समय हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में 17 प्रतिशत तथा पैट्रोल के मूल्यों में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई। हमने उस समय अपनी आशंका प्रकट की थी कि डीजल और पैट्रोल पर कर लगाने से देश भर में न केवल पैट्रोल और डीजल से सम्बन्धित चीजों के बल्कि बहुत-सी अन्य चीजों के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी। इसीलिए, डीजल के दामों में 17 प्रतिशत तथा पैट्रोल के दामों में 16 प्रतिशत वृद्धि से ईंधन, विद्युत प्रकाश तथा लूब्रीकैन्ट समूह के सूचकांक में एक हफ्ते में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। उन्हें नवीनतम आंकड़ों की जानकारी होगी।

यह अनुमान लगाया गया है कि बजट के बाद मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। श्री निर्मा कृपया यह नोट करें कि 10% वृद्धि के ये आंकड़े देश भर में स्वीकार किए गए हैं। श्री एन० पालकीवाला जैसे अर्थशास्त्रियों और सक्षम लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि बजट के बाद मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि लूब्रीकैंट क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। करों में वृद्धि के कारण यह प्रभाव पड़ा है। जब आपने पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं, उस समय हमने जो आशंका प्रकट की थी, तो इससे मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। मैंने इस सभा में श्री मधु दण्डवते जी की प्रशंसा की थी, अब मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जहां तक गरीबी के सूचकांक का सम्बन्ध है, श्री नानी पालकीवाला उनसे सहमत नहीं हैं तथा उन्होंने उनकी प्रशंसा

नहीं की है और इस सम्बन्ध में वे वित्त मंत्री से असहमत हैं और कहते हैं कि इस वर्ष के बजट के कारण मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है तथा मैं इसको उद्धृत करता हूं :

"इस बजट का हितकर प्रभाव होने की आशा नहीं है।"

अब श्री पालकीवाला ऐसा कहते हैं और मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूं, यह एक छोटी सी पुस्तिका है किन्तु इसमें बहुत अच्छा लिखा है तथा मैं इसको स्वीकार करता हूं।

अब मैं एक अन्य पैरे का उल्लेख करता हूं जहां वे वित्त मंत्री से सहमत नहीं हैं।

"इस बजट का गरीबी के सूचकांक पर कोई हितकर प्रभाव होने की आशा नहीं है।"

यह लोगों के लिए कष्ट की बात है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो गई है।

"अर्थात् इसका अर्थ मुद्रा-स्फीति, गरीबी तथा बेरोजगारी दर्शाने वाले सूचकांक से है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बढ़े हुए करों के वृद्धिकारी प्रभाव से पिछले 12 महीनों की तुलना में अगले 12 महीनों में अधिक मुद्रा-स्फीति होगी।"

श्री मधु दण्डवते जी वे यह सीधा प्रश्न है क्योंकि हाल ही में उन्होंने तथा प्रधानमंत्री महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया था कि मूल्यों में गिरावट आएगी। निस्सन्देह उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि मूल्यों में गिरावट आएगी। किन्तु एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि मूल्यों में गिरावट नहीं होगी। कम से कम इन 12 महीनों की तुलना पिछले 12 महीनों से नहीं की जा सकती है। अतः, मूल्यों में यदि अधिक नहीं तो थोड़ी वृद्धि अवश्य होगी तथा उनमें पहले ही वृद्धि हो गई है तथा इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वे मूल्यों में किस तरह से कमी करेंगे। बाजार भाव से इसकी जानकारी मिलती है।

"बाजार-मूल्यों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि खाद्य तेलों,"

मैं वस्तुओं के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी कुछ वस्तुओं के नाम लिए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने सीमेंट, चीनी तथा चाय के बारे में कहा था।

"जहां तक बाजार प्रक्रिया का सम्बन्ध है बाजार-मूल्यों से यह पता चलता है कि बजट के बाद के पखवाड़े में खाद्य तेलों, वनस्पति घी, चीनी तथा दालों के दामों में वृद्धि हुई है। मूल्यों में एक बार वृद्धि होने के बाद इनमें कमी नहीं हुई है। यह मूल्य-वृद्धि अवांछनीय तथा अभूतपूर्व है।"

श्री मिर्धा भी यह समझते हैं कि यह बात उनके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

"पिछले तीन महीनों के दौरान वनस्पति घी के मूल्यों में 7 रु० प्रति टन की वृद्धि हुई है तथा सरसों के तेल के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है।"

वास्तव में यह भारी वृद्धि है क्योंकि आप पहले की किसी स्थिति से इसकी तुलना नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : अखबार तो रोज पढ़ते हैं। तीन-चार दिन का अखबार आप देखिए, चीनी भी नीचे आ गई है, तेल भी नीचे आ गया है। पालकीवाला साहब तो अपना एक आइटमूक रखते हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप पुरानी बात न कहें, पांच-सात दिन के आंकड़े देखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह तो आप बताएं, मैं तो आपको लेटेस्ट बता रहा हूं। आज के टाइम्स आफ इंडिया का ऐडीटोरियल पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट बता रहा हूं। शायद शुगर में कमी आई हो।

[अनुवाद]

आप दालों तथा वनस्पति घी के बारे में क्या कहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : वनस्पति में तीन रुपए कम हुआ है। एक टीन जो 30-32 रुपये था, वह तीन रुपये गिर गया है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री मिर्धा ने हमें यह नई जानकारी दी है। यदि यह सच है तो वित्त मंत्री महोदय उनकी जानकारी का उल्लेख करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं तथा इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : यह बड़ी अच्छी बात है कि मंत्री महोदय भी साथ-साथ बताते जा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह कुछ नई बात है। यह गलत बयान है।

सभापति महोदय : क्या आप उन्हें उकसा रहे हैं ? गलत बयान देना सांसदों का जन्म सिद्ध अधिकार है। कृपया चिन्तित न हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं किसी विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं अपने पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़े दे रहा हूं। मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। मूल्यों में वृद्धि हो गई है। मेरा अनुभव यह है कि मूल्यों में कमी नहीं होगी। उनकी दलील यह है कि मूल्यों में कमी होगी। मेरा कहना यह है कि आपको वही आशा बंधानी चाहिए जिसे आप पूरी कर सकें। अन्यथा यह अत्यन्त विकट स्थिति होगी।

श्री मिर्धा यह भी जानते हैं कि इसके बारे में सट्टेबाजी होती है। उन्हें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब इस सट्टेबाजी में वृद्धि हो गई है। यह मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण हो सकता है। अब तिलहन, सोयाबीन का तेल तथा चीनी के मूल्यों में वृद्धि सट्टेबाजी के कारण हुई है। सट्टेबाजी करने वाले लोगों के लिए क्या सजा है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सट्टेबाजी जमाखोरी पर निर्भर है तथा मुनाफाखोर जमाखोरी करते हैं। सट्टेबाजी करने वाले लोगों को सजा देने के लिए सरकार की क्या योजना है ? इस सरकार ने देश की कीमत पर तथा निर्धनतम लोगों की कीमत पर मुनाफा कमाने वाले मुनाफाखोरों को सजा देने के लिए क्या योजना बनाई है ? हमें सरकार के पास कोई श्वेत-पत्र अथवा मसौदा नजर नहीं आ रहा है। यदि उनके पास कोई श्वेत पत्र है तो हम पूरी तरह आश्वस्त हो जायेंगे कि इन जमाखोरों, मुनाफाखोरों तथा काला बाजारियों को सजा दी जाएगी।

उद्योग का बहुत महत्व है। उद्योगपति उद्योगों के विशेषज्ञ हैं। उद्योग क्षेत्र में यह

[प्रो० संफुद्दीन सोज]

महसूस किया जा रहा है कि मूल्यों में कमी नहीं होगी । प्रो० मधु दण्डवते भी यहां हैं । मैंने उनकी अनुपस्थिति में श्री नानी पालकीवाला का एक पैरा पढ़ा था जिसमें वे मंत्री महोदय से सहमत नहीं हैं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने 10% वृद्धि की बात मानी है···

सभापति महोदय : प्रो० सोज, आप पहले ही कुछ समय ले चुके हैं ।

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं उस पैरे को फिर से नहीं पढ़ूंगा । मैं समय का ध्यान रखूंगा । मैं अपनी बात पर आता हूं । उद्योग क्षेत्र में यह महसूस किया जा रहा है कि मूल्यों में कमी नहीं होगी क्योंकि उपभोग में वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि उत्पादन के बराबर होगी ।

सभापति महोदय : क्या आप भी उनसे सहमत हैं ?

प्रो० संफुद्दीन सोज : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है । श्री मिर्धा यह कहते हैं कि कीमतें कम हो गई हैं, भले ही यह अस्थाई स्थिति हो । परन्तु कुछ समय बाद उसी प्रकार की व्यवस्था चलेगी अर्थात् बाजार की स्थिति, आपूर्ति और मांग के बीच की स्थिति । अन्य कारण हैं धन का वितरण घाटे की अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक ऋण आदि । अन्य अनेक बातें भी हैं । परन्तु बाजार की स्थिति महत्वपूर्ण है और बाजार के लोगों पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है, ऐसे लोगों पर कोई नियन्त्रण नहीं रख पाते हैं । अतः सट्टेबाजी, बाजार भाव तथा उद्योग क्षेत्र यह आशंका व्यक्त करके कि मूल्यों में कमी नहीं आएगी । कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें माननीय वित्त मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा ।

महोदय, यदि सट्टेबाजों, मुनाफाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए तो कीमतें कम की जा सकती हैं । इनके बारे में मैंने पहले ही उल्लेख किया है । इसके अलावा, यदि सरकार वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना संसद के समक्ष प्रस्तुत करे तो कीमतें कम की जा सकती हैं । मुझे वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है । समूची वितरण प्रणाली अव्यवस्था की स्थिति में है । कुल मिलाकर मैं मोटे तौर पर मूल्य स्थिति ब्यौरा आपके समक्ष रखी है। (व्यवधान)

कुल मिलाकर मैं कीमतों के प्रश्न पर स्वयं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की विरोधाभासों से चिन्तित हूं । मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं । इसमें कोई राजनीति नहीं है । मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में अपनी बात कर रहा हूं । मैंने प्रधानमंत्री को इसके बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए सुना । मैं उनकी चिन्ता पर बाद में बात करूंगा । वे और माननीय वित्त मंत्री भी मूल्य वृद्धि के बारे में समान रूप से चिन्तित हैं ।

सभापति महोदय : श्री सोज, यदि अपनी बातें संक्षेप में और शीघ्रता से नहीं कहेंगे तो आपको अपनी बात पूरी करने का समय नहीं मिलेगा ।

प्रो० संफुद्दीन सोज : प्रश्न यह है कि माननीय उप प्रधान मंत्री महोदय ने गेहूं, चना, बाजरा तथा सूरजमुखी के मूल्यों में यथेष्ट वृद्धि कर दी है । दूसरी ओर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री कर रहे हैं, लोगों को यह आश्वासन दे रही हैं कि वह कीमत कम करेगी । कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने गेहूं का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 183 रु० प्रति क्विंटल के स्थान पर 200 रु० प्रति क्विंटल

निर्धारित किया है । उन सिफारिशों की उपेक्षा की गई है। पिछले वर्ष समर्थन मूल्य 183 रु० था । इस वर्ष कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने समर्थन 200 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । उन सिफारिशों को अनदेखा कर दिया गया है और अब श्री देवी लाल ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर 215 रु० प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है । उन्होंने कहा है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए ऐसा किया गया है । मैं चाहता हूं कि संतुलन बना रहे । किसानों के प्रति चिन्ता के लिए हम श्री देवी लाल जी की प्रशंसा करते हैं (व्यवधान) इस सरकार को किसानों और उस जनता के बीच, जिसके पास न कोई भूमि है और न कोई रोजगार, संतुलन भी रखना चाहिए । उसमें से अधिकांश लोग बेरोजगार है और गरीबी की रेखा से नीचे हैं । वह भरण पोषण की स्थिति से नीचे हैं । अथवा गरीबी की रेखा के आस पास हैं । किसी को उनके बारे में सोचना चाहिए । गेहूं सिर्फ धनी वर्ग के लिए ही नहीं है । हम सभी गेहू के मूल्य में वृद्धि पर चिन्तित हैं । यह देश की नियति है । आपने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की स्थापना किसलिए की है ?

इस आयोग की सिफारिशों को नजरन्दाज क्यों किया गया है ? भावावेश में आप ऐसा सकते हैं और कभी-कभी देवी लाल जी भावावेश में ऐसा कार्य कर सकते हैं । आप ऐसा किसानों की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर सकते हैं । परन्तु आप उन करोड़ों लोगों को नहीं भूल सकते जो किसान नहीं है । फिर भी वे सर्वाधिक गरीब है । इससे वे लोग भी प्रभावित होते हैं । जब आप किसानों को लाभकारी मूल्य दे तो आपको अन्य लोगों का भी ध्यान रखना होगा ।

सभापति महोदय : आप पहले ही आधा घण्टे का समय ले चुके हैं । मुझे पता है कि आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । परन्तु नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा का प्रारंभिक समय 2 घंटा है । मान लीजिए आप इसे एक घंटा और बढ़ा दें तो आप सोचिए कि क्या अधिक समझते हैं कि और अधिक समय लेना उचित होगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि ने जनता की कमर तोड़ दी है तथा ये जनता दल है । ऐसी चर्चा के लिए छः घण्टे का समय होना चाहिए ।

सभापति महोदय : परन्तु कृपया आप यह सोचें कि जब यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर अन्य अनेक वक्ता बोलना चाहेंगे । कृपया अध्यक्षपीठ की बात मानें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं निश्चित ही पांच-दस मिनट अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा । अब कृपया मुझे आगे बोलने की अनुमति दीजिए ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने का समय दे दीजिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पिछले सप्ताह वित्त मंत्री ने कहा था कि चीनी, चाय तथा खाद्य तेलों की कीमतें कम हो जाएंगी । जब वह उत्तर दें तो वे इसके सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के बारे में बताएं । जब तक हम उनकी व्यवस्था को नहीं जानेंगे हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते यह कोई ऐसी आसान स्थिति नहीं है कि हम अपनी आंख बन्द कर उन पर विश्वास कर लें । वे यह नहीं कह सकते हैं कि मंत्रिमण्डल ने इसका निर्णय किया है तथा ऐसी अन्य बातें मुझे पता है कि एक मंत्रिमण्डल समिति है । मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री उस समिति के सभापति हैं ।

आप खाद्य तेलों तथा चीनी पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। जब आप यह कहते हैं कि इन तीनों वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो हम यह जानना चाहते हैं कि इन वस्तुओं की कीमतों में किस प्रकार कमी लाएंगे।

मैं संक्षेप में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। इस बार रिजर्व बैंक के बहुत अच्छे गवर्नर श्री मल्होत्रा हैं। वे अत्यन्त सक्षम व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में वित्तीय नीति का मूल लक्ष्य यह होगा कि समग्र वित्तीय विस्तार में तेजी से कमी करना जोकि 1988-89 में अत्याधिक हो गई थी। 19.4% के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि जिस कारण से मुद्रा स्फीति पैदा होती है वह है सार्वजनिक रूप से मुद्रा की आपूर्ति में अनानुपातिक तथा लगातार वृद्धि। इसको 'एम०-3' कहा जाता है। इसलिए वे मुद्रा की सप्लाई में कमी करना चाहते हैं। परन्तु मैं एक प्रश्न उठाता हूं। क्या उनकी बात पर पर विश्वास किया जा सकता है। वे एक सक्षम व्यक्ति हैं। मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त निकाय नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्र नहीं है। यह केवल वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध निकाय है। भारतीय रिजर्व बैंक को मधु जी के इशारों पर कार्य करना होगा। मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं ही मुद्रास्फीति को कम कर सकता है।

4.00 म० प०

ईश्वर की इच्छा रही तो हम लोग साथ काम करेंगे तब मैं छह महीने बाद वित्त मंत्री को याद दिलाऊंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़ी-बड़ी बातें की थी। उन्होंने अपने कार्यकारियों के समक्ष बड़ी-बड़ी बातें इसलिए की थी क्योंकि वह स्वतन्त्र नहीं हैं वह इस पर नियन्त्रण नहीं कर सकते। परन्तु वह इस पर नियन्त्रण कर सकते हैं, उनके पास ऋण को नियन्त्रित करने के अनेक तरीके है।

सभापति महोदय : मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। आप सहमत हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : परन्तु आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं कीमतें कम करने के बारे में प्रधानमंत्री की चिन्ता की बात कर रहा हूं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा था कि सीमेंट, चाय, कपड़ा, नमक तथा चीनी के मूल्यों में एक महीने में कमी आ जाएगी। यदि प्रधानमंत्री का ऐसा संकल्प है, कि मूल्यों में जो कमी एक महीने में आएगी तो वह कमी आज भी आ सकती है। वह राष्ट्रीय मोर्चा संसदीय दल के समक्ष भाषण कर रहे थे। उसमे इस बात पर आम चिन्ता थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कीमतें कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस बारे में कैसे राष्ट्र को आश्वस्त करेंगे—इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था—कि इन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी।

वित्त मंत्रालय से मेरा सम्बन्ध नहीं है; मेरा भारतीय रिजर्व बैंक से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वे कहते है कि वे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर लेंगे···

सभापति महोदय : परन्तु, आप सभा के समय की भी चिंता करें।

प्रो० संफुरुद्दीन सोज : परन्तु मैं मधु जी के बारे में चिन्तित हूं क्योंकि वह जन प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाएंगे। यदि वह स्वयं यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वह इसमें सुधार करेंगे तो अच्छी बात है।

दूसरी बात यह है कि क्या कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों तथा सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आपके पास कोई कार्ययोजना है? क्या वे स्थिति को नियन्त्रित करने का वचन देंगे। समस्या यह है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वैसे इस जनता दल की सरकार ने पिछले चार महीनों में बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लिए हैं। पूर्णिमा तेरह दिन की होती है, लेकिन चांद के ऊपर काला दाग फिर भी रहता है। यह ठीक है कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन महंगाई का उनके ऊपर काला दाग निश्चित ही है। इस सरकार को इस काले दाग को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

चुनाव के शुरू-शुरू में खाने का तेल 25 रुपए था, चुनाव के बाद एक महीने 22 रुपए हो गया और चीनी का भाव भी कम हो गया, लेकिन उसके बाद दाम ज्वाला से ज्वाला हो गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है। कीमतें इनकी कम होनी चाहिए। अभी जनजाति विभाग में गए तो लोगों से पूछा, तो कहने लगे कि बोफोर्स के बारे में मालूम नहीं है, आप जो कुछ भी करें लेकिन सस्ताई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अर्थ मंत्री समाजवादी हैं और बहुत सीधे आदमी हैं तथा उनका नाम बहुत मशहूर है। महंगाई इन पिछले दो-तीन महीने में निश्चित ही हो गई है। सब चीजों में वृद्धि हुई है और इसको रोकने के लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। सामान्य जो 80 प्रतिशत लोग हैं, वे लोग बोलते हैं कि महंगाई रोकेने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है और वृद्धि होती जा रही है। ऐसा लोग बोलते हैं। इधर की पार्टी के लोग और उधर की पार्टी के लोगों को भी ऐसा बोलना चाहिए। मैं तो सामान्य आदमी हूं और सामान्य आदमी जो बोलते हैं वह मैं बोलता हूं। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि ये जो सट्टाबाजारी हैं तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके बारे में सरकार को कोई उपाय करना चाहिए। (व्यवधान)

राशन की दुकान से एक आदमी को दस किलो गल्ला देना चाहिए। ज्वार, गेहूं, चावल यह एक आदमी को दस किलो नहीं मिलता है। कभी भी किसी को राशन की दुकान से दो किलो से ज्यादा गल्ला नहीं मिलता। कभी तो ऐसा होता है कि इतना भी नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से मिश्रा साहब से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में वह सोचें।

आजकल चीनी के भाव में वृद्धि हो गई है। चाय अभी 72 रुपये किलो थी, अब उसके दाम 75 रुपये किलो हो गए हैं। सीमेंट की बोरी जो 75 रुपये में आती थी, उसके दाम 107 रुपये हो गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो ये इन चीजों के दाम बढ़ गए हैं इसके बारे में सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि सरकार ने महंगाई रोकने के बारे में ऐसा

[श्री हरिभाऊ शंकर महाले]

ऐसा तय किया है। मुझे आशा है कि वे इस महंगाई को जरूर रोकेंगे। यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री स्वयं देश में मूल्य वृद्धि के बारे में काफी चिन्तित होंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका एक कारण हमारे शासन का ढांचा है। मैं सीधे ही उस मुख्य बात पर आता हूं जिसका उल्लेख देश के विख्यात अर्थशास्त्री प्रो० ब्रह्मानन्द ने किया है। उन्होंने इस समस्या का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि हम मुद्रा स्फीति, जमाखोरी आदि के बारे में चाहे जितनी भी बात करें—अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में जैसे कि आप और हम हैं—निस्संदेह मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण सीमित मुद्रा के रूप में 14 से 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तथा असीमित मुद्रा के रूप में 16 से 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि है। यदि वस्तुओं के उत्पादन में सामान्य तौर पर औसतन 5 से 6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है और धन की सप्लाई में 14 से 15 प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो 8 से 10 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि होना निश्चित है चाहें जमाखोरी हो या न हो। अतएव मैंने कहा था, "यह स्थायी है, यह समाविष्ट है।" धन की सप्लाई बढ़ती जाएगी, यदि हम महंगाई भत्ते को नहीं रोक सकते क्योंकि हमें मांग करने पर मजदूरी विभिन्न करारों के अन्तर्गत बढ़ी हुई मजदूरी देने के लिए सहमत होना है क्योंकि खुदरा मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बाजार में यदि धन की सप्लाई बढ़ती है तो इस बीच आप घाटे पर जितना भी नियंत्रण करने का प्रयास करें उसे इसमें जोड़ लें और गैर योजना खर्च बढ़ता जाए, तो मुझे डर है माननीय वित्त मंत्री महोदय कुछ प्रभावी कदम उठाकर कुछ भी प्रयास करें, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था, जमाखोरी आदि को समाप्त करने का प्रयास करके, मैं नहीं समझता कि अन्ततः अथवा आने वाले वर्षों में इस मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1986-87 की अकाल की स्थिति के विपरीत आज हमारे पास इसके लिए कोई भी कारण नहीं हैं। देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, इस वर्ष भी यह कहा गया है कि तिलहनों समेत सभी प्रमुख अनाजों की रिकार्ड वसूली होगी और मुझे आशा है, किसी दिन इस सरकार के माननीय वित्त मंत्री इस भय से मुक्त होंगे कि "हमें विरासत में यही मिला है। आपने यही किया था। हमारे लिए यही छोड़ गया था।" उस दिन बम्बई में भाषण देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा बताया गया है, कि "हमारे शासन काल के दौरान मुद्रा स्फीति की दर 8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।" यह सही नहीं है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनोमिक सर्वे) के अनुसार वे कहते हैं कि जब उन्होंने सत्ता संभाली मुद्रा स्फीति को 5.3 प्रतिशत पर रोक दिया गया था जबकि खुदरा मूल्य पहले ही 7.7 प्रतिशत पर आ चुका था। दि टाइम्स आफ इंडिया और दि इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचारों तथा दिखाए गए ग्राफ के अनुसार यह 8.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह पहले ही 10 प्रतिशत होने जा रही है—जो कि दो अंकों के आंकड़े हैं और वह भी इन अनुकूल परिस्थितियों में जबकि फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि इसके कारण क्या हैं। इनमें से एक कारण, चाहे हम इसे पसन्द करें अथवा नहीं, पहला निशाना माननीय वित्त मंत्री द्वारा डीजल

पैट्रोल के मूल्य बढ़ाकर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि करने का है। रेल मंत्री ने भी शुल्क में वृद्धि की थी। उससे आगे कहते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा था, 'वह प्रत्यक्ष कर नहीं लगा रहे हैं, परन्तु डीजल तथा पैट्रोल जैसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगा रहे हैं।" कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है और मैं इसका उल्लेख करता हूं :—

"अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के अनुसार, डीजल और पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि एक शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम थी "

वनस्पति घी ऐसी पहली मद थी जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। चीनी, जो कि फरवरी में 9 रु० प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही थी अब 9.50 पर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट 25 अप्रैल की थी। इस प्रकार सरसों के तेल, चाय, सीमेंट तथा दालों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

आपको यह कहने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार प्रत्येक वस्तु को ढो कर लाया ले जाया जाता है। यहां तक कि इस देश के आखिर वाले गांव को ये आवश्यक वस्तुएं केवल परिवहन के द्वारा पहुंचती है। पहले इन्हें रेलवे द्वारा, तत्पश्चात् ट्रकों द्वारा और उसके बाद बैलगाड़ी द्वारा ढोया जाता है। ट्रक और रेलें हर जगह हैं। आखिरकार परिवहन लागत में निश्चित वृद्धि होती है। यदि परिवहन लागत में वृद्धि होती है तो, वस्तुतः, वे उसे अपनी जेबों से नहीं देंगे बल्कि वृद्धि उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी। यह कहना कि ऐसे बुनियादी जरूरत के माल अथवा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तुतः यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति मूल आर्थिक कारणों के बारे में अपनी अनभिज्ञता के साथ विश्वासघात करता है। यही प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछा गया था। वे पहले वित्त मंत्री भी थे। इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह वित्त के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रधान मंत्री से स्पष्ट रूप से यह पूछा गया था, "क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि पैट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई थी ?" श्री वी० पी० सिंह ने यह उत्तर दिया था, "यह गलत है। व्यापारी केवल भ्रम फैला रहे थे।" मैं वास्तव में यह जानना चाहूंगा कि इसमें भ्रम क्या है। यदि मंत्री महोदय भी प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हों कि व्यापारी भ्रम फैला रहे है तो वह उन धोखे बाजों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते है कि धोखेबाजी तथा इस धोखेबाजी से पैदा हुई मूल्य वृद्धि समाप्त की जाती है। उपभोक्ताओं को फायदा होने दीजिए। यदि ऐसा होता है तो यह काफी सामान्य हो जाएगा। परन्तु आप एक तरफ तो इसे भ्रम नहीं कह सकते हैं और इसके साथ ही यह कहते हैं कि जैसा कि प्रारम्भिक जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति यह कहे कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा। प्रो० सोम पहले ही इतने सारे आंकड़े दे चुके हैं कि मूल्य वृद्धि कैसे हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका आखिरी विश्लेषण यही है कि आपको मजदूरी के बदले दी जाने वाली वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करनी है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है ? काम करने वाला वर्ग अथवा समाज के उस वर्ग जो थोक मूल्य अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता पाता है, की कुछ हद तक रक्षा होती है यद्यपि उन्हें तुरन्त पूरा लाभ नहीं मिलता है। परन्तु उन्हें सुरक्षा मिल जाती है, परन्तु इस देश को उस 80 प्रतिशत मजदूर वर्ग के बारे में क्या कहेंगे जिनकी सूची तैयार नहीं की जाती है और जिन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिलता है और

[श्री बसन्त साठे]

जिनकी आमदनी एक निश्चित होती है ? सिर्फ इतना ही नहीं । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के बारे में क्या कहेंगे ? 1000 रु० मासिक आय का व्यक्ति भी जिसके परिवार में पांच सदस्य हैं, दो वक्त का भोजन नहीं जुटा सकता है । यहां तक की जीवन की जरूरतों को भी नहीं पूरा कर सकता है । इस देश के 90 प्रतिशत से अधिक लोग इस रेखा से नीचे हैं । देश में कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 1000 रु० है । इसलिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से यह वर्ग तुरन्त प्रभावित होता है । इसलिए 70 रु० मूल्य में से 3 रु० कम होने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । प्रभावित व्यक्ति को इससे कोई सहारा नहीं मिलता है ।

चुनाव के समय जनता दल सरकार ने पूरे देश में यह वादा किया था कि वे मूल्यों को कम करेंगे । उनके योजना और घोषणा पत्र का यह मुख्य मुद्दा था । दुर्भाग्यवश जो भी तर्क वे दें सच्चाई यह है कि मूल्यों में काफी वृद्धि हो रही है । एक पर्यवेक्षक ने कहा है कि इस अवधि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । इसलिए हम लोग यह जानना चाहेंगे और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्य भी यह जानना चाहेंगे कि इस बारे में ठोस योजना क्या है ? क्या बचत अभियान की कोई योजना है ताकि आप पूरे राष्ट्र को विश्वास में ले सकें और कह सकें कि सरकारी कर्मचारियों पर खर्च, मंत्रालय या अन्य विभागों में गैर योजना परिव्यय घटाया जाएगा ताकि मुद्रा स्थिति का दबाव कम हो सके ? मैं समझता हूं कि सिर्फ इससे निचले तबके के आदमी को सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि विलासिता सम्बन्धी सामानों के दाम कम करने या मंत्रालय का खर्च कम करने से निचले तबके के उस आदमी को कोई तत्काल सहायता नहीं मिल पाएगी । लेकिन क्या स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस योजना है ? मैं सिर्फ उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति में सुधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को उचित दर पर उपलब्ध कराने के बारे में सोच सकता हूं । क्या यह सम्भव है ? क्या आप इन उपभोक्ता वस्तुओं को तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं ? क्या आप इन वस्तुओं चाहे वह चीनी हो या खाद्य पदार्थ, आपूर्ति कर सकते हैं ?

एक ओर तो हम चाहते हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलें परन्तु इन वस्तुओं के 80 प्रतिशत खरीददार वे लोग हैं जो स्वयं इनका उत्पादन नहीं करते । वे मजदूर कृषि श्रमिक अन्य श्रमिक ठेके पर काम करने वाले श्रमिक हैं और वे सिर्फ उपभोक्ता हैं । यहां आपको यह देखना है कि आप संतुलन कैसे बनाए रखते है और यह सुनिश्चित करना है कि देश के गरीब लोगों को कम-से-कम उपभोक्ता वस्तुएं तो मिले । मैं विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन जहां तक उपभोक्ता सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है तो उचित दर पर उनकी आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है । यह समय की मांग है ।

मैंने इस मुद्दे में कोई दलीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया है । यह वैसा मामला नहीं है जिस पर यूं ही चर्चा करने के लिए कहा कुछ जाए । हम इस बात से काफी चिन्तित हैं कि मूल्य पर नियंत्रण होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री कोई नीति और कार्यवाही योजना तैयार करेंगे जिससे यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

मैं टायरों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आपने इसके बारे में भी सुना होगा। एक बी० आई० सी० पी० का प्रतिवेदन आया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार कुछ उत्पादक कुछ टायरों पर 800 से 1000 रु० का लाभ कमाते हैं उस प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि उत्पादकों से उस मूल्य को कम कराने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि इतना मूल्य अवैध है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कुछ किया जा रहा है।

सभापति महोदय : परन्तु टायरों के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री वसंत साठे : दूसरी बात सरकार ने आयातित टायरों पर सीमा शुल्क में कुछ छूट दी है। हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च कर टायर आयात करते हैं ताकि आयातित टायर देश के टायरों से प्रतिस्पर्धा कर सके। परन्तु क्या हुआ है? पहले डालर का विनिमय दर 12 रु० था अब यह 17 रु० है। इसलिए आयातित टायर स्वदेशी टायरों के मुकाबले महंगे हो गए हैं। आप इस मामले में क्या करने जा रहे हैं? यदि आप टायरों का आयात जारी रखना चाहते हैं तो या तो सीमा शुल्क कम करें या कोई रास्ता ढूंढें ताकि आयातित टायर सस्ते हों। लेकिन जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है देशी टायरों के मूल्य काफी महत्व रखते हैं क्योंकि इससे परिवहन लागत बढ़ती है। मुझे आशा है आप इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

डा० किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, देश में जिस ढंग से मूल्य वृद्धि हो रही है उसके कारण आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है। सरकार ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको किसी न किसी तरह से कम किया जाएगा। एक केबिनेट कमेटी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में की बनी है और सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि आखिर में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। इस महंगाई के बढ़ जाने के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा है। महंगाई बढ़ने के कुछ कारण पहले से मौजूद हैं और अब भी मौजूद हैं तथा बढ़ रहे हैं। इनमें से भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है और वह रोम-रोम में समाया हुआ है। इसके कारण देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। इस गरीब देश में तो इसके कारण और भी हालत बदतर हो गई है। जनता ने गत खोटी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन शासन तंत्र ज्यों का त्यों बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी ढांचा और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के चरित्र को बदला जाए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए जिससे भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके तो जो मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिस ढंग से मांग बढ़ती है उस ढंग से अगर पूर्ति कर दी जाए, उनका प्रपोर्शन बना रहे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन इनमें एक डिस्पेरिटी पैदा हो गई। जनता की मांग ज्यादा बढ़ गई है उस मांग के हिसाब से पूर्ति न होने के कारण यह सारी महंगाई बढ़ी है। इसके साथ-साथ आबादी भी बड़ी द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। उसके कारण भी महंगाई की समस्या खड़ी हुई है। आबादी के बढ़ने के हिसाब से जनता की मांग बढ़ी और मांग के हिसाब से पूर्ति नहीं होने के कारण संसाधन और उत्पादन बढ़ाने की सरकार ने उचित व्यवस्था नहीं की उसके कारण आज महंगाई इतनी बढ़ गई है।

4.29 म० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

[डा० किरोड़ी लाल मीणा]

हिन्दुस्तान में जमाखोरी और मुनाफोखोरी की भी कमी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा और उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। जमाखोरों के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। कालेधन का असर हिन्दुस्तान में ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस की पालिसी में अनुमान के अनुसार देश में इस समय 48 हजार करोड़ रुपये का काला धन है। इससे देश में समानान्तर अर्थ व्यवस्था चल रही है। सरकार किसी भी तरीके से इस काले धन को बाहर निकाले और इस पैरेलल इकनॉमी को तहस-नहस करे।

माननीया सभापति महोदया, इन सब बातों के अलावा हमारी राशन प्रणाली भी डिफेक्टिव है। उसके कारण भाव बढ़े और मुद्रास्फीति में 18 से 19 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण यह महंगाई बढ़ी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्रास्फीति पर किसी प्रकार से भी नियंत्रण करना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है। सरकार को मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोई न कोई एक दीर्घकालीन परमामेंट प्लानिंग जनता के सामने लानी होगी। सरकार मंहगाई पर काबू पाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे या उन वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दे जो आज आम आदमी के उपयोग की और काम की चीज है। अगर इस ओर ध्यान दिया गया तो लोग टर्म में जाकर बहुत ही फायदेमंद होगी। अभी औद्योगिक दृष्टिकोण की बात चल रही थी। हमारे यहां अगर बड़ उद्योगों के अलावा सरकार मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे तो निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होगा। जापान ने प्लास्टिक और इलैक्ट्रानिक इण्डस्ट्रीज में ज्यादा प्रोग्रेस की है। वहां उन्होंने कुटीर उद्योग खोले और उनके द्वारा इतनी डेवलेमेंट की कि बड़े कारखानों की जगह छोटे कारखाने ही इलैक्ट्रानिक्स गुड्ज बनाते हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री चलती है। इन सब चीजों को बड़े उद्योगों में असेम्बल किया जाता है। यही कारण है कि जापान में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया जिसके कारण बेरोजगारी मिटी और बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस प्रकार से बड़े-बड़े उद्योगों की मनॉपली भी खत्म हुई लेकिन यहां पर अभी तक वह मनॉपली चल रही है। यहां पर जिस प्रकार से बड़े उद्योग चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर उद्योग बीमार भी पड़े हुए हैं जिसके कारण बेरोजगारी फैलती गयी है। इसलिए जापान में जो सिस्टम अपनाया गया कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर इलैक्ट्रानिक्स एवं प्लास्टिक की वस्तुओं को बड़े उद्योगों में असेम्बल किया जाता है, उससे यह फायदा हुआ कि एक ओर से उत्पादन बढ़ा और दूसरी ओर बाकी वस्तुएं अच्छी और सस्ती मिलती हैं। आज पूरे जापान में इस मामले में धाक है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जापान की इस पद्धति को फॉलो करके इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार की ढुल-मुल नीति भी इसके लिए काफी दोषी है। सरकार कई बार वस्तुओं का व्यापार कभी तो अपने हाथ में लेती है और कभी उसे व्यापारियों को पकड़ा देती है। कई बार विशेष वस्तुओं को कंट्रोल में ले लेती है और कभी हटा देती है। इस ढुल-मुल नीति के कारण यह प्राईस रेट बढ़ता है। इसलिए सरकार को एक स्पष्ट नीति और एक स्पष्ट दिशा अपनानी

होगी। जिससे कि इन मूल्यों को नियंत्रित किया जा सकें। पूरा देश आज इससे चिन्तित है। हमें वैसे तो वित्त मंत्री जी के अनेक भाषण सुनने को मिलते हैं, इन अखबारों में भी हमने पढ़े हैं, और कल भी हमारे प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कोई चीनी के भाव बढ़ायेगा, सीमेंट के भाव बढ़ायेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी आपके सहभागी हैं लेकिन मैं यहां अभी अपने पार्लियामेंट क्षेत्र से लौटकर आ रहा हूं, हमने चुनाव के समय लोगों से यह कहा था कि अगर आपने इस निकम्मी सरकार को पलट दिया तो हम सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कन्ट्रोल करेंगे, परन्तु आज जब हम अपने पार्लियामेंट के इलाके में जाते है तो वे लोग हमसे पूछते हैं कि सभी वस्तुओं के इतने जबर्दस्त भाव किस कारण से बढ़ गये, आखिर यह सरकार इन भावों को कब कंट्रोल करेगी। इसके लिए सरकार कौन सा करिश्मा करने जा रही है। जिस समय प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, एक महीने में सभी चीजों के भाव घटे थे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि देश में जिस तरह काला धन बढ़ता जा रहा है, पैरलल इकानॉमी चल रही है, जमाखोरी बढ़ती ही जा रही है, यह सरकार जमाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, जो भी अपराधी हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में तनिक भी नहीं हिचकना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी के प्राइसेज के सम्बन्ध में अनेक भाषण हुए, हमें अखबारों में पढ़ने को मिल, आज भी हमें उनका एक वक्तव्य देखने को मिला, और हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब भी इस मामले में बहुत सख्त हैं, आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, मेरा निवेदन है कि आप अपने ज्ञान को जनता के लिए प्रकाशित करें और बढ़ते हुए भावों पर अंकुश लगाये ताकि हम भी जनता के बीच जाकर, चुनावों में हमने जो मुख्य मुद्दा बनाया था, उसके सम्बन्ध में जनता के बीच जाकर कह सके कि सरकार ने बढ़ते हुए रेटस पर काबू पाया है, इस बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष कमिटमैंट चाहूंगा। वे सदन को बताएं कि इस बढ़ते हुए प्राइसेज को कन्ट्रोल करने के लिए कौन सी कार्यकारी योजना लाने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से लेगी। आज महंगाई के कारण अनेक क्षेत्र धधक रहे हैं, ज्वाला सी उनमें जल रही है और हम वहां की पब्लिक को किसी तरह से कन्विन्स नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी, बढ़ते हुए भावों पर काबू पाने के लिए हमारे सामने, सदन के समक्ष, कोई ऐसा प्रस्ताव रखेंगे, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होकर, फिर अपने क्षेत्र की जनता को भी संतुष्ट कर सकें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदया, भारतीय अर्थव्यवस्था में आज सबसे परेशानी की बात फिर से मुद्रास्फीति के दबाव का पैदा होना है। सम्पूर्ण भारत मुद्रास्फीति की बीमारी से पीड़ित है : निस्संदेह दो दशक पूर्व कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होनी शुरू हुई थी। लेकिन 1983-84 में इसमें अत्यधिक तेजी आ गई थी। पिछली सरकार की इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद है कि 1970-71 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक मार्च, 1989 में 316 में बढ़कर 443.3 हो गया और सितम्बर, 1989 में 473.3 हो गया। लगातार दो वर्ष तक खाद्य तथा नकदी दोनों फसलों का अच्छा उत्पादन होने के बावजूद ऐसा हुआ है।

अन्य बातों के साथ-साथ यह बात प्रतिकूल थी कि भारत की जनता ने विरोध में आवाज उठाई। सभी वामपंथी तथा लोकतांत्रिक दलों ने, जिसमें जनता दल भी शामिल है, लगातार लड़ाई लड़ी और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुई जो इस उपलब्धि के लिए जिम्मेदार थी।

जनता दल ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया कि वह बढ़ती हुई कीमतों को रोकने को प्राथमिकता देगा। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा किए गए उपायों से मूल्य वृद्धि को रोकने में सफलता नहीं मिली। प्रथम बजट सत्र में विपक्ष के नेता द्वारा किए गए इस बड़े दावे के बावजूद कि किसी भी प्रधान मंत्री ने इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं छोड़ी जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था उन्होंने श्री वी० पी० सिंह के लिए छोड़ी है" जबकि असलियत यह है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को खस्ता-हालत वाली अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है।

पिछली एक दिसम्बर को जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यभार सम्भाला तो कुल घाटा 13,790 करोड़ रु० था। विदेशी ऋण 84,000 करोड़ रु० था। मुद्रास्फीति की दर लगभग 8 प्रतिशत थी जबकि खाद्यान्न भण्डार कम होकर 1 करोड़ 10 लाख टन रह गया था।

अभी भी जो कठिन स्थिति हमें विरासत में मिली है उसकी कटु सच्चाई यह है कि 1981-82 को आधार वर्ष मानकर 24 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 170.3 था। पिछले सप्ताह, यह सूचकांक 169.5 था। फिर 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान यह दुबारा 171.6 तक पहुंच गया। पिछले सप्ताह यह 170.7 था प्वाइंट से प्वाइंट आधार पर अर्थात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि 8.5 प्रतिशत बैठती है। फलों, सब्जियों, खाद्य तेलों, चाय, चीनी तथा सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इनकी कीमतों में अधिकांश वृद्धि 19 मार्च के बाद हुई है।

आम बजट पर चर्चा के दौरान, हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि पैट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट तथा रेल किराए और भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर होगा। यहां तक मध्यम आय के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आ जाएगी। कीमतों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सभी आशंकाएं सही साबित हुई हैं।

महोदया, प्रश्न यह है कि क्या सरकार मुद्रास्फीति के बारे में गंभीर है? ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है। 18 अप्रैल को इसी सभा में खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में, सरकार की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि तेल की कीमतों में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा क्यों सोचा जाता है कि कीमतें तेजी से नहीं बढ़ रही हैं? क्या इसलिए कि ये कीमतें पिछले वर्ष या पिछले महीने या पिछले सप्ताह की अपेक्षा अधिक तेजी से नहीं बढ़ रही हैं? "अधिक तेजी से नहीं बढ़ रही है अतः अधिक वृद्धि नहीं हुई है" यह तो कोई तर्क नहीं है। कीमतें पहले की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ रही हैं इस बात का यह अर्थ तो नहीं कि ये तेजी से नहीं बढ़ रही हैं।

गम्भीरतापूर्वक यह सोचना सरकार का काम है कि कीमतों में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है। सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि वर्तमान स्थिति चाहे वह आर्थिक क्षेत्र की है

अथवा राजनीतिक क्षेत्र की, ऐसी सरकार की देन है जो अब तक बुर्जुआ तथा जमींदारों के हितों के लिए काम करती रही है। केवल एक जनोन्मुखी नीति ही अर्थव्यवस्था को बरबाद होने से बचा सकती है। बहुत से कारणों अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिति का दबाव, सीमित मुद्रा के रूप में और असीमित मुद्रा के रूप में धन की सप्लाई, सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में घाटे का वित्तपोषण आदि अनेक कारणों का यहां उल्लेख किया गया है। निर्धारित मूल्यों में बढ़ोतरी, जमाखोरी में वृद्धि, सट्टा, क्षमता का कम उपयोग, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, पूर्ति और मांग में असंतुलन, आयात-लागत में वृद्धि, बजट सम्बन्धी करों की उगाही आदि अन्य कारणों से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है।

परन्तु कई वर्षों से मूल्यों में लगातार वृद्धि मुद्रा प्रसार के कारण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"गत 4 वर्षों के दौरान सरकार की ओर निवल बैंक ऋण मार्च, 1985 के अंत के 48,900 करोड़ रु० से मार्च 1989 के अंत तक 96867 करोड़ रु०, लगभग दुगुना हो गया। सरकार की ओर निवल रिजर्व बैंक ऋण 29,774 करोड़ रु० से बढ़कर 60,018 करोड़ रु० हो गया जो लगभग दुगने से अधिक है। मुद्रा प्रसार में बहुत अधिक वृद्धि इस अवधि में वास्तविक आय में हुई 5% वृद्धि से थोड़ी अधिक है। लगातार मुद्रा प्रसार का प्रभाव सामान्य कीमतों पर पड़े बिना नहीं रह सकता।"

घाटे के वित्तपोषण को विकास कार्य के लिए वित्तपोषण करने का रामबाण मान लिया गया है। जैसे-जैसे साल गुजरते हैं घाटे की राशि भी बढ़ती जाती है, बाजार में और धन आ जाता है। पैसा बहुत अधिक होगा और वस्तुएं कम होंगी तो इसका परिणाम मुद्रास्फिति के अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा, जिनके पास काला धन है वे समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ का बेहिसाब धन भारतीय मुद्रा बाजार में है जिस से स्थिति और बिकट हो जाती है।

सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगाने का मार्ग चुना है। कुल करों से प्राप्त राजस्व का 86 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से मिलता है। 1951 में स्थिति इसके एकदम विपरीत थी। प्रत्यक्षों करों म कमी पश्चिमी देशों तथा जापान में अनुकरण की जा रही प्रथा से बिल्कुल विपरीत है। इस नीतिसे आम व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों की प्रचुरता के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है।

एक ओर तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फिति से प्रभावित है दूसरी ओर इसमें ठहराव आ गया है। इसका परिणाम यह है कि उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करना असम्भव हो गया है। अतः पूरी लागत को, जिसमें अप्रयुक्त क्षमता की लागत भी है, कीमतों से वसूल किया जाना होता है। इस प्रकार, मांग में कमी के कारण, उत्पादन क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने के फलस्वरूप उत्पादन की औसत लागत बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप उसका बाजार बाजार कम हो जाता है तथा कीमतों में वृद्धि होती है।

इसका एक और कारण है—वह यह है विपणनयोग्य फालतू वस्तुए बाजार में नहीं आतीं। भारतीय अर्थव्यस्था का ऐसा हमारा अनुभव है। जमाखोर उसे दबाए रखते हैं जिससे

[श्री सुशान्त चक्रवर्ती]

काला बाजारियों तथा सट्टा लगाने वालों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था स्वर्ग बन जाती है। एक ओर तो किसानों द्वारा बहुत कम मूल्य पर अपना माल बेचा जाता है दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो उससे दुगुना मुनाफा कमाते हैं। उत्पादक को ठीक मूल्य नहीं मिलता। केवल बिचौलिये को ही वस्तुएं खरीदते समय तथा इन्हें बाजार में बेचते समय लाभ होता है।

निस्सदेह, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनिंदा ऋण नियंत्रण को कड़ा कर दिया है तथा अतिरिक्त मुद्रा को समाप्त करने के लिए कुछेक उपाए किए हैं। प्रत्यक्ष कर का अनुपात बढ़ा दिया गया है। पूर्ति के मामले में सरकार खाद्यानों तथा अन्य अनिवार्य सामग्री की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यहा तक कि खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी को देखते हुए खाद्य तेलों का सीमित आयात करने का स्वयं प्रधान मंत्री ने संकेत दिया है। अभी कुछ समय के लिए रूस को किए जा रहे चाय के निर्यात में कमी की जा रही है। लेकिन अभी तक इन सभी उपायों का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम महसूस करते हैं कि अपने वायदों को पूरा करने के लिए, सरकार को इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन की जरूरत है। हमारी यह राय है कि लोगों पर किसी प्रकार का बोझ डाले बिना तथा लोगों को पर्याप्त राहत देने तथा किसानों को समर्थन मूल्य देने के बाद, कर ढांचे को सुदृढ़ बनाकर आवश्यक संसाधन जुटाना सम्भव है। कर एकत्र करने वाले तंत्र को मजबूत बनाकर तथा प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर के और राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में साठ प्रतिशत ग्रामीण संसाधन दस प्रतिशत ग्रामीण जनता के हाथों में हैं। ये लोग कोई कर नहीं देते। यदि इन लोगों को कराधान के दायरे में लाया जा सके तो सरकार कुछ हजार करोड़ रु० प्राप्त कर सकती है। मैं चाहता हूं कि जनता के सहयोग से काले धन के खिलाफ सुनियोजित, समान्वित अभियान शुरू किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। काफी लम्बे समय से हमारा दल तथा पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार यह मांग कर रही है कि लोगों को चौदह आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। पिछली सरकार ने इस पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया था। यदि ऐसा किया गया होता तो आम लोगों को कुछ हद तक राहत मिली होती तथा जमादारों एवं मुनाफाखोरों के खेल को काफी हद तक रोका गया होता।

हमने पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान देखा कि जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाय उन्हें पुरस्कृत किया गया उनको देश से पैसा निकालकर स्विस बैंकों या अन्यत्र जमा करने का अवसर दिया गया। इन लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए थी। ये लोग सत्ता में ऊंचे पदों पर थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह प्रतिज्ञा की है कि वह स्वच्छ वातावरण बनायेगी तथा ऐसा वातावरण नहीं बनाएगी जो श्रीमान 'क्लीन' ने बनाया था। तथा उससे यह आशा की जाती है कि वह इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जब तक कुछ उद्योगपति तथा ग्रामीण अमीरों के उत्पादन और वितरण पर एकाधिकारवादी नियंत्रण को हटाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी आवश्यक वस्तु बाजार में उचित मूल्य पर नहीं दी जाएगी।

जब तक भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू करके आम लोगों की, जिनमें से अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, क्रय शक्ति बढ़ा करके बाजार के आधार को व्यापक नहीं बनाया जाएगा तब तक मुद्रास्फीति को नहीं रोका जा सकेगा।

हमारे देश में संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता राजनीतिक इच्छा की है। इस बुराई से जूझने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है हमें आशा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार वक्त की पुकार को सुनेगी तथा समझेगी तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री पी० आर० कुमारमंगलम।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदया, मैं आपका एहसान मानता हूं कि आपने मेरे माननीय मित्र श्री चक्रवर्ती, जो हावड़ा से चुनकर आए हैं, को इतना अधिक समय दिया है। मुझे आशा है कि मुझे भी इतना ही समय मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (बसदम) : क्या यह अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : नहीं, नहीं। मुझे भी इतना ही समय चाहिए। मैं इतना ही समय दिए जाने का निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय : जो भी अध्यक्ष पीठ पर होगा वह निष्पक्ष रहेगा। आप चिन्ता न करें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदया, दुर्भाग्यवश हमने बजट चर्चा के दौरान चेतावनी दी थी कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किया गया बजट मुद्रा स्फीति को बढ़ाने वाला है। और हम विश्वास है कि मूल्यों में वृद्धि होगी। और जहां तक मुझे याद है उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा और ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा न हो। परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों के इतिहास से यह सिद्ध हो गया है कि माननीय वित्त मंत्री के विचार गलत थे तथा सारी सभा के विचार सही थे।

सभापति महोदया, यदि हम थोक मूल्य सूचकांक को 17 फरवरी, 1989 की तुलना में 17 फरवरी, 1990 को देखें तो इस वर्ष इसमें 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पिछले 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हावड़ा से आए मेरे मित्र ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि पिछली सरकार ही मूल्य वृद्धि की दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति लाने के लिए जिम्मेदार थी। यदि वह वास्तव में इसके इतिहास को देखें तो मैं उनको और सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे अधिक मुद्रा स्फीति की स्थिति उस समय थी जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। यह स्थिति जनता पार्टी के सत्ता में आने के समय थी। और जहां तक मुझे सही-सही याद है। उस समय यह 21.7 प्रतिशत या 33 प्रतिशत तक थी। यह सर्वाधिक थी। मुझे नहीं पता है कि क्या इसको गिनिस रिकार्ड पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि सही कदम उठाया जाये तो ऐसा होगा। निस्संदेह प्रो० मधु दण्डवते उस समय रेलवे मंत्री थे। वित्त मंत्री नहीं। (व्यवधान)

महोदया, पिछले कुछ महीनों में जिन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आयी है वह है मिर्च तथा जिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है वे हैं नमक, खाद्य तेल तथा बाजरा। हम सभी

[श्री पी० आर० कुम्बरमंगलम]

जानते है कि सबसे गरीब लोग बाजरा खाते हैं। इसकी कीमतों में नवम्बर 1989 से फरवरी 1990 तक 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और यदि मार्च तथा अप्रैल के आंकड़े लिए जायें तो यह और भी अधिक होगी। यदि नमक को लें तो मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि नमक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है तथा जब तक हम गठिया रोग से ग्रस्त न हो जायें तब तक हम नमक से दूर रहना सुनिश्चित करें इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। 'गिंगली' तेल, जोकि सभी तमिल वासियों के लिए आवश्यक खाद्य तेल है, के मूल्य में 20.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आपके द्वारा इस प्रकार का भेदभाव समझ में नहीं आता है। इनकी कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास भी इस प्रकार किए जाते है कि ऐसा लगता है कि भेदभाव बरता जा रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि प्रो० दण्डवते साहब को जो विन्ध्या क्षेत्र से है ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह हो सकता है कि यह संयोगवश हुआ है क्योंकि थोक व्यापारी समुदाय शासक दल से लाभ उठाना चाहता है, तथा शासक केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है और इसी कारण दक्षिण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

5.00 म० प०

फिर भी इस बात में जाये बिना मैं मंत्री महोदय को जानकारी में लाना चाहूंगा कि सरकारें, जिसमें उनकी सरकार भी शामिल हैं, मूल्य वृद्धि के कारण ही गिरी हैं और हम सत्ता में केवल मूल्यों के कारण ही आये हैं जहां तक मुझे याद है जब प्याज के मूल्य 12 रु० प्रति किलो हो गया था और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति फिर भी हो सकती है। जिस दर से मूल्यों में वृद्धि हो रही है वह मजाक की बात नहीं है और मैं नहीं समझता कि यह दलगत मामला है या सभा के इस पक्ष का या उस पक्ष मामला है। यदि इसी दर से मूल्यों में वृद्धि होती रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लोग ऐसी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे जोकि अधिकांश लोगों को कठिनाई में डाले। तथा बहुमत को कठिनाई का सामना करना पड़ता हो।

5.02 म० प०

[श्री निर्मल कांति चटर्जी पीठासीन हुए]

यदि मूल्य वृद्धि को देखा जाये तो पता चलेगा कि गरीबों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं जैसे सस्ता कपड़ा महंगा हो गया है। गुड़ इतना महंगा हो गया है कि खरीदना मुश्किल है। रेपसीड, सरसों, अरन्डी तथा मूंगफली के तेल भी महंगे हो गए हैं। हम केवल तेलों को ही बात क्यों करें, रुपये की कीमत को भी देखें। यदि रुपये की कीमत को देखें तो यह जानकर धक्का लगेगा कि 1960 के मुकाबले में जबकि 100 पैसे की कीमत 100 पैसे ही थी, रुपए के मूल्य को देखें और यदि हम 1960 में रुपए के वास्तविक मूल्य की क्रय शक्ति को देखें तो आज इसकी कीमत आपके हिसाब से केवल 11 पैसे रह गयी है। ये सारे आंकड़े आपके द्वारा राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए दिए गए हैं। यह उल्लेख करना संगत है कि यदि 1960 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1200 रु० ले तथा आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 3800 रु० है, तो इससे पता चलता है कि यदि हिसाब लगाया

जाए तो प्रति व्यक्ति आय 75 प्रतिशत कम हो गयी है।

सभापति महोदय : क्या आप सभापीठ की जानकारी के लिए दोबारा कहेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्यों नहीं। राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया था कि यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखा जाए तथा 1960 में रुपए के मूल्य को देखा जाये तो 100 पैसे का मूल्य 100 पैसे था। आज 100 पैसे का मूल्य कितना है? इस संबंध में उन्होंने बताया था कि यह 1960 की तुलना में गिरकर 11 पैसे रह गया है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जिसका हम महंगाई भत्ते के लिए प्रयोग करते हैं तथा इसे हम सब जानते हैं।

5.03 प० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि उपाध्यक्ष महोदय मुझे स्पष्ट करने को कहेंगे तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय 1960 में लगभग 1200 रु० थी और आज यह 3000 रु० होनी चाहिए। यह उनके अपने आंकड़े हैं। यदि समीकरण का प्रयोग किया जाए तथा हिसाब लगाया जाये तो पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति आय में करीब 70 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह नोट करना जरूरी है क्योंकि हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमने गरीबी मूल्यांकन को 3000 रु० से बढ़ाकर 5000 रु० कर दिया है और गरीबी रेखा की सीमा को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया है। वास्तव में हमने कोई अतिपूर्ति नहीं की है और यदि इस समय 3000 रु० को लिया जाए तथा इसकी गणना की जाये तो यह 12000 रु० होना चाहिए। जिनके लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आने चाहिए थे उतने लोग नहीं आ पाए जैसा कि योजना के विभिन्न सांख्यकीविदों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने दावा किया था जो आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। आज गरीब और गरीब हो रहा है तथा अमीर और अमीर हो रहा है। असमानताये बढ़ रही हैं। ऐसे वातावरण में जहां पर असमानताये बढ़ रही है आप औद्योगिक के मूल आधार पर तथा बुनियादी आवश्यकताओं के मूल आधार पर आघात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति चावल या गेहूं नहीं खरीद पाता है तो वह बाजरा खरीदता है। यह हम सब जानते हैं। बाजरा की कीमतें बढ़ रही हैं। जो लोग वनस्पति नहीं खरीद पाते हैं। वह खाद्य तेल खरीदते हैं। यहीं संघर्ष है। खाद्य तेलों की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। यह बात मंत्री महोदय श्री विद्या द्वारा तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रश्नों में स्वीकार किया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की बात तो अपनी में आती है परन्तु अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। हम सब सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर यह कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तीन बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं। निश्चय ही रोटी महंगी हुई है और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। कपड़े की बात लीजिए यह इतना महंगा हो गया है कि जब तक आपके पास महंगाई भत्ता या गुआवजे का अन्य कोई साधन नहीं है तो आपको पता चलेगा कि आप पांच वर्ष पहले जितना कपड़ा पहन पाते थे उसका आधा ही पहन पाते हैं। यदि पांच वर्ष पहले कोई किसी निश्चित लम्बाई का कपड़ा पहन पाता था तो अब उसे ही पैसे में वह उसकी आधी लम्बाई का कपड़ा पहन सकता है। यदि हम अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हैं तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति को जितने कपड़े की आवश्यकता है वह उसका एक अंश मात्र ही पहन सकता है। यही नहीं, हम मकान की बात भी करते

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

हैं। यह एक ऐसी चीज हो गयी है जो एक व्यक्ति के नियन्त्रण से 100 प्रतिशत बाहर है। सीमेंट और स्टील के मूल्यों में तीन महीनों में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई हुई है। सीमेंट आज इतना महंगा हो गया है जितना कि सोना महंगा हो गया है। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम हटाते ही सोने की कीमतों में कमी आ जाएगी। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शुरू में ऐसा संकेत दिया गया था, परन्तु बाद में इसके मूल्यों में वृद्धि होनी शुरू हुई। अन्ततः वास्तव में आज स्थिति यह है कि 19 मार्च को जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब से लेकर आज तक 10 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है। क्या होने वाला है? हमारे सामने इस वर्ष दो अंकों वाली मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि सत्ता पक्ष तीन अंकों वाली मुद्रा स्फीति के लिए आकांक्षा नहीं रखती है। हमें जल्दी ही पैसे को अपने सिर पर टोकरी में रखकर ले जाना पड़ सकता है जैसा की ब्राजील में कुछ समय पहले हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण अथवा राजनीतिक दल के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। मैं इस विषय पर व्यक्तिगत सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। तथा वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं, जो मेरे विचार में हमें आश्वासन देंगे कि उनके पास मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए योजना है तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छे लाभ मिल सकेंगे। योजनाओं और कार्यक्रमों का कागज पर होने का कोई लाभ नहीं है। आखिर पकवान का स्वाद खाने से मिलता है। हम विशेष रूप से जानना चाहते हैं, अस्पष्ट रूप से नहीं क्योंकि अस्पष्ट बात करना एक आम बात हो गयी है जिसके वे अभ्यस्त हो गए हैं। लेकिन आज मैं निवेदन करूंगा कि यह राजनीति नहीं है। हमारी विचारधारा अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातों को अस्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा जाना चाहिए। हम विशेष रूप से यह जानना चाहता हैं कि किस प्रकार आप थोक मूल्य सूचकांक पर नियन्त्रण करेंगे, किस प्रकार आप खुदरा मूल्य पर नियन्त्रण करेंगे। किस प्रकार आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुनाफाखोरी तथा काला-बाजारी करने वाले बच कर नहीं निकलेंगे। किस प्रकार आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गरीब आदमी जिसका मुख्य भोजन बाजरा और नमक है उसको मिलेगा। किस प्रकार आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें यह सब वस्तुयें सस्ती मिलेंगी। किस प्रकार आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी मेरे मित्र जोकि हावड़ा से हैं, प्रशंसा कर रहे थे, कुशलतापूर्वक कार्य करेगी। बंगाल में भी हमें पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्येक किलोग्राम जो दिया जाता है उसका 15 प्रतिशत उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को चला जाता है जो सरकार पर नियन्त्रण करते हैं। इस प्रणाली का सभी को पता है। कम से कम बंगाल में इस बात का श्रेय राजनीतिक व्यवस्था को जाता है। परन्तु अन्य स्थानों पर इसका श्रेय भ्रष्ट अधिकारियों तथा गुण्डों को जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को न केवल सुचारु रूप से चलाना होगा बल्कि इसे सुव्यवस्थित भी करना होगा, ताकि यह प्रभावी बन सके। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे अपने राज्य में, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में, हमने वास्तव में यह देखा है कि रोजमर्रा के आधार पर चीनी जोकि गरीब लोगों

के लिए होती है वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसके विपरीत इसे उन अधिकारियों द्वारा जिनके पास अधिकार होते हैं, राशन की दुकान से ले जाया जाता है। तथा काला बाजार में बेच दिया जाता है। चाहे शासक दल हो या शासक दल का उम्मीदवार हो या उनके ठेकेदार हों या अन्य कोई व्यक्ति हों। हमने यह देखा है कि यह और किसी भी दल के शासन में होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली काला धन बनाने तथा काला धन बढ़ाने का अच्छा माध्यम बन गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हमेशा यह विश्वास है कि यह वह प्रणाली है जिससे मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा कालाबाजारियों को नियन्त्रित किया जा सकता है विशेषकर उस क्षेत्र में जहां पर खुदरा मूल्य पर आवश्यक वस्तुयें बिकती हैं। अतः केवल नीति की ओर ही नहीं बल्कि इरादे की ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इरादा होना चाहिए। मुझे डर है कि बिल मंत्री के मित्रों या सहयोगियों का समर्थन एक मजबूत व्यापारिक समुदाय कर रहा है। मैं चाहता हूं कि वह सावधान रहें, क्योंकि केवल सत्ता में रहने के लिए ही सत्ता में रहने का कोई अर्थ नहीं होगा। क्योंकि अन्ततः लोग निश्चय ही उन्हें सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं यदि वह मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं कर पाए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो गांव, झोंपड़ी की चर्चा है, मूल्यवृद्धि के बारे में जो जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र था जिसकी अवहेलना माननीय मधु दण्डवते जी और निर्धा साहब ने की है। मैं आपकी आज्ञा से उन दोनों लोगों के ऊपर मूल्य-वृद्धि के अपराध का मुकदमा इस सदन में करना चाहता हूं। जब मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था तब गांव-गांव में लोगों ने एक स्वर से कहा। जब आप चुनाव में खड़े थे तो लोहा 800 रुपए प्रति क्विंटल था जो इस समय 1200 रुपए क्विंटल हो गया है। सीमेंट उस समय 62 रुपए प्रति बैग था जो अब 105 रुपए प्रति बैग है। डालडा 350 रुपए प्रति टिन था जो अब 500 रुपए प्रति टिन हो गया है। ईंट उस समय 350 रुपए प्रति 1000 थी जो अब 700 रुपए प्रति हजार हो गई है। जलाने की लकड़ी उस समय 50 रुपये प्रति क्विंटल थी जो अब 100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। चीनी उस समय लगभग 8 रुपए प्रति किलो थी जो अब 9-10 रुपए प्रति किलो मिल रही है। नमक जो 1 रुपए प्रति किलो था वह सीधा 2 रुपए प्रति किलो हो गया है। मिट्टी का तेल 3 रुपए लीटर था जो अब 5 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी तरह से जीरा, खाने का तेल, दवाएं, कपड़ा आदि सारी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और आज इस विषय पर चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान को विवाह-शादी में, आजकल विवाह-शादियों का मौसम है, उसको अपने लड़के-लड़की की विवाह शादी में चीनी चाहिए, डालडा चाहिए, साबुन लगी हुई है, चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए समस्या खड़ी है। इस तरह से जहां चीनी, नमक, डालडा, तेल आदि के भाव बढ़े हैं वहीं खेत में जो फसल खड़ी है फसल कट रही है, उस फसल से दाना निकालने के लिए डीजल चाहिए, लेकिन वहां पर भी लाईन लगी हुई है, बाजार से डीजल गायब है। डीजल गायब, पैट्रोल गायब, चीनी गायब, सारी चीजों के दाम बढ़ गये हैं, तो

[श्री हरि केवल प्रसाद]

मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस सदन में बैठे सभी व्यक्ति मूल्य वृद्धि के अपराध की परिधि में आते हैं।

यह जो चर्चा चल रही है, इसमें मैं पिछली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अपने पाप को छिपाने के लिए कहा जाता है कि पिछली सरकार के समय में भी चीजों के दाम बढ़े थे, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह जनता दल की सरकार है और जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, सभी के लिए चिंता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री एवं खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री जी हमें आंकड़ों का जाल बता देंगे, बता देंगे कि इन कारणों से चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि दिल्ली की कुर्सी बदली है, लेकिन व्यवस्था वही है। जब कोई माननीय सदस्य सवाल करता है कि क्या मूल्य वृद्धि हुई है, मेरा भी प्रश्न था, लेकिन मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि नहीं हुई है। आज हर आदमी मूल्य वृद्धि से परेशान है, लेकिन यहां पर जवाब दिया जाता है कि मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है। जो जवाब नीचे से बनकर आ जाता है, मंत्री महोदय उसी पर हस्ताक्षर कर देते हैं।

इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ कुर्सी बदली है, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है।

वितरण व्यवस्था के बारे में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में 190 ग्राम प्रति यूनिट चीनी मिलती है जबकि शहरों में 1 किलो प्रति यूनिट चीनी मिलती है। इसी तरह से गांवों में मिट्टी का तेल 2 लीटर प्रति व्यक्ति मिलता है जबकि शहरों में 4 लीटर प्रति व्यक्ति मिलता है, यह व्यवस्था जनता दल सरकार की है।

इसलिए मेरा कहना है कि जहां से आप चुनकर आ रहे हैं, जिस चीज को लेकर हम लड़ते थे, लोगों को शादी या किसी के मरने पर चीजें उपलब्ध नहीं होती थीं। जहां चीनी, डालडा आदि चीजें उपलब्ध नहीं होती थी, हम लोगों को जुटाते थे और जुटाने के बाद कहते थे कि आप घेरो, कलैक्टर को घेरो। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार है और मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बताएं अब हम किसको घेरने के लिए कहें। अब हमारे घर पर शादी है, तिलक है, अब खेत की बुआई होनी है उसके लिए डीजल चाहिए और वह मिलेगा नहीं मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए जिम्मेदार जहां बड़े-बड़े व्यापारी हैं वहीं बड़े-बड़े अधिकारी भी हैं। इन अधिकारियों और व्यापारियों की काला-बाजारी को पकड़ने का काम आपको उसी तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेसी हकूमत को गिराने का काम आपने किया है। उसी तरह से इनको भी ठीक करने का काम आपको करना पड़ेगा। तब जाकर यह मामला ठीक होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों से मांग करना चाहता हूं कि डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है, पैट्रोल का जो दाम बढ़ाया गया है, जनहित में, जन-भावना की मांग है कि

डीजल और पैट्रोल के दामों में की गई बढ़ोत्तरी को कम कीजिए और इस पर अंकुश लगाइए। एक ऐसा कदम बढ़ाइए, योजना तैयार कीजिए जैसे जनता पार्टी की सरकार में चीनी से लेकर सारी चीजे मुहैया हो जाती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, रास्ते में चलता हुआ हर आदमी जनता पार्टी की सरकार का तारीफ करता था। मुझे उम्मीद है कि दण्डवते जी और मिर्धा जी दोनों आज इस सदन में इस तरह की घोषणा करेंगे कि जो व्यापारी, उद्योगपति और बड़ा अधिकारी महंगाई बढ़ाने का काम करता है वह महंगाई रूके। जिस समय आप सत्ता में आए हैं, आपको कुर्सी मिली है ठीक उससे पहले जो भाव थे उन्हीं भावों पर आप चीजें मुहैया कराने का काम करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि आप महंगाई रोकने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय चौ० धनखड़ जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (चौ० जगदीप धनखड़) : महोदय, जापान के प्रधान मंत्री महोदय शाम 6 बजे के बाद केन्द्रीय कक्ष में संसद सदस्यों को सम्बोधित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित समय बताएं ?

चौ० जगदीप धनखड़ : निश्चित समय 6.15 बजे है। सदस्य इस समारोह में सम्मिलित हो सकें, अतः इस आशय का अनुरोध राज्य सभा में भी किया गया है। अतः, यदि आज सभा की बैठक 5.30 बजे स्थगित हो जाये, तो सदस्य इस समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं इसी लिए यह अनुरोध कर रहा हूं। इससे सदस्य 6.15 बजे केन्द्रीय कक्ष में इस समारोह में भाग ले सकेंगे।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : आपका क्या सुझाव है ?

चौधरी जगदीप धनखड़ : मेरा सुझाव यह है कि आज शाम 5.30 बजे सभा के स्थगन की मांग की जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : आज राज्य सभा भी शाम 5.30 बजे स्थगित हो रही है।

चौधरी जगदीप धनखड़ : जी हां, राज्य सभा भी स्थगित हो रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह चर्चा जारी रहेगी। यह चर्चा परसों अर्थात् 2 तारीख को होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि सभा की बैठक 5.30 बजे स्थगित हो अथवा इसके थोड़ी देर बाद स्थगित हो ?

चौधरी जगदीप धनखड़ : 5.30 बजे स्थगित हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिर्धा, क्या आप पांच मिनट में अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं ? समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री बाबू राम मिर्धा) : अगर दो-चार मिनट ज्यादा हो जायेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचार समझने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री बाबू राम मिर्धा : यदि आप मुझे उत्तर देने की अनुमति दें तो मैं अपना उत्तर 5.30 बजे तक पूरा कर लूंगा। यदि आप सब सहमत हैं, तो मैं उपना उत्तर पूरा करने की कोशिश करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री महोदय को अपना उत्तर देने दें। उसके बाद हम आगे चलेंगे।

श्री बाबू राम मिर्धा : मैं 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। आप यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? हम मंत्री महोदय का उत्तर पूरा होने के तत्काल बाद सभा को स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं यह सूचना दे रहा हूं। माननीय सदस्यों ने अपने नाम पहले ही दे दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर परसों विचार करेंगे। अब अन्त में हस्तक्षेप रहे हैं। ये केवल पांच मिनट बोलेंगे।

श्री राम नाईक : उनका भाषण पूरा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 5 से 10 मिनट में अपना उत्तर पूरा कर लेंगे। यह उनका हस्तक्षेप है। अन्तिम उत्तर बाद में दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें चर्चा आगे नहीं चलानी चाहिए। मंत्री महोदय को पांच, दस अथवा पन्द्रह मिनट बोलने दीजिए। हम उनका भाषण पूरा होने के तत्काल बाद केन्द्रीय कक्ष में जायेंगे। शेष सदस्य इस विषय पर बुधवार को बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी आपकी प्राब्लम हल कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता की, स्वाभाविक है जब महगाई होती है तो चिन्ता भी होती है। आम जनता को होती है, प्रतिनिधियों को होती है और यहां पर जन प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज उठाई। जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है अपनी-अपनी दृष्टि से सब लोगों ने कुछ न कुछ आंकड़े दिए। मैं आंकड़े पेश करूंगा तो कहेंगे कि यह सब आंकड़े गलत हैं इसलिए मैं आंकड़े पेश ही नहीं करूंगा। आज मैं बिना आंकड़ों के बोलूंगा। यह देश बहुत बड़ा है। बावजूद सरकार के प्रयत्नों के और सारे क्षेत्रों में परिवार नियोजन के उपायों के आबादी बढ़ती जा रही है और डेढ करोड़ नए इनसान हर साल खड़े हो जाते हैं जिनके मुंह और हाथ पैर होते हैं···

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उनको बन्द कर दो, तीन महीने में जन संख्या बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई···

श्री नाथू राम मिर्धा : उसके लिए आप भी कोशिश करो, हम भी कर रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। अगर आप नहीं करना चाहते है तो मत करें। देश का उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय 50 मिलियन टन था आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन दाल, गेहूं, बाजरा चावल आदि तमाम चीजों का 178 लाख टन के आसपास हुआ है। तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है और कृषि का उत्पादन बढ़ना बहुत आसान नहीं है। दालों का उत्पादन बढ़ा पहले के मुकाबले, पिछले साल 10 मिलियन टन ज्यादा हुआ था अब कम हुआ है। बहुत सी खेती आज भी बरसात पर निर्भर करती है और हमारी बहुत सी फसलें जो सिंचाई में आती है वह भी बरसात पर निर्भर करती है। बरसात जिस साल कम होती है उस साल बांधों में पानी नहीं भरता, नीचे से रि-चार्ज नहीं होता, कुओं में पानी नीचे चला जाता है और सिंचाई की लागत घट जाती है इससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती। तिलहन, दालें हमारे देश में ज्यादातर असिंचित जमीन पर पैदा होती है और देश में इरीगेशन बढ़ा है, इरीगेशन का प्रतिशत कई राज्यों में ज्यादा बढ़ा है, कई में कम बढ़ा है। आज भी उत्पादन बढ़ने के अन्दर जो कृषि के अन्दर एकस्थिरता आनी चाहिए वह नहीं आ पा रही है। सिंचाई बढ़ी है और देश में उत्पादन बढ़ा है। आज भी हमारे देश के अन्दर दालों की कमी है, तिलहन और तेल की कमी है। जो उत्पादन हो रहा है आज भी तिलहन की देश में करीब आठ-दस लाख टन की कमी है। आज भी कम से कम देश में 6-7 लाख टन दालों की कमी है। इन सबकी पूर्ति हम आयात करके पूरी करते हैं। एक समय था जब 18 लाख टन तेल मंगवाया गया पिछले साल 2 लाख टन तेल बाहर से आया। इस साल भी हम कम से कम तेल मंगाना चाहते हैं ताकि किसानों को उसके उत्पादन का उचित दाम मिल सके। उसके साथ-साथ कन्ज्यूमर की हैसियत को भी देखना है कि तेल उतना मंगाया जाए जो किसान को हमने मिनिमम कीमतें दी है, उसका बुरा असर न पड़े। इसलिए हमें किसानों को उनकी पूरी कीमतें देनी पड़ेगी नहीं तो देश की चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और इसीलिए सरकार का दृष्टिकोण यह है कि किसानों को इन्साफ मिले। इसलिए अभी गेहूं का दाम 215/-प्रति क्विंटल रखा गया है। आपने 200/- रु० प्रति क्विंटल का दाम देने को कहा लेकिन हमने 15/-रु० और बढ़ा दिए और इस प्रकार से पहले

[श्री नाथू राम मिर्धा]

घोषित मूल्यों के अनुसार अब 32/- रू० प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। इसका कारण यह है कि किसानों की खेती आज बहुत महंगी हो गई है, इसलिए उसके उत्पादन के दाम उसको देना पड़ेगा। तिलहन के बारे में और सरसों के मिनिमम प्राइसेज 510/-रू० था उसको 575/-रू० कर दिया गया है। इसी तरह से गन्ने का दाम पहले 27-28 रू० क्विंटल था, इस दफा किसानों को 40/-रू० क्विंटल दिया गया है। जब हमने चुनाव लड़ा तो चीनी के दाम 12-13-14 रू० किलो था और जब यह सरकार आई तो चीनी के दाम 8-9 रू० किलो हो गये। आप अगर यह अन्दाज करें और मैं आपको आंकड़े बताऊं तो जिस समय पहली सरकार ने 27-28 रुपए क्विंटल तय किए थे तो चीनी का रेट 7-50 और 7-75 रु० किलो था और वह 9 रु० तक पहुंच गया और आज 50 पैसे या एक रुपया के नोक से ऊपर गया तो मुझे चिन्ता होने लगी और आप सब लोगों को भी चिन्ता है। इसके बारे में हमने कोशिश की और चीनी का दाम वापिस 8-9 रु० बीच में सारे देश के अन्दर सब जगह पर हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 8-9 रु० किलो से सस्ती चीनी नहीं खा सकेंगे क्योंकि अब किसानों को 40/-प्रति क्विंटल गन्ने के दाम देने पड़ रहे हैं। इस देश में वर्ष 1988-89 में चीनी का उत्पादन 91 लाख टन था जो अब मैक्सीमम 107-108 लाख टन होने जा रहा है। इस देश को 102 लाख टन चीनी की जरूरत है तो 4-5 लाख टन चीनी सरपलस में होगी और यह सब इसलिए हो पाया है कि चीनी मिलों ने सहयोग किया कि हम अपनी मिलें चाहे बाद में चलाएं, चीनी ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे। इसके लिए इनको कंसेशन भी दिया, कुछ किसानों को ज्यादा दाम दिया। इसलिए चीनी और अनाज का उत्पादन उस लेवल पर लाना है जहां तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। अभी तेल और तिलहन के उत्पादन में कमी है और अब तेजी से उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। सीमेंट और लोहे की बात पर भी आऊंगा। अभी तो मधु जी बैठे हैं, वे इसके बारे में कहेंगे, यह जरूरी नहीं कि सारी बातें मैं ही कहूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में सभी लोग गांवों से और किसानों से वोट लेकर आए हैं और चिन्ता जाहिर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गयी है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस देश में बजट आता है, एक जनरल हल्ला होता है दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गए। सरकार सख्त कदम उठा रही है और आप भी चाहेंगे कि सरकार यह काम करे तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सरकार और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सरकार ने होर्डर्स पर ब्लैक मार्केटिंग पर कंट्रोल कर लिया है और जो स्टॉक सीमा घटना है, रेड्स करके इन कीमतों को तेजी से नीचे लगाना शुरू कर दिया है। सीमेंट के दाम पहले 100/-रु० प्रति बोरी हो गए थे जिसे 80/-रु० तक ले आए हैं और दो-चार दिनों में कम हो जायेंगे। मैं आपसे बोल रहा···(व्यवधान)

मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, अब आपको भी मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। आपने हमें राज चलाने का जिम्मा दिया है तो हमारी बात भी आपको सुननी पड़ेगी।

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही बात को यह जोर-जोर से कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है, और जब उत्पादन बढ़ा है तो कीमतें भी बढ़ीं, यह कौन सी नीति है? उत्पादन तो बढ़े लेकिन साथ में कीमतें भी बढ़ें?

श्री नाथू राम मिर्धा : गेहूं, चावल और दूसरी चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं। (व्यवधान)

श्री कालका दास : आप जब इलाके में जायेंगे तो पता चलेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं चलेगा। कटारिया जी आप बैठ जाएं। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप कह सकते हैं। आप कृपया एसे इंटरप्ट मत करिए। वहां बैठकर आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब, आप जरा एक मिनट रुकिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार से बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। जब आपको मौका मिले, आप अपनी बात कह सकते हैं. मंत्री जी को गवर्नमेंट की पौलिसी रखने दीजिए, जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं, अपनी बात रखने दीजिए। आपको इस प्रकार बीच बीच में उठकर नहीं बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : इन्हें भी तो चेयर को एड्रैस करके कहना चाहिए। एक तो देश में जबर्दस्त महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से छेड़ रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कटारिया जी, आप बैठिए। पार्लियामेंट का यह प्रोसीजर है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो या मिनिस्टर बोल रहे हों तो जब तक वे बैठ नहीं जाते. आप अपनी बात नहीं कह सकते। अभी वे बैठे नहीं है और आपने बीच में ही उठकर बोलना शुरू कर दिया. फिर तो वे बराबर कहेंगे। पहले उन्हें बोलने दीजिए और बीच में आप इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि यहां देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है, कीमतें भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी हैं, जिस हिसाब से हमने किसानों के लिए मिनिमम दाम बढ़ाए हैं। बाजार में कुछ दाम बढ़े हैं, उसी हिसाब से कन्ज्यूमर प्राइसेज भी कुछ थोड़े बढ़े हैं, लेकिन बहुत कम बढ़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दालों की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं, हां, अरहर और मूंग इन दोनों दालों की कीमतें बढ़कर कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि इनकी हमारे देश में कमी है। ये दोनों दालें बाहर से आती हैं, इसीलिए इनके दाम थोड़ा ऊंचे हैं। मोठ की दाल और दूसरी दालों में बहुत कम बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ भाव बढ़े हैं। तिलहन के भाव का जहां तक ताल्लुक है, आपने तिल्ली के तेल का जिक्र किया, पहले जहां हम देश के बाहर 40-50 करोड़ रु० का तेल एक्सपोर्ट करते थे, इस साल हमने करीब 150 करोड़ रुपये का तेल एक्सपोर्ट किया है। यह इसलिए हुआ है कि किसान को मार्केट में तिल्ली के तेल का काफी ऊंचा दाम मिला। इस बार किसान को 1400 रुपये क्विंटल का भाव मिला है। किसान को अच्छा दाम मिलने से उसे प्रोत्साहन मिला है। यही कारण है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाये। सारी इकॉनामी केवल कन्ज्यूमर की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रोड्यूसर को देख

[श्री नाथू राम मिर्धा]

बल मिले, सरकार को इसे भी देखना पड़ता है। इसीलिए, हमने देखा कि सीमेंट के दाम बढ़ने का कोई औचित्य नहीं था, उसे वापस उसी लेवल पर लाने का काम किया और सीमेंट के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। दालों के दाम भी उसी लेवल तक आ जायेंगे। चीनी आज 8 और 9 रुपये किलो के बीच आ चुकी है। अब इसके दाम न तो और बढ़ेंगे और न घटेंगे क्यों कि हमारा इरादा है कि किसान को गन्ने का उचित मूल्य मिल सके। अन्य तेलों के दामों में भी 2-2 या 3-3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि तिलहन की ज्यादा कमी हो गयी। अब हमने निश्चय किया है कि कुछ तेल बाहर से मंगाया जाए। आप देखेंगे कि तेलों के दाम थोड़े दिनों बाद बिलकुल नीचे आ जायेंगे, चाहे वह वेजिटेबल तेल हो या कोई दूसरा तेल हो, सब के दाम नीचे आ जायेंगे। सरकार बाहर से तेलों का आयात कर रही है। इसके अलावा तिलहन के सौदे, फारवर्ड ट्रेड आदि सारी चीजों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से सख्त कदम उठा रही है। हमारे कदम इस प्रकार से उठ रहे हैं ताकि महंगाई को बढ़ने से रोका जा सके। जानबूझ कर जिस तरह से कुछ ट्रेड आर्गेनाइजेन्स ने दाम बढ़ाए थे, उन्हें सरकार पूरी तरह से देख रही है। साथ-साथ रेड्स भी हो रहे हैं और हम रेडस आगे भी करेंगे और दूसरी कार्यवाही भी होगी। सरकार हर मामले में सख्ती से कार्यवाही करेगी, रेड्स या दूसरे मामलों में किसी के साथ नर्मी नहीं बरती जाएगी, सरकार को किसी से मोह नहीं है और कुछ कदम उठाने हमने शुरू कर दिए हैं। उनका असर भी दिखाई देने लगा है। आप देखिए कि पिछले दिनों चीनी के भावों में कमी आई, तेलों के भावों में कमी आयी और सीमेंट के भाव भी कम हुए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें किराया बढ़ने से थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि हमने कुछ पैट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल आदि के भाव बढ़ाए, उनका स्वाभाविक है कि चीजों पर कुछ असर आएगा, चाहे कैसा भी बजट हो, आपको मधु जी विस्तार में जाकर बताएंगे लेकिन पहले जो इन्फ्लेशन की स्पीड थी, उतनी स्पीड इन्फ्लेशन की आज नहीं है। हम इस मामले में पूरी तरह से सतर्क हैं कि कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और बाजार में जाने पर उपभोक्ताओं को भी किसी तरह का कष्ट न पहुंचे। जब सरकार ने चार्ज लिया था, हमारा उस समय भी यही दृष्टिकोण था, उसके बाद बीच बीच में जिस तरह से थोड़ा बहुत कीमतों में उतार-चढ़ाव आया, हम उनके प्रति सतर्क हैं। इस तरह के कदम हम उठाकर चल रहे हैं ताकि कीमतें स्थिर रह सकें। अर्थशास्त्र का नियम है कि डिमाण्ड और सप्लाई की बात पूरी होने से अर्थ व्यवस्था ठीक चलती है परन्तु अभी भी कई चीजों की हमारे देश में कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं को बढ़ाकर और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से हमें सोचना होगा। चाहे वह कोयले का उत्पादन हो, चाहे लोहा हो, डीजल हो या पेट्रोल हो। अब उस दृष्टि से योजनाओं के अन्दर काम करेंगे, तो उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहां रिसोर्सेस मोबिलाइज किए जाएं। हमें ओवरआल व्यू लेकर चलना पड़ेगा। माननीय सदस्यों को भी ओवरआल व्यू लेकर सोचना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ती है, आप बोलते हैं, उसका असर हम पर भी पड़ता है और उससे हम चिन्तित होते हैं और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार ठीक से चलाएं, इस पर विचार करके, चीजों के दाम कम करने के लिए हम उपाय करते हैं।

जहां तक मेरे महकमे का सम्बन्ध है, मैंने आपको बता दिया है जिन चीजों की कीमतों

में कमी आई है या आ रही है।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि कीमतें कम नहीं हुई बढ़ी हैं ? तो क्या माननीय मंत्री महोदय, इस सदन के 5-6 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त करेंगे जो बाजार में जाकर देखे कि दो महीने पहले चीजों के दाम क्या थे और आज क्या हैं ? इससे आपको भी पता चलेगा कि जो जानकारी आपको है, वह सही नहीं है।

श्री नाथू राम : आप जाएं, मैं भी जाता हूं, आप और हम यहां हैं। मैं यहां बैठा हूं, आप मार्केट जाइए, मुझसे मिलिए। यदि कमेटी बनती है, तो भी हमें कोई कष्ट नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष जी, मैं श्री राम नाईक जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब चर्चा का यह काम पूरा हो जाएगा, तो अन्त तक आपको पता चल जाएगा कि जो विचार आपने यहां रखे हैं, उनके सिलसिले में, उनकी रोशनी में जरूर कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, आपको तफसील के साथ बताएंगे। उसके बाद भी यदि किसी समिति की आवश्यकता महसूस हो तो उस कमेटी का हम विरोध करें, यह हो ही नहीं सकता।

5.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 मई, 1990/12 वैशाख 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र 12/3 श्रीराम मार्ग साउथ मौजपुर दिल्ली-53